राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का चौबीसवां दिवस [संख्या: 11

शुक्रवार,

05 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 फरवरी, 2021)

टोडारायसिंह में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

1. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टोडारायसिंह में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रीमियम राशि का मांग पत्र जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रीमियम राशि का मांग पत्र जारी करने के कितने दिनों पश्चात् प्रीमियम राशि जमा करवा दी जाएगी तथा प्रीमियम राशि जमा होने के कितने दिनों पश्चात् आबंटित भूमि का कब्जा ले लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) आबंटित भूमि पर कब्जा प्राप्त होने के कितने दिन पश्चात् वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर विकास कार्य प्रारम्भ कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) तहसील टोडारायसिंह क्षेत्र में नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिये ग्राम श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह की भूमि किता-3 कुल रकबा 23.49 हैक्टेयर भूमि शासकीय स्वीकृति के अनुसरण में राजस्थान-भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत जिला कार्यालय, टोंक के पत्र दिनांक 07.02.2018 से आरक्षित (सैट अपार्ट) की गई है।

(राजस्व मंत्री)

उक्त आरक्षित भूमि के आबंटन के सम्बन्ध में वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको लिमिटेड, सवाई माधोपुर ने अपने पत्र संख्या 3658 दिनांक 16.02.2018 से प्रीमियम राशि की गणना कर सूचना चाही जाने पर, प्रीमियम राशि 1,72,03,258/- रुपये (अक्षरे एक करोड़ बहत्तर लाख तीन हजार दो सौ अठावन रुपये) की सूचना रीको लिमिटेड सवाई माधोपुर को जिला कार्यालय, टोंक के पत्र दिनांक 06.04.2018 से प्रेषित की गई। उक्त आरक्षित भूमि का आबंटन उद्योग (ग्रुप-1) द्वारा अपने आदेश क्रमांक प. 4(16)उद्योग/1/2018 दिनांक 27.05.2020 से रीको लिमिटेड के हक में किया गया। राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2020 अनुसार रीको लिमिटेड को भूमि आबंटन का अधिकार राजस्व विभाग से होने के कारण उद्योग विभाग द्वारा अपने आदेश क्रमांक प. 6(16)उद्योग/1/2018 दिनांक 12.10.2020 से अपने पूर्व आदेश दिनांक 27.05.2020 एवं 15.06.2020 को प्रत्याहारित किये जाने के उपरान्त उद्योग विभाग एवं जिला कलेक्टर, टोंक द्वारा प्रकरण में उक्त औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि को नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिये रीको लिमिटेड को आबंटन किये जाने हेतु विभागीय परिपत्र दिनांक 15.05.2020 एवं अधिसूचना दिनांक 09.09.2020 के अनुसरण में आबंटन किये जाने हेतु प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिये राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया।

उद्योग विभाग द्वारा प्रेषित उपरोक्त प्रस्ताव के क्रम में विभाग द्वारा नवीन औद्योगिक क्षेत्र के लिये ग्राम श्रीनगर तहसील टोडारायसिंह की भूमि किता-3 कुल रकबा 23.49 हैक्टेयर भूमि औद्योगिक क्षेत्र आबंटन नियम 1959 के नियम 11ए के अन्तर्गत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटन किये जाने हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है परन्तु प्रकरण में औद्योगिक प्रयोजनार्थ आबंटन हेतु प्रस्तावित भूमि 50 एकड़ से अधिक होने के कारण मंत्रिमण्डल सचिवालय के परिपत्र क्रमांक प. 27(2)मं.मं./2009 दिनांक 12.10.2020 की पालना में प्रकरण मंत्रिमण्डल के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जा रहा है।

(2) औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आबंटन की राजकीय स्वीकृति उपरान्त जिला कलेक्टर टोंक एवं रीको द्वारा अग्रिम कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

(3) बिन्दु संख्या 2 के अनुसार।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह प्रकरण 07.02.2018 से आबंटन का चल रहा है। लगभग 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। हर बजट के अन्दर रीको खोलने की घोषणा की जाती है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कब तक तो मंत्रिमंडल की बैठक में रख देंगे और कब तक रीको को इसका कब्जा दे देंगे जिससे कि यह घोषणा पूरी हो सके।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मंत्रिमंडल के समक्ष अनुमोदन हेतु रखा जा चुका है। मैं आपके माध्यम से सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राजस्व विभाग अगले एक महीने के अन्दर उद्योग विभाग और रीको को आबंटन कर देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी और हमारी सबकी मंशा है कि जो क्षेत्र औद्योगिक रूप से डवलप जितना जल्दी हो सके, होना चाहिए। 2018 से प्रकरण चल रहा है। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को फाइलें केवल आ और जा रही हैं। क्या इस सिस्टम को सुधारकर, जिसको आप सही मानते हैं, उसको कम समय में निकालने के लिये कोई प्रक्रिया तय की जा सकती है? फाइल को लेकर जाना, स्वयं डिपार्टमेंट में ले जाकर उनसे करा लाएं तो मैं सोचता हूं कि इससे इस समय का उपयोग होता। इससे इंडस्ट्री को जल्दी से ग्रो होने का मौका मिलता।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की जो चिंता है वह जायज है। कुछ सरलीकरण किये गये हैं। जैसे मंत्रिमंडल में रखने की जगह पिछले दिनों के अन्दर राजस्थान सरकार ने वह अधिकार वापस राजस्व विभाग को दे दिए हैं। इस प्रक्रिया को और ज्यादा सरल और जल्दी कैसे किया जाए, इसके लिये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसको देखकर और संशोधन करके किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री लक्ष्मण मीणा।

बस्सी के पुलिस थानों में एन.डी.पी.एस. एक्ट के दर्ज प्रकरण

91. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कस्बों तथा गांवों के युवाओं में स्मैक, अफीम, गांजा जैसे नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति दिनों-दिन बढ़ती जा रही है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में थाना बस्सी, कानोता, बांसखो, तूंगा, कोटखावदा तथा शिवदासपुरा में एन.डी.पी.एस. एक्ट के

(श्री लक्ष्मण मीणा)

तहत कितने अभियोग दर्ज कर कितनी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किये गये तथा कितने अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रभावी नियंत्रण तथा इस प्रकार के नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वालों की धरपकड़ करने के लिये पुलिस क्या कोई कार्ययोजना बनाकर कार्य कर रही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बस्सी के कस्बों तथा गांवों में युवाओं में स्मैक, अफीम और गांजा जैसे नशीले पदार्थों के सेवन की प्रवृत्ति दिनों-दिन बढ़ रही है, जिसके विरुद्ध पुलिस द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जा रही है। पिछले 02 वर्षों में थाना बस्सी, कानोता, तूंगा, कोटखावदा तथा शिवदासपुरा में एनडीपीएस एक्ट के तहत 2019 में 18 एवं 2020 में 29 (कुल 47) अभियोग दर्ज हुए हैं, जिसमें बरामद किये गये नशीले पदार्थों एवं एनडीपीएस एक्ट में पकड़े गए 2019 में 22 एवं 2020 में 50 (कुल 72) मुल्जिमों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पुलिस विभाग द्वारा युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रभावी नियंत्रण तथा नशीले पदार्थों की आपूर्ति करने वालों की धरपकड़ के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में नशीले पदार्थों के विरुद्ध वर्ष 2019-2020 में एनडीपीएस एक्ट के तहत की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): थैंक यू, अध्यक्ष जी। जवाब प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। अच्छा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, यह समस्या आपने भी फेस की और मैंने भी फेस की है। मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि यह जहां से प्रारम्भ होता है, इसमें क्या है कि जिसके पास से पकड़ा जाता है उसके खिलाफ तो सख्त कार्यवाही करने के हमारे पास अधिकार हैं, वह तो केवल कैरियर होता है। इस व्यवसाय को करने वाला कोई बड़ा आदमी आज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

दिन तक न तो आप पकड़ पाए और मैं भी नहीं पकड़ पाया। मैं सोचता हूं कि क्या कानून में ऐसा कोई परिवर्तन करने की कि जहां से यह चला है, उसकी छानबीन करके उस व्यक्ति को इस केस में अभियुक्त बनाने की आपकी मंशा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जहां पर यह मादक पदार्थों का उत्पादन होता है, मिसाल के तौर पर राजस्थान की सीमा में कोटा और झालावाड़ जिले, प्रतापगढ़ और मंदसौर से आस पास का चित्तौड़ से लगता हुआ जितना भी इलाका है, वहां पर यह ज्यादातर होता है। वहां पर बाकायदा नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने भी अपने-अपने दफ्तर खोल रखे हैं। वक्त-वक्त पर वह भी छापा मारते रहते हैं।

इसके अलावा भी अब एक नई चीज देखने को मिली है कि जैसे अभी कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले ही शिवदासपुरा में चारों तरफ गेहूं की खेती थी और बीच में अफीम उगा रखी थी। इस तरीके की जो कार्यवाही है उसके लिये बाकायदा हमने आपरेशन क्लीन स्वीप चालू की है और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आये हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): प्रयत्न हम और विभाग कर रहा है। मैं चाहता हूं कि जो इसमें ओरिजिन करने वाली गैंग है। उस गैंग का विभाग को भी ध्यान है, लेकिन दुर्भाग्य से उन तक पहुंचने का रास्ता अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि कानून में कोई ऐसा परिवर्तन किया जाए जिससे उस गैंग को पकड़ा जाए। जिसने इनको केवल कुछ हजारों में एक तरह से इनको ले जाने के लिये, जेल जाने के लिये इन गरीबों को रखा है और सीधा ही बच जाता है और वह सज़ा भुगतता है। इस कष्ट से निवारण के लिये, वहां तक पहुंचने के लिये कोई कानून में अगर आवश्यक अमेंडमेंट करने का है तो इसके बारे में विभाग जरूर सोचे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसका है और राजस्थान की पुलिस, मध्य प्रदेश की पुलिस से भी सहयोग लेती है, आपके वक्त में भी लेती थी, हमारे वक्त में भी लेती है। इसके अलावा चाहे वह उत्तर प्रदेश हो या हरियाणा हो, जहां-जहां भी होता है, वहां की पुलिस से सहयोग लिया जाता है लेकिन इसके रिजल्ट भी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

उतने अच्छे नहीं आए, इसीलिये इस सरकार ने 2019 में एसओजी को इन मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिये तैनात किया है। एसओजी के रिजल्ट निश्चित रूप से कुछ अच्छे आए हैं।

श्री अध्यक्ष: एनडीपीएस एक्ट भारत सरकार का एक्ट है, आपका कंसर्न ठीक है, पर भारत सरकार यदि इसमें इनिशिएटिव लेकर, जैसा आप चाह रहे हैं...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पुलिस जब छानबीन करती है तो उसको पूछताछ में इस बात का पता लग जाता है कि यह कहां से चला और किस व्यक्ति ने चलाया, पर यहां पुलिस की भी मानसिक कमजोरी आ जाती है क्योंकि बहुत बड़ी-बड़ी गैंगें हैं, उन पर हाथ डालना इतना आसान नहीं। मैं सोचता हूं कि पुलिस अपने इन्वेस्टीगेशन में उस केस के उस ओरिजिन तक पहुंचने के लिये अपनी फाइल तो कम से कम बनाए कि वास्तव में चला कहां से, तब जाकर यह पकड़ आएगा और तब जाकर इस पर कंट्रोल होगा, बाकी तो यह बर्बाद है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे मैंने बताया कि 72 आदमियों के कुल मिलाकर केसेज बने हैं अभी तक, उन 72 आदमियों में से ज्यादातर करीब-करीब 70 प्रतिशत लोगों के खिलाफ चालान पेश हो चुके हैं। जिस तरीके से भी इसमें अपराधियों पर कंट्रोल किया जा सकता है, वह करने की कोशिश की गई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री जगसी राम।

जयपुर के परकोटा क्षेत्र में पुरामहत्व की इमारतों का संरक्षण

92. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजधानी जयपुर की विरासत परकोटा क्षेत्र में जगह-जगह क्षतिग्रस्त एवं अतिक्रमण होने के कारण ऐतिहासिक इमारतों का स्वरूप बदल गया है? यदि हां, तो किस-किस जगह किन-किन का अतिक्रमण कब से है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा परकोटे के भीतर बिना इजाजत के परम्परागत पुरामहत्व की इमारतों, हवेलियों से छेड़छाड़ करके

(श्री जगसी राम)

स्वरूप बदलने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या? वार्डवार की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परकोटा क्षेत्र के लिये जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 की अवधि में किस-किस मद से कितनी-कितनी राशि जारी की गई व किस एजेंसी द्वारा किन-किन संवेदकों से कौन-कौनसा कार्य करवाया गया? कार्य की पूर्णता, अपूर्णता व गुणवत्ता की जांच रिपोर्ट विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी हां। जयपुर की विरासत परकोटा क्षेत्र में जगह-जगह क्षतिग्रस्त हुआ है तथा अतिक्रमण भी हुआ है जिसकी वजह से सैकड़ों की तादाद में इमारतों का स्वरूप बदल गया है, जिसमें बाहय स्वरूप में किये गये परिवर्तन एवं अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण आदि शामिल है। वर्ष 2019 में करवाये गये ड्रोन सर्वे एवं मैनुअल सर्वे के आधार पर सम्पूर्ण परकोटा क्षेत्र में लगभग 3130 से अधिक भवनों को चिह्नित किया गया है। ये अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण कई दशकों से होते रहे हैं, जिससे इमारतों का स्वरूप बदला है। इस सम्बन्ध में करवाये गये सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर उक्त भवनों की सूची का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) परकोटे एवं उसके भीतरी क्षेत्र में बिना इजाजत निर्माण/अतिक्रमण एवं इमारतों के साथ छेड़छाड़ कर उनका स्वरूप बदलने की कार्यवाही निवासियों द्वारा कई दशकों से की जाती रही है। इस सम्बन्ध में जनवरी, 2019 से लेकर अब तक नगर निगम द्वारा लगभग 739 नोटिस जारी किये जा चुके हैं। कोविड-19 की वजह से अभी तक अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान के रूप में कार्यवाही नहीं की जा सकी है, किन्तु निगम के संज्ञान में आने पर कार्यवाही की जाती रही है। इसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जनवरी, 2019 से फरवरी, 2021 के दौरान परकोटा क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से राशि रुपये 55.37 करोड़ की लागत से 11 कार्य पूर्ण कराये गये हैं तथा राशि रुपये 387.90 करोड़ की लागत के कार्य प्रगतिरत हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा कराये गये कार्यों का तृतीय पक्ष (Third Party) गुणवत्ता परीक्षण भी करवाया गया है। इसके अतिरिक्त आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा राशि रुपये 2 करोड़ स्वीकृत की गई है, जिससे

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

पुरा-स्मारकों के रख-रखाव व मरम्मत का कार्य किया गया है। नगर निगम जयपुर, हैरिटेज द्वारा भी राशि रुपये 28.46 करोड़ के 126 स्वीकृत कार्यों में से 95 कार्य पूर्ण एवं शेष कार्य प्रगतिरत हैं। किस-किस एजेन्सी द्वारा किस-किस संवेदक से कौन-कौनसा कार्य करवाया गया है तथा जिन कार्यों की गुणवत्ता सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, उनका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यूनेस्को ने जयपुर शहर को विश्व धरोहर माना है, इसमें आपने माना है कि अतिक्रमण भी हुआ है और परकोटा जयपुर शहर का लगभग 23 किलोमीटर लम्बा है जो जगह-जगह क्षतिग्रस्त किया हुआ है। परकोटे के अन्दर गंदगी का अम्बार है, गंदगी भरी पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि ये सारी बातें जो आपने स्वीकार की हैं जयपुर शहर जो विश्व धरोहर के रूप में माना गया है, क्या आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि इसकी सारी कार्यवाही और अतिक्रमण को हटाने के लिये और परकोटा के अन्दर आपने जो पैसा खर्च किया है, वह पैसा जहां खर्च करना था, नहीं किया है, फुटपाथ पर और सीढ़ियों पर जिस तरह से .....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, बोले जा रहे हैं, प्लीज। प्रश्न पूछिये स्पेसिफिक।

श्री जगसी राम (रेवदर): मैं यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो कार्यवाही की है इसको कब तक पूरी करेंगे? इसमें जयपुर के कई लोग हमारे जो हैं, माननीय जोशीजी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, प्लीज। आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं। (व्यवधान) नहीं, ऐसा नहीं, हो गया। अगला प्रश्न। बैठें आप। (व्यवधान) अगला प्रश्न। (व्यवधान) आपका नहीं होगा।

अगला प्रश्न, श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर शहर में सीवरेज से क्षतिग्रस्त सड़कों का पुनः निर्माण

93. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ब्यावर शहर में सीवरेज समस्या से मुक्ति दिलाने हेतु कौन-कौनसी योजनांतर्गत कितनी-कितनी राशि के कार्य प्रक्रियाधीन हैं? उक्त की निविदा कब जारी हुई व निर्माण की क्या शर्तें थीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निर्माता कम्पनी द्वारा उक्त शहर की सड़कों को पूरी तरह से खोद दिया गया है? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर तथा किन-किन स्थानों पर पुनः बनाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय की मुख्य सड़क को सीवरेज निर्माण कम्पनी द्वारा खोदकर उबड़-खाबड़ बनाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सालय की उक्त सड़क को पुनः सही तरीके से बनवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) ब्यावर शहर को सीवरेज समस्या से निजात दिलाने हेतु केवल अमृत योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 138.92 करोड़ का कार्य स्वीकृत था। इसका टेण्डर 13.10.2016 को जारी किया गया था। निर्माण की शर्तें परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(2) जी नहीं। निर्माता कम्पनी द्वारा ब्यावर शहर की सड़कों को पूरी तरह नहीं खोदा गया है। इस परियोजना के तहत शहर के लगभग 55 प्रतिशत क्षेत्र में ही 119.52 किलोमीटर सीवरेज लाइन डाली गई है, जिसमें 82.00 किलोमीटर पक्की और 37.52 किलोमीटर कच्ची सड़क को खोदकर सीवर लाइन, मैनहोल, घरेलू सीवर कनेक्शन का कार्य किया गया है। उक्त समस्त स्थानों पर सीवरेज लाइन हेतु खोदी गई सड़कों की मरम्मत का कार्य उनकी पूर्व की स्थिति अनुसार करवा दिया गया है। इसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राजकीय अमृतकौर जिला चिकित्सालय की मुख्य सड़क को सीवरेज निर्माण कम्पनी द्वारा टेण्डर के प्रावधान के अनुसार जितनी चौड़ाई की सीवरेज लाइन खोदी गई थी, उसका रिपेयर कार्य करवा दिया गया है,

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)
परन्तु सीवरेज लाइन के दोनों तरफ, सीवरेज लाइन जो पड़ती है, वह सड़क के बीच में पड़े चाहे साइड में पड़े, लेकिन सीवरेज लाइन अगर मान लीजिए 4 फुट होती है या 5 फुट की चौड़ी होती है तो बाकी सड़क तो खाली रहेगी। जितनी चौड़ाई की सीवरेज लाइन खोदी गई है, उसका रिपेयर कार्य करवा दिया गया है परन्तु सीवरेज लाइन की दोनों तरफ की क्षतिग्रस्त सड़क को सही करवाने के लिये नगर परिषद् ब्यावर द्वारा दिनांक 04.02.2021 को निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त इस सड़क को बना दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जो सीवरेज का कार्य किया गया है, उसमें सड़क के बीचों-बीच उसकी खुदाई हुई है चार-चार फीट की उन्हें खोदने के लिये आवश्यकता होती है, लेकिन सीसी सड़कों, पक्की सड़कों को खोदा गया है, वे कभी भी चार फीट टूटकर नहीं आएंगी, जेसीबी से खोदते हैं, पूरी की पूरी सड़कें खोदी गयी हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब, दो फीट की ही रिपेयरिंग कर रहे हैं। पूरा शहर अस्त-व्यस्त है।

नम्बर दो, प्रश्न यह है कि सेदरिया से ब्यावर की सड़क जो खोदी गयी है, उस पाइंट के ऊपर नगर परिषद् कहती है सीवरेज वाले बनाएंगे, सीवरेज वाले कभी पीडब्ल्यूडी का नाम लेते हैं, कभी नगर परिषद् का नाम लेते हैं। तीनों एक-दूसरे पर टालने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, जनता किसके भरोसे रहेगी, वह सड़क कौन बनाएगा, थोड़ा आप इसका जवाब दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा इन्होंने कहा कि सड़क के बीच में सीवरेज लाइन खोद दी गयी है, यह बात सही है। ऐसे में लैफ्ट और राइट की जो सड़क है, उस पर मलबा पड़ेगा, क्योंकि खोदने पर मलबा निकलता है, मिट्टी निकलती है और इस कारण वह सड़क डैमेज तो होगी ही, इसमें कोई दोराय नहीं है, लेकिन संवेदक के द्वारा जो एग्रीमेंट किया गया, इस एग्रीमेंट की कापी है मेरे पास, यह मैं दे देता हूं, इसकी शर्तें पढ़ लीजिएगा आप।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): हां, इसे मैंने पूरा पढ़ लिया है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एग्रीमेंट जो किया गया, उसमें सिर्फ इतना-सा है कि जितनी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

चौड़ाई में वह कंसीसनर सीवर लाइन खोदेगा, उतनी ही वह रिपेयर करेगा। बाकी को रिपेयर करने का काम नगर परिषद् का है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): साहब, नगर परिषद् भी आपके पास में ही है। वे कहते हैं कि नगर परिषद् के पास बजट है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, यह प्रश्न सारे नगरों का है। जब वह मैकेनाइज्ड-वे में उसे करता है तो उसके आस-पास की जो साइट है, वह भी कोलैप्स होती है और उसके फलस्वरूप ऊपर तो उसका मलबा आता है और नीचे वह कोलैप्स हो जाती है। आपका जो कान्ट्रैक्टर है, उसे तो काम करना नहीं है, नगरपालिका के पास पैसा नहीं है तो जो सीवरेज के लिये अच्छा पैसा देकर हम काम करवा रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा है, इस बारे में विभाग को कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे तीनों में को-आर्डिनेशन रहे-सीवरेज डालने वाले में भी, नगरपालिका के रिसोर्सेज में भी, जिससे लोगों को तकलीफ न हो, अन्यथा लोगों को सीवरेज के कारण तकलीफ आ रही है। न तो ट्रांसपोर्ट हो पा रहा है, न मोटरसाइकिल जा पा रही है, बच्चों को भी तकलीफ हो रही है तो मैं समझता हूं इसके बारे में विभाग को किसी तरह की इंटीग्रेटेड एप्रोच का निर्णय करना चाहिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने और माननीय सदस्य ने बताया है, यह समस्या बिलकुल सही है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट हैं, ये ज्यादातर आरयूआईडीपी के माध्यम से चलते हैं और आरयूआईडीपी के जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं, वे एडीबी में जाते हैं और एडीबी वाले में जो मंजूर होकर आते हैं, वे के वे प्रोजेक्ट हमें लेने पड़ते हैं। सबसे बड़ी प्रोब्लम यह है कि मान लीजिए अगर...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रोजेक्ट कौन बनाता है? प्रोजेक्ट तो स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के टैक्निकल आदमी ही रिपोर्ट बनाकर भेजते हैं, जिसके आधार पर आरयूआईडीपी सबमिट करती है और एडीबी फाइनेंस करती है तो हमें इस हेतु इन-बिल्ट प्रोविजोज को रखने में क्या तकलीफ है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एडीबी मानती नहीं है, एडीबी कहती है, जितना सीवरेज खुदेगा, उतनी ही कंसीसनर रिपेयर होगी। सबसे बड़ी प्रोब्लम यह आती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट बैठें आप। वर्ल्ड बैंक के जितने भी दूसरे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनमें उनकी कंडीशंस होती हैं, मैं सहमत हूं, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स को जिन एजेंसीज को इनिशिएट करना पड़ता है, उन्हें यह निर्णय करना पड़ेगा कि हम आपका लोन तब लेंगे, जब आप हमारी इस बात को मानेंगे। यह बात तो हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स को नैगोशिएट किया है, उनकी कंडीशंस को हमने नहीं माना है। डिले हुआ उसमें, डिले होने के बाद उन्हें हमारी कंडीशंस को मानना पड़ा। आपसे यही निवेदन है कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छे काम की अपेक्षा से लोन लिया है राजस्थान सरकार ने और टैक्स तो राजस्थान की सरकार को ही देना पड़ेगा तो जो यह प्रैक्टिकल प्रोब्लम आ रही है सभी नगरों में, यह जो इन-बिल्ट कमजोरी है, इसके सम्बन्ध में निर्णय करें। एडीबी का लोन लेने के लिये यदि हम यह निर्णय करेंगे तो वे अपने आप कंडीशंस को मानेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एडीबी के लोन के लिये गरज राजस्थान सरकार को होती है, एडीबी को गरज नहीं होती। उनकी कंडीशंस को फालो करना पड़ता है। यह हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि जहां पर भी हम ऐसे प्रोजेक्ट लेते हैं, वहां की जो लोकल बाडी है, उससे इस बात के लिये हां भरवाते हैं कि आस-पास का जितना भी डैमेज होगा, उसे वे रिपेयर करेंगे अथवा नहीं। जैसे ब्यावर की ही बात लीजिए, ब्यावर में आपने बताया कि आस-पास की सड़कें खतम हो गयीं। नगरपालिका के द्वारा बाकायदा उसके टेण्डर जारी कर दिये गये हैं। आप यह पिक्चर देखें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, आप सुनें, आप इसे अन्यथा ले रहे हैं। क्या एडीबी ने यह लिख रखा है कि मैकेनाइज्ड-वे में ही वे खुदेंगी। खोदने का एक तरीका मैकेनाइज्ड-वे है, आज की डेट में बड़ी-बड़ी मशीनें आ गयीं, उससे भी खुदता है और एक तरीका है जिसमें गैंती-फावड़े से भी खुदता है। हमारी जितनी भी नगरपालिका की सड़कें हैं, वे सड़कें इसलिये कोलैप्स कर रही हैं, क्योंकि मैकेनाइज्ड-वे में जो कान्ट्रैक्टर काम करता है, उसके कारण ऐसा हो रहा है, इसलिये इस सम्बन्ध में आप मुझसे आर्ग्युमेंट न करें। हमारा काम है इस समस्या के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना। हम आपसे कोई आर्ग्युमेंट नहीं कर रहे हैं। आप नहीं करना चाहें तो मत करें, लेकिन जनता की जो तकलीफ है, उसके सम्बन्ध में सरकार को सोचना चाहिए। यह हम सब का मामला है, कोई पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जनता की जहां-जहां पर भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो उसके पहले हम वहां की लोकल बाडी से इस बात की हां भरवाते हैं कि यह रिपेयर आपको करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, पैसा ही नहीं है उनके पास, क्या हां भरवाएंगे आप? प्लीज समझें आप। माननीय मंत्री जी, आपको स्वायत्त शासन मंत्री के रूप में स्वयं मालूम है किस-किस नगरपालिका की वित्तीय स्थिति क्या है। उसको पैसा लेना है तो साइन करेगा, लेकिन वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होने से नगरपालिका के साइन के बाद एडीबी का लोन मिल रहा है तो जनता की तकलीफ दूर नहीं हो रही है न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां-जहां इस प्रकार की प्राब्लम आती है, सरकार उनकी मदद के लिये आगे आती है। निश्चित तौर पर मदद के लिये आती है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न पर इतना ज्यादा हो गया। खुद मंत्री जी इतना बोल रहे हैं। अगला प्रश्न। श्री रूपाराम।

जैसलमेर में नवीन पटवार हलकों की स्थापना

94. श्री रूपाराम (जैसलमेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में 515 राजस्व ग्राम एवं 121 ग्राम पंचायत आती हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र का क्षेत्रफल 28000 वर्ग कि.मी. है, जो प्रदेश के 7 जिलों-धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमन्द, बांसवाड़ा एवं भरतपुर की 31 विधान सभा क्षेत्रों के क्षेत्रफल के लगभग बराबर है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में वर्तमान में 86 पटवार हलका ही स्वीकृत हैं? यदि हां तो क्या सरकार 121 ग्राम पंचायतों में से शेष रही पटवार हलका विहीन ग्राम पंचायतों में पटवार हलका खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक? कार्ययोजना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या नया पटवार हलका खोलते समय क्षेत्रफल का भी मापदण्डों

(श्री रूपाराम)

में ध्यान रखा जाता है? यदि नहीं तो क्या सरकार ग्रामीणों को सुविधा हेतु क्षेत्रफल को भी मापदण्डों में सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक?

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र के अधीन 519 राजस्व ग्राम एवं 121 ग्राम पंचायत आती हैं।

(2) जी हां। जैसलमेर विधान सभा क्षेत्र का क्षेत्रफल 28874.45 वर्ग कि.मी. है। प्रदेश के 7 जिलों की विधान सभा क्षेत्रों का क्षेत्रफल निम्न तालिका अनुसार है:-

क्र.सं.	**जिला**	**जिले में स्थित विधान सभा क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. लगभग)**
1	धौलपुर	3012.91
2	दौसा	3450.57
3	डूंगरपुर	3855.77
4	प्रतापगढ़	4117.36
5	राजसमन्द	4529.01
6	बांसवाड़ा	4535.66
7	भरतपुर	5067.50

(3) वर्तमान में जैसलमेर विधान सभा का क्षेत्र 86 पटवार हलकों में विभाजित है। इस प्रकार कोई भी पंचायत पटवार हलका विहीन नहीं है।

वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार स्तर से विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां। राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 2 पटवार हलकों के निर्माण हेतु बिन्दु संख्या-4 में कुल रकबा (क्षेत्रफल) को आधार माना गया है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा। आपने प्रश्न के मूल जवाब में बताया, पटवार हलका स्वीकृत करने का आधार साढ़े सात हजार एकड़ है। उस हिसाब से जैसलमेर के 900 पटवारी आते हैं, परन्तु 121 जो ग्राम पंचायतें हैं, उनमें 86 सैंक्शन्ड हैं तो क्या 35 ग्राम पंचायतें जो पटवार हलका विहीन हैं, उनमें पटवार हलका सैंक्शन करने और एरिया जो अधिक है, उसके आनुपातिक रूप से आगे और पटवार हल्के स्वीकृत करने का सरकार का मानस है या नहीं?

श्री अध्यक्ष: नहीं बोल दिया है उन्होंने उत्तर में ही।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): धन्यवाद।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो क्षेत्रफल के अनुपात के अन्दर प्रशासनिक निर्णय, योजना बननी चाहिए, उसकी पीड़ा मुझे खुद को भी है क्योंकि मेरा खुद का विधान सभा क्षेत्र भी चार हजार स्क्वायर किलोमीटर के अन्दर है पर जो नियम बने हुए हैं नियमों के आधार पर हम लोग क्षेत्रफल के आधार पर पटवार हलका का निर्माण नहीं कर सकते हैं। नियमों में संशोधन होगा तब जाकर आपकी इस बात की हम लोग पूर्ति कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, सुभाष पूनिया।

सूरजगढ़ की निजी शिक्षण संस्थाओं में आर टी ई के अन्तर्गत प्रवेश

95. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटें कमजोर और वंचित समूह के लिये आरक्षित हैं? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 2019-20 व 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में स्थित निजी शिक्षण संस्थाओं में कितने विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है? संस्थावार छात्र-छात्राओं का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा कौन-कौनसी शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां। प्रदेश में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत निजी विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटें दुर्बल एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के लिये आरक्षित हैं।

सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र में स्थित निजी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षिक सत्र 2019-20 में 1068 एवं सत्र 2020-21 में 935 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है। संस्थावार छात्र-छात्राओं का विवरण उपरोक्तानुसार परिशिष्ट "क" व "ख" पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आरटीई में निर्धारित 25 प्रतिशत कोटे की पूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो उक्त शिक्षण संस्थानों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखते हैं?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि बिलकुल पूर्ति की जाती है और जहां से भी कोई शिकायत मिलती है तो उसकी मान्यता वापस भी ली जाती है, उसका पैसा भी रोका जाता है। मैं समझता हूं कि कहीं से भी आपके पास इस तरीके की शिकायत आपके विधान सभा क्षेत्र की हो तो आप बता दें और दूसरे कोई माननीय सदस्य हैं, वहां की भी अगर कोई हो तो हम लोग जांच करवा लेंगे और उसके हिसाब से कार्यवाही करेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम जब बनाया था तो इसके पीछे भावना यह थी कि गरीब और ऐसे कमजोर वर्ग के बच्चे भी इन शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन कर सकें और अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन उनको मिल सके। उसके एवज में उसमें कहा था कि उसका जितना भी खर्चा आता है वह राज्य सरकार वहन करेगी। मैं केवल यही जानना चाहता हूं कि एक तो इन विद्यालयों में कितने बच्चों ने एडमिशन के लिये एप्लाई किया था और उनमें से उस सत्र में कितने बच्चों को उन्होंने एडमिशन दिया? दूसरा यह कि इन वर्षों में इन बच्चों के भर्ती होने के बाद राज्य सरकार ने इन संस्थाओं को कब-कब, कितना-कितना पैसा भरपाई करने का प्रयास किया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो सवाल पूछा है, उसका जवाब यह है कि 2020-21 में एक लाख 3 हजार 971 बच्चों ने एडमिशन के लिये एप्लाई किया है और चूंकि कोरोना के कारण से अबकी बार विद्यालय....

श्री अध्यक्ष: सूरजगढ़ में।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): पूरे प्रदेश में। सूरजगढ़ का तो जवाब में ही लिखा हुआ है सरकार। यह परिशिष्ट लगाया है उसमें है। 935 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है।

श्री अध्यक्ष: उसी पर पूछा है। इनमें से कितने ने एप्लीकेशन दी और कितने का हुआ, वह पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, सूरजगढ़ में ही कितनों ने एप्लाई किया, कितने का एडमिशन हुआ और कितने की फीस जमा हुई यह पूछ रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरजगढ़ में 935 विद्यार्थियों को नामांकित किया गया है। कोरोनाकाल में अभी तक विद्यालय खुले नहीं हैं इसलिये भौतिक सत्यापन उनके एडमिशन लेने और स्कूल में आने के बाद में किया जाएगा और जो पैसा निर्धारित किया गया है वह जो फीस कम हो अथवा 11 हजार 802 रुपये और 112 रुपये बुक्स के, लेकिन इसके लिये भी अभी तक स्कूल नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको देना है तो विभाग ने वापस सुप्रीम कोर्ट में मूव किया है कि जब बच्चा अभी तक आया ही नहीं तो हमको क्या करना चाहिए क्योंकि इसका 60 परसेंट पैसा भारत सरकार से मिलता है तो मैं समझता हूं कि इस दिशा में आपका उत्तर आ गया होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं कि आप कोरोना का समय निकाल दीजिए। 2019-20 में, उस समय कोरोना नहीं हुआ, 2019-20 का एंड 31 मार्च को हो रहा था और कोरोना मार्च के समय ही आया था। उस साल में आपने 1068 बच्चों को जो एडमिशन दिया, उसके अगेंस्ट में कितने बच्चों ने उस साल एप्लाई किया था और उसमें से 1068 को दिया? एक तो यह पूछा था।

दूसरा, यह पूछा था 1068 बच्चों का जो भी पैसा राज्य सरकार को भरना था, वह कितना भर दिया?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष यह पूछ रहे हैं उसमें जो आवेदनकर्ता हैं उसके लिये 2013-14 के बाद में ऑनलाइन प्रक्रिया है। ऑनलाइन जो आ जाते हैं और जो हमारी गाइड लाइन के मुताबिक पात्र होते हैं, वे सारे के सारे प्रवेश लेते हैं और उनका जो पैसा है वह भौतिक सत्यापन के बाद में दिया जाता है। नेता महोदय, जब आपकी सरकार गई थी तो 700-800 करोड़ रुपये बकाया छोड़कर गई थी, फिर भी हमने इसको लाइन-अप कर दिया है और जो पिछली साल तक का तमाम बकाया है वह हम जल्दी ही जारी करने वाले हैं, एक भी स्कूल वाले का हम पैसा नहीं रहने देंगे लेकिन आपको तो खुद को पता है कि 25 एमपी देने के बाद में भी आप लोग पैसा तो दिलवा नहीं रहे हो केन्द्र से।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, सुमित गोदारा।

लूणकरणसर के राजकीय महाविद्यालय में नवीन संकायों का प्रारम्भ

96. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सुमित गोदारा)

(1) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय लूणकरणसर में स्नात्तकोत्तर कक्षाएं प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त महाविद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता है? यदि हां, तो क्या उक्त का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में कृषि व कम्प्यूटर संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या की बढ़ोत्तरी को देखते हुए सौ नई सीटें स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय लूणकरणसर में (स्नात्तकोत्तर) कक्षाएं प्रारम्भ करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। उक्त महाविद्यालय में कक्षा-कक्ष व प्रयोगशाला कक्ष के निर्माण हेतु MLALAD/MPLAD FUND/छात्रनिधि कोष अथवा दानदाता (भामाशाह) के सहयोग से कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

(3) वर्तमान में उक्त महाविद्यालय में कृषि व कम्प्यूटर संकाय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(4) वर्तमान में महाविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए 100 नई सीट्स स्वीकृत करने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, लूणकरणसर में मैथ्स, जूलॉजी और हिस्ट्री के जो लैक्चरर हैं, उनका डेपुटेशन आपने झुन्झुनूं व अन्य स्थानों पर किया है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न है? इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। प्रश्न पढ़ो आप। आई विल नाट अलाउ इट। प्लीज, बैठें आप। अगला प्रश्न, फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में जंगली जानवरों से फसलों को बचाने की कार्ययोजना

97. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यही सही है कि विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में किसानों की फसलों को जंगली जानवर व रोजड़े नष्ट कर देते हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार किसानों की खेती को जंगली जानवरों व रोजड़ों से बचाने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, वन (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में किसानों की खेती को जंगली जानवरों द्वारा नष्ट करने के सम्बन्ध में कोई प्रकरण शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

(2) किसानों की फसलों को रोजड़ों एवं जंगली सूअरों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 4(1) एवं 5(2) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 03.03.1994 19.1.1996 30.04.1997 31.08.2000 एवं राज्य सरकार के पत्र दिनांक 31.3.1998 द्वारा प्रावधान किया गया है जिनकी प्रतियां क्रमश: परिशिष्ट-1 से 5 पर संलग्न हैं।

कृषि विभाग से प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश में किसानों की फसलों को नीलगाय (रोजडों) व आवारा पशुओं से बचाने हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन (एन एफ एस एम आयल सीड्स) अन्तर्गत सभी श्रेणी के कृषकों को लक्षित कर सामुदायिक आधार पर कांटेदार चैन लिंक तारबंदी कार्यक्रम लिया जा रहा है जिसमें कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 40000 जो भी कम हो, प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर तक अनुदान देय है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमारे पास शिकायत नहीं है तो अभी इस विभाग की शिकायत के लिये किसके पास जाएं? वन विभाग वाले सुनते नहीं हैं और जब गांव वालों और जन-प्रतिनिधियों ने कलेक्टर साहब के पास 01.07.2019 सामूहिक रूप में जाकर शिकायत की, पर उसके बाद भी इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

(श्री फूल सिंह मीणा)

दूसरा, आपने यह कहा है कि यह तारबंदी का कार्यक्रम लिया जा रहा है। अब यह कब लिया जा रहा है? 50 प्रतिशत या 40 हजार से कम राशि होगी, उसको देंगे तो अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह राशि कौन देगा, किस डिपार्टमेंट से लाएंगे? जो आपने हमें पुलिन्दा दिया है, इसका एक पेज भी नहीं पढ़ सकते हैं और जो भी कागज दिये हैं, ये ऐसे दिये हैं जिसमें कुछ भी पढ़ नहीं सकते हैं तो इसकी सूची कहां-क्या है, किसानों को बतायें। यह पूरे राजस्थान की समस्या है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न करें। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): प्रश्न यही है कि ये किसान किसके पास जाकर तारबंदी का पैसा लाएं? किसके माध्यम से करें?

श्री अध्यक्ष: हां, हो गया, ठीक है गुड।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): माननीय अध्यक्ष जी, कृषि विभाग द्वारा प्रदेश में 33 जिलों में 6 करोड़ 48 लाख रुपये का आबंटन प्रावधान, 6 लाख 48 मीटर भौतिक लक्ष्य का प्रावधान किया गया है। इसके विरुद्ध में 3 लाख 72 हजार मीटर की तारबंदी की गई है। विशेषकर उदयपुर में 2020-21 में जो लक्ष्य था, उसके अगेंस्ट में 3 हजार 354 मीटर 15 कृषक, 309 की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है, कार्य प्रगति पर है। उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र से कृषकों के आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्रश्न यह है कि वह काश्तकार किसको एप्लाई करें, उनका प्रश्न यह है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): कृषि विभाग है, सर।

श्री अध्यक्ष: हां तो वह दें, कृषि विभाग।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: फूल सिंह जी, कटारिया जी पूछ रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह सुविधा आपने तय कर रखी है कि अगर वह तारबंदी करना चाहे तो 50 प्रतिशत या ज्यादा से ज्यादा 40 हजार रुपया दिया। जब आपने जिले में इस पर कैप लगा दिया, इस जिले में इतना ही पैसा सैंक्शन कर सकेंगे, तो क्या इस योजना के तहत जो भी एप्लाई करेगा, उसको यह पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): बाकायदा मिलेगा। जो लक्ष्य दे रखा है, उसके अनुरूप पालना होगी तो फिर नहीं मिलेगा, बाकी फंड कहां हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, टारगेट के हिसाब से रोजड़े आएंगे, किसान के लिये तो रोजड़े किसी भी खेत में आएंगे। आपका तो टारगेट है कि हम तो यहीं फेंसिंग करेंगे तो उस फेंसिंग के अलावा किसान क्या करेगा?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): डिमांड आएगी, 40:60 का रेशो है भारत सरकार और राजस्थान सरकार का, उसके अनुरूप जिलेवार..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, ये इश्यू नहीं है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): डिमांड के अनुसार है। कृषि विभाग के वहां एप्लाई करेंगे, उनकी ही ड्यूटी है साहब।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अभी तो आप कह रहे हो। अध्यक्ष महोदय, किसानों को संतुष्ट करने के लिये स्पष्ट जवाब दें। ये गोलमाल जवाब नहीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। माननीय मंत्री जी, क्या उनके विधान सभा क्षेत्र के कृषकों की एप्लीकेशंस पैंडिंग हैं?

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, वन): नहीं है, साहब।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कलेक्टर के यहां ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि हमारे इलाके में रोजड़े आ रहे हैं, खेती का नुकसान हो रहा है तो क्या हमको जानकारी है? दो बातें समझें। टारगेट फिक्स करके तारबंदी करने का मतलब, तारबंदी करने वाला आपके पास आएगा और पैसा ले जाएगा, उससे रोजड़े नहीं रूकेंगे। रोजड़े का सम्बन्ध है, रोजड़ा तो अपने मन से इधर-उधर घूमता है तो काश्तकार की नीड के आधार पर आप करोगे या टारगेट के आधार पर करोगे? इसलिये इसको आप रिवाइज करें, टारगेट बनाने से तो जितनी आपके तार की लम्बाई है, जितना आपको चाहिए, उतना मिल जाएगा, उससे रोजड़े थोड़े रूकेंगे।

इस व्यक्तिगत समस्या के सम्बन्ध में आप एक मीटिंग करें, आपके विभाग के अधिकारी और वहां पर जो एक्चुअल हैं, उनके साथ बैठकर समझें। ताराबंदी करना अच्छी बात है पर तारबंदी करने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा, जब तक कि जो काश्तकार है, वह काश्तकार अफेक्टेड है, सबको आप नहीं करोगे तो टारगेट बनाकर फायदा क्या होगा? एक बार आप ये दुबारा विभाग के हिसाब से...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): महोदय, यह रोजड़ा अनुशासनहीन हो गया, अनुशासनहीन के साथ-साथ रोजड़ा बेईमान भी हो गया है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अगला प्रश्न। आप अपना अनुभव बता रहे हो क्या? अगला प्रश्न, श्री धर्मनारायण जोशी।

गौ-संरक्षण अधिभार से प्राप्त राशि

98. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

प्रदेश में सरकार को मुद्रांक विक्रय पर गौ संरक्षण अधिभार से अब तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है? उसमें से कितनी राशि किस-किस मद में व्यय की गई है? प्राप्त अधिभार राजस्व व व्यय राशि का जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न में कुल मिलाकर खण्ड ही एक है।

राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से वर्ष 2015-16 से वर्ष 2020-2021 (31-01-2021 तक) प्राप्त राजस्व राशि 1242 करोड़ 56 लाख 24 हजार रुपये तथा मदिरा की बिक्री पर देय वैट पर अधिभार से वर्ष 2018-19 से 2020-2021 (31-01-2021 तक) प्राप्त राजस्व राशि 1017 करोड़ 8 लाख 67 हजार रुपये है। अधिभार से प्राप्त कुल राशि 2259 करोड़ 64 लाख 91 हजार रुपये है।

अधिभार से प्राप्त कुल राशि में से विभिन्न मदों में व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**मद**	**व्यय की गई राशि**
1.	गौशाला सहायता	1500 करोड़ 46 लाख 43 हजार रुपये
2.	गौशाला विकास कार्य	3 करोड़ 44 लाख 61 हजार रुपये
3.	गौशाला बायोगैस सहभागिता योजना	20 लाख रुपये
4.	नंदी शाला जन सहभागिता योजना	7 करोड़ 20 लाख रुपये
	कुल योग	1511 करोड़ 31 लाख 04 हजार 86 रुपये

(स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अधिभार से प्राप्त राजस्व की जिलेवार सूचना परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

अधिभार से प्राप्त राजस्व के व्यय का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, मार्च, 2019 तक सरकार ने 209.50 करोड़ रुपये गोशालाओं के लिये आबंटित किये, उसमें से 193.86 करोड़ रुपये आपके हिसाब से भुगतान कर दिया, 16 करोड़ रुपये बाकी रहे जबकि, मेरे पास आपका जो आंकड़ा है, मैंने उसका टोटल निकाला, भुगतान, मार्च, 2019 तक 43 करोड़ रुपये बाकी है। मेरा निवेदन इतना-सा है कि 2019 के 09 महीने, 2020 के 12 महीने, 2021 के 2 महीने, कुल 23 महीनों में गोशालाओं को कितना अनुदान दिया? प्रश्न मेरा एक यह है। दूसरा प्रश्न, मेरा निवेदन यह है कि गोशालाओं के अलावा इस मद में से आपने और किस-किस को सहायता राशि दी है? इसको भी स्पष्ट कराएं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पहले बता चुका हूं कि गोशाला की सहायता के लिये 1500 करोड़ 46 लाख 43 हजार रुपये दिये जा चुके हैं। यह पहले जवाब आ चुका है, जो आप अब सवाल पूछ रहे हैं। दूसरा, गोशाला के विकास के लिये भी बता दिया, मैंने कहा 3 करोड़ 44 लाख 61 हजार रुपये दिये जा चुके हैं। गोशाला में जो बायोगैस बना हुआ है उसके लिये 20 लाख रुपये दिये जा चुके हैं। नन्दीशाला के लिये 7 करोड़ 20 लाख रुपये दिये जा चुके हैं। यह तो मैं बता चुका हूं।

अब सवाल यह आता है कि आपका टोटल जो स्टाम्प ड्यूटी से पैसा मिला, वह मिला 1242 करोड़ 56 लाख और मदिरा से जो मिला, वह मिला आपका 1017 करोड़ 8 लाख 67 हजार, ये दोनों मिलाकर के दो फीगर बनी, वह बनती है, 2259 करोड़ 64 लाख 91 हजार रुपये, सवाल इतना-सा आता है कि जितनी भी राशि जमा होती है, वह जैसे-जैसे डिमांड आती है, उस-उस तरीके से गोशालाओं को दे दिया जाता है, बात का जवाब आ गया।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मेरा निवेदन यह है कि...

श्री अध्यक्ष: धर्मनारायण जी। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये जो आपने आंकड़े दिये हैं, उसके अनुसार यह है कि आपने 2019-20 में जो लास्ट किश्त दी है, वह जून में दी है। 2019-20 की आपने जून में अपनी किश्त दी, 2019 के जून के बाद पूरे 6 महीने तो 2019-20 के निकले, फिर 12 महीने आपके 2020-21 के निकले और अभी 3 महीने ये निकले हैं। इन 21 महीनों में आपका जो उत्तर है, वह यह बता रहा है कि एक नया पैसा भी अभी तक गोशाला के पास नहीं पहुंचा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपको बता रहा हूं कि पैसा जब पहुंचता है जब वहां से डिमांड आती है। ये आपके वक्त में भी हुआ है। मैं बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं आपके वक्त में क्या हुआ है, अब आप सुनना तसल्ली से। 2015 से लेकर 2018 तक स्टाम्प ड्यूटी के ऊपर गौ-संरक्षण सरचार्ज आया 409 करोड़ 59 लाख और बंटा कितना 256 करोड़ 76 लाख कुल मिलाकर के। इसी तरीके से आपके राज में जितना भी पैसा सरचार्ज से आया, वह कम खर्च हुआ है। वह कैसे कम खर्च हुआ है, मैं बता देता हूं आपको। हमारे टाइम पर जो कम खर्च हुआ है, आप कहें तो आंकड़े निकालकर बता देता हूं मैं। 2016-17 में लगभग 46 करोड़ का खर्चा हुआ और 2017-18 में 84 करोड़ रुपये का कम खर्चा किया आपने। 2018-19 में 300 करोड़ रुपये का कम खर्चा किया तो ये जो रकम हमारे पास है, आज भी सात सौ करोड़ रुपये मौजूद हैं। जैसे-जैसे डिमाण्ड आती है वैसे-वैसे हम देते जाते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न बहुत सीधा था कि आपने लास्ट किश्त 2019-20 के साल में जून में दी है। जून के बाद जो समय निकला 6 महीने तो उस साल के, 12 महीने पूरे के पूरे 2020 के और 3 महीने अभी 2021 के, ये जो आपके 21 महीने हैं इनमें आपका गौशाला को पैसा गया है क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): गया है न पैसा। पैसा तो गया है। उसके बाद तो ये मदिरा का टैक्स और लग गया। गौशाला के साथ-साथ 10 परसेंट था उसको 20 परसेंट किया। हमने मदिरा का टैक्स लगाकर 20 परसेंट कर दिया। दोनों को मिला करके कर दिया।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब। आप रुको। आप उम्र का भी ध्यान रखो। धारीवाल साहब, ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जून महीने से 21 महीने के बीच में क्या गौशाला को पैसा गया कि नहीं गया? यह पूछ रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने बताया न आपको। जून का रिकार्ड मेरे पास नहीं है, आपके पास भिजवा दूंगा मैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस धन्यवाद। अगला प्रश्न, श्री हीराराम। नहीं बैठें। प्लीज। अगला प्रश्न, श्री हीराराम।

बिलाड़ा में वी सी आर भरने में अनियमितताएं

99. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में विद्युत चोरी रोकने हेतु ग्रामीण क्षेत्र व घरेलू कृषि उपभोक्ताओं के विरुद्ध सतर्कता जांच एवं वीसीआर भरने का कानूनी अधिकार है? यदि हां, तो वीसीआर किस मानदण्ड के अनुसार भरी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में विजिलेंस टीम द्वारा विद्युत चोरी रोकने के बजाय गैर कानूनी ढंग से किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को परेशान किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

ऊर्जा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा व अन्य क्षेत्रों में विद्युत निगम के विभिन्न अधिकारी अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतर्कता जांच किये जाने हेतु अधिकृत हैं। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

सतर्कता जांच के दौरान किसी भी परिसर में मीटर से छेड़छाड़ करने व विद्युत चोरी पाये जाने पर, साक्ष्य एकत्रित कर, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 विद्युत चोरी एवं धारा 138 अनुज्ञप्तिधारी के मीटरों या संकर्मों से छेड़छाड़ तहत वीसीआर भरी जाती है, जिसमें मौके पर पकड़ी गयी विद्युत चोरी के तरीकों (Mode of theft) का स्पष्ट उल्लेख करते हुए विद्युत चोरी में पाये गये सम्बद्ध भार की गणना कर, उसका उपकरणवार विवरण वीसीआर में इन्द्राज किया जाता है। मौके पर जब्तशुदा सामान/उपकरण की फर्द जब्ती तैयार कर, दोषी व्यक्ति का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया जाता है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार ही विजिलेंस टीम द्वारा कार्यवाही की गई है। गैर कानूनी ढंग से किसानों व अन्य उपभोक्ताओं को परेशान करने का कोई भी प्रकरण वर्तमान में संज्ञान में नहीं आया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हीराराम (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीपाड़ बोरूंदा, भावीलांबा और हरियाढ़ाणा से शिकायतें मिली हैं। आप इन्क्वायरी करा लें, अगर उसमें अनियमितता पायी जाती है तो कार्यवाही करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों में मात्र चार वी.सी.आर. कृषि कनेक्शंस के ऊपर भरी गयीं और उसमें मात्र दो वर्षों में 3 लाख 8 हजार की वसूली ऐसे मामलों में की गयी। यदि ये कोई स्पेसिफिक मेरे पास शिकायत करेंगे कि यहां पर किसानों के साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो मैं उसकी जांच करवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शकुन्तला जी का स्थगित है।

नगर विकास न्यासों द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा

100. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नगर विकास न्यासों द्वारा ऐसी कितनी भूमियां कब से अवाप्तशुदा हैं, जिनका न तो मुआवजा दिया गया और न ही कब्जा लिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवाप्तशुदा भूमि के खातेदारी को भूमि हस्तांतरण तथा रहन रखने से वंचित किया गया है? यदि हां, तो कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा अवाप्त-शुदा भूमि के ऐसे खातेदार जिनको न तो मुआवजा मिला है और न ही नगर विकास न्यास द्वारा उक्त का कब्जा लिया गया है, के संबंध में कोई आदेश, निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त की क्रियान्विति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भूमियों को अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(स्थगित)

अगला प्रश्न, श्री बलवीर सिंह लूथरा।

रायसिंहनगर की ग्राम पंचायतों की भूमि की चकबंदी

101. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायतों गोमावाली के गोमावाली, धांधड़ा बारानी क्षेत्र की समस्त भूमि की मुरब्बा बंदी-चकबंदी अब तक नहीं हुई है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि की चकबंदी-मुरब्बाबंदी करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री हरीश चौधरी): श्रीगंगानगर जिले के गांवों में लम्बे समय से वन, नर्सरी और जोहड़ पायतन की भूमि पर लोग बसे हुए हैं इस सम्बन्ध में तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:- तहसील गंगानगर -जोहड़ पायतन -185.075, सादुलशहर - 0, श्रीकरणपुर - जोहड़ पायतन - 30.618, पदमपुर - जोहड़ पायतन - 72.444, रायसिंहनगर - नर्सरी भूमि - 31.183, जोहड़ पायतन - 59.745, अनूपगढ़-वन भूमि - 313.265, घड़साना - 23.785 वन भूमि, रायला- वन भूमि - 121.655, श्रीविजयनगर - वन भूमि - 52.140, नर्सरी भूमि -15.610, जोहड़ पायतन - 4.50...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो इसमें लिखा है वह उत्तर दूसरा है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): सारी। सारी साहब, मैं इन्सान हूं आप जैसा महान नहीं हूं, एक सामान्य इन्सान हूं। गलती हो जाती है।

जी हां। विधान सभा रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत गोमावाली के गोमावाली बारानी व धांधड़ा बारानी गांव की समस्त भूमि वर्तमान में खसरों में है। राज्य सरकार द्वारा उक्त ग्रामों की चकबन्दी का कार्य करवाने हेतु धारा 107 की अधिसूचना दिनांक 23.12.2019 को जारी की जा चुकी है, जिसकी पालना में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीविजयनगर द्वारा ग्राम गोमावाली बारानी व धांधड़ा बारानी के नक्शों में तरमीम का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सिंचाई विभाग से चक प्लान नक्शे व सी.सी.ए. प्राप्त कर लिये हैं। खसरों के गांवों के नक्शों को ट्रेस का कार्य एवं सी.सी.ए. से मिलान का कार्य वर्तमान में जारी है।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-108 के तहत अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है? अधिसूचना कब तक जारी होगी? खसरे से चकबंदी करने के लिये सैटलमेंट अधिकारी की नियुक्ति की है या नहीं? बतायें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, सिंचाई विभाग के चक प्लान और नक्शे और खसरों के नक्शे ट्रेस का कार्य तो हो गया है और सैटलमेंट द्वारा इसके बाद में करने का कार्य किया जायेगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): मंत्री महोदय, आपने सिर्फ धारा-107 की बात की है, उसमें जब तक धारा-108 में सैटलमेंट अधिकारी की नियुक्ति नहीं होगी तो खसरे से चकबंदी, उसके बाद चकबंदी में कौन मालिक है, कौन किसका मुरब्बा है, किसकी जमीन है, उसकी कोई व्याख्या नहीं की गई। उसके लिये आपने कोई अधिकारी नियुक्त किया या नहीं किया?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): नहीं, उसका अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। वह इसके बाद में करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री पानाचन्द मेघवाल।

कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती

102. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार शिक्षकों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विद्यार्थी मित्र, पैराटीचर और पंचायत सहायकों को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) सरकार द्वारा कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती कब की गयी थी? वर्तमान में प्रदेश में कम्प्यूटर शिक्षकों के कुल कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त की भर्ती करने व उक्त का कैडर गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री गोविन्द सिंह डोटासरा): (1) जी हां।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा संख्या 201 के तहत शिक्षा विभाग में अध्यापकों के 41000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें से तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 31000 रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है।

(2) माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या-10339/2012 त्रिलोक सिंह बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2013 में विद्यार्थी मित्र स्कीम को अवैधानिक एवं असंवैधानिक करार देते हुए विद्यार्थी मित्रों को तृतीय श्रेणी अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक,

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

व्याख्याताओं के पदों के विरुद्ध नहीं लगाने के निर्देश प्रदान किये गये, जिसकी पालना में विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 से किसी भी विद्यार्थी मित्र को नहीं लगाया गया है।

संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु मंत्रीगण की समिति का गठन किया हुआ है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। शिक्षा विभाग अन्तर्गत कार्यरत पैराटीचर एवं ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित करने के सम्बन्ध में वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) शिक्षा विभाग अन्तर्गत कम्प्यूटर शिक्षक का पद संवर्गित नहीं हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा संख्या 99 के अनुसरण में "कम्प्यूटर शिक्षक" का पद सृजन किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पहले तो इन्होंने31 हजार पदों की भर्ती निकाल दी। मेरा एक प्रश्न है, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2020-21 में कम्प्यूटर शिक्षकों की घोषणा की है तो सरकार इसके लिये क्या प्रयासरत है? इनकी नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी? और जो पंचायत सहायक लगा रखे हैं उनका वेतनमान पंचायत देती है और वे काम स्कूल में करते हैं तो उनका पेमेन्ट...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक तो प्रश्न भी चार पूछ रखे हैं। आइंदा ऐसे नहीं पूछें। एक प्रश्न कम्प्यूटर वाले का जवाब दे दें। फिर टाइम हो जाएगा। प्रश्न को देखो आप, क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। माननीय मंत्री जी।

(12.00 बजे)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कम्प्यूटर शिक्षक के कैडर निर्माण की घोषणा की थी और कैडर निर्माण के बाद हम लोग इसमें भर्ती भी करेंगे। यह पत्रावली फाइनेंस में विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि हम प्रयास कर रहे हैं कि मार्च में निपटे, महीने भर के अन्दर-अन्दर इसके कैडर का निर्माण कर लिया जायेगा और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया को चालू किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में वन विभाग एवं सरकारी जमीन से विस्थापित किये गये काश्तकारों को जमीन आबंटित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से जयसमंद झील की दाईं मुख्य नहर का फोरेस्ट में आने वाले क्षेत्रफल का आधुनीकरण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण में संचालित न्यूको सीमेंट लिमिटेड निम्बोल द्वारा स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से नगरपालिका चौमूं में अधिकारियों द्वारा भेदभाव की मंशा से कार्य करने एवं कई वार्डों में विकास कार्य को राजनीतिक द्वेषता से बंद किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से नगरपालिका छबड़ा को डी श्रेणी से सी श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों द्वारा हड़ताल किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से आहोर में शंखवाली गांव के एक बालक की हत्या होने के 20 दिन बाद भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली की पंचायत समितियों में जिला अस्पताल नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से तहसील सुमेरपुर के राजस्व ग्राम सुमेरपुर और तखतगढ़ के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में विद्युत विभाग की

(श्री अध्यक्ष)

भर्तियों में परीक्षा शुल्क बढ़ाने एवं परीक्षा केन्द्र राज्य से बाहर रखने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के स्थानीय निवासियों को नौकरियों में हरियाणा सरकार की भांति 75 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिये जाने से प्रदेश के युवाओं में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से बजट उपलब्ध होने के बाद में सरकार द्वारा अजमेर में साइंस पार्क का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किए जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ सहित परे बीकानेर जिले में किसानों के कृषि कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री छगनसिंह, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री जोराराम कुमावत, श्री बलवान पूनियां, श्री बलजीत यादव, श्री वासुदेव देवनानी एवं श्री गिरधारीलाल को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती शोभारानी कुशवाह, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा अंगदान को प्रोत्साहन देने हेतु अंगदानकर्ता के परिवार को आर्थिक संबल प्रदान किए जाने बाबत उसके परिवार के एक सदस्य को राज्य सेवा में नियुक्ति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से माउण्ट आबू में सालगांव बांध परियोजना की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती कृष्णा पूनियॉ, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु फोरलेन किए जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री हीराराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा की जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री गजराज खटाणा, सदस्य की ओर से बांदीकुई एवं बसवा में पेयजल की भारी किल्लत होने से आमजन में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्री पानाचन्द मेघवाल, सदस्य की ओर से बारां शहर में विभिन्न समाजों के छात्रावास और सामुदायिक भवनों के निर्माण हेतु भूमि आबंटित नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

32 नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त.-05 मार्च 2021-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री मुरारी लाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में राजपूत समाज के एक वर्ग की जाति में त्रुटिवश अंकित पूर्विया, पूर्विया राजपूत, राजपूत पूर्विया के स्थान पर राजपूत जाति अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री रोहित बौहरा, सदस्य की ओर से पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु धौलपुर स्थित मचकुण्ड धाम को स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्रीकृष्णा सर्किट में शामिल कराने के सम्बन्ध में।

(9) श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक अथवा उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(10) श्री वाजिब अली, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर में ADJ court खोलने के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोपाल लाल मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में फोरेस्ट एरिया में आने वाले गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक होने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(12) श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों द्वारा किये जा रहे कार्य बहिष्कार से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(13) श्री विट्ठल शंकर अवस्थी, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा शहर के उपनगर पुर में से होते हुए रोडवेज की बसों का संचालन नहीं किये जाने से आमजन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(14) श्रीमती गंगा देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बगरू की ग्राम पंचायतें व बड़े गांव एवं नगरपालिका क्षेत्रों को पेयजल योजनाओं से जोड़े जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री छगनसिंह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज पेयजल की मांग है, अगर 295 पढ़े हुए मान लिये जाएं तो उचित रहेगा।

श्री अध्यक्ष: मैं भी सहमत हूं इस बात से और आप भी सहमत होंगे, इसलिये 295 को पढ़ा हुआ माना जाता है।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

आहोर के शंखवाली ग्राम के बालक हत्याकांड के अपराधियों की गिरफ्तारी

श्री छगनसिंह (आहोर): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे नियम 50 के तहत बोलने का अवसर दिया। मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र के भाद्राजून थाने में शंखवाली गांव में लक्ष्मण मीणा, 13 वर्षीय बालक स्कूल तो जाता है, पूरे दिन भर मां-बाप उसका इंतजार इसलिये नहीं करते कि वह स्कूल गया हुआ है। शाम को जब वह घर पर नहीं आता है तो मां-बाप को चिंता होती है, वह ढूंढने का प्रयास करते हैं लेकिन दूसरे दिन अलसुबह लक्ष्मण मीणा का शव मिलता है, जिस पर धारदार हथियार के उसके गले पर निशान हैं और वह संदिग्ध अवस्था में मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह की घटना बार-बार हो रही है। लक्ष्मण मीणा के हत्या के जो आरोपी हैं, उनका खुलासा आज दिन तक नहीं हुआ। परिजनों ने वहां उपखण्ड स्तर पर धरना दिया, उपखण्ड अधिकारी ने आश्वासन दिया था कि 7 दिन के भीतर-भीतर हम उस आरोपी को पकड़ लेंगे, लेकिन आज 20 दिन होने के बावजूद भी उन आरोपियों का कोई पता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपसे फरियाद करते हैं कि आहोर विधान सभा क्षेत्र में जो लक्ष्मण मीणा की हत्या हुई है, उसका जल्द से जल्द खुलासा हो, परिजनों को न्याय मिले और समाज को न्याय मिले। मीणा समाज ने वहां उपखण्ड स्तर पर धरना भी दिया था, कल भी धरना दिया था लेकिन आज दिन तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। मैं निवेदन करूंगा कि कि एक महीने पूर्व तिगम सिंह राजपुरोहित की भी हत्या हुई थी, उसका भी खुलासा नहीं हुआ है। इस प्रकार अगर बार-बार हत्या होगी तो इससे मेरे आहोर विधान सभा क्षेत्र में आमजन में भय व्याप्त हो गया है। एक मनोहर प्रकरण भी हुआ है, इन तीनों प्रकरणों का जल्द से जल्द खुलासा करके हम सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करें कि इस प्रकार की घटना दोबारा नहीं होगी और परिजनों को भी आप जानकारी दें।

श्री अध्यक्ष: श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

बाली की पंचायत समितियों में जिला चिकित्सालय की मांग

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत आपने मुझे बोलने का मौका दिया बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय,

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

मैं यह बात आपके ध्यान में आकर्षित करना चाहता हूं बाली, रानी, देसूरी और सुमेरपुर ब्लाक जो जिला हैड क्वार्टर से लगभग सौ डेढ़ सौ किलोमीटर दूरी पर है, इन चारों ब्लाकों में बाली विधान सभा में लगभग 6 सीएचसी हैं, रानी ब्लाक में दो सीएचसी है, सुमेरपुर ब्लाक में 5 सीएचसी हैं। अच्छी संख्या में हमारे पास प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। आज पूरे जिले में अगर हम देखें तो लगभग 65 हजार बीपीएल परिवार हमारे पास सूचित हैं। एक बाली ब्लाक में लगभग 26 हजार बीपीएल परिवार रहते हैं। सुमेरपुर में लगभग 5 हजार बीपीएल हैं। रानी में लगभग 4 हजार बीपीएल हैं। देसूरी ब्लाक में लगभग 4 हजार बीपीएल हैं। मेरा तो सरकार से एक ही अनुरोध है कि यहां एक जिला हास्पिटल की वर्षों से हम मांग कर रहे हैं और यहां अधिक से अधिक संख्या में बीपीएल परिवार रहते हैं और लोगों को 100-150 किलोमीटर दूरी तय करके जिला हैड क्वार्टर पर जाना पड़ता है। अधिकांश लोग बीपीएल हैं, वहां सही चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण उनको आज की तारीख में पालमपुर, मेहसाणा और गुजरात जाना पड़ता है और उनके इसमें हजारों रुपये खर्च होते हैं पर उनको सही उपचार नहीं मिलता है। मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए बाली, रानी, देसूरी और सुमेरपुर को ध्यान में रखते हुए बाली जिला हास्पिटल जो आज लगभग 75 बैड का हास्पिटल है, इसको अगर जल्दी ही आप जिला हास्पिटल में क्रमोन्नत करोगे, वहां आज भी अगर प्रसूति होती है और अगर उनके खून की कमी हो तो हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है। ब्लड के लिये आम प्रसूता को जिला हास्पिटल में रैफर करते हैं। जोधपुर में रैफर कर देते हैं। यह हालत है कि बीच में लोगों की जान चली जाती है। मैं कल की बात आपको बता रहा हूं कि एक महिला गरासिया जो कि एसटी की लेडी है, खून की कमी से उसके बच्चे की मृत्यु हो गयी, पाली के बांगड़ हास्पिटल है। खुद के खून की कमी से उसको जोधपुर में रैफर कर दिया। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि यह बहुत ही संवेदनशील मैटर है। इसको ध्यान में रखते हुए, 12 से ज्यादा सीएचसी हैं, इसलिये जिला हास्पिटल खोलने की बहुत आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बाली में एक जिला अस्पताल खुल जाए तो आम जनता को राहत होगी।

श्री अध्यक्ष: श्री जोराराम कुमावत।

सुमेरपुर और तखतगढ़ के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के तहत स्थगन पर मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के राजस्व गांव तखतगढ़ व सुमेरपुर वर्तमान में राज पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है। इन गांवों के एलजी कोड भी अभी उपलब्ध नहीं हैं। राज पोर्टल पर तखतगढ़ व सुमेरपुर उपलब्ध नहीं होने व इन गांवों के एलजी कोड उपलब्ध नहीं होने से इन गांवों के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जो किसानों के बैंक खातों में सीधे आती है, वह नहीं आ रही है। इससे इन दो गांवों के किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लगातार दो वर्षों से वंचित रह रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी देश के किसानों को मजबूत करने, समृद्ध करने, उनके कृषि कार्य, खाद, बीज व अन्य कृषि कार्य सहायता हेतु प्रति चार माह में दो-दो हजार रुपये किसानों के बैंक खातों में सीधे ऑनलाइन जमा करा रहे हैं। तखतगढ़ व सुमेरपुर में हजार किसान परिवार हैं, इन किसान परिवारों को किसान सम्मान निधि की राशि नहीं मिल रही है। कई बार किसानों ने सम्बन्धित अधिकारियों को इस सम्बन्ध में जानकारी दी व ज्ञापन भी दिये, लेकिन अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि तखतगढ़ व सुमेरपुर को राज पोर्टल पर चढ़ाने व एलजी कोड उपलब्ध कराने के कार्य कराएं, जिससे इन गांवों के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

विद्युत विभाग की भर्तियों में परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी एवं परीक्षा केन्द्र राज्य से बाहर रखा जाना

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने विद्युत विभाग में भर्तियां निकाली हैं। इसमें दो चीजों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो शुल्क बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है जिससे आम प्रतियोगियों को उसमें भाग लेने में परेशानी हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, शुल्क से बड़ी बात यह है कि राजस्थान के बाहर

(श्री बलवान पूनियां)

परीक्षा केन्द्र रखे गये हैं। ए.ईएन. भर्ती के सिलेबस में से जो पिछली सरकार के समय राजस्थान का विषय हटा दिया गया था, वह तो सरकार ने जोड़ा है, उसके लिये तो धन्यवाद, लेकिन परीक्षा केन्द्र बाहर रखने की वजह से, एक तो राजस्थान के प्रतियोगी दूसरी जगह पर क्यों जाएं और दूसरी बात, राजस्थान में अभी भी स्थितियां बची हुई हैं कि यहां परीक्षाओं में आज भी पारदर्शिता है। आज भी हमारी शुचिता कायम है। कुछ भर्तियों में गड़बड़ हो जाए, लेकिन फिर भी पूरे हिन्दुस्तान में राजस्थान का जिक्र है। दिल्ली में, नोएडा में, मध्य प्रदेश में सेन्टर करने की वजह से हमारे प्रतियोगी डरे हुए हैं। इसलिये आपसे, सरकार से और शासन से सीधी मांग है कि राजस्थान की भर्तियों के सेन्टर राजस्थान में रखे जाएं और परीक्षा शुल्क घटाया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

हरियाणा की तर्ज पर स्थानीय युवाओं को नौकरियों में आरक्षण

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा की सरकार The Haryana State Employment of Local Candidates Bill, 2020 बिल लेकर आयी और यह बिल पास कर दिया और अभी गवर्नर ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिये। यानी कि यह कानून बन गया। इस कानून के जरिये हरियाणा राज्य में दूसरे स्टेट से रोजगार की तलाश में आने वाले युवाओं को रोका जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी सदन में इस बात को रखा था कि हिन्दुस्तान में 21 स्टेट ऐसे हैं, जो तरह-तरह से अलग-अलग कानून बनाकर, बाधाएं डालकर राजस्थान के युवाओं को रोजगार पाने से वहां रोक रहे हैं। वे अपने स्टेट के जो बेरोजगार युवा हैं, उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, राजस्थान में क्या हो रहा है। सरकार पर सरकार बदलती है, लेकिन राजस्थान के बेरोजगार युवा हैं, उनकी कोई चिंता नहीं कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी बताया था कि बिहार में कानून बना रखा है कि बिहार का निवासी और हिन्दुस्तान का नागरिक हो। महाराष्ट्र ने कानून बना रखा है कि मराठी भाषा को लिखने, पढ़ने जानने वाला हो। ओडिशा ने कानून बना रखा है कि उड़िया भाषा को पढ़ना-लिखना जानता हो, वही एग्जाम में भाग ले सकता है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल में बना रखा है कि बंगाली भाषा को पढ़ना, लिखना व बोलना जानता हो। गोवा में बना रखा है कि कोंकणी, मराठी भाषा का जानकार हो। त्रिपुरा में बना रखा है कि बंगाली, अंग्रेजी, कोंकणी

(श्री बलजीत यादव)

भाषा का जानकार हो। इसी तरह से अलग-अलग तरह से, अपनी-अपनी तरह से बिल लाकर, कानून बनाकर, शर्तें लगाकर, दूसरे स्टेट से आने वाले बेरोजगार युवाओं को रोका जा रहा है। राजस्थान के अन्दर जो यहां के युवा हैं, उनको भी एग्जाम देने के लिये राजस्थान स्टेट से बाहर भेजा जा रहा है, यानी कि राजस्थान सरकार यहां के युवाओं के हक की रक्षा करने में असमर्थ है। वह राजस्थान के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहती, उसके हक के लिये लड़ना नहीं चाहती। मैं मांग करता हूं कि राजस्थान सरकार भी बिल लाये और युवाओं के हित की रक्षा करे, नहीं करेगी तो राजस्थान में आंदोलन होगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तेजित होने की जरूरत नहीं।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): राजस्थान का युवा सड़कों पर आयेगा। अभी आपने भेज दिया उनको बहला-फुसलाकर, कमेटी बना दी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो रहा है, इसलिये सरकार निर्णय करे, मैं पुरज़ोर मांग करता हूं। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तेजित होकर नहीं बोलें, सब आपकी बातें गम्भीरता से सुन रहे हैं। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में साइंस पार्क का निर्माण

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर संभाग में जितने भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उनको अध्ययन और शोध के अवसर मिलें और आम जन को ज्ञानवर्धक जानकारियां उपलब्ध हो सके, इसके लिये काफी प्रयासों के बाद भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अजमेर में विज्ञान पार्क के निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी और उसके लिये 15.20 करोड़ रुपये स्वीकृत भी किये गये। जिसका शिलान्यास 09 सितम्बर, 2018 को किया गया और उस शिलान्यास को आज दो वर्ष छह माह हो चुके हैं, परन्तु आज तक निर्माण का काम पूरा नहीं हुआ है। बीच में जब हम लोग केन्द्रीय मंत्री से मिले तो वहां बात आयी कि उस प्रोजेक्ट में 50 परसेंट अंश राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराना होगा लेकिन राज्य सरकार ने उपलब्ध नहीं कराया, काफी टालमटोल करती रही। बहुत आग्रहपूर्वक हमने अजमेर की स्मार्ट सिटी योजना का जो बजट है, उसमें से इसका आधा स्वीकृत करा दिया है। आज दोनों बजट स्वीकृत हुए हैं लेकिन उसके बाद केन्द्र और राज्य सरकार को आपस में एमओयू करना था, लेकिन राज्य

(श्री वासुदेव देवनानी)

सरकार की उदासीनता के कारण वह एमओयू नहीं हो पा रहा है, लेकिन वर्तमान में जानकारी है कि एमओयू होने की स्थिति में है। इसलिये मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि साइंस पार्क के निर्माण के लिये विभागीय प्रशासनिक स्तर पर जो ढिलाई बरती जा रही है, उस पर गम्भीरतापूर्वक प्रयास करते। सरकार गम्भीरतापूर्वक प्रयास करे। इससे पर्यटन की दृष्टि से भी आराम होगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाह रहा हूं कि अजमेर में साइंस पार्क के निर्माण के काम को शीघ्र प्रारम्भ किया जाए और इसमें जो भी औपचारिकताएं हैं, वे शीघ्रता से पूरी कराएं ताकि अजमेर सम्भाग के विद्‌यार्थियों को विज्ञान के शोध और उनकी जानकारियों के लिये सुविधा उपलब्ध हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री गिरधारीलाल। लास्ट बैंच पर, जहां हां पक्ष और ना पक्ष लॉबी है, आपस में बैठकर बात नहीं करें। लास्ट बैंच, शकुन्तला जी, बार-बार वहीं से आवाज आती है।

श्रीडूंगरगढ़ व बीकानेर में किसानों के कृषि कनेक्शन में कटौती

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 50 के तहत बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में विशेषकर श्रीडूंगरगढ़ और बीकानेर जिले में, पूरे राजस्थान में जहां कृषि कुएं हैं, वहां पर अभी फसल पकाव पर है और निगम के द्‌वारा बकाया के नाम पर किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि एक तरफ केन्द्र की सरकार तीन काले कानून लाकर किसानों को दुविधा में डाल रही है। मैं हमारी राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि अभी किसानों की फसल पकाव पर है और जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उन कनेक्शनों को काटने पर रोक लगाएं। वसूली के नाम पर जो कनेक्शन कटे हैं, उन पर ब्याज और पैनल्टी भी माफ करें। यह मैं कहते हुए सरकार से पूर्ण आशा करता हूं कि निश्चित रूप से आम उपभोक्ताओं को कृषि कनेक्शन पर पैनल्टी और ब्याज माफ करके कनेक्शन काटने से रोके। मेरा यह अनुरोध है कि फसल कटने तक राजस्थान में किसी किसान का कनेक्शन न कटे।

श्री अध्यक्ष: 295 पढ़े गये। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, श्री ज्ञानचंद पारख।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

रोहट (पाली) के गांवों की गैर आबादी भूमि के आबादी भूमि में परिवर्तन करने के लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत विधान सभा की प्रकिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा श्री ज्ञानचंद पारख, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा के सम्बन्ध में तथ्यात्मक विवरण निम्नानुसार है -

जिला कलेक्टर, पाली से प्राप्त सूचना अनुसार रोहट तहसील के कुल 43 गांवों में 944 परिवार 321.09 बीघा सरकारी भूमि पर लगभग 15-20 वर्षों से आवास बनाकर निवास कर रहे हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। इनमें से 13 गांवों में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित भूमि पर विभिन्न व्यक्ति आवास बनाकर निवास कर रहे हैं जिनमें आबादी विस्तार हेतु भूमि आरक्षित की जाकर आबंटन नहीं किया जा सकता है तथा 9 गांवों की सरकारी भूमियां जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रीको के पक्ष में राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जा चुकी हैं। शेष 23 गांवों में से वर्तमान में ग्राम पंचायत भाखरीवाला द्वारा गांव अरटिया में आबादी विस्तार हेतु भूमि आबंटन का निवेदन करने पर गांव अरटिया के खसरा संख्या 107 रकबा 9.02 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन गोचर में आबादी बसी होने के कारण उक्त भूमि आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर आबंटन कराने बाबत प्रस्ताव तैयार किया है, जो विचाराधीन है। चूंकि प्रकरण में आबंटित भूमि की किस्म गैर मुमकिन गोचर है, अन्य प्रकरण का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 12-01-2017 एवं उक्त सम्बन्ध में निरंतरता में राजस्व ग्रुप-6 विभाग द्वारा पत्र दिनांक 20-05-2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रकरण का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण उपरांत प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

इसके अतिरिक्त गांव, पंचायतों द्वारा सरकारी भूमियों पर भूखण्ड काटकर विभिन्न व्यक्तियों को पट्टे जारी किये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध

(श्री हरीश चौधरी)

में ऐसा कोई सर्वे अभी तक नहीं करवाया गया है जिसमें यह स्पष्ट हो सके किन-किन ग्राम पंचायत द्वारा सरकारी भूमियों पर पट्टे जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में पृथक से सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे में प्राप्त होने वाली सूचना के आधार पर नियमों के तहत कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। अत: उपर्युक्त के मध्य नजर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ग्राह्यता स्वीकार नहीं किये जाने बाबत माननीय अध्यक्ष महोदय को निवेदन करने का कष्ट कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: ये लास्ट वाली लाइन न पढ़ें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): ठीक है, साहब।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, आपको याद होगा, दो साल पहले भी मैंने यही ध्यानाकर्षण लगाया था और आपने स्वीकार किया था कि वाकई में सरकार के स्तर पर देरी हुई है, लापरवाही हुई है। आपके जवाब में आपकी पीड़ा भी झलकती थी कि ये काम हो जाने चाहिए थे जो नहीं हुए और आपने आश्वासन दिया था कि हम बहुत जल्दी इन प्रकरणों का निस्तारण करवा देंगे। आपका जवाब मान लिया, 13 गांव की भूमि ऐसी है, जो प्रतिबंधित है, कोई दिक्कत नहीं है हमको आप मत कीजिए। 9 गांव ऐसे हैं जो डीएमआईसी में आ गए, उसमें भी आप नहीं कर सकते, आप मत कीजिए, परन्तु 23 गांव ऐसे हैं, जिनकी भूमि को आप गैर आबादी भूमि से आबादी भूमि में परिवर्तित कर सकते हैं और आपका आश्वासन है, आपका खुद का, आपने खुद ने दिया था। यह आप कब तक कर देंगे? दो साल तो बीत गये। एक अवधि आप तय कर देंगे तो आपके अधिकारी जो इस काम में लीपापोती कर रहे हैं, वे सारे के सारे एक्टिव हो जाएंगे, काम कर देंगे क्योंकि आपकी मंशा भी उस जवाब से स्पष्ट थी कि आप यह करना चाहते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, एक बात का जवाब आपने बिलकुल ही टालमटोल में दे दिया कि जो सरकारी भूमि थी और वहां बरसों पहले ग्राम पंचायत ने भूल से काट दिये या जानबूझ कर काट दिये, परन्तु प्लाट काटकर उनके पट्टे जारी कर दिये। अब आप कह रहे हैं कि यह हमारे पास सूचना नहीं है। ये मैंने 9 तारीख को लगाया है, 9 फरवरी को, आज लगभग एक महीना होने को आ रहा है तो आसानी से आप यह सूचना कलेक्ट भी कर सकते थे। आपका तहसीलदार है, आपका आरआई है। जिन-जिन ग्राम पंचायतों में सिवाय चक भूमि में पट्टे काटकर ग्राम पंचायत ने पट्टे जारी कर दिये, उसमें आप क्या

(श्री ज्ञानचंद पारख)

निर्णय करेंगे? शहरी भूमि पर भी, शहर में भी अगर सिवाय चक सरकारी भूमि पर भी यदि कोई आदमी अतिक्रमण कर लेता है और आपको लगता है वह गरीब है तो बाद में आप उसको नियमन करके पट्टा जारी करते हैं। शहरी भूमि महंगी होती है, गांव में इतनी महंगी नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, आपको यह जानकारी दे दूं कि ये अधिकांश परिवार एससी/एसटी के हैं, जो बहुत निर्धन हैं। गैर-आबादी भूमि में जो बसता है, वह वाकई में बहुत ज्यादा निर्धन होगा। ये भील, बावरी, मेघवाल, मीना लोग हैं, इनके ऊपर आप कोई कृपा करेंगे, ये आप मुझे स्पष्ट कर दें। यही चाहता हूं मैं आपसे।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दो वर्ष पूर्व भी ये बात सदन में आई थी। उसके बाद में गोचर के संदर्भ में नियमों में शिथिलता दी गयी। इस कारण गोचर के संदर्भ में जो कोई भी समय लगा, उसका कारण तो यह है। दूसरा, जो पट्टे ग्राम पंचायत ने दिये हैं और बिना आबादी में कन्वर्ट करवाये हुए दिए हुए हैं आबंटन किये हैं, वह अवैध हैं। यह आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वह नियमानुसार नहीं हैं। अब सवाल यह आता है कि दो तरह की श्रेणी है, एक तो गरीब जिसके पास भूमि नहीं है या अज्ञानता के कारण उस जगह उसने मकान बनाया है। उसके लिये राज्य सरकार को बिलकुल नियमों में शिथिलता देनी पड़ेगी या उसके लिये बिलकुल अलग नजरिया रखेगी। यह कार्य करेगी।

दूसरी, भू-माफिया भी इस तरह से इन भूमियों पर जमीन हड़पने की मंशा से कार्य करते हैं। यह आपको भी अच्छी तरह से पता है। उनको इस श्रेणी से अलग कैसे करें? यह हम लोगों के सामने चुनौती है, परंतु इन लोगों को जो गरीब लोग हैं, चाहे वह एससी/एसटी के हैं, चाहे वह सवर्ण जाति के हैं, गरीब तो गरीब होगा, उन सभी को बिलकुल आबादी की भूमि आबंटन करके, थोड़े अगर नियमों में शिथिलता भी देनी पड़ेगी तो नियमों में शिथिलता भी इनको दी जाएंगी। अब सवाल यह है कि इतना समय क्यों हो गया? कोरोना के कारण प्राथमिकताएं बदल गई, आपको भी अच्छी तरह से पता है। आप स्वयं भी कोरोना के कारण अपना सब कार्य छोड़कर, कोरोना के अन्दर लोगों की सेवा में लगे थे। जो राजस्व के सरकारी कर्मचारी थे, वे उसी कार्य के अन्दर लगे हुए थे। इस कार्य को जल्दी प्राथमिकता से कराएंगे, यह वापस आपको मैं आश्वस्त करता हूं।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, गांव में भू-माफिया इतनी बड़ी तादाद में नहीं होते हैं। आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। आप परीक्षण करवा दें। आपको लगता है भू-माफिया ने की, हम भू-माफिया का पक्ष बिलकुल नहीं लेंगे। जहां-जहां भू-माफिया ने कब्जा किया है, वहां छोड़ दो। यह अधिकांश परिवार एससी/एसटी के हैं, जिनमें से भील, बावरी और मेघवाल की संख्या ज्यादा है जिनकी बदौलत आज तक आप लोगों ने शासन किया। मैं उनके ऊपर आपकी कृपा की बात कर रहा हूं। अगर आप एक समय तय कर देंगे तो आपके जो अधिकारी हैं, वे पाबंद हो जाएंगे। आप तो चाहते हैं, आपकी मंशा मुझे पता लग गयी, पिछली बार भी कि आपकी पूरी मंशा थी, आपकी बातों में, आपके जवाब में पीड़ा झलक रही थी कि ये काम अब तक क्यों नहीं हुआ? जब आपकी स्वयं की पीड़ा है कि हो जाना चाहिये, एक अवधि आप तय कर देंगे तो आपका सरकारी अमला इस काम को अंजाम दे देगा। आप एक अवधि तय कर दें, चाहे 6 महीने कर दो, चाहे एक साल कर दो, परन्तु अवधि तय कर दो, शीघ्र नहीं, अवधि तय कर दो आप।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, गांव के गरीब को आबादी में से कितनों को पट्टा मिलता है? माननीय सदस्य महोदय, आपको भी अच्छी तरह से पता है। हम सबको यह स्वीकार करना चाहिए कि जो सबसे वंचित व्यक्ति है, उसको पट्टे के अन्दर प्राथमिकता नहीं दे पा रहे हैं हम लोग। यह सच्चाई है और जो प्रभावशाली व्यक्ति है, उसको पहले पट्टा मिल जाता है। कारण, वह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं इसलिये गांव में जो गरीब हैं, उसको हम लोग पहले कैसे राहत पहुंचाएं यह हम सबकी मंशा है। उसके अनुसार ही वहां भी रोहट के अन्दर भी अब भू-माफिया नहीं है, हम सबको अच्छी तरह से पता है कि गांव के अन्दर कितने प्रभावशाली लोग इन जमीनों के ऊपर हैं और कितने बीपीएल की श्रेणी के अन्दर भी, जो बीपीएल के असली हकदार हैं, कितने उसके अन्दर वंचित है। अगर हम लोग कहें तो आपको भी अच्छी तरह से पता है, पाली के अन्दर और पूरे राजस्थान में हमें भी पता है। हम लोगों की यह प्राथमिकता रहनी चाहिए कि गांव का गरीब तो मैं वापस आपको आश्वस्त करता हूं कि इस सन्दर्भ में यदि मीटिंग भी लेनी पड़े, वीसी के माध्यम से तो इसी सप्ताह में आप को खुद को बुलाकर, वीसी के माध्यम से सभी राजस्व अधिकारियों की मीटिंग लेकर प्राथमिकता से, गांव के गरीब को प्राथमिकता से पट्टा दिलाएंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, मैं नई बात कह रहा हूं आपको,

(श्री अध्यक्ष)
बीपीएल का चयन गलत हो, सब बात है। पिछले पांच साल में जिस आदमी ने नरेगा में काम किया हो, उस आदमी के बारे में तो कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने नरेगा में काम किया, जिसके पट्टा नहीं है किसी पंचायत में, क्या सरकार उसको प्राथमिक आधार पर पट्टा देने का काम करेगी?

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपकी इस बात का मैं परीक्षण करवाकर, नियमों के अन्दर जरूर इस तरह का प्रावधान कराएंगे कि जो गरीब है, जो नरेगा के अन्दर 100 दिवस का कार्य कर चुका....

श्री अध्यक्ष: पिछले तीन साल में, 100 दिन तो सम्भव है नहीं, आन एन एवरेज राजस्थान का डेज है 50, जिस व्यक्ति ने 50 दिन तक नरेगा में तीन साल में काम किया, ऐसे सब परिवार जो चरनोट की जमीन पर नहीं बैठे हुए हैं, उन लोगों के यदि पट्टे नहीं हैं तो उनको एक ही कार्यक्रम बनाकर आप पट्टा दे दें। सबसे बड़ी उन गरीब आदमियों को राहत होगी।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, सिवाय चक भूमि पर, ग्राम पंचायत ने भूलवश काट दिए, वर्षों पहले काट दिए, 20-25 साल हो गए, पूरी की पूरी आबादी बस चुकी है। शहर में भी अपन कच्ची बस्ती का नियमन करते हैं तो एक राशि तय करते हैं। उसका नियमन भी हो जाए, तो उन लोगों को भी राहत मिल जाएगी, वरना कई बार पटवारी, तहसीलदार, आरआई उनको तंग करते हैं। उनको बार-बार की तंगी से मुक्ति मिल जाएगी। उनके लिये भी आप कोई न कोई योजना बनाकर, सही काम करो। किसी गलत को देना है, भूमाफिया को देना है, किसी बदमाश को देना है, बिलकुल नहीं, परन्तु वास्तव में जो हकदार है, गरीब है, उसको दो, मेरा आपसे यही आग्रह है। वह निर्णय भी आप थोड़ा करवा देंगे तो आपकी कृपा होगी, मुझे यही कहना है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। श्रीमती अनिता भदेल, 131.

शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों का निस्तारण

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-131 के अन्तर्गत शुभ शक्ति योजनान्तर्गत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिये आर्थिक सहायता हेतु लम्बित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण करने के सम्बन्ध में माननीय श्रम राज्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती हूं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया विधान सभा सदस्य श्रीमती अनिता भदेल द्वारा सदन के माध्यम से शुभ शक्ति योजनान्तर्गत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिये आर्थिक

(श्री टीकाराम जूली)

सहायता हेतु लम्बित आवेदनों के शीघ्र निस्तारण करने की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा निर्माण श्रमिकों अथवा निर्माण कार्य में नियोजित पंजीकृत श्रमिकों को, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाती हैं। इन योजनाओं के संचालन हेतु धन की व्यवस्था नियोजकों द्वारा भवन एवं अन्य कराये गए संनिर्माण कार्य में निर्माण लागत के एक प्रतिशत वसूल की गई उपकर राशि से होता है, जो भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम,1996 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रम विभाग द्वारा संग्रहित किया जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि योजनाओं के संचालन हेतु राज्य अथवा केन्द्र सरकार से कोई अनुदान नहीं लिया जाता है।

दिनांक 01.01.2016 से अधिसूचित शुभ शक्ति योजना का मूल उद्देश्य विवाह हेतु सहायता दिया जाना नहीं है, अपितु इसका उद्देश्य हिताधिकारी की न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण वयस्क एवं अविवाहित पुत्री को सशक्त, आत्मनिर्भर एवं उद्यमी बनाकर महिला सशक्तीकरण हेतु प्रोत्साहित करना है। उक्त योजनान्तर्गत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि का प्रयोग यद्यपि विवाह में लिये जाने का भी प्रावधान है। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन अधिनियम,1996 की धारा-22 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा-60 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निर्देशित किया है कि अधिनियम की धारा-22 ए से जी तक उल्लेखित योजनाओं के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाए एवं इसके उपरान्त यदि उपकर राशि शेष रहती है तो अधिनियम की धारा-22 (एच) के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु, अन्य योजनाओं का मण्डल द्वारा सृजन एवं क्रियान्वयन किया जा सकता है। अधिनियम की धारा-22 के अन्तर्गत निम्न प्रावधान है:-

(ए) दुघर्टना की स्थिति में हिताधिकारी को तत्काल सहायता प्रदान करना।

(बी) साठ वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हिताधिकारियों को पेंशन का भुगतान करना।

(सी) अधिकतम निर्धारित राशि की सीमा में हिताधिकारी को शर्तों एवं

(श्री टीकाराम जूली)

पात्रता जो भी निर्धारित की जाए, गृह निर्माण हेतु ऋण अथवा अग्रिम राशि की स्वीकृति देना।

(डी) हिताधिकारियों के समूह बीमा योजना की प्रीमियम, जो भी युक्तियुक्त समझी जाए, का भुगतान करना।

(ई) हिताधिकारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता जो भी निर्धारित की जाए, प्रदान करना।

(एफ) हिताधिकारियों अथवा ऐसे आश्रित जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है, के इलाज में हुए चिकित्सीय व्यय की पूर्ति।

(जी) महिला हिताधिकारियों को मातृत्व लाभ का भुगतान करना।

(एच) अन्य कोई कल्याणकारी प्रावधान और सुधार की कार्यवाही तथा सुविधाएं, जो भी निर्धारित की जाएं।

उल्लेखनीय है कि मण्डल की शुभ शक्ति योजना अधिनियम की धारा 22 (एच) के अन्तर्गत सृजित है। मण्डल में उपलब्ध कोष की वस्तु स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि सर्वप्रथम संवेदनशील योजनाओं यथा सिलिकोसिस, सामान्य मृत्यु/दुर्घटना सहायता, छात्रवृत्ति, प्रसूति, टूलकिट में लम्बित आवेदनों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए एवं उक्त योजनाओं के निस्तारण उपरांत मण्डल के उपलब्ध कोष की वस्तुस्थिति को देखते हुए अन्य योजनाओं यथा शुभ शक्ति एवं सुलभ्य आवास योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदनों का वरीयता से निस्तारण किया जाए।

वर्तमान में शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत विभाग के स्तर पर एवं आवेदनकर्ताओं के स्तर पर लम्बित प्रकरणों का कुल योग लगभग 2.78 लाख है, जिसकी कुल देनदारी लगभग रुपये 1534 करोड़ रुपये है। मण्डल को प्रतिवर्ष उपकर राशि के रूप में प्राप्त होने वाली राशि की अपेक्षा योजना मद में व्यय राशि के आंकडे में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

माननीय विधान सभा सदस्या के द्वारा उठाये गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में अजमेर जिले के लगभग 4058 लम्बित आवेदन हेतु लगभग 22.31 करोड़ रुपये की राशि का आबंटन मण्डल की वर्तमान वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। विभाग द्वारा प्रथम चरण में जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मार्च, 2017 तक प्राप्त आवेदनों के निस्तारण का निर्णय लिया है एवं वित्तीय स्थिति अनुकूल होने

(श्री टीकाराम जूली)

पर चरणबद्ध रूप से आगे की अवधि के आवेदनों का भी नियमानुसार निस्तारण करने की कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि शुभ शक्ति योजना विभाग की प्राथमिकताओं में सबसे अंतिम पायदान पर आती है। अंतिम पायदान पर इसीलिये आती है कि यह धारा-22 (एच) का हिस्सा है, इसलिये। आपने यह भी बताया कि 08.01.2020 को विभाग ने यह तय किया कि हम मार्च, 2017 तक के प्राप्त आवेदनों का निस्तारण चरणबद्ध रूप से करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सवाल यह है कि मार्च 2017 तक के, क्योंकि यह योजना 01.01.2016 को शुरू हुई और 08.01.2020 को आप यह आदेश निकाल रहे हैं कि मार्च, 2017 तक के आवेदनों को चरणबद्ध रूप से निस्तारित किया जाएगा। मेरा पहला सवाल तो यह है कि मार्च 2017 तक के आवेदन पूरे प्रदेश के कितने लम्बित हैं, उसके साथ-साथ अजमेर जिले के, जिनको आपने पहली प्राथमिकता लेकर पूरा करने की बात कही है, एक तो मेरा प्रश्न यह है।

श्री अध्यक्ष: माननीया सदस्य, ध्यान आकर्षित करना है तो फिर be specific, अजमेर...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): चलिये, ठीक है, अजमेर का बता दें आप।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर जिले के शुभ शक्ति के प्रकरण पेंडिग हैं, वह 2016 के 268 हैं। 2017 के 795 हैं। मैं पूरा ही बता दूं। अब तक का।

श्री अध्यक्ष: नहीं, उनका सीधा प्रश्न है। 2017 तक कितने हैं और टोटल कितने हैं, बस इतनी बात है।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): अजमेर के टोटल प्रकरण हैं, 6454 प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1537 स्वीकृत हैं और 3528 विभागीय स्तर पर लम्बित हैं।

श्री अध्यक्ष: 3528 में 2017 तक कितने हैं?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): 2016 के 268 हैं और 2017 के 795 हैं।

श्री अध्यक्ष: अंतिम प्रश्न मैं पूछूं। इनका मेन प्रश्न बेटियों की शादी का है, इसमें बेटियों की शादी के कितने हैं?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सर, ये बेटियों की शादी के ही हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2020 को आदेश निकाला और अभी 2021 चल रहा है। आपने 2017 तक के आवेदनों की बात कही। पिछले एक वर्ष में एक भी आवेदन, जो 2016 में स्वीकृत था, उस बेटी को भी पैसा नहीं मिला है। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है, जैसा आपने कहा, बड़ी योजना है, इसमें बड़ा अमाउण्ट है, इसलिये आवेदन ज्यादा करते हैं। जिन बेटियों की शादी 2016-17 में हो गई, अब वह मां भी बन गई हैं। ऐसी स्थिति में, जब उनके दो-दो साल, तीन-तीन साल के बच्चे हो गए, उनको अभी तक यह पैसा नहीं मिल रहा है। 2017 तक के आवेदनों के लिये पैसे की व्यवस्था, 2016 के भी पैंडिंग है, 2017 के भी पैंडिंग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि 2017 तक के आवेदन हम प्राथमिकता से बजट की व्यवस्था करके, हमारे पास सैस से पैसा आता है। यह सही बात है, न तो केन्द्र सरकार का कंट्रीब्यूशन है और न राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन है। सैस से पैसा आ रहा है, उस सैस के पैसे को हम एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। सरकार से उधार ले लें, सरकार उधार दे दे, फिर सरकार को आप वापस रिटर्न कर देना जब आपका सैस का पैसा आ जाएगा। 2016 व 2017 की लगभग पैंडेंसी है 795 और 268 हैं, 1000 केसेज की तो अजमेर में पैंडेंसी है। ऐसे ही पूरे प्रदेश में पैंडेंसी होगी। मेरा निवेदन है उन गरीब बेटियों ने आवेदन किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय को सुझाव है, आपने जवाब में यह बात कही है कि इस योजना में ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो मजदूर वर्ग से नहीं आते। यह बात बिलकुल सही है कि ऐसे आवेदन भी आ गए जो मजदूर वर्ग से नहीं आते, गलत तरीके से आ गए तो मेरा आपसे इतना निवेदन है कि आप इसका सत्यापन करें। हमें कोई आपत्ति नहीं है पर एक्चुअल में जो मजदूर है, जो बिना पढ़ा-लिखा है, जिसको ज्ञान नहीं है और वह भी इस सबके बीच में पिस रहा है तो कम से कम उस एक्चुअल मजदूर को तो इन योजनाओं का लाभ मिल जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। आप सत्यापन करा लें, मेरे को इसमें कोई आपत्ति नहीं है पर जो

(श्रीमती अनिता भदेल)

एक्चुअल मजदूर है, उसको आप प्राथमिकता से देने की व्यवस्था करें, इतना मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: 2017 तक कितनी लायबिलिटी है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): एक बार, मेरी दो चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो बातें हैं, सिम्पल-सी मेरी बात सुनें। अजमेर जिले में एक परसेंट में कितना कलेक्शन होता है। इतना ही तो कलेक्शन होगा आपका कि रफली एक परसेंट जो आपका कलेक्शन है, अजमेर जिले का कितना अमाउंट है, 2017 तक की डिस्पोज करने की आपकी कितनी लायबिलिटी है। दो प्रश्न समझ में आ जाएंगे तो इसका उत्तर ठीक ढंग से हो जाएगा।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सर, अजमेर की तो कोई दिक्कत नहीं है। अजमेर की तो जो प्रकरण में पैंडिंग ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनका प्रश्न अजमेर का ही है। अजमेर की जो बेटियां हैं, जिनकी शादी हुई है उनका पैसा डिस्पोज करने की 2017 की आपकी लायबिलिटी है, उसको आप पूरा कर देंगे, यह बात बता दें। बाकी डिटेल में डिस्कशन है ही नहीं।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): सर, मार्च, 2017 तक की अजमेर की जो भी पैंडेंसी है, वह मैं 7 दिन में ही निस्तारित कर दूंगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, मैं एक मिनट पूरे सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। जब इसको ऑनलाइन किया, 01 सितम्बर, 2016 को, आपकी ही सरकार थी। उस समय इसका जो पंजीयन था, वह 9 लाख श्रमिकों का था। उस समय हमारे पास जो पैसा था, वह 712 करोड़ के आस-पास था, 01.01.2016 को। जब आज की हम बात करें तो आज पंजीयन 26 लाख है और हमारे पास 168 करोड़ 40 लाख पैसा है, यह हुई एक बात।

दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सैस कलेक्शन है, सैस में जो हमने प्रयास किये, इस दौरान सैस भी आया है, अगर हम 2016-17 की बात करें तो 342 करोड़ आया, 2017-18 की बात करें तो 338 करोड़ आया, 2018-19 जो हमारे समय आया, जो अब तक का सबसे हाइएस्ट सैस है, वह 382 करोड़ आया और 2019-20, जो पिछले साल का है, वह 357 करोड़ आया। इस वर्ष, कोरोना की वजह से बाधित होते हुए भी 365 करोड़ आया। कुल मिलाकर बात यह है कि हमने इस दौरान पूरे

(श्री टीकाराम जूली)

प्रयास किये, सैस का जो कलेक्शन है, वह अब तक का हाइएस्ट कलेक्शन इन पिछले दो वर्षों में हुआ है, हाइएस्ट कलेक्शन जो हुआ है लेकिन अगर हम अन्तर देखेंगे तो 20-30-50 करोड़ से ज्यादा का अन्तर इसके अन्दर नहीं आया है।

जहां फर्जीवाड़े की बात है हमने इस पर लगाम लगाते हुए काम किया। आपकी ही भारत सरकार द्वारा निर्देश आये, सलूम्बर के अन्दर हमने इसका वैरिफिकेशन कराया तो लगभग 39 से 40 परसेंट इसके अन्दर फर्जीवाड़ा मिला। आज हमने इसके अन्दर जो जांच की है, उसमें 42 प्रतिशत शुभ-शक्ति के अन्दर फर्जी पाये गये हैं। बजट जहां से आ रहा है, वह स्थिति आप लोगों के सामने है। पिछली साल कोरोना की वजह से पूरा साल इसकी भेंट चढ़ गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि एक जो सबसे बड़ी स्थिति है, वह यह है कि मनरेगा का मजदूर जो है, वह भी इसके अन्दर पात्र है लेकिन मनरेगा का जो काम होता है, उसका एक प्रतिशत सैस हमें नहीं मिल रहा है। उसके लिये भारत सरकार को लगातार हमने लिखा है। तो मैं माननीय सदस्या से यह कहना चाहूंगा कि मार्च, 2017 तक का आपका कोई भी प्रकरण पैंडिंग नहीं रहेगा। आने वाले 15 दिनों के अन्दर-अन्दर सब का भुगतान हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मुझे 2-4 बातें आपके नोटिस में लानी हैं। नम्बर एक, जो पैटी कांट्रेक्टर नीचे काम करा रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है। मैं मेरे इलाके में बहुत घूमा और मैंने तकलीफ देखी है। वह पैटी कांट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है तो रजिस्टर्ड कांट्रेक्टर है उसका एक परसेंट पैसा आपके पास आ रहा है। जो लार्ज नम्बर आफ पीपुल है, या तो नरेगा में काम कर रहा है या पैटी कांट्रेक्टर के अन्डर काम कर रहा है। उस आदमी का पैसा कलेक्ट नहीं हो रहा है। वह अफैक्टेड है। अफैक्टेड आदमी वह है जो पैटी कांट्रेक्टर के साथ काम कर रहा है, नरेगा में काम कर रहा है और आपके पास जो लेबर आ रही है, एक विशियस सर्किल बन गया है, वही अधिकारी उन्हीं लोगों की एप्लीकेशन लेकर डिस्पोज कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि विभाग को इस योजना का लाभ देने के लिये निश्चित तौर पर नये सिरे से इनके बारे में, ऑनलाइन एप्लीकेशंस से तो कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। आपका 26 लाख हो गया, उससे कोई फायदा नहीं है। इसमें

(श्री अध्यक्ष)

जेन्युइन आदमी कैसे आये, उसके सम्बन्ध में विभाग को कोई निर्णय करना चाहिए, जिससे गरीब आदमी को इसकी मदद मिल सके।

दूसरा, आपका रेवेन्यू तभी बढ़ेगा, जब पैटी कांट्रेक्टर को भी आप इसके अन्दर लेंगे। पैटी कांट्रेक्टर को आप नहीं लेंगे तो वह पैसा आयेगा ही नहीं। वह पैटी कांट्रेक्टर तो यही काम कर रहा है। मैं समझता हूं कि योजना अच्छी है। योजना को लागू करने के लिये जो अफैक्टेड आदमी है, उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है और जो पैसा आने वाला है, वह पैसा नहीं आ रहा है। इसलिये बैटर रहेगा कि इसको और अपन ढंग से अच्छा करें, क्योंकि योजना अच्छी है, लोगों को ज्यादा लाभ मिल सके और इसका लाभ मिलने का जो तरीका है, उसमें ऑनलाइन में उन्हीं लोगों को फायदा मिला है, जो इसका फायदा लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। अब अवेकनिंग लोगों में बढ़ी है। इसलिये आप इसको वैरिफाई करेंगे, स्टेटस को देखेंगे, एस.सी. के कितने हैं, एस.टी. के कितने हैं, यह फीगर देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका ज्यादा नम्बर उसमें नहीं है। जो आपका 29 लाख का फीगर है, उसमें इस वर्ग के लोग नहीं हैं। दूसरे वर्ग के जो लोग हैं, जो होशियार आदमी हैं, उन्होंने उसका फायदा उठाने का काम किया है, इसलिये अच्छी योजना है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, पर इसको और अच्छा कैसे कर सकें, इसके सम्बन्ध में अलग-अलग जगह पर, क्योंकि सलूम्बर का फीगर आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन के बाद 39 परसेंट फिक्टिशिअस थे। आज आप 42 परसेंट कह रहे हैं तो 26 लाख का 42 परसेंट आपका ऑनलाइन वैसे ही गलत हो गया। इस योजना को कैसे अच्छा कर सकें, निश्चित तौर पर इसको विभाग में जन प्रतिनिधियों के साथ, अलग-अलग जगह पर, गंगानगर की समस्या अलग है, उदयपुर की समस्या अलग है, दूसरे की समस्या अलग है, उनको आइडेंटिफाई करके करेंगे तो मैं समझता हूं ज्यद्दा लोगों को लाभ मिलेगा। इस सम्बन्ध में आप चर्चा करें।

जैसा अनिताजी ने कहा, इस बात पर करें, इसमें मैंने 10 एक्टिविटीज देखी हैं। एक एक्टिविटी डिफाइन कर लें कि पहले हम बच्चों की शादी का देंगे, तो बच्चियों की शादी का कोटा पूरा कर दें तो कम से कम एक चीज पूरी हो जाए। एक यह है।

दूसरा, डी.एम.एफ.टी. के फंड, डी.एम.एफ.टी. के फंड के अन्तर्गत भी कोर सैक्टर और उसमें आइडेंटिफाई कर रखा है, राजस्थान सरकार ने ट्राइबल

(श्री अध्यक्ष)

इलाके में दूसरी बच्चियों के लिये पैसा दिया। अच्छा काम किया है। क्या उस फंड में से कुछ पैसा इन बच्चियों की शादी के सम्बन्ध में भी निकाल सकते हैं? माननीय मुख्य मंत्रीजी से चर्चा करके कम से कम राजस्थान में जो पैंडेंसी है बच्चियों की शादी की, उस अमाउंट को एक बार डिस्पोज किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में निर्णय किया जाना चाहिए।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देशानुसार आने वाले एक माह के अन्दर सभी सम्भागों पर चर्चा करके इसको और किस प्रकार से तर्कसंगत बनाया जा सकता है और श्रमिकों को किस प्रकार से हम लाभ दे सकते हैं, इस दिशा में काम करते हुए हम काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। चर्चा समाप्त हुई।

घोषणा/व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

इस सदन की परम्परा रही है कि जितने भी कटौती प्रस्ताव, जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये और बोलने के लिये उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय द्वारा आसन को प्रस्तुत किये जाते हैं। विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय बोलने के लिये प्राथमिकता उन्हीं माननीय सदस्यों को दें] जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है।

जब मांग मतदान के लिये आती है, उस समय भी स्वत: यह मान लिया जाता है कि कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं। यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाए, वह अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करे। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जाएंगे। उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सकें, उनके लिये लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जाएंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा, हमने निर्णय किया था कि 7.00 बजे हम डिबेट को खतम करेंगे। एक तो समय जिनका निर्धारित किया है, जो पार्टी ने दिया है, सभी माननीय सदस्य अपने-अपने दल के द्वारा दिये गये समय में ही अपनी बात को समाप्त करने की कोशिश करें। एक तो मेरा यह निवेदन है।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय से भी यह निवेदन है कि 7.00 बजे तक हमको करना है तो हमारी रिप्लाई इस तरह की हो कि जो हमारा डिस्कशन हो रहा है, कटौती प्रस्ताव जो आपके पास हैं, उनको सरकमवेंट करते हुए आप जवाब देंगे तो मैं समझता हूं कि सार्थक चर्चा को हम कनक्लूड कर पाएंगे। मेरे ये दो आपसे निवेदन हैं।

अंत में, मेरा एक बार और आप सबसे निवेदन है कि चर्चा के समय में, जैसा मैंने कल भी कहा है, जो माननीय सदस्य बोल रहा है, उसमें इंटरवीन नहीं करें। उसको, जब बोलने का समय हो, आपको लगता है कि कोई बात ऐसी हो गई है, कुछ अधिकार अध्यक्ष के पास हैं, नियत है कि कोई डेरोगेटरी बात हो गई या असत्य, वह हटाने के अधिकार अध्यक्ष महोदय के हैं। एक-दूसरे से एक्सचेंज करके हम डिबेट को डी-रेल नहीं करें। यह मेरी आप सबसे सानुरोध प्रार्थना रहेगी। मैं आशा करता हूं कि आज जो डिबेट है, उसको टाइमली हम कनक्लूड कर लेंगे और सभी माननीय सदस्य अपने समय का, जो आपकी पार्टी ने दिया है, उसको एड्हिअर करेंगे।

मैं आमंत्रित करूंगा श्री रामलाल शर्मा। सॉरी, एक मिनट। माननीय मंत्रीजी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 - पेयजल योजना की प्रस्तुति

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 27 - पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,36,74,75,000/- (तिरासी अरब छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 27 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 27- पेयजल योजना के ऊपर मुझे अपने विचार रखने का आपने अवसर दिया, उसके लिये आपको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

'रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून।
पानी गये न ऊबरे, मोती मानस चून।।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी है तो जीवन है और पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यह भी सत्य है कि जीवन के अन्दर जब आज से पचास साल पहले खाने के लिये गेहूं नहीं था तो गेहूं का विकल्प था। पचास साल पहले लोग मक्का का उपयोग भी करते थे, बाजरे का उपयोग भी करते थे, ज्वार का उपयोग भी करते थे। साउथ के अन्दर चले जाएं तो खाने के लिये, पेट भरने के लिये लोग चावल का उपयोग भी करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है और वैज्ञानिकों ने इतनी तरक्की भी नहीं की है कि किसी व्यक्ति को पानी की पूर्ति के लिये कोई इंजेक्शन ऐसा डवलप किया जाए कि दिन में एक बार इंजेक्शन लगा दे तो उसको दिन भर पानी पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी स्रोत भी यह प्रकृति का प्रसाद है और इस प्रकृति के प्रसाद को कितना हम बचा पाते हैं, कितना दोहन होने से हम बचा पाते हैं, कितनी आवश्यकता के अनुसार इसकी आपूर्ति हम कर पाते हैं। राजस्थान के अन्दर अगर चालीस-पचास साल हम पीछे जाएं तो कई क्षेत्र ऐसे थे कि जहां प्राकृतिक स्रोत हमारे पास उपलब्ध थे और उन प्राकृतिक स्रोतों से पीने के पानी का और सिंचाई का, दोनों का काम चलता था लेकिन धीरे-धीरे वह जो प्राकृतिक स्रोत हमारे थे, वह भी अब ड्राई क्षेत्र के अन्दर परिवर्तित होते नजर आते हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

मानननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह निर्णय किस आधार पर किया कि अब हर व्यक्ति को ट्यूबवैल खोदने की आजादी है। वह जितना चाहे पानी नीचे से निकाले, उसके लिये सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से सरकार को इस निर्णय के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए कि जिसको पानी की आवश्यकता हो, आप उसी को अनुमति दें और पानी के दोहन को बचाने का काम करें।

राजस्थान के अन्दर जो भूमि के गर्भ के अन्दर पानी है, उसके अलावा नहरों से भी पानी की आपूर्ति होती है लेकिन सबसे बड़ी अगर जल की आपूर्ति होती है तो वह प्रकृति के प्रसाद बरसात के रूप में होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी बिलकुल कटु सत्य है कि आने वाले समय के अन्दर बरसात के पानी को यदि हम बचा नहीं पाएंगे तो आने वाला समय जो हम सबको दिखाई देता है, वह सिर्फ लड़ाई-झगड़े, मुझे यह लगता है कि पानी को भी तिजोरी के अन्दर जैसे गहना रखा जाता है, पैसे रखे जाते हैं, लॉक लगाकर रखा जाता है, उस तरीके से इस पानी के ऊपर भी लोगों ने ताले लगाना शुरू कर दिया कि कोई मेरे पानी की चोरी करके नहीं चला जाए।

मैं सबसे पहले उस बात की ओर, मेरा सारा ध्यान सिर्फ जयपुर जिले के ऊपर ही केंद्रित रहेगा। जब जयपुर के अन्दर पानी की समस्या का संकट पैदा हुआ तो जयपुर के इंजीनियरों ने एक पेयजल की योजना बनाई कि रामगढ़ के बांध से हम पानी लेकर आते हैं। जब रामगढ़ के बांध का पानी जयपुर के बाशिंदों को मिलना शुरू हुआ तो जयपुर के बाशिंदे यह कह रहे थे कि अब तो गयी सौ साल की, अब तो सौ साल तक हमें पेयजल की आपूर्ति हेतु दूसरी तरफ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद वर्षों के अन्दर ही रामगढ़ का बांध सूखता नजर आया और आज हालात यह हैं कि जिस रामगढ़ के बांध के अन्दर नौकायन की प्रतियोगिता हुआ करती थी, जिस रामगढ़ के बांध के अन्दर लोग पिकनिक मनाने जाया करते थे, आज वह पूरा का पूरा रामगढ़ का बांध सूखा पड़ा है। समय और परिस्थितियों के अनुसार जैसे-जैसे समय बीता, कई जन-प्रतिनिधियों ने भी, कई पर्यावरणविदों ने भी, कई समाजसेवी संस्थाओं ने भी, कई अख़बार के संपादकों ने भी कई लेख लिखे और समय-समय पर सरकार को चेतावनी दी और सरकार को जगाने का काम भी किया।

मैं राजस्थान पत्रिका को विशेष तौर पर यह धन्यवाद दूंगा कि रामगढ़

(श्री रामलाल शर्मा)

बांध को बचाने के लिये एक पूरी मुहिम उन्होंने शुरू की। न्यायालय की दहलीज के ऊपर भी यह गये। न्यायालय की दहलीज के बाद में एक मानिटरिंग टीम बनाई गयी, उसी टीम का निरीक्षण भी हुआ, उसके बाद में अतिक्रमियों को भी चिह्नित किया गया, लेकिन आज दिन तक सरकार की विल पावर इस बात की नहीं है कि अतिक्रमियों को हटाकर उस रामगढ़ बांध के अन्दर पानी लाने का काम करे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि उन पहाड़ियों से जब बरसात का पानी निकलकर रामगढ़ के बांध के अन्दर आता था, हमने वहां पर खनन, उन पहाड़ियों की लीज देने के आधार पर, आबंटन करने के आधार पर ही उन पहाड़ियों को ही हमने समाप्त कर दिया जहां से पानी का उद्गम स्थान था, इसलिये मेरा आपसे इतना निवेदन जरूर है कि इस पानी की समस्या का एक मात्र विकल्प है तो बरसात के पानी को किस तरीके से उपयोग में लिया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर दैनिक भास्कर ने भी समय-समय पर कई लेख लिखे कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी त्रासदी इस मनुष्य के सामने है कि इस पानी की उपयोगिता हम कैसे करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी सरकार के एक मंत्री जो कृषि मंत्रीजी हैं, मैं यह कहूंगा कि कृषि मंत्रीजी का मॉडल कम से कम सरकार लागू करने का काम करे। जब मैं एक दिन कृषि मंत्रीजी के घर गया तो मैंने कहा कि आपके पेयजल का स्रोत क्या है तो उन्होंने कहा कि मैंने बरसात के पानी को पूरी छत से इकट्ठा कर मेरे अंडरग्राउंड एक वाटर टैंक बना रखा है, लगभग दस लाख लीटर पानी बरसात का इकट्ठा हो जाता है और मैं साल भर उसी पानी को पीने के लिये काम में लेता हूं तो आप सरकार के मंत्री हो, कम से कम यह ज्ञान और आपकी यह कला, इसको आप पूरे राजस्थान के अन्दर लागू करें ताकि बरसात की एक-एक बूंद का उपयोग हो सके।

(12.55 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मांग और सरकार के सामने करना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अन्दर ड्राई जोन के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में पानी बहुत दूर से लोग टैंकरों से मंगाकर अपनी पेयजल आपूर्ति करते हैं या कहीं दूर से कई किलोमीटर पानी ट्यूबवैल करवाकर फिर लेकर आने का काम

(श्री रामलाल शर्मा)

करते हैं तो क्यों नहीं राजस्थान की सरकार एक योजना ऐसी बनाती है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन लागू किया, 12 हजार रुपये की राशि उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को शौचालय बनाने के लिये दी। क्या राजस्थान की सरकार भी ऐसी कोई योजना बनाना चाहती है? वह यह घोषणा करे कि 2 लाख रुपये की राशि हम देते हैं, जिस किसी को दो लाख रुपये से अधिक का बड़ा पोंड बनाना है वह अपनी जेब से पैसे खर्च करे लेकिन राजस्थान सरकार प्रोत्साहन के रूप में दो लाख रुपये पोंड बनाने के लिये देगी और दो लाख रुपये से, उस राशि से पोंड बनाकर बरसात के पानी को इकट्ठा करने का काम हम शुरू करें।

माननीय सभापति महोदय, आप यह मानकर चलो कि आज से चालीस-पचास साल पहले दस परसेंट पक्के मकान ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर थे और शहरों के अन्दर तो 95 परसेंट पक्के मकान बने हुए हैं, लेकिन आज गांवों के अन्दर भी हालात यह हैं कि 95 परसेंट सबके पक्के मकान हैं। अगर उस बरसात के पानी को अपने घर के उपयोग के लिये भी वह बचाकर रख ले तो मेरे खयाल से यह एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक बात मैं और रखना चाहूंगा कि आज जयपुर जिले के अन्दर चाकसू विधान सभा क्षेत्र है, दूदू विधान सभा क्षेत्र है, बस्सी विधान सभा क्षेत्र है। इन विधान सभा क्षेत्रों में जो इनके खुद के पेयजल स्रोत थे, वे करीब-करीब सूख चुके हैं। फुलेरा विधान सभा क्षेत्र का भी पूरा खुद का पेयजल स्रोत सूख चुका है। इन क्षेत्रों के अन्दर बीसलपुर से पानी लाकर लोगों की प्यास बुझाने का काम किया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पानी बचा है, चाहे वह आमेर में हो, चाहे चौमूं में हो या चाहे शाहपुरा के अन्दर हो, चाहे विराटनगर के अन्दर थोड़ा-बहुत पानी बचा है। आने वाले समय के अन्दर इन विधान सभा क्षेत्रों के अन्दर भी पानी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा तो सरकार के पास कौनसी योजना है इन क्षेत्रों के बाशिंदों को पानी पिलाने के लिये? इसलिये मैं यह चाहूंगा कि सरकार ने अभी एक बात कही है कि ईसरदा बांध से हम पानी लाकर बस्सी, जमवारामगढ़ और चौमूं विधान सभा क्षेत्र के लोगों की प्यास बुझाने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह लगता है कि आग अभी लगी है और अभी आग लगने के बाद में आप कुआं खोदना शुरू करेंगे तो यह आग

(श्री रामलाल शर्मा)

कब बुझेगी? पानी की समस्या का आज संकट खड़ा हुआ है, आप योजना बना रहे हो दस-पन्द्रह साल बाद में तो इस दस-पन्द्रह साल के बीच का, मध्य का जो समय है, इस समय में आप पानी की आपूर्ति कैसे करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं यह मांग करना चाहूंगा कि चौमूं की जनता जो नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर है, जयपुर विकास प्राधिकरण ने 36 करोड़ रुपये की पेयजल योजना देकर गवाड़ी और जयसिंहपुरा से पानी लाकर चौमूं की जनता को पिलाने का काम वह कर रहे हैं। मैं यह चाहूंगा कि ज्यादा पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास टंकियां बन चुकी हैं, वाटर टैंक बन चुके हैं, पानी की लाइनें बिछ चुकी हैं, सिर्फ बीसलपुर से जोड़ने के लिये हमें पैसा चाहिए और बीसलपुर से हरमाड़ा तक, बीसलपुर की यह पेयजल योजना पहुंची हुई है। हरमाड़ा से लेकर चौमूं तक सिर्फ पाइप लाइन डालने की आवश्यकता ही है, उससे पानी आ जाएगा। इसलिये तात्कालिक समस्या का समाधान एक ही हो सकता है कि हरमाड़ा से लेकर चौमूं तक बीसलपुर के पानी को जोड़कर, उस नगरपालिका क्षेत्र की लोगों की समस्या का समाधान आप करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक मांग करूंगा कि मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र का जैसा कि मैंने यहां जिक्र किया, यह डूंगरी है, बागावास है, बधाल है, इन क्षेत्रों के अन्दर भी पेयजल की आपूर्ति पहले चौमूं विधान सभा क्षेत्र से होती थी। घिनोई के अन्दर आपने ट्यूबवैल कर रखे हैं, वहां के लोगों को आप पानी पिला रहे हो। भूतेड़ा में ट्यूबवैल कर रखे हैं, बागावास, लालावास के लोगों को आप पानी पिला रहे हो लेकिन अब उन क्षेत्रों के अन्दर भी पानी ड्राई हो चुका है और वह ट्यूबवैल सूख चुके हैं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इन क्षेत्रों के अन्दर पेयजल समस्या के समाधान के लिये कौनसी आप योजना बना रहे हो मंत्री महोदय, ताकि उन लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आज की हालत ऐसी है कि जो पश्चिमी क्षेत्र है, जिसके अन्दर हस्तेड़ा ग्राम पंचायत है, आष्टी ग्राम पंचायत हैं, किशनमानपुरा है, नांगल गोविंद है, यह चार-पांच ग्राम पंचायतें तो ऐसी हैं कि इनमें वाटर लेवल तो अब समाप्त हो ही चुका है, यह फ्लोराइड की समस्या और पैदा हो गयी है और उस फ्लोराइड के पानी को पीने के लिये लोग भी मजबूर हैं और पशु भी मजबूर हैं।

(श्री रामलाल शर्मा)

(13.00 बजे)

इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि यह चार-पांच ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिन ग्राम पंचायतों के अन्दर पेयजल का समाधान नहीं किया क्योंकि फुलेरा विधान सभा क्षेत्र पूर्ण रूप से बीसलपुर से जुड़ चुका है। हमें कृषि के लिये पानी नहीं चाहिए, पशुओं के लिये पानी नहीं चाहिए, कम से कम इंसानों को पानी पिलाने के लिये इन चार ग्राम पंचायतों को तो आप बीसलपुर से जोड़ें, ताकि उनको राहत मिल सके।

माननीय मंत्री महोदय, आपके पेयजल के अन्दर समस्या बता रहा हूं। यह हकीकत है कि आपके जितने भी कर्मचारी लगे हुए थे, वह अधिकांशत: रिटायर हो चुके हैं। बहुत चंद, 10-15 प्रतिशत कर्मचारी ही आपके बचे हैं, इसलिये कम से कम आप अपने विभाग की भर्ती तो कीजिए। उस भर्ती के अलावा, जो संविदा पर आपने कर्मचारी ले रखे हैं, समय पर उनको मानदेय नहीं मिलता है। कभी भी वह बीच में छोड़कर चले जाते हैं और हकीकत है, आप धरातल पर मालूम कर लो कि आपके डिपार्टमेंट के अन्दर जो-जो भी पेयजल स्कीमें हैं, अगर आज मोटर जल गयी तो जब तक वह जली हुई मोटर दुबारा बंधकर नहीं आएगी, तब तक आपकी पेयजल आपूर्ति भी नहीं होगी। कम से कम आप अपने स्टोर के अन्दर 10-15 मोटर तो इस ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए उपलब्ध कराने का काम करें ताकि इमरजेंसी के अन्दर वह मोटरें चेंज की जा सकें।

सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। आज मंत्री महोदय, आप रिप्लाई दें तो एक बात जरूर कर दें ताकि पूरे सदन के सभी माननीय सदस्य आपको धन्यवाद देंगे। ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या अब पैदा हो चुकी है और वह पैदा यह हो चुकी है कि मार्च के टार्गेट पूरे करने के लिये पंचायती राज के अन्दर आपकी सरकार पैसे दे नहीं रही है। ग्राम पंचायतों की जो पेयजल योजना थी, वह उनके बिल जमा नहीं करा पा रहे। पी.एच.ई.डी. के अन्दर जो आपकी पेयजल योजनाएं हैं, उनके भी बिल जमा नहीं हैं। अब बिजली विभाग ने उनके कनेक्शन काटना शुरू कर दिया है इसलिये मेरा निवेदन है कि आज रिप्लाई के समय आप सदन को आश्वस्त करें कि एक भी पेयजल योजना का कनेक्शन बिजली विभाग वाले नहीं काटेंगे, क्योंकि बिजली विभाग का महकमा भी आपके पास ही है। आप एक हाथ से कनेक्शन काट रहे हो, दूसरे हाथ से जुड़ाने की बात कर रहे हो। मंत्री महोदय, आप इतना

(श्री रामलाल शर्मा)

करें, आप अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करें कि गर्मी को देखते हुए किसी भी पेयजल योजना का बिल बकाया हो, लेकिन फिर भी उसका कनेक्शन आप नहीं कटाओगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा। कुछ नगरपालिकाएं ऐसी हैं, जिनको पेयजल आपूर्ति की आपने व्यवस्था कर रखी है। इसमें मेरी चौमूं नगरपालिका भी एक है, नाथद्वारा नगरपालिका एक है, जिनमें पेयजल आपूर्ति है। अब नगरपालिका के पास खुद के कर्मचारियों को देने के लिये पैसा नहीं है, वह पेयजल आपूर्ति क्या करेंगे? इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि आज रिप्लाई के समय आप यह कहो कि जिन नगरपालिकाओं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था दे रखी थी, उनको वापस आप पी.एच.ई.डी. को हैण्डओवर कराओ ताकि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर इन नगरपालिकाओं की जो दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा से बचा जा सके और ग्रामीण नगरपालिका क्षेत्र के बाशिन्दों को पर्याप्त पानी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं, जिन योजनाओं को सम्बन्धित अधिकारियों को दिये हुए काफी लम्बा समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिन तक उन योजनाओं की क्रियान्विति के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये। इसलिये मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, कि उन योजनाओं के एस्टीमेट भी आप जल्दी बनवाएं और उनको पेयजल समस्या से निजात दिलाने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर कई गांव, जिनका जिक्र मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा। किशनपुरा का मैंने पहले जिक्र किया था। एक अणतपुरा गांव के अन्दर एक छोटी-सी पेयजल योजना स्वीकृत की थी। चार साल बीत जाने के बाद भी अभी तक भी इस योजना की पूर्णता नहीं हो पायी। अभी भी पाइप लाइन बिछ गयी, ट्यूबवैल हो गये, लेकिन कनेक्शन आज दिन तक नहीं है और कनेक्शन के अभाव के अन्दर यह पूरी की पूरी स्कीम डम्प पड़ी है इसलिये, इस स्कीम को भी आप पूरा कराने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, सामोद एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, उस सामोद के अन्दर भी स्थानीय सोर्स कोई नहीं है। बधाल से ट्यूबवैल से

(श्री रामलाल शर्मा)

पानी ले जाकर सामोद के बाशिन्दों को पानी पिलाने का काम हम कर रहे हैं इसलिये, सामोद की पेयजल समस्या का आप समाधान करें। इसी तरीके से उदयपुरिया बड़ी ग्राम पंचायत है। यहां पर भी आये दिन पेयजल को लेकर लोग प्रदर्शन करते हैं। सोलंकियों की ढाणी, कालाडेरा के अन्दर भी एक बड़ी टंकी बनाने की नितांत आवश्यकता है। जैतपुरा ग्राम पंचायत के अन्दर भी पेयजल के सोर्स पूर्ण रूप से सूख चुके हैं। इसका एकमात्र सोर्स यही बचता है कि बांडी नदी के अन्दर ट्यूबवैल करवाकर इस ग्राम पंचायत के अन्दर आप पानी पिला सकते हो, बाकी इसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। गोविंदगढ़, गुढलिया, चीथवाड़ी, फतेहपुरा और कुशलपुरा, इटावा भोपजी और विजयनगर, इन ग्राम पंचायतों के अन्दर भी पानी की समस्या बहुत गम्भीर बनी हुई है। इस गम्भीर समस्या का समाधान आप करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, अंत में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चौमूं नगरपालिका क्षेत्र के अन्दर फोर्थ फेज के अन्दर आर.यू.आई.डी.पी. के अन्दर सीवरेज लाइन की एक योजना बनी थी। फोर्थ फेज के अन्दर उस योजना को स्वीकृत किया हुआ था। मंत्री महोदय, तीन बजट देख चुका हूं, तीनों बजटों के अन्दर अभी तक भी उस योजना के लिये घोषणा आपने नहीं की है, जबकि फोर्थ फेज में शामिल है। फोर्थ फेज में शामिल अन्य शहरों की योजनाओं की आपने घोषणा कर दी। 1288 वोट ही आपके कांग्रेस के उम्मीदवार से मुझे ज्यादा मिले हैं, लेकिन कम से कम 70 हजार वोट तो आपको मिले हैं। आप हमारे वोटों की चिंता मत करो, लेकिन आप अपने 70 हजार वोट, जो जनता ने आपको दिये हैं, कम से कम उनको पानी पिलाने की तो चिंता करो। बाकी के लिये तो हम भी सहारा लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करूंगा कि चौमूं विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पेयजल की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करें। आपके कर्मचारियों की आप भर्ती करें। आपके यहां जो संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको आप नियमित करें या उनको पर्याप्त मानदेय देने का काम करें और आपकी पेयजल योजनाओं के अन्दर सामग्री की वजह से जो कई समस्याएं खड़ी होती हैं, उनका समाधान करने का काम करें और मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो सीवरेज की योजना स्वीकृत है फोर्थ फेज में, उसकी आप घोषणा करके उसका काम शुरू कराएं। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, हम उस राज्य में निवास करते हैं, जो पानी की बहुत बड़ी कमी झेल रहा है और उसमें भी पेयजल से सम्बन्धित जो पानी है, उसकी और भी स्थिति भयावह है। 70 साल बाद भी आज स्थिति यह है कि लोगों को मटकी से तीन-तीन किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। जो भी सरकारें आयीं, उन्होंने इस दिशा में कदम उठाये। बड़ी-बड़ी वृहत् योजनाएं बनायीं, चाहे वह मानसी वाकल योजना हो, चाहे देवास हो, चाहे नागौर लिफ्ट हो, चाहे राजीव गांधी लिफ्ट जोधपुर हो, चाहे आपके नर्मदा नहर पर आधारित हो, चाहे चंबल पर आधारित भीलवाड़ा की हो, चाहे इंदिरा गांधी योजना पर आधारित 11 जिलों की हो, जिसमें झुंझुनूं जिला भी शामिल है, पर सभापति महोदय, होता क्या है कि जो भी सरकार होती है उस समय की, वह इन योजनाओं की घोषणा कर देती है और पूरे संसाधन उसमें दिये नहीं जाते हैं। नतीजा यह निकलता है कि यह योजनाएं 25-25, 30-30 साल से लम्बित चल रही हैं। सुखाड़िया जी ने देवास योजना घोषित की। मैं समझता हूं कि उसका भी कुछ न कुछ काम आज तक बकाया होगा। शिवचरण जी माथुर ने अपने कार्यकाल में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल जोधपुर की योजना घोषित की, उसका काम भी पूरा नहीं हुआ होगा। यह तो बड़ी-बड़ी योजनाएं हैं, पर और भी कई योजनाएं हैं, उनकी घोषणा तो हो जाती है और वह फिर धन के अभाव में लटकी रह जाती हैं। इसलिये मेरा माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन है कि जो भी आपकी योजनाएं हैं, पहले जो आपकी पुरानी योजनाएं हैं, आप उन पर ध्यान दें। मैं आपको उदाहरण दूंगा झुंझुनूं जिले के लिये इंदिरा गांधी नहर पर आधारित कुंभाराम लिफ्ट योजना 2008 में स्वीकृत की गयी और उस समय उसमें था आउट-ले और खर्चा भी होना चाहिए जिसमें वह पूरी हो जाती, वह था 3300 करोड़ रुपये। इससे सीकर और झुंझुनूं के सारे गांव और शहरों को जोड़ने की बात थी। पैसे उस समय उसमें रखे गये 956 करोड़ रुपये, जिससे सिर्फ झुंझुनूं तहसील और खेतड़ी तहसील का ही काम पूरा हो सका। आज मैं एक-एक विधान सभा क्षेत्र के लिये सुन रहा था सात-सात हजार करोड़ रुपये की दो-तीन विधान सभा क्षेत्रों के लिये इस लेवल तक हमको खर्चा करना पड़ेगा। जो योजना हम उस समय बनाते हैं, हम उसको घोषित तो कर देते हैं, पर आउट-ले उसके लिये उतना रखते नहीं हैं तो यह योजनाएं आगे खिंचती

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

जाती हैं। आप नागौर की पेयजल योजना का उदाहरण ले लीजिए कि वह कब घोषित की थी, कब वह पूर्ण होनी थी और दूसरी बात, हम कई बार योजनाएं इंटरनेशनल फंडिंग के आधार पर भी घोषित कर देते हैं कि वर्ल्ड बैंक से पैसे लेंगे, एशियन डवलपमेंट बैंक से पैसे लेंगे और वह पैसे हमको समय पर मिलते नहीं हैं तो वह योजनाएं अधूरी पड़ी रह जाती हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पेयजल के मामले में बहुत गम्भीर स्थिति से गुजर रहा है। पहले स्थिति यह थी कि कुएं के पानी से काम चल जाता था, बावड़ी से काम चल जाता था, तालाब से काम चल जाता था और आज स्थिति यह है कि सरफेस वाटर के बिना आपकी समस्याओं का हल होना नहीं है। वाटर टेबल इतना नीचे चला गया है कि मैं जिस जिले से आता हूं उसमें तो 1200-1200 फीट पानी नहीं मिलता ट्यूबवैल खोदने के बाद भी। उस स्थिति में हमको अपने सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करके और सबसे पहली आवश्यकता जो व्यक्ति की है पीने के पानी की, उसको पूरा करना पड़ेगा।

आप स्वर्गीय शिवचरण जी माथुर को धन्यवाद दीजिए, उन्होंने इनिशियली बीसलपुर को बनाया था नसीराबाद और अजमेर के लिये और आज वह बांध नहीं होता तो जहां हम बैठे हैं उसकी क्या स्थिति होती, यह आप कल्पना कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो ईस्टर्न कैनाल की बात कर रहे हैं, इसी तरह से अगर इंदिरा गांधी नहर नहीं होती तो राजस्थान की आधी आबादी का पलायन हो चुका होता। पानी के मामले में हमारी स्थिति यह है कि उड़ीसा के कालाहांडी और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखण्ड के बाद हिन्दुस्तान में हम सबसे कठिन परिस्थिति में हैं और आज हम जो पानी देते हैं, आप अगर सिविल लाइंस के पानी की भी क्वालिटी देख लेंगे, जहां मुख्य मंत्री जी और राज्यपाल महोदय रहते हैं, तो वह भी डब्ल्यू.एच.ओ. के मानदंड पर खरा नहीं उतरता है, इस तरह का पानी हम लोगों को दे रहे हैं। जिनको गांवों में पानी दे रहे हैं, वह तो बहुत ही निम्न क्वालिटी का पानी है जो डब्ल्यू.एच.ओ. के मानदंड के अनुसार पीने के लायक भी नहीं है पर उसको भी हम देकर और वाहवाही लूटते हैं कि हमने पानी दे दिया, पानी दे दिया। हम भी गांव में जाते हैं तो भाषण देते हैं कि आपको इंदिरा गांधी नहर का हिमालय का पानी ला दिया, पर वह पानी भी इतना प्रदूषित है कि पंजाब के जो टाउन पड़ते हैं, शहर पड़ते हैं उनका अपशिष्ट इंदिरा गांधी नहर में डाला जाता है। हमको कोशिश करनी चाहिए कि उस पानी में अपशिष्ट नहीं डालें। अब राजस्थान नहर या यूं

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

कहूं इंदिरा गांधी नहर की 70 दिन की बंदी होने जा रही है, उसमें हमारी सरकार को पंजाब सरकार से हमारे पेयजल के अधिकारियों को भेजकर यह बात करनी चाहिए कि हम इंश्योर करें कि उसमें वे अपशिष्ट नहीं डले। नहीं तो एक ट्रेन चलती है जो पंजाब से बीकानेर आती है, जहां से हमारे मंत्री जी इस सदन में चुन कर आये हैं, उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन है और उसमें कैंसर बढ़ाने में 80 परसेंट योगदान पेयजल का है तो पंजाब से हमको जो पानी मिलता है इंदिरा गांधी नहर में, उसकी क्वालिटी पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। यह कहकर इस बात से हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि यह सिंचाई विभाग का मामला है। सिंचाई विभाग और जलदाय विभाग एक दूसरे के पूरक हैं इसलिये सामंजस्य करके और उस पानी की भी क्वालिटी हमको सुधारनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज जो वृहत् पेयजल योजनाएं हैं उनका मैंने आपसे अर्ज किया। उसी में से एक मेरे जिले की है कुंभाराम आधारित पेयजल योजना, इसका पानी दो जगह मिला है, झुंझुनूं तहसील और खेतड़ी तहसील, बीच में चिड़ावा तहसील का जो हिस्सा मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है उसके 30 गांव हैं, जिसके पूर्व में खेतड़ी लगती है, वहां उसका पानी चला गया, पश्चिम में झुंझुनूं तहसील लगती है वहां उसके पानी का लाभ मिल रहा है, बीच में इन 30-31 गांवों को जिसमें गोवला है, सोलाना है, किशोरपुरा है, पदमपुरा है, चिड़ासन है, सुलताना है, किठाना है, इस तरह के जो बड़े-बड़े गांव हैं जो खेतड़ी को पानी जा रहा है उसकी लाइने उनके अन्दर से गई हैं। आप डी.पी.आर. बनवाओगे तो दूसरे क्षेत्र में तो आपको ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे पर उस क्षेत्र में, जो बड़ी-बड़ी लाइनें हैं वह गांव के बिलकुल साथ से गुजर रही हैं और दुर्भाग्य यह है कि उस गांव को पानी नहीं मिल रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आप उन 31 गांवों को भी कुंभाराम लिफ्ट आधारित पेयजल योजना में शामिल करें।

गांव में बहुत सारा पेयजल ट्यूबवैलों से या ओपनवैल से लिया जाता है। आजकल ट्यूबवैल आपने विभाग ने ठेकेदार पर छोड़ दिये। आपके स्टोर में सामान एक है नहीं, हमारे पास जनता से फोन आते हैं कि साहब, केबल दिलवाओ, स्टार्टर दिलवाओ, मोटर दिलवाओ। अधिकारियों से बात करते हैं तो, साहब, हमारे यहां तो एक नट बोल्ट ही नहीं है। आपने संधारण के लिये तीन साल के लिये ठेकेदारों को दे दिया, वे उसमें गम्भीरता नहीं बरतते हैं इसलिये

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा-बहुत सामान तो, कुछ मोटरें, कुछ स्टार्टर, कुछ केबल, कुछ पाइप तो आप अपने स्टोर में, जो आपका एक्स.ईएन. का आफिस है, आपका ए.ईएन. का आफिस है उसमें रखें जिससे पेयजल की समस्या को दूर करने के लिये त्वरित कार्यवाही हो सके।

आपके विभाग के ओपनवैल हैं, आज स्थिति यह है कि उन ओपनवैल में घुसने वाला कोई मिस्त्री नहीं है तो मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा कि आपके जितने भी ओपनवैल हैं, जो मीठा पानी देते हैं और जर्जर हालत में हो गये हैं उनकी एवज में आप ट्यूबवैल की खुदाई कराएं क्योंकि ओपनवैल अब मैन्टेनेबल नहीं रहे हैं। कोई उनमें घुसता नहीं है, कोई उनकी मोटर को ठीक नहीं कर सकता, कोई मोटर को बाहर नहीं निकाल सकता, रिप्लेस नहीं कर सकता और आपके बहुत कम पैसे उस पर खर्च होंगे।

आपने विभाग को ऊपर से तो बहुत भारी भरकम कर दिया, उसके पांव बहुत कमजोर कर दिये। राजस्थान में एक चीफ इंजीनियर होता था। ठीक है पेयजल योजनाओं का विस्तार हुआ, आपने ग्रामीण अलग बनाया शहरी अलग बनाया, प्लानिंग का अलग बनाया, मानिटरिंग का अलग बनाया, अब आपने घर-घर नल वाला अलग और बना दिया। ठीक है, अच्छी बात है बनाना चाहिए पर आपके जो नीचे लेवल पर कर्मचारी हैं, जो आपकी योजनाओं को मैन्टेन करते हैं, जो उनको संचालित करते हैं उनकी स्थिति बहुत भयावह है। उनमें से बहुत सारे तो रिटायर हो गये, कुछ लोग आपने ठेकेदारों के यहां से कान्ट्रैक्ट पर ले रखे हैं। उनका भी यह अता-पता नहीं रहता है, तीन-तीन दिन तक गांव की मोटर चलती नहीं है, टंकियों में पानी जाता नहीं है। जैसे पहले जयपुर की फौज में व्यवस्था होती थी, सभापति महोदय, कि कोई एक आदमी को भर्ती कर लेते थे तो उसको अपने घर जाना होता था तो वह अपने घर वाले को दूसरे को उस एवज में वहां भेज देता था, इस तरह की व्यवस्था अब हो रही है। जो कान्ट्रैक्ट वाला कर्मचारी है, वह अपनी जगह अनट्रेंड कर्मचारी को खुद से कम पैसे देकर उसको वहां मजदूरी पर भेज देता है, वह क्या उनको क्या मेंटेन करेगा? इस तरह की व्यवस्था से आप इन योजनाओं को चला नहीं सकते। इसलिये कृपा करके आप नीचे की भर्ती भी करें, ऊपर का तो आपका बहुत तामझाम है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है पर नीचे के आपके जो कर्मचारी हैं उनको भी आप भर्ती करें।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

आपके विभाग में क्वालिटी कंट्रोल पर कोई सैल होगा, कोई चीफ इंजीनियर भी होगा पर जहां-जहां आपने इन वृहत् योजनाओं के लिये काम दिये, जब भी उनकी जांच हुई उसमें आपको हमेशा उनमें गड़बड़ियां मिली हैं और कई बार, कई कंपनियों का मैं नाम नहीं लूंगा, उनके काम आपने रद्द किये हैं, तो आपको उनकी भी क्वालिटी मैन्टेन रखने की चेष्टा करनी चाहिए। उसमें भी आप पहले से ही ऐसी शर्तें क्यों नहीं डाल देते कि इस स्पेसिफिक चीज का यह होगा, इसका यह होगा।

कल एक बात आई थी कि यह जो घर-घर योजना है जल वाली, इसमें कई स्टेट्स ने यह किया है कि वहीं की जो लोकल यूनिट्स हैं उनसे सामान क्रय किया जाए। उससे न केवल राजस्थान के लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि राजस्थान सरकार को जी.एस.टी. और अन्य जो कर हैं, उनसे भी फायदा होगा और आपकी योजनाएं भी जल्दी पूरी होंगी नहीं तो होता यह है कि आप किसी फर्म को आदेश दे देते हैं, वह फर्म ऑनलाइन आती है, ऑनलाइन में खैर आप कुछ हस्तक्षेप कर भी नहीं सकते, आपके अधिकारी भी नहीं कर सकते। वह आपके यहां टेंडर डाल देती है और फिर वह काम करते नहीं हैं तो आपको इनमें भी, टेंडरों में भी कोई इस तरह की शर्त लगानी चाहिए।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू): माननीय सभापति महोदय, मैं समअप कर रहा हूं।

तो इस तरह की व्यवस्था में भी आपको विभाग को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। एक सबसे बड़ी जो समस्या है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी है और सारे राजस्थान में भी है, यह जो जनता जल योजनाएं हैं, यह आपने पंचायतों को दे दी और पंचायतों के पास फंड है नहीं, उनको वित्त आयोग से, केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग से जो पैसे मिलते थे, वह भी समय पर नहीं मिल पाते हैं और उनके बिल भी नहीं भरे जाते हैं तो कृपा करके आप पंचायतों को सशक्त करना चाहते हैं तो और अधिकार तो उनको दे दें पर यह जनता जल योजना वाला तो आप उनसे ले लें और इनको लेकर विभाग संचालित करें।

सभापति महोदय, एक दिक्कत और आती है कि बिजली मंत्री भी

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

माननीय कल्ला साहब ही हैं और जलदाय मंत्री भी हैं। जब बिजली विभाग पीएचईडी के लिये डिमांड निकालता है तो वह यह सोचता है कि सारा घाटा बिजली का इसी से पूरा कर लें। एक निजी आदमी जब कनेक्शन के लिये आवेदन करता है तो उसको वह 40 हजार में दे देते हैं। उसी कनेक्शन के लिये हम विधायक कोटे से पैसे देते हैं या पीएचईडी उसके लिये एप्लाई करती है तो 5-5, 6-6 लाख का उसमें डिमांड नोट जारी करते हैं। समझ में नहीं आता कि क्या इससे विभाग का घाटा पूरा हो जाएगा? इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए।

आपके विभाग में आप सबसे पहला काम जो करें वह भर्ती वाला करें। यह जो घर-घर नल योजना वाली बात है, इसमें भारत सरकार और आपकी जो रेशो वाली बात है, हम 90 परसेंट की मांग कर रहे हैं और वह उस लेवल पर आ नहीं रहे हैं। अभी 50:50 परसेंट है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): आप उस मामले को तो सुलझाते रहें लेकिन उसके लिये आप योजनाएं बनाकर के जल्दी से जल्दी भिजवाने का कष्ट करें जिससे भारत सरकार से जो हम पैसे ले सकते हैं, उनको ले सकें।

मेरा आग्रह रहेगा कि आप मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो यह 31 गांव हैं, इनको इंदिरा गांधी नहर पर आधारित पेयजल योजना से जोड़ें। विभाग का इस पर ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले ही तैयार हो चुका है। मंत्री जी भले आदमी हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात पर गौर फरमाते हुए इन 31 गांवों को उस पेयजल योजना से जोड़ेंगे। झुंझुनूं जिले में तो वैसे ही वाटर लेवल नीचे चला गया। आधा जिला तो बिलकुल ड्राई हो गया। जो पीने का पानी मिलता है उसमें फ्लोराइड इतनी अधिक मात्रा में है...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): यह जो सरफेस वाटर हमको मिलेगा तो हमें उससे राहत मिलेगी। आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सत्तारूढ़ दल से सचेतक महोदय ने 25 नाम दिए हैं। हमने भी नाम दिए हैं। अब आप निगाह उठाकर देख लो। आप ऐसी व्यवस्था दे दें कि जो माननीय सदस्य बोलना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चाहें, कम से कम वह तो सदन में रहें। हमारे सभी सदस्य जो बोलना चाहेंगे, वह सदन में हैं। आकर बोलकर वापस चले जाएं।

मैं इसलिये खड़ा हूं कि आज पहली डिमांड है। इस बजट की पहली डिमांड पेयजल के ऊपर है। पहली डिमांड पर बहस चालू हुई है। कितनी गम्भीरता है? अभी माननीय सदस्य आए हैं, बोलकर वापस चले जाएं। इस तरह से नहीं हो। आप इसके लिये आसन से व्यवस्था दे दें कि सदन में अगर कोई बैठेगा, चाहे उसका नाम पहला हो, चाहे आखिरी हो, जो सदन में बैठेगा, उसी को बोलने का अवसर मिलेगा। सभापति महोदय, यह तो बिलकुल ही गम्भीरता समाप्त हो रही है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): लंच का टाइम है न। पहला सदस्य बोला है। वह बैठा हुआ है आपके सामने। अभी लंच के बाद सभी आ जाएंगे। आप चिंता न करें।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, यह लंच की बात नहीं है। सदन में बैठना अच्छी परम्परा होती है। सदन में बैठने से ही आदमी सीखता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): प्रोटेक्ट और कर रहे हो आप।

श्री सभापति: सदन के बाहर जाकर बैठने की बजाय सदन में बैठेंगे, कितनी कोशिश करके आए होंगे सदन में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, आपको कोरम की घंटी बजानी पड़ेगी। आप कहें तो मैं अभी ले जाता हूं बाहर।

श्री सभापति: मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप कहें तो ले जाऊं? इनको खड़ा करके अभी ले जाऊं बाहर?

श्री सभापति: इतनी कोशिश करके सदन में आए हैं और सदन में बैठना नहीं चाहते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पेयजल जैसी डिमांड पर बहस हो रही है। अब हम चले जाएं बाहर?

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं, या तो इनको कहो न। यह तरीका थोड़े ही है। मंत्री महोदय प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सदन की गम्भीरता समाप्त हो रही है।

श्री सभापति: आप बैठिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कोरम अगर अब है, जिंदा है तो हमारे कारण से है। अगर इस भ्रम में रहेंगे तो एक मिनट में कोरम की घंटी बजेगी।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27-पेयजल पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

आज पेयजल की बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है। जल के बारे में हमारे शास्त्र कहते हैं कि 'जले विष्णुः स्थले विष्णुः विष्णुः पर्वतमस्तके' जल को विष्णु का स्वरूप माना गया है। हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने इस तरह की व्यवस्थाएं कीं कि जो जीवन के लिये आवश्यक चीजें होती हैं, उनको पूजनीय बनाकर के इस तरह से धर्म से जोड़कर गए जिससे कि हम उनका आदर करें, उनको नष्ट नहीं करें, उनको बर्बाद नहीं करें। जैन धर्म में भी जल का बहुत महत्व बताया गया है। जितना जल का अपव्यय किया जाता है, उसको उतना पाप लगता है। इस तरह का वातावरण हमारे पुरखों ने तैयार किया था। जैसे-जैसे हमारा विकास हुआ, देश की आजादी के 70 वर्ष बाद हम दूषित जल पी रहे हैं। 70 वर्षों पहले हमारे नदियां शुद्ध और सात्विक थीं। पेयजल के हमारे सारे स्रोत इतने शुद्ध और सात्विक थे कि पेयजल पीने के लिये किसी भी गांव में चले जाओ, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जो स्रोत होते थे, उनसे पानी मिल जाता था और चलते राहगीर को कहीं कोई तकलीफ नहीं आती थी। आज पानी पीने के लिये हमें 25-25 रुपये की बोतल खरीदनी पड़ती है। यह हमने क्या विकास किया? इसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। आज पीने के पानी की कीमत दूध के बराबर हो रही है, जिसके कारण से एक बोतल 25 रुपये में और अगर हम किसी होटल में चले जाएं तो वह बोतल 50 रुपये से कम में मिलती नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया आप शांत रहें। बोलें नहीं। आप बोलिये। इनसे कह रहा हूं, आपके मित्रों से।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): हमारे सम्पूर्ण ब्रह्मांड की जो रचना हुई है, उसमें पंचतत्व महत्वपूर्ण हैं। पंचतत्वों में जल का प्रमुख स्थान है। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश, इन पंच तत्वों से ही इस पूरी सृष्टि की रचना हुई है। हमने इन पंच तत्वों को इतना बर्बाद किया है कि यह सृष्टि नष्ट होने के कगार पर आ गई है। हमने जल को प्रदूषित किया है जिससे हम

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

आज फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। हमारी सारी नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं।

मेरे भीलवाड़ा शहर में यह हालत है कि कोठारी नदी जो कि मेरे शहर के बीच में से होकर जाती है, उसमें आज से 30-40 साल पहले खेती करने वाले जब जाते थे तो वहीं के कुओं का पानी पीते थे लेकिन आज जितनी कृषि योग्य जमीन है, लोग पीने के पानी के लिये अपने घर से बोतल भरकर ले जाते हैं। कुओं से पानी वह फसलों को पिला दें लेकिन पीने का पानी बोतलों में भरकर ले जाना पड़ता है। इतना प्रदूषित हमने इस जल को किया है। यह हमारे लिये बहुत चिंता का विषय है।

आज हमने पृथ्वी को प्रदूषित कर दिया। जितने रसायन डालने थे, यूरिया, डीएपी डाल-डालकर हमने पृथ्वी को प्रदूषित किया है। आज उद्योगों के माध्यम से जो हमारा विकास हुआ है, उद्योगों का सारा प्रदूषित जल इन नदियों में बहकर के जा रहा है। आज हमारी सारी धरती लगभग नष्ट हो चुकी है। धीरे-धीरे यह प्रदूषण का स्तर बढ़ता गया। आकाश को हमने प्रदूषित कर दिया। हमने वायु को प्रदूषित कर दिया। हम कहां पहुंच रहे हैं? हम कौनसा विकास कर रहे हैं? इस बारे में हमें विचार करने की सख्त जरूरत है। हमारे पंच तत्व अगर नष्ट होने के कगार पर पहुंच गए तो यह सृष्टि नहीं रहेगी। इसको जितना जल्दी समझें, उतना अच्छा है। यह मानवता के लिये बहुत आवश्यक तत्व है।

मोदी जी का जो जल जीवन मिशन है, इस देश में पहला प्रधान मंत्री हुआ है जिसने यह सोचा कि 70 वर्षों के बाद प्रत्येक घर में 2024 तक पूरे देश में नल पहुंचाने की योजना उन्होंने बनाई है। इसके लिये जो हमारे केन्द्र में जल संसाधन मंत्री हैं, वह दिन-रात काम कर रहे हैं। पेयजल देने की जिम्मेदारी हमेशा राज्य सरकार की होती है लेकिन वह जो सहयोग कर रहे हैं उसको लेते हुए इस योजना पर अगर हमने जल्दी से काम किया, पूरी भागीदारी निभाई तो हम राजस्थान को पेयजल के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम होंगे।

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने बहुत सात्विक भाव से इस योजना को बनाया है। उसी सात्विक भाव को लेते हुए, जो भी सहयोग वहां से मिल रहा है, उसको एक्स्ट्रा मानते हुए हमारी जिम्मेदारी को हम पूरा करेंगे तो जल जीवन मिशन की वास्तव में सार्थकता होगी। इस बारे में आपसे हाथ

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

जोड़कर के निवेदन है कि इसमें किसी प्रकार की राजनीति का विचार नहीं करें।

मेरे भीलवाड़ा शहर में 40 प्राइवेट कालोनियां हैं। प्राइवेट कालोनियों के बारे में यह कहा जाता है कि सरकार न तो उनमें पानी देगी और न उनमें साफ-सफाई की व्यवस्था करेगी। इन 40 कालोनियों के बारे में मैंने एक बार पहले मंत्री महोदय से व्यक्तिगत निवेदन किया था। मेरे शहर में जब हमारी सरकार थी तो हमारी जल संसाधन मंत्री किरण माहेश्वरी जी पधारीं थीं, सारे अधिकारी आए थे। कलेक्टर तथा उन अधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा हुई थी कि प्राइवेट कालोनियों को पानी देना हमारी जिम्मेदारी है। वह भी आखिर हमारे ही निवासी हैं। प्राइवेट कालोनी के नाम पर हम उनको कितना अलग-थलग रखेंगे। 50 हजार की आबादी उन प्राइवेट कालोनियों में रहती है। कुल 4 लाख की आबादी शहर की है, बीस-पच्चीस परसेंट हिस्सा हमारा बिना पेयजल के रहता है। यह चम्बल परियोजना से जुड़ा हुआ शहर है, चम्बल परियोजना से हमारे भीलवाड़ा शहर में तीन साल से पानी आ रहा है और ये जो प्राइवेट कालोनियां हैं, वे तीन साल से पानी नहीं पी रही हैं। बार-बार वह डिमांड करते हैं, विधान सभा में भी मैंने दो बार मुद्दा उठाया। किरण माहेश्वरीजी ने इसमें स्वीकार किया, सरकार ने स्वीकार किया और यूआईटी को यह जिम्मेदारी दी। सात करोड़ रुपये यूआईटी ने पास भी कर दिये। सरकार ने भी वहां स्वीकृति दे दी है, साढ़े तीन करोड़ रुपया अटका हुआ है, यूआईटी खर्चा देने को तैयार है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इनको अगर आपने पेयजल पिलाया, प्राइवेट कालोनियों के नाम पर इस तरह से अगर हमने आडम्बर किया कि इनको नहीं दिया जाएगा, उनको दिया जाएगा। पानी और बिजली और स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है, राजस्थान का नागरिक चाहे वह प्राइवेट कालोनी में रहता है या चाहे किसी और कालोनी में रहता है, उनके पेयजल की व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन प्राइवेट कालोनियों में आपका एक भी पैसा नहीं निकला है, सारी स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं, केवल अटका रखा है काम को और जब आप जवाब देंगे तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस समस्या का समाधान तो आप अपने जवाब में निश्चित रूप से करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे चम्बल भीलवाड़ा परियोजना,

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

अशोकजी गहलोत की पहली सरकार थी, उस 12 वर्ष पहले की सरकार में इन्होंने बजट में घोषणा की थी कि चम्बल भीलवाड़ा परियोजना को, पूरे जिले को चम्बल के पेयजल से जोड़ा जाएगा। 5 वर्ष उनकी सत्ता के निकल गए, कुछ भी काम नहीं हुआ, एक भी विधान सभा क्षेत्र में चम्बल का पानी नहीं पहुंचा।

श्री वाजिब अली (नगर): मेरे यहां पहुंच गया।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय सदस्य, रुको।

श्री सभापति: प्लीज। बीच में इंटरवीन न करें।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि आपको कोई आपत्ति हो तो बाद में बोल देना आप।

उस योजना में 12 वर्ष अभी तक पूर्ण हो चुके हैं, केवल तीन विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा शहर, आसींद और माण्डल, इन विधान सभा क्षेत्रों के अलावा चार विधान सभा क्षेत्रों में एक बूंद पानी चम्बल का आज तक नहीं पहुंचा है। मेरा आपसे निवेदन है कि पांच साल में हमने त्वरित गति से काम किया था, हमारी सरकार ने जो तीन विधान सभा क्षेत्र जोड़े थे। अभी हमारे यहां गंगापुर में चुनाव भी हैं, उप चुनाव के नाम पर ही आपने भीलवाड़ा जिले को प्राथमिकता दी और चम्बल परियोजना से जोड़ दिया तो भीलवाड़ा जिले की जनता आपका बहुत-बहुत शुक्रिया करेगी, आपका आभार व्यक्त करेगी। मेरा निवेदन है कि बजट की घोषणा आपको अपने एक कार्यकाल में तो पूरी कर देनी चाहिए। वो कार्यकाल तो चला गया, यह तीसरा कार्यकाल चल रहा है सरकार का और अभी तक भी बजट की योजनाओं की पूर्ति नहीं होती है तो ये सरकार के लिये भी चिन्ता का विषय है और जनता तो परेशान होती ही है।

मेरे भीलवाड़ा शहर में चम्बल परियोजना से पहले मैंने विधायक कोष से सैकड़ों नलकूप, सैकड़ों पनघट और सैकड़ों हैंडपम्प लगवाए थे। आज चम्बल परियोजना आने के बाद विधायक कोष का सारा पैसा व्यर्थ जा रहा है। ट्यूबवैलों में पानी है, पनघटों में पानी है, हैंडपम्पों में पानी है लेकिन केवल ठीक करने के नाम पर वह बंद पड़े हैं। किसी में मोटर नहीं है, किसी का बुश खराब हो गया, किसी में जड़ें आ गई हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि हमको दो करोड़ रुपये तो विधायक कोष का साल का मिलता है, उस दो करोड़ को हम पेयजल में लगाते हैं तो उस पैसे की सार्थकता तभी है जब पानी होते हुए वो बंद पड़े रहते हैं। मेरा निवेदन है कि विधायक कोष का जितना भी पैसा

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पेयजल व्यवस्थाओं में लगा है उस पैसे से जो बंद पड़े हैं, उनको आप वापस चालू करवाएं, जिससे इस पैसे का सदुपयोग हो सके।

माननीय सभापति महोदय, आज चम्बल की जो योजना है, मेरे भीलवाड़ा शहर में 475 किलोमीटर पाइप लाइन बिछी हुई है लेकिन शहर 800 किलोमीटर पाइप लाइन की डिमांड करता है। कई जगह अभी 50 वर्षों पुरानी पाइप लाइन है जिससे आधे शहर में नई पाइप लाइन से पानी जाता है वहां व्यवस्था ठीक रहती है, आधे शहर में न प्रेशर बनता है, रोज टूट-फूट पाइप लाइनों में हो जाती है और ठीक होने में महीना भर लग जाता है। पाइप नहीं आई इस नाम से लग जाता है। चम्बल और पीएचईडी के बीच में टकराव चलता है, चम्बल परियोजना वाले कहते हैं कि पीएचईडी वाले करेंगे और पीएचईडी वाले कहते हैं कि चम्बल परियोजना वाले करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था जो है, वह सारी हमारी चम्बल परियोजना और पीएचईडी के बीच में अटकी हुई है तो मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि चम्बल परियोजना की मेंटिनेंस की जिम्मेदारी या सप्लाई की जिम्मेदारी एक डिपार्टमेंट को आप निर्देशित करें कि सप्लाई की व्यवस्था या तो पीएचईडी अपने हाथ में ले या चम्बल परियोजना वाले अपने लें। जनता शिकायत करती है चम्बल वालों को कहो, चम्बल वालों को कहो तो कहते हैं पीएचईडी वालों को कहो। माननीय सभापति महोदय, इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि आने वाली गर्मी में यह व्यवस्था बिगड़ेगी। आप इनको पाबंद करें कि जो भी जिम्मेदारी है, किसी न किसी की वह फिक्स करें, चाहे चम्बल डिपार्टमेंट के एसई वहां बैठते हैं, या तो उनको जिम्मेदार बनाएं या पीएचईडी के एसई को जिम्मेदार बनाएं, जिससे मेरे शहर में सारी व्यवस्थाएं माकूल हो सकें।

माननीय सभापति महोदय, एक बार पुन: आपसे निवेदन करूंगा कि जो जल जीवन मिशन है वह राजस्थान के लिये एक वरदान प्रधान मंत्रीजी ने दिया है, इस मिशन को गम्भीरता से लेते हुए बिना राजनीति के इस योजना को आप राजस्थान में लागू करेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पेयजल के मामले में आत्मनिर्भर बनेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले राजस्थान के लोकप्रिय

(श्री बाबूलाल नागर)

मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा, इस बजट में दूरगामी सोच के साथ जिस तरह से पेयजल की बड़ी-बड़ी योजनाएं उन्होंने घोषणा की है, 2021-22 में जल जीवन मिशन में 4700 करोड़ रुपये की 12 नवीन वृहत् पेयजल योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई जगह बांध से पानी लाने की बात की है, कई जगह ऐसी जगह से पानी लाने की बात की है जहां ये योजनाएं आराम से सफल हो जाएं। इसी तरह 13 परियोजनाओं की माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में डीपीआर बनाने की घोषणा की है 2,285 करोड़ रुपये की, ये भी महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाएं हैं। इसी तरह से 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन देने की बात भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। माननीय सभापति महोदय, 3,233 गांवों को 2,600 ढाणियों के लिये 22 परियोजनाओं की डीपीआर तैयार करने की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये 476 करोड़ रुपये के कार्य कराने की घोषणा की गई है। ईसरदा बांध, दौसा और सवाईमाधोपुर, इसके द्वितीय चरण में जयपुर जिले के चाकसू, बस्सी, कोटपूतली, चौमूं, जमवारामगढ़, विराटनगर, शाहपुरा, इन सात तहसीलों के कस्बों को जोड़ने की बात की है। इस पर मेरा इतना-सा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में भी फागी और दूदू बड़े कस्बे हैं, इन सात के साथ-साथ मेरे दोनों कस्बों को भी जोड़ लिया जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा। माननीय सभापति महोदय, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायी 37 हजार करोड़ रुपये की नहर परियोजना है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी को, जबकि बार-बार प्रयास किया जा रहा है, मुख्य मंत्रीजी द्वारा भारत सरकार को लिखा जा रहा है, मुझे तो बहुत अच्छी तरह से याद है कि प्रधान मंत्रीजी अजमेर में आए, दूसरी जगह भी आए, उन्होंने पूरी की पूरी केन्द्र सरकार के द्वारा इस योजना को लागू करने की बात की, लेकिन अभी मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में बीसलपुर और ईसरदा, दोनों बांधों के लिये 320 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। निश्चित रूप से बीसलपुर बांध और ईसरदा बांध, साथ-साथ छापरवाड़ा, ये भी इस योजना के प्रथम चरण में हैं। जमवारामगढ़ बांध, इससे पानी की बहुत बड़ी समस्या का निदान हो सकता है।

पिछली जो बजट घोषणा थी 2020-21 की, उसमें भी मुख्य मंत्री जी ने वृहत् परियोजनाओं की घोषणा की थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रदेश के लोकप्रिय मंत्री डा. बी.डी. कल्ला जी को। लगातार मानिटरिंग करके 14 वृहत्

(श्री बाबूलाल नागर)

परियोजनाओं की इन्होंने प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी, चाहे टोंक, उनियारा, बीसलपुर, फागी, बीसलपुर (फुलेरा), बीसलपुर (निवाई), बीसलपुर (चाकसू), चूरू, बिसाऊ, अलसीसर, ब्यावर, जवाजा, नावां, दूदू, इनकी स्वीकृति जारी कर दी गयी है। मैं मंत्री जी से साथ ही साथ यह भी आग्रह करूंगा कि आपने पूरा प्रयास करके 2020-21 की इनकी स्वीकृति जारी करवायी है, इसमें मानिटरिंग की और गुंजाइश है। अब तो आपके पास पीएचईडी विभाग में डायनामिक प्रमुख शासन सचिव भी आ गये। अगर आप इसमें लगातार मानिटरिंग करेंगे तो मेरा यह मानना है, जिस मकसद से आपने इन योजनाओं की स्वीकृति जारी की है, बहुतों के टेण्डर लग भी गये हैं, कुछ टेण्डर लगाना अभी बाकी है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, यहां की जनता को पानी मिलेगा।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, आज चाहे राजधानी जयपुर हो, टोंक हो, अजमेर हो, पेयजल के लिये बीसलपुर बांध, ईसरदा बांध, इन पर हम निर्भर होकर चल रहे हैं। मैं मंत्री जी और इनके विभाग को एक सुझाव देना चाहता हूं। बांसवाड़ा में माही बांध है पानी की कोई कमी नहीं है। अतिरिक्त पानी गुजरात चला जाता है, अन्य जगह चला जाता है। हमारे राजस्थान का जिला है। हमारी धरती है। उस माही बांध से चित्तौड़गढ के गम्भीरी बांध की दूरी केवल सौ किलोमीटर की है। अगर हम माही का पानी गम्भीरी बांध में सौ किलोमीटर की पाइप लाइन डालकर पहुंचाते हैं और गम्भीरी बांध से जो पानी निकलता है, वह बनास नदी से बहता हुआ बीसलपुर बांध में आता है। केवल सौ किलोमीटर की लाइन डालने से वह पानी आपका बनास के द्वारा बीसलपुर में आ जाएगा और जब बीसलपुर में आ जाएगा तो आपका चाहे जयपुर हो, अजमेर हो, टोंक हो, नागौर हो, पानी की कोई कमी नहीं आएगी।

अभी आपने 2020-21 में बांध पुनर्वास सुधार परियोजना में माही का भी जीर्णोद्धार किया है, गम्भीरी का भी किया है, छापरवाड़ा बांध का भी किया है। हालांकि आपने माही बांध से अभी घाटोल और बांसवाड़ा के 249 गांवों में पेयजल देने का प्रावधान रखा है। अच्छी बात है। मेरे यहां पहले दूदू-बीसलपुर योजना थी, आज भी है। 4 जून, 2002 को अशोक गहलोत जी ने स्वीकृत की थी, साढ़े सात सौ करोड़ रुपये खर्च हो गये, 70-80 गांवों में आज भी पानी नहीं आ रहा है, मैंने प्रार्थना की। जल जीवन मिशन में आपने मेरे पूरे क्षेत्र को

(श्री बाबूलाल नागर)

ले लिया, टोंक को ले लिया, नागौर के नावां को ले लिया और मुख्य मंत्री जी ने योजनाओं की बजट में घोषणा भी कर दी, लेकिन यदि आज बीसलपुर बांध में पानी न हो तो क्या आज जयपुर पानी पी सकता है?

रामगढ़ बांध का मामला तो पेयजल के लिये एक तरह से फेल-सा हो गया। आज केवल ईसरदा ही ईसरदा की बात करते हैं, बीसलपुर की ही बात करते हैं, इन पर डिपैंड करते हैं, इसलिये इसे विभाग को गम्भीरता से लेना चाहिए, खर्चा कोई ज्यादा है नहीं। बनास से तो आटोमेटिक नदी बहकर आ रही है, कुछ नहीं करना है आपको। सौ किलोमीटर लाइन डालकर सीधा बीसलपुर बांध में डाल दें, गम्भीरी बांध से पानी उस बनास नदी में डाल दें तो मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी समस्या खतम हो सकती है।

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी माननीय सदस्य ने जल जीवन मिशन की बात की। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब 4 जून, 2002 को दूदू-बीसलपुर योजना मंजूर हुई थी, 90 परसेंट पैसा भारत सरकार का था और 10 परसेंट पैसा राज्य सरकार का था। साढ़े सात सौ करोड़ की योजना भी आराम से राज्य सरकार ने सैंक्शन कर दी। दूदू तो डीडीपी ब्लाक में आता है, राजस्थान में बहुत से जिले हैं जो डीडीपी ब्लाक में आते हैं। सभापति महोदय, आपको तो मालूम ही है, डीडीपी ब्लाकों में चाहे पीएमजीएसवाई का मामला हो, जहां हजार की आबादी में सड़क बनती है, वहां 500 की बनती है, जहां 500 की बनती है तो डीडीपी ब्लाक में 250 की बनती है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जल जीवन मिशन की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे थे, बहुत अच्छी योजना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, जो केन्द्र सरकार फ्लोराइड क्षेत्रों के पानी के लिये 90 परसेंट पैसा देती थी, जो हो गया उस केन्द्र सरकार को, क्या हो गया नरेन्द्र मोदी सरकार को? जो 90:10 के रेशो में ये योजनाएं चलती थीं, आज 50-50 की बात करने लग गये। इसलिये, सभापति महोदय, मैं इस सदन के लोगों से आग्रह करूंगा कि पूरे राजस्थान में आप इस जल जीवन मिशन योजना में अगर दस परसेंट नहीं दे सकते हैं तो कम से कम डीडीपी ब्लाक, वह ब्लाक, जहां पानी की व्यवस्था नहीं होती, खारी होती है, जमीन फट जाती है, केवल लोग पेयजल के भरोसे, हैण्डपम्पों, तलाइयों के भरोसे रहते हैं और जब तलाइयां सूख जाती हैं तो हैण्डपम्प भी सूख जाते हैं। मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार यदि हमारी राज्य

(श्री बाबूलाल नागर)

सरकार को जल जीवन मिशन में 90 परसेंट नहीं देती है तो सरकार का एक प्रस्ताव कम से कम डीडीपी ब्लाक का भी चल जाए, इसमें तो पीएमजीएसवाई में भी यही है। उसमें विशेष सुविधा दी हुई है। मैं समझता हूं पानी की बहुत बड़ी समस्या खतम हो सकती है।

सभापति महोदय, बीसलपुर बांध द्वारा सूरजपुरा से साम्भर तक 80 किलोमीटर की एक टीएम-I मुख्य लाइन डली हुई है। इस लाइन से मालपुरा, टोडा, दूदू, नरेना, साम्भर, फुलेरा, जोबनेर तहसील का एरिया, इन सब जगहों पर बीसलपुर के पानी से इस योजना द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। यह जो टीएम-I की 80 किलोमीटर की लाइन बनी थी, तब अभिकल्पित आबादी 2021 की मानी गयी थी, आज 2021 हो गया। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय, इसमें जगह-जगह लाइन क्षतिग्रस्त हो गयी। सीमेंट-कंक्रीट की यह मुख्य लाइन है। इसके टूटने के बाद 3-3, 4-4, 5-5, 7-7 दिन तक एक बूंद पानी नहीं आया था, इसलिये मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि यह पूरी की पूरी मालपुरा, टोडा, दूदू, फुलेरा, सारी की सारी आपकी पेयजल की बीसलपुर की योजना और अब जल जीवन मिशन की योजना डिस्टर्ब हो गयी। एक तरह से पानी की व्यवस्था करते हुए भी, बीसलपुर के बांध में पानी होते हुए भी जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं चाहूंगा, जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत जितनी जल्दी हो सके, मैंने मंत्री जी से निवेदन किया था, मंत्री जी ने डायरेक्शन भी दिये हैं विभाग को, मुझे भी बताया मंत्री जी ने कि यह तो बहुत ही जीवनदायी लाइन है 80 किलोमीटर की। इसी से तो पानी आना है बीसलपुर बांध से। इसे तो प्रथम प्राथमिकता में स्वीकृत करना चाहिए। मंत्री जी, आपसे प्रार्थना करूंगा, आपने डायरेक्शन दे दिये हैं, लेकिन मैं यह चाहूंगा, अब जब भी आपकी कमेटी की मीटिंग हो तो मेहरबानी करके टीएम-I की जो 80 किलोमीटर की लाइन है सूरजपुरा से साम्भर तक, इसे सैंक्शन करें। मंत्री महोदय, यह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा।

मंत्री महोदय, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, वह आप खुद समझते हैं, लेकिन मेरे बीसलपुर का पानी बन्द हो गया तो मैंने आपसे प्रार्थना की थी। मैंने निवेदन किया कि मेरे कुछ बरसात का पानी तलाइयों में आता है, क्योंकि मेरे हैण्डपम्प कामयाब नहीं हैं और पीने के पानी की व्यवस्था भी नहीं है।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, कुओं में कहीं पानी निकलता है तो खारा निकलता है। कई बार तो मैंने हाउस में भी कहा है, जब मुझे पहले सदस्य के रूप में बोलने का मौका मिलता था। मैं कहता था कि मेरे यहां बिजली मत दो आप क्योंकि उसके बजाय मुझे तो अकाल राहत का काम दे दो और बिजली वहां दो जहां पानी हो। मेरी ऐसी स्थिति है और मंत्री महोदय, आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे करीब 500 से ज्यादा इन दो वर्षों में हैण्डपम्प दिये हैं। मैं दूदू की जनता की ओर से आपका बहुत-बहुत आभारी हूं और इसलिये हूं कि मेरे पास व्यवस्था नहीं है, बहुतों के पास कुएं हैं बावड़ी हैं, पेयजल की योजनाएं हैं, खुद का पानी है, खोदकर पी लेते हैं लेकिन आपने मेरी पूरी व्यवस्था की।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे अभी प्रतिपक्ष के साथी कह रहे थे कि बहुत योजनाएं हैं बजट का अभाव है। मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी जगह-जगह जाते हो, जल जीवन मिशन योजना की बात करते हो, केन्द्र सरकार की योजना है, मेहरबानी करो और अगर पूरे राजस्थान की जनता के लिये नहीं कर सको तो कम से कम जो डीडीपी ब्लाक हैं, उनमें तो 90 परसेंट पैसा दिलाओ जिससे जो सबसे ज्यादा फ्लोराइड के क्षेत्र हैं, जहां उनकी जमीन में पीने का पानी नहीं है तो कम से कम उन लोगों को पेयजल उपलब्ध हो सके।

सभापति महोदय, मैं अनुशासित हूं, आपने मुझे कह दिया कि मेरा टाइम हो गया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी और हमारे डायनेमिक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी हमेशा संवेदनशील तरीके से अपना तत्काल निर्णय करके हमारी सुनते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, थैंक्यू वैरी मच, राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री सुरेश रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27-पेयजल की महत्वपूर्ण मांग पर बोलने के लिये समय दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज इस सदन में पेयजल जैसी महत्वपूर्ण मांग पर हम सब लोग अपनी-अपनी बात कह रहे हैं और कुछ भविष्यवक्ताओं का यह भी आकलन है कि इस दुनिया में अगर अगला विश्व

(श्री सुरेश सिंह रावत)

युद्ध होगा तो वह शायद पानी की समस्या को लेकर होगा क्योंकि यह समस्या प्रदेश की नहीं, हमारे देश की नहीं बल्कि पूरे विश्व के अन्दर पीने के पानी की समस्या विशाल संकट का रूप लेकर खड़ी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धार्मिक नगरी पुष्कर से आता हूं और तीर्थराज पुष्कर के अन्दर सरोवर है, उस सरोवर में स्नान करने के लिये देश और दुनिया से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष लोग आते हैं। वहां पर एक अन्तरराष्ट्रीय स्तर का कार्तिक मेला भी लगता है लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पवित्र सरोवर के अन्दर जब बरसात का पानी आता है तो अपने साथ वह पानी सीवरेज और अन्य प्रकार की गन्दगी भी लेकर आ जाता है। उस सीवरेज का पानी भी कई बार लीकेज होकर सरोवर हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिये हमारी पिछली सरकार ने 12 करोड़ रुपये की लागत से एक एसटीपी स्वीकृत किया। उसका 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया लेकिन जैसे ही सरकार चैंज हुई, उसका काम ढाई साल से बन्द है। इसके अलावा भी पिछली बार मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी ने हमारी मांग पर 4 करोड़ रुपये इस योजना के लिये स्वीकृत भी किये, लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुई उसका काम नहीं बढ़ा। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस समस्या के निदान के लिये डीपीआर की घोषणा की, इसके लिये तो मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन साथ ही उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की मांग करता हूं कि उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी से एक झूठी घोषणा करवाई क्योंकि डीपीआर का काम तो पहले से ही चालू है। अजमेर विकास प्राधिकरण इस काम में लगभग छह महीने से लगा हुआ है और ढाई महीने पहले पुष्कर नगरपालिका ने 5 लाख रुपये अजमेर विकास प्राधिकरण को इस समस्या के समाधान के लिये दे भी दिये। बजट के अन्दर अच्छा होता माननीय मुख्य मंत्री जी, आप इस समस्या के समाधान के लिये उचित बजट का प्रावधान करते, बजट की घोषणा करते ताकि इस समस्या का धरातल पर समाधान कर पाते।

माननीय सभापति महोदय, मेरे पुष्कर विधान सभा के अन्दर बहुत सारे बांध और तालाब ऐसे हैं कि अगर जलदाय विभाग उनका उचित तरीके से प्रबन्ध करे तो सिंचाई के लिये जो किसानों को पानी की आवश्यकता होती है, उस समस्या से भी हम निजात पा सकते हैं।

मेरे पुष्कर विधान सभा के रूपनगढ़ उपखण्ड में एक सिंगला बांध है और वर्षों पहले करोड़ों रुपये की लागत से उस बांध का बड़ी भव्यता से निर्माण

(श्री सुरेश सिंह रावत)

हुआ और शायद वह अजमेर जिले के कुछ बड़े बांधों में से एक आता है। लोगों में काफी उत्साह था, लोगों ने बढ़-चढ़कर उसमें श्रमदान भी किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से सिंगला बांध का निर्माण हुआ, तब से लेकर अब तक उसके अन्दर एक बूंद भी बरसात का पानी नहीं आया।

माननीय सभापति महोदय, सिंगला बांध के अलावा भी हमारे कायड़ का तालाब है। नाम का तालाब है लेकिन एक विशाल बांध का उसमें स्वरूप दिखता है। हम हमारे बड़े-बुजुर्गों से सुनते आए हैं कि जब भी कायड़ का तालाब भरता है तो आस-पास के लगभग 100 किलोमीटर के किसानों के घरों में खुशहाली आ जाती है। हमारे बीर का तालाब, ऊंटड़ा का तालाब, तबीजी का तालाब, भड़लिया का तालाब तथा और भी बहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े तालाब हमारे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में हैं...

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): जिनका हम अगर उचित रख-रखाव करें तो लाभ मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, नदी-नाले जो इन तालाबों में आ रहे हैं उन पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिये हैं। कई जगह एनीकट बना लिये, कई जगह झाड़ियां उग गई हैं। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि आप इन नदी-नालों की साफ-सफाई करें और जो अनावश्यक रूप से एनीकट बन गये, उनको भी आप हटाकर अगर बांधों में पानी पहुंचेगा तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान होगा।

माननीय सभापति महोदय, आज वर्तमान में हमारा जो भू-जल स्तर है, वह नीचे चला गया, लेकिन आपकी जो हैण्डपम्प खोदने की नीति है, आपकी जो ट्यूबवैल लगाने की नीति है, उसमें 300 फीट तक आप हैण्डपम्प खोदते हो लेकिन भूजल नीचे चला गया और 300 फीट में पानी आता नहीं और बरसात के समय सिर्फ पानी आता है और जैसे ही वर्षा ऋतु चली जाती है, हैण्डपम्प सूख जाते हैं। माननीय मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि आप इसको कम से कम 500 फीट करें और ऐसी तकनीक ईजाद करें कि हैण्डपम्पों में आसानी से पानी आ सके।

दूसरा, जल जीवन मिशन के तहत मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आप जल्दी से जल्दी हर घर को शुद्ध पीने का पानी मिले, इसकी व्यवस्था करें। इसके अलावा भी पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के अन्दर बहुत सारे गांव और ढाणियां ऐसी हैं जो राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं हैं, जो अन-आक्यूपाइड ढाणियां हैं वे आज बीसलपुर के पानी से वंचित हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रूपाराम।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे मांग करूंगा कि उनको भी बीसलपुर का पानी मुहैया कराएं।

इसके अलावा, माननीय सभापति महोदय, स्कूलों के अन्दर हम बच्चों से कुपोषण को खतम करने के लिये, माननीय सभापति महोदय, मेरी छोटी-छोटी दो मांगें हैं। स्कूलों के अन्दर कुपोषण को समाप्त करने के लिये पोषाहार और अन्य तरह-तरह के कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन आज प्रदेश के अन्दर जो सरकारी स्कूलें हैं, अगर किसी गांव में पीने का शुद्ध पानी जाता है तो हम सबको सरकारी स्कूलों में सबसे पहले कनेक्शन करके देना चाहिए तो वह सरकारी स्कूलों में देना चाहिए। इस ओर कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान दें।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपाराम।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पेयजल योजना पर बोलने के लिये मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी भी जीव को जीवित रहने के लिये सबसे पहले वायु की आवश्यकता रहती है। वह पूरे विश्व में कुछ देशों को छोड़कर हवा कुदरत देती है और अपन उसका सेवन करते हैं।

(14.00 बजे)

दूसरे नम्बर पर पानी है। उसके बगैर कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। उसकी व्यवस्था आजादी से पूर्व राज द्वारा नहीं के बराबर की जाती थी और व्यक्ति अपने स्वयं के द्वारा, अपने परिवार के लिये पानी की व्यवस्थाएं करता था। ऐसी स्थितियां थीं, किसी घर में अगर चार व्यक्ति काम करने वाले, मजदूरी करने वाले हैं तो उसमें से 50 प्रतिशत, दो व्यक्तियों का काम रहता था, अपने परिवारजन या पशुधन, उनके लिये पानी की व्यवस्था करके कैसे बचाया जाए। उनका जीवन उसी में व्यतीत हो जाता था। देश आजाद होने के बाद, देश कैसे आजाद हुआ, किसने संघर्ष किया, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में, जब किसी के घर सगाई-सगपन की बात चलती थी तो

(श्री रूपाराम)

सबसे पहले उस गांव के बारे में पूछते थे कि पानी कितने फीट गहरा है, पानी खारा है या मीठा है या उस गांव से कितने किलोमीटर दूर से पखाल या सिर पर घड़ा उठाकर लाते हैं। कई घरों के अन्दर, कई गांवों में, जहां पानी 30-30, 35-35 किलोमीटर दूर था, वहां लोग कुंवारे भी रह जाते थे।

आजादी के बाद, अभी यहां चर्चा में, अपने सामने कहते रहते हैं कि किसने क्या किया पर आजादी के लगभग 30 वर्ष तक 1977 तक यहां राज लगातार कांग्रेस का रहा और वह अवधि ऐसी थी, उसमें पशुधन और मनुष्यों के लिये पेयजल की व्यवस्था करना, तकनीक भी नहीं थी। मशीनरी वगैरह, ट्यूबवैल खोदना, हैंडपम्प खोदना, ये इतना विकसित नहीं था। उस पीरियड के अन्दर सरकार ने बहुत कुछ किया और गांव-ढाणी और शहरों तक पानी पहुंचाया। राज्य की जो स्थिति है, वह काफी नाजुक है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल करीब 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे देश का करीब साढ़े 10 परसेंट है। आबादी 6 करोड़ 86 लाख है, वह करीब साढ़े 5 परसेंट, पूरे देश की आबादी का है। यहां जो पशुधन है, पूरे देश में जो पशुधन है, उसका 18.7 परसेंट है। पानी की जो उपलब्धता है, बांधों में, नदियों में है, वह पूरे देश का राज्य में मात्र 1.16 परसेंट है और भूमिगत जल है, वह मात्र ढाई परसेंट है। ऐसी विचित्र स्थिति में पेयजल की व्यवस्था पुख्ता करना काफी मुश्किल काम है। मोटे तौर पर विश्व में जो पानी की प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष उपलब्धता है, वह 2 हजार घन मीटर है, भारत में 1700 घन मीटर है और राजस्थान में उपलब्धता 640 घन मीटर है। इस स्थिति को देखते हुए सबसे पहला प्रयास किया गया, जब से सृष्टि की रचना हुई है, करोड़ों वर्षों का पानी जो भूमिगत था, उसके दोहन से ही पीने के पानी की व्यवस्था की गई। 222 शहर और लगभग 1 लाख 21 हजार गांव और ढाणियों को विभिन्न योजनाओं से पाइप्ड, पम्प एण्ड टैंक हैं, डिग्गी हैं, हैंडपम्प हैं, इत्यादि से जोड़ा गया। इस प्रक्रिया में जो भूमिगत जल का दोहन हुआ, राजस्थान में जो पानी का ड्रॉअल हो रहा है, वह एवरेज 140 प्रतिशत हो रहा है, आवक से अधिक हो रहा है और अभी माननीय सदस्य बता रहे थे जयपुर का, जयपुर में सबसे अधिक भूमिगत पानी का दोहन हो रहा है, करीब 600 परसेंट हो रहा है। देश में मरुस्थलीय 247 ब्लाक हैं, उसमें 85 मरुस्थलीय ब्लाक सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में हैं। इन सब स्थितियों को देखते हुए, 2005 के आसपास यह

(श्री रूपाराम)

सोचा गया कि अगर भूमि के पानी का ही दोहन किया गया, पीने के लिये और खेती के लिये तो एक दिन पानी समाप्त हो जाएगा और त्राहि-त्राहि मच जाएगी। प्लान बनाया गया और उसके बाद में मोटे तौर पर यह तय किया गया कि राज्य में जो मुख्यत: स्रोत हैं, इंदिरा गांधी नहर, चम्बल नदी, नर्मदा नदी, बीसलपुर डैम, जवाई डैम और उदयपुर डिवीजन में अलग-अलग उपलब्ध डैम। इन्हीं से व्यवस्था करके, जब तक सतही स्रोत से शहर और गांवों को जोड़ा नहीं जाएगा तो पेयजल के लिये बड़ी कठिनाई हो जाएगी और भूमिगत पानी को आरक्षित ही रखना चाहिए।

सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। विशेषकर, 2008 से 2013 के बीच में माननीय अशोक गहलोत साहब मुख्य मंत्री थे, उस दौरान यह पूरा तय किया गया कि किस सतही सोर्स पर किन-किन जिलों को डालना चाहिए तो इंदिरा गांधी नहर पर सीकर, झुंझुनूं, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, आंशिक बाड़मेर को रखा गया। कोटा और भरतपुर डिवीजन को नर्मदा नदी पर, भीलवाड़ा को भी उस पर लिया गया और नर्मदा पर जालौर और सिरोही पार्ट, बाड़मेर भी रखा गया। जवाई बांध से पाली और बीसलपुर से टोंक, अजमेर, जयपुर और दौसा को रखा गया। अलवर के लिये कोई उपयुक्त सोर्स उस वक्त सोचा नहीं गया था, बाद में ईसरदा डैम से उसकी व्यवस्था करने का प्लान रखा गया। उदयपुर डिवीजन के जितने भी जिले हैं, उनके वहां जो लोकल सोर्स उपलब्ध हैं, डैम्स वगैरह से व्यवस्था करने का सोचा गया और परियोजनाएं बनीं। लगभग 2008 से 2013 के बीच में 22 हजार करोड़ की परियोजनाएं बनीं और उससे गांव और ढाणियों को जोड़ना शुरू किया। आज तक लगभग राज्य में 40 हजार करोड़ की परियोजनाएं, जो सतही सोर्स से, मैंने पहले निवेदन किया, जोड़ने के लिये स्वीकृत हो गई हैं, जिनका द्रुत गति से काम माननीय मुख्य मंत्री जी, माननीय मंत्री के निर्देशों में राज्य में चल रहा है। लगभग 35 हजार करोड़ रुपये खर्च हो गये हैं।

अभी जो जल जीवन मिशन की घोषणा की गई है। उसके तहत हर घर तक जल सम्बन्ध जारी करने का मामला है। उसके लिये राज्य के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य के सभी घरों में जल सम्बन्ध दिये जाने की घोषणा की गई है। अगर वैसे दिये जाते हैं तो लगभग ढाई लाख करोड़ के आसपास उस पर व्यय होगा क्योंकि, पूरे भारत में आबादी का जो घनत्व है,

(श्री रूपाराम)

वह लगभग 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान राज्य में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, बिखरी हुई आबादी है और पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ में जैसे जैसलमेर, जहां से मैं आता हूं, वहां एक वर्ग किलोमीटर में मात्र 20 व्यक्ति हैं तो हर घर को करना मतलब, हर घर को जल सम्बन्ध देना, इस व्यवस्था के लिये ढाई से तीन लाख करोड़ रुपये लगेंगे और वर्ष की अवधि रखी है 2024, शोर्ट पीरियड के अन्दर इतनी फाइनेंशल व्यवस्थाएं करना और फिर उसको वर्क एग्जीक्यूट करना, ये बहुत बड़ी चीज है एवं कठिन कार्य है। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहूंगा। पक्ष और विपक्ष दोनों विराजमान हैं, राज्य की विचित्र स्थिति को देखते हुए भौगोलिक, भूमिगत और सतही जल की उपलब्धता को देखते हुए बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। राज्य के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, अपने रिसोर्सेज से आने वाले सौ वर्ष तक भी हम घरेलू कनेक्शन दे नहीं पाएंगे। भारत सरकार के रिसोर्सेज ज्यादा हैं, आय ज्यादा है और पेयजल से ज्यादा कोई उपयोगी चीज नहीं हो सकती तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हम सब मिलकर ये तय कराएं सिर्फ यह कहना कि भारत सरकार देगी, उतना ही ले लेंगे, उससे काम नहीं चलेगा, कनेक्शन घरेलू नहीं हो पाएंगे। प्रधान मंत्री जी भले ही कह दें, हम भी कह दें, ये करने के लिये कम से कम 90 प्रतिशत पैसा भारत सरकार को देना चाहिए और 10 परसेंट राज्य सरकार को करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां के लोगों को पानी पिलाना है। यह व्यवस्था पहले नम्बर पर होनी चाहिए।

उसके अलावा मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी महोदय को, अभी आपने जल जीवन मिशन के लिये..

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): जल जीवन मिशन हेतु अलग से चीफ इंजीनियर बनाने की घोषणा की, अलग से चीफ इंजीनियर लगाया, इसके लिये धन्यवाद। उस चीफ इंजीनियर के अंडर में जितने भी जो विशेषज्ञ हैं स्पेशल प्रोजेक्ट बनाने के, उनका सबका पदस्थापन करके और एक कार्ययोजना बनायी जाए कि सभी घरों तक जल सम्बन्ध मिले। सतही सोर्स से कितना खर्चा आएगा इसका एस्टीमेशन लगभग एक साल के अन्दर कर लिया जाना चाहिए ताकि मांग भारत सरकार को प्रेषित की जा सके और जो वर्तमान एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इसमें कई जगह जो पीएचईडी के ट्यूबवैल्स हैं, सोर्स हैं, बूस्टिंग

(श्री रूपाराम)

स्टेशन हैं, वहां पावर की व्यवस्था ठीक नहीं है तो सभी जगह डायरेक्ट फीडर की एक कार्ययोजना बनाकर वहां डायरेक्ट फीडर से जोड़ा जाए। लेबर 25 वर्ष से भर्ती नहीं हो रही है, सिस्टम बढ़ रहा है तो जो लेबर कम हुई है, बची हुई स्कीम है, उसकी आउटसोर्सिंग करके और उसको कान्ट्रैक्ट के थ्रू दें ताकि गर्मी में दिक्कत नहीं आए। गर्मी के अन्दर जितनी पाइपलाइन की लैंथ है, ट्यूबवैल्स हैं, एरिया लम्बा-चौड़ा है, उस ढंग से जो अपन मजदूरों और वाहनों की सैंक्शन देते हैं वह वैस्टर्न राजस्थान में अपर्याप्त है, उसकी सैंक्शन बढ़ाई जाए। गर्मी के अन्दर जो ट्यूबवैल और हैंडपंप फेल होते हैं, उसकी सैंक्शन करने की प्रक्रिया में ठेठ जयपुर तक प्रस्ताव आने से उसमें टाइम लगता है। पानी कोई घी तो है नहीं कि 10 दिन बाद उसको घी डाल देंगे तो यह जो फैल्योर सिस्टम होता है, उसके लिये जो जिले में सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर बैठता है उसको अधिकृत कर दिया जाए कि कोई सोर्स फेल होता है तो उसके रिप्लेसमेंट की वह ही सैंक्शन निकाले और करे। राज्य में अभी जो ट्यूबवैल और हैंडपंप खोदने के लिये रिग्स उपलब्ध हैं, वह काफी पुरानी हो गई हैं, कम हैं, ठेकेदार सही काम करते नहीं हैं तो मेरा निवेदन रहेगा कि ट्यूबवैल और हैंडपंप के लोड को देखते हुए ट्यूबवैल और हैंडपंप खोदने की जो मशीन आती है, उसकी व्यवस्था की जाए। अब गर्मी शुरू होने वाली है, मार्च तक यह सुनिश्चित कर लें कि जुलाई तक चार-पांच महीने के लिये जो भी मेंटीनेंस के मैटेरियल की आवश्यकता है, वह व्यवस्था 15 मार्च तक या 31 मार्च तक सुनिश्चित हो जाए। साधारणतया पंपिंग मशीनरी पाइपलाइन और हैंड पंप रिपेयर और पेयजल परिवहन, इसके एक वर्ष पहले के पेमेंट आज तक नहीं हुए हैं तो इससे आने वाली गर्मी में स्कीम्स को मेंटेन करने में काफी दिक्कत आती है तो इसके लिये जो आवश्यक फंड्स हैं, उसकी व्यवस्था अपन को एडवांस में करनी चाहिए ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो यह मुख्य तत्व है पीने का पानी, इसमें अपन सब मिलकर यह व्यवस्था करें अभी आज ...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): मैं भी इस विभाग में रहा हूं। एक हमारा पोछिणा गांव है, जहां पर घी का घड़ा अगर बच्चा गिरा देता था तो लोग उसके थप्पड़ नहीं मारते थे। मतलब 20 लीटर घी गिर गया तो मां-बाप उस बच्चे को थप्पड़ नहीं मारते थे लेकिन पानी के एक लोटे से वह अगर हाथ

(श्री रूपाराम)

नीचे धो लेता तो उसके थप्पड़ मार देते थे तो मेरा निवेदन है कि पानी की बचत के लिये अपन सब मिलकर काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सुभाष पूनिया।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय सभापति जी, मुझे मांग संख्या 27 पर पेयजल की समस्या के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति जी, मेरे पूर्व में पक्ष और विपक्ष के जो भी विद्वान साथीगण थे उन्होंने अपने विधान सभा क्षेत्र, जिले और प्रदेश की जल समस्याओं के बारे में आपके बीच में इस सदन में अपनी-अपनी बात रखी। मैं मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र की बात रखूंगा।

सभापति जी, देश में बढ़ते जल संकट की झलक केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री और मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार प्रति व्यक्ति 5000 लीटर से घटकर 2025 तक 1000 लीटर तक रह जाने की संभावना है तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान की जो स्थिति और मेरे विधान सभा क्षेत्र की स्थिति है, वह ऐसी भौगोलिक स्थिति है कि वहां 1-1 हजार फीट गहरा कुआं खोदने के बाद भी पानी नहीं है। सभापति जी, पेयजल के अन्य कोई स्रोत नहीं हैं, सरफेस वाटर है नहीं इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि बजट की घोषणाओं में केवल कागजी खानापूर्ति के अलावा आज तक मेरे विधान सभा क्षेत्र में ऐसी कोई स्थायी जल के लिये व्यवस्था नहीं की गई है कि वहां की जनता को पेयजल मिले। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं, वह क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के 4 विधान सभा क्षेत्रों को टच करता है और उसके बावजूद भी 15-20 गांव तो ऐसे हैं कि गर्मियों के मौसम में हरियाणा के गांवों से पानी परिवहन करके लाना पड़ता है। आप अपने इंजीनियरों से मंत्री जी, पता करवा लें। 2016 से कई प्रशासनिक स्वीकृतियां निकली हैं लेकिन पानी के नाम पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजनीति हो रही है। 2019 का वार्षिक बजट हो चाहे 2021 का वर्तमान बजट, कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र को पेयजल दिए जाने का आश्वासन मिलता रहा है और इस बार भी यह कहा गया है कि जायका कंपनी जो जापान की कंपनी है, वह वित्त पोषण करेगी। अब पता नहीं वह कब वित्त पोषित करेगी और कब काम चालू होगा। मैं नहीं समझता कि इस वर्ष के बजट में भी यह कार्य कब प्रारम्भ होगा, कब टैंडर होंगे, कोई उम्मीद नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा, शायद मंत्री जी बैठे हैं क्या? (व्यवधान) कोई नहीं चार्ज देकर गये हैं। सूरजगढ़

(श्री सुभाष पूनिया)

में तो अगर इंजीनियर्स की बात करें तो वहां 3 एईएन की पोस्ट हैं और एक एईएन आज के दिन कार्यरत हैं। एक भी जेईएन नहीं है और एलडीसी नहीं है और जन प्रतिनिधि, सरपंच, प्रधान, पंचायत समिति का सदस्य या जिला परिषद् का सदस्य कोई भी फोन करता है तो फोन नहीं उठाते हैं। यह हालत आप के नीचे की है। मैं यहां तक मानता हूं कि हमारे यहां जलदाय विभाग में एक बहुत बड़े अफसर हैं और काबिल अफसर हैं उनको मैंने फोन किया। उन्होंने आधे घंटे में ही मेरे को बुलाया और चीफ इंजीनियर को भी फोन किया लेकिन उसका आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ है, यह 15 दिन पहले की बात है।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अभी तो 2 मिनट हुए हैं, 8 मिनट तो देते कम से कम। गर्मी का मौसम आ रहा है और टैंकरों से पानी की जो सप्लाई होती है, टैंकरों में कम से कम स्थानीय जन प्रतिनिधि को रखा जाए क्योंकि वहां बीडीओ या वहां का इंजीनियर मनमानी करके 20 टैंकर की आवश्यकता होती है तो वह 10 टैंकर ही उपलब्ध करवा पाते हैं। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और जनता जल योजना जो आपने चला रखी है, उसके बिलों के भुगतान के अभाव में जो कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उनमें गर्मी को देखते हुए राहत दी जाए। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और जो पिछले बजट में 10 सिंगल फेज सोलर आधारित दिए थे वह आज तक खुद तो गए लेकिन अभी तक उनको चालू नहीं किया गया है। यह भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और मेरे विधान सभा क्षेत्र में सूखे ट्यूबवैल, ड्राई के अगेंस्ट जो प्रपोजल्स आ रहे हैं उसके लिये 15 दिन पहले मैं चीफ इंजीनियर से मिलकर आया, लेकिन आज तक उनकी कोई भी स्वीकृति नहीं निकलवाई गई है और उनके प्रस्ताव भी आ चुके हैं। मैं यह चाहूंगा कि यह ड्राई ट्यूबवैल के अगेंस्ट जल्द से जल्द स्वीकृति निकल जाए और सूरजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में एक एसआर टैंक की आवश्यकता है और 4-5 गांव तो ग्राम नालोठ, रायपुर अहीरान में तो बहुत ही गम्भीर समस्या है पेयजल की और मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो बहुत बड़े कस्बे हैं सिंघाणा और भुवाणा, उनकी 30-30 साल पुरानी पाइपलाइन जर्जर हो चुकी है, उसको भी अतिशीघ्र बदलने की आवश्यकता है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल जाट।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27

(श्री रामलाल जाट)

पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही गम्भीर विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। वेद ग्रंथों में, हर धर्म में पानी का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है और खास तौर से राजस्थान में रेगिस्तानी एरिये के लोग इस चीज को ज्यादा जानते हैं कि पानी की महत्ता क्या है। ठीक उसी एरिये से राजस्थान के मुख्य मंत्री जी चुनकर आते हैं, राजस्थान का तीसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहां से सदन में जितने भी सदस्य आये हैं, वह इस चीज को जानते हैं और मुख्य मंत्री जी से भी वह चीज छुपी हुई नहीं है कि पानी के लिये रेगिस्तान के लोगों की किस तरह की अवेयरनेस थी। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको जब-जब राजस्थान को आगे बढ़ाने का मौका मिला, पानी के बारे में विशेष प्रावधान, वृहत् योजनाएं बनाकर, सोर्सों को रीचार्ज करने की भी ऐसी-ऐसी योजनाएं बनाईं। रहीम जी ने कहा था कि ''रहिमन पानी राखिये बिन पानी सब सून, पानी गये न ऊबरे मोती, मानुष, चून।'' आज ही नहीं, अपने ग्रंथों में यह चीजें कही हैं।

पानी मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही जरूरी स्रोत है, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ऐसे समय में हम सब लोग इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक वस्तुओं में जल महत्वपूर्ण है, इसके बगैर कोई भी चीज सम्भव नहीं हो सकती है। राजस्थान में कई ऐसे स्थान हैं, जो डार्क जोन घोषित भी हुए हैं। सरकार के अथक प्रयासों से, जो-जो सरकारें, जिस-जिस समय रहीं, चाहे भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, उन्होंने रीचार्ज के लिये कृषि विभाग के माध्यम से, वाटर शैड के माध्यम से पानी को रीचार्ज करने के कई ऐसे संसाधन डवलप किये हैं जिससे रीचार्ज भी बढ़ा है। पिछले समय से ही कुछ ऐसे सोर्स हैं, बारहमासी नदियां, जो नदियां हमेशा बहती हैं, उनसे कई ऐसी योजनाएं बनीं, चाहे बीसलपुर योजना हो, चंबल जैसी योजना हो, हिमाचल का पानी राजस्थान में आ रहा है। गंग नहर, इन्दिरा गांधी नहर जैसी योजनाएं आज राजस्थान में आ रही हैं। इन सबके पीछे आज प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। बरसात होने के लिये जहां प्रकृति की आवश्यकता है, वृक्षावली की जहां आवश्यकता है, उस वृक्षावली को अंधाधुंध काटा जा रहा है, जिसकी वजह से प्रकृति के परमानेंट सोर्स धीरे-धीरे सूखते जा रहे हैं। अपन निर्भर उस पर होते आ रहे हैं, सरकार के भरोसे आ रहे हैं लेकिन जब प्राकृतिक साधनों को रीचार्ज करने का काम सरकार नहीं करेगी तो पूरी तरह से आने वाले समय में भयंकर स्थिति

(श्री रामलाल जाट)

उत्पन्न हो जाएगी। भले ही आज बड़ी वृहत् योजनाओं के माध्यम से कुछ समय के लिये तो हम योजनाएं बनाकर लोगों का पेट भर रहे हैं, पानी की प्यास बुझा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इसकी बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। इसलिये अंधाधुंध कटाई को रोकने के साथ-साथ ही रीचार्ज जैसी योजनाएं भी करें तो राजस्थान का गहराता जल संकट इससे रुक पायेगा।

मैं भीलवाड़ा जिले पर आना चाहूंगा। आजादी के बाद ऐसी-ऐसी योजनाएं बनीं जिसमें मेजा एक बहुत बड़ा स्रोत था, जिससे भीलवाड़ा जिले का पानी और किसानों की फसल की पिलाई भी हो, लेकिन उस बांध में पानी की आवक धीरे-धीरे कम हुई। तत्कालीन मुख्य मंत्री सुखाड़िया जी और उस समय के इर्रिगेशन मिनिस्टर रामप्रसाद लड़्ढ़ा जी ने मिलकर ऐसी योजनाएं बनाईं। मातृकुण्डिया बांध के माध्यम से नहर की एक योजना बनाई ताकि आने वाले समय में मातृकुण्डिया के आस-पास के लोग भी अपनी किसानी कर सकें, पीने के पानी का उपयोग ले सकें और भीलवाड़ा निवासी भी उसका उपयोग कर सकें, वहां के किसान भी इसका उपयोग कर सकें। जैसे-जैसे शहरों की आबादी बढ़ी, गांवों से पलायन करके लोग शहरों की तरफ घनी आबादी हुई और पानी की आवश्यकता होने लगी, पानी का दोहन ज्यादा होने लगा, कई ऐसे कृत्रिम संसाधन बन गये, उसकी वजह से खेतीबाड़ी में ड्रिप सिस्टम की तरफ सरकारों का ध्यान गया लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से किसान इसका पूरा उपयोग नहीं कर पाए और पानी का दोहन होता जा रहा है। इसके साथ ही मेजा से भीलवाड़ा की सप्लाई होती आई, धीरे-धीरे 1996-97 में इतनी खतरनाक स्थिति भीलवाड़ा की हो गई, लेकिन 1996-97 में उस समय की सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब 1999 में अशोक गहलोत समर्थित सरकार आई तो उस समय इस पानी की योजना पर कुछ ध्यान दिया गया। उस समय कंकरोलिया घाटी का 90 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान करके भीलवाड़ा शहर की आपूर्ति उससे संचालित की। ट्रेन के माध्यम से बीसलपुर योजना का पानी नसीराबाद से पम्प हाउस बनाकर भीलवाड़ा शहर के वासियों तक पहुंचाया क्योंकि उसको कपड़ा वस्त्र नगरी के नाम से जाना जाता है दूध डेयरी के नाम से जाना जाता है, माइनिंग के नाम से भीलवाड़ा शहर को जाना जाता है। वहां से भारत सरकार, राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी रेवेन्यू मिलती है। लगभग 500 करोड़ रुपये सरकार को आज वहां से रेवेन्यू के रूप में मिलता है। इसलिये वहां के बाशिंदों को जिंदा रखना सरकार की महती आवश्यकता थी, इसलिये ट्रेन के माध्यम से भी पानी दिया गया।

(श्री रामलाल जाट)

माननीय सभापति महोदय, जब मैं पहली बार विधायक चुना गया तब आप भी थे, उस समय मेरे एरिये में बीसलपुर का पानी नहीं, हिन्दुस्तान जिंक का बड़ा सोर्स है, उसके माध्यम से हमने बनास नदी से पानी लेकर भीलवाड़ा, गुलाबपुरा कस्बे की आपूर्ति की, उसके बाद बीसलपुर योजना से आपूर्ति की लेकिन फिर भी पूर्ति नहीं हो पाई तो एक बड़ी वृहत् योजना बनाई। लगभग 729 करोड़ रुपये की चंबल योजना, जिसकी कल्पना आम आदमी कर नहीं सकता, 2008-09 में उस योजना को अशोक गहलोत जी ने किया है। जब 729 करोड़ के लगभग की योजना बनी और भीलवाड़ा शहर तक ही पानी उपलब्ध होना था लेकिन जब वर्तमान अध्यक्ष जी ने लोक सभा का चुनाव लड़ा तो मई-जून, 2009 में, उसके पहले बजट में जब 729 करोड़ की योजना थी, उसको आगे बढ़ाने का काम हमने हाथ में लिया। उस समय मैं खुद वहां से विधायक था, मंत्री भी था, तब हमने इस योजना को हाथ में लेकर दो चरणों में, 1500 करोड़ के लगभग दूसरे चरण की योजना बनाई भीलवाड़ा के तमाम जो 1700 रेवेन्यू विलेज हैं, 2400 के लगभग ढाणियां हैं, लेकिन अधिकारियों की जटिलता समझें या टैक्निकल कमी की वजह से हैबिटेशन के नाम पर उन गांवों को छोड़ दिया गया और 1700 विलेज और 8 बड़े कस्बों को ही पानी में लिया गया। सभापति महोदय, 1700 गांवों और 8 शहरों में चम्बल के पानी की पहली बार जब इस योजना की 1495 करोड़ की स्वीकृति हुई, तब शुरूआत कागजों में तो हो चुकी थी लेकिन वाइल्ड लाइफ की वजह से और सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन की वजह से इस योजना में काफी बड़ी दिक्कत आई।

माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व बोलने वाले भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, उन्होंने इस योजना के बारे में भी जिक्र किया, उन्होंने अपनी योजना भी बताई थी। 24.4.2011 को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड से इसकी स्वीकृति हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सीएचसी की कमेटी में यह चीज गई तो 30.11.2011 को 18 किलोमीटर जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंक्चुअरी में इसकी पाइप लाइन होकर गुजरती थी, यह बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। आप खुद समझ सकते हो कि 1972 का जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है, उसमें कोई योजना निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। इस योजना को जमीन पर लाने के लिये डिपार्टमेंट के अधिकारियों एवं नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ी। तत्कालीन एनएचआई मिनिस्टर सी.पी. जोशी साहब और मुख्य मंत्री जी ने आपस में चर्चा करने के बाद वाइल्ड लाइफ से इसकी

(श्री रामलाल जाट)

स्वीकृति निकली। माननीय सभापति महोदय, बाद में जब सरकार बदल गई, भीलवाड़ा शहर तक इसका काम शुरू हो चुका था। गांवों में मांडल, आसींद में इसका काम शुरू हो चुका था लेकिन किन्हीं कारणों से सरकार दोबारा नहीं आ पाई, तत्कालीन दूसरी सरकार आई तो उन्होंने इस योजना पर ध्यान नहीं दिया। इस योजना की लगभग 1000 करोड़ की कॉस्ट बढ़ गई। उन्होंने आनन फानन में मांडलगढ़ का उप चुनाव देखा और उस योजना को मोड़ने का काम किया लेकिन आगे रहने वाले गांवों के लोगों को इस योजना का पूरा फायदा नहीं मिल पाया। माननीय सभापति महोदय, उप चुनाव में इनको फायदा नहीं मिला तो उसके बाद इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वर्तमान सरकार जब आयी और 2020-21 की बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 948 करोड़ रुपये का प्रावधान इस योजना में और किया, ताकि जो बचे हुए गांव हैं, भीलवाड़ा जिले की बची हुई तहसीलें हैं, उन सबमें, जिनमें रायपुर हो, सहाड़ा हो, सुहाणा हो, बनेड़ा हो, कोटड़ी हो, जहाजपुर हो, तमाम तहसीलें बची हुई हैं। उनमें इसके पानी का पूरा उपयोग हो पायेगा। लगभग 60-70 परसेंट काम इसका पूरा हो चुका है, 20-30 परसेंट की वजह से इस योजना में दिक्कत आ रही थी। माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय को भीलवाड़ा की जनता की तरफ से मैं हार्दिक धन्यवाद भी दूंगा कि इस योजना में 948 करोड़ रुपये का और प्रावधान रखा। इस वजह से यह पूरी हो पायेगी।

माननीय सभापति महोदय, इसमें कुछ चीजें हैं। माननीय मंत्रीजी बी.डी. कल्ला साहब बैठे हैं, मैं उनका ध्यान भी आकर्षित करूंगा। राठौड़ साहब, इसलिये आकर बैठे हैं, क्योंकि इस योजना की पूरी जानकारी नहीं रहे तो ये हमारे टाइम...

माननीय कल्ला साहब, आपने मुख्य मंत्री जी के श्रीमुख से देवगढ़ के लिये, बेगूं के लिये, हिंडोली के लिये, आरोली पम्प हाउस से पानी लेने का फैसला तो लिया। मैंने आपको चिट्ठी भी लिखी थी, मुख्य मंत्री जी को भी लिखी थी। इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। चंबल में और भी पानी है और आप सारे राजस्थान को भी पानी पिला सकते हो लेकिन आप जो आरोली से पानी उठा रहे हो, उस पंप हाउस को अगर आपने बढ़ाया नहीं, पीछे की पाइप लाइनों को अगर आपने बढ़ाया नहीं तो 2045-50 तक के लिये भीलवाड़ा के लिये योजना बनी है तो वह जल्दी ही पांच-दस साल में ही खतम हो जाएगी। हजारों करोड़ रुपया आप डाल रहे हो, भीम के लिये, हिंडोली के लिये, बेगूं के

(श्री रामलाल जाट)

लिये, भीलवाड़ा के लिये, आज तीन-तीन, चार-चार, पांच-पांच हजार करोड़ रुपये इस योजना में डाल रहे हो। 100-200 करोड़ रुपये की वजह से कहीं ऐसा नहीं हो कि पूरी योजना ही ठप हो जाए। मेरा यह सुझाव है कि आप पीछे से पाइप लाइन अभी से शुरू करेंगे तो इसको जमीन पर आने में लगभग चार-पांच साल लगेंगे। वाइल्ड लाइफ में सर्वोच्च न्यायालय से स्वीकृति लेने में आपको बहुत बड़ी दिक्कत आयेगी। अभी से शुरू करें। गैलेरी में अधिकारी बैठे हैं, वे इस पर ध्यान देंगे। आपके निर्देशों की पूरी पालना करेंगे तो निश्चित रूप से यह योजना एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी।

इसके साथ ही, जल जीवन मिशन, मेरे से पहले बोलने वाले माननीय विधायक जी भी कह रहे थे कि भारत सरकार की महती योजना है। सरकारें आती-जाती रहती हैं। माननीय सभापति महोदय, इन योजनाओं के नाम बदले जाते हैं। अच्छा है, जल जीवन मिशन, नाम भी अच्छा है, काम भी है, लेकिन इसमें जो पैसे की कटौती की है, पहले भारत सरकार योजनाओं में 90 परसेंट का योगदान दिया करती थी, धीरे-धीरे 70 परसेंट हुआ। आज इस योजना में उनका पैसा कितना है, वे गिना तो रहे हैं, आज उनका पैसा 45 परसेंट है, बाकी पैसा राज्य सरकार का है। राज्य सरकार के संसाधन कम होते हैं, फिर भी मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आने वाले समय में हमारे भीलवाड़ा जिले की तमाम तहसीलों की डीपीआर बनाने का काम भी किया। मैं आपसे यह जानकारी चाहूंगा कि माननीय कल्ला साहब ने पिछली बार जो घोषणा की, उसमें भीलवाड़ा के 16 जिलों को लिया था, जिसमें भीलवाड़ा में माण्डल, कराड़ा, शाहपुरा, कोटड़ी, इनकी डीपीआर बन गयी।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात आयी तो इसमें आपने काम तो किया, लेकिन कोरोना की एक बहुत बड़ी मार आपके ऊपर आयी है, निश्चित रूप से उसका प्रभाव भी पड़ा है। पिछली 11 तारीख को जो आपकी मीटिंग फाइनेंस में थी, उसमें मुझे 260 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति माण्डल और कराड़ा के लिये मिल चुकी है, ऐसा मुझे अधिकारियों ने बताया है। मैं चाहता हूं कि इसके जल्दी टैण्डर अगले ही महीने में हो, जिससे यह काम जल्दी शुरू हो। वहां हैंडपम्प और टैंकर लगाने की अभी भी गांवों में कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं। कुछ चीजें हैं, जैसे रेवेन्यू विलेज के अलावा, हैबिटेशन के नाम से गांव छोड़ दिये गये थे,

(श्री रामलाल जाट)

उन गांवों में भी पानी पहुंच सके, इसी के लिये सभापति महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय, को कहूंगा कि आप जब रिप्लाई दें तो आपने जो 11 तारीख को 260 करोड़ रुपये की स्वीकृति निकाली है, वित्तीय स्वीकृति भी निकाल दी, प्रशासनिक स्वीकृति पहले निकाल दी। शायद तकनीकी स्वीकृति बाकी है या टैंडर प्रक्रिया में जाना कुछ बाकी है, इस योजना की जानकारी आप जरूर अपने रिप्लाई में दें। यह महती और बड़ी योजना है, जो घर-घर नल पहुंचाने के लिये और छूटे हुए गांवों में पानी पिलाने के लिये है ताकि इन पैसों का सदुपयोग हो सके। समय रहते, साल भर, डेढ़ साल, जो भी इसका कार्यकाल है, उसमें यह पानी सब लोगों को मिले।

मैं मुख्य मंत्री जी को इस बात का भी धन्यवाद दूंगा कि उस समय उन्होंने नारा दिया, जब पहली बार मुख्य मंत्री बने थे, 'पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ' उसका बड़ा मखौल उड़ाया गया था। किस तरह उस नारे का मखौल उड़ाया, जबकि आज पानी की डिबेट में हर आदमी पानी बचाने की बात कर रहा है, रिसोर्स को डवलप करने की बात कर रहा है, सबको पढ़ाने की बात कर रहा है, वृक्षों की कटाई की बात कर रहा है, वृक्ष लगाने की बात कर रहा है। ये चीजें उस समय मुख्य मंत्री जी ने कही थीं, अगर आप उसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देते तो इतने टाइम में राजस्थान में कई जिलों में पेयजल की दिक्कत नहीं आ पाती।

बिजली कनेक्शन की बहुत बड़ी दिक्कत है। माननीय सभापति महोदय, आपके विधान सभा क्षेत्र में भी यह दिक्कत है। माननीय मंत्री जी इसमें जरूर ध्यान देंगे। आपकी जितनी भी योजनाएं हैं, अभी भी पंचायती राज के डवलपमेंट का पैसा है, उससे बिजली के बिल भरे जा रहे हैं। आप इसका कोई सोर्स निकालें। बिजली की रेट कम करें, पानी की योजना के लिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, प्लीज।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट, लास्ट है, कनक्लूड कर रहा हूं। गांव के लिये जो पानी दे रहे हो, उसकी बिजली की रेट कम करें, पंचायतों के पास पैसा नहीं है। निजी आय की कमी है। बड़ी-बड़ी पंचायतों में तो निजी आय भी आ जाती है तो निश्चित रूप से ये बिजली का बिल भर पाएंगे। इसके साथ ही हैंडपम्प, आप जो नल की टोंटी लगाते हो, खेली का निर्माण करते हो। माननीय मंत्री जी, जहां आप हैंडपम्प लगाते हो तो जो आपकी नल की टोंटी लगती है, जहां पर आप छोटी-सी खेली

(श्री रामलाल जाट)

का निर्माण करते हो, वह पानी के रीचार्ज का बहुत बड़ा सोर्स है। जो योजना बन रही है, जहां पानी वेस्ट जाता है, वहां खेली का निर्माण हो, ताकि जानवर भी पीये, गाय भी पानी पीये, जीव-जन्तु भी पानी पीये, जहां पानी का लीकेज है, आप जहां वाल्व लगाते हैं। जंगल में जगह-जगह आपकी लाइन जा रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सहयोग करें, प्लीज। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): एक मिनट, जंगल में जहां आपके पंप हाउस लगे हुए हैं, वहां पर पानी यूं ही बेकार जा रहा है, उस पानी पर आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे व खेड़ी का निर्माण कर देंगे तो पानी बचेगा।

एक लास्ट पाइंट रहा, माननीय मंत्री जी, इसकी जो क्वालिटी है, आपके जितने पाइप लगे हैं। योजना आगे बढ़ाते जा रहे हो, पीछे वे पाइप टूटते जा रहे हैं। पता नहीं, कौनसी क्वालिटी के डालते हैं? इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। आप पाइपों की क्वालिटी पर जरूर ध्यान दें, कम से कम पाँच साल तो चलें। निश्चित रूप से ये योजनाएं सफल हो पाएंगी और मुख्य मंत्री जी की सोच है, वह पूरी हो पायेगी। सभापति महोदय, आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी बातों पर निश्चित रूप से ध्यान देंगे, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल व्यवस्था पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये बहुत -बहुत आभार और धन्यवाद। उदयपुर जिले की मावली तहसील, जहां की जनता ने मुझे यहां पहुंचने का मौका दिया। मैं आपसे निवेदन करूं कि इस सदन में दो अध्यक्ष मावली विधान सभा से रहे हैं। इसलिये मुझे भी गर्व है कि मैं इस सदन का सदस्य बना। सबसे पहले मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि पिछली बार मावली तहसील में पानी की भयंकर समस्या थी। मैं उनके पास गया, उन्होंने तुरन्त कुछ हैंडपंप और पानी की कुछ योजनाएं स्वीकार कर लीं, उसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मावली तहसील में 1956 में, मैं सदन की सब बैठकों में इस बात की मांग कर चुका, 1956 में बागोलया डैम बना और वह 15 वर्ष से पानी के लिये तरस रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि उदयपुर का उदयसागर, वहां से पानी जाता है और हमारी ऐसी इच्छा थी कि बागोलिया की डीपीआर बन गयी है। उदय सागर का पानी बहता-बहता बीसलपुर तक जाता है। मेरी प्रार्थना है कि आप उस पानी

(श्री धर्मनारायण जोशी)

को नहर के माध्यम से डाइवर्ट करें, वह 56-57 करोड़ रुपये की योजना है। उस स्कीम को स्वीकृत कर बागोलिया को भरने की व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे मावली क्षेत्र में आमली पंचायत में साढ़े तीन करोड़ का फिल्टर प्लांट बना हुआ है। वहां से आस-पास के पांच गांवों में पानी सप्लाई होना था। एक गांव में पानी सप्लाई हो रहा है। पुराने अधिकारियों ने, जब स्कीम बनी तो लोहे के पाइप की बजाय सीमेंट के पाइप डाल दिये और अब वे पाइप धंस गये। उसका कुछ नहीं हुआ। सभापति महोदय, मावली क्षेत्र में अनेक टंकियां बनी हुई हैं। साबरदिया की टंकी 20 साल से बनी हुई है। उसमें कभी एक बाल्टी पानी भी नहीं आया। सवानिया गांव की टंकी बनी हुई है, सरेगांव में चार टंकियां बनीं, चारों में पानी का पता नहीं। एक टंकी से पानी की सप्लाई चल रही है। ऐसी तीन टंकियां ऐसे ही पड़ी हैं। बड़े अधिकारियों ने कहा कि पानी ही नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि अधिकारियों को टंकी में थोड़ा ज्यादा मिलता होगा, स्कीम का पता नहीं। पानी कहां से आयेगा, इसका पता नहीं। ऐसे ही आपको आश्चर्य होगा कि मैं फतेहनगर गया। राजस्थान की बड़ी मंडियों में फतेहनगर मंडी है। वहां पानी की टंकी जर्जर हालत में है। दो साल से मैं कोशिश कर रहा हूं कि वह टंकी रिपेयर हो जाए? जब मैं टंकी के पास गया और वहां कुछ लोगों को बुलाया और पूछा कि टंकी रिपेयर हो गयी? 1 लाख 69 हजार रुपये टंकी के रिपेयर के स्वीकृत हो गये, पैसा उठा लिया। वहां जाकर मैंने पूछा टंकी की सफाई हुई, रिपेयर हुई क्या? तो वहां लोगों ने कहा एक दिन चार मजदूर आए थे और झाड़-फूंक करके कचरा साफ करके चले गये और कोई सफाई नहीं हुई। उस अधिकारी ने मेरे से माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गयी है। हालांकि अधिकारी को आपके माध्यम से, आपने उसको सज़ा भी दी, इधर-उधर उसको कर दिया।

फतेह नगर में इंडस्ट्रियल एरिया में टंकी बनी हुई है। वह भी ऐसे ही पड़ी है। लोग उसके लिये परेशान हो रहे हैं। हिन्दुस्तान जिंक, जिसने मानसी वाकल योजना के लिये पैसा दिया था 31 दिसम्बर, 2020 को, उसका एग्रीमेंट खतम हो गया। वह लाइन पड़ी हुई है। मेरी आपसे प्रार्थना है उस लाइन से मावली तहसील में स्कीम बनाकर के पानी सप्लाई की जाए क्योंकि हिन्दुस्तान जिंक के कारण हमारी 10-11 पंचायतें हैं, न तो मवेशी पानी पी सकते हैं, वहां की जमीन खराब हो गयी है। हिन्दुस्तान जिंक कोशिश कर रहा है, वहां पर उन्होंने आरओ प्लांट लगाये हैं। अभी चार दिन पहले मैं 7 आरओ प्लांट का

(श्री धर्मनारायण जोशी)

उद्घाटन करके आया हूं। उनकी तरफ से वह पूरी कोशिश कर रहे हैं। मानसी वाकल जो बांध है, 1960 के दशक में माननीय मोहन लाल जी सुखाड़िया इस सदन के नेता थे, उनका सपना था। उन्होंने वह स्कीम बनाई। चार जगह डैम बनेंगे, उस समय 300 करोड़ की योजना थी और आज करोड़ों उसके चले गये। दो फेज अभी भी बाकी हैं, दो फेज अभी भी नहीं बने हैं। अब सुखाड़िया जी के जाने के बाद क्या परिस्थितियां बनीं? मैं उन परिस्थितियों पर जाना नहीं चाहता हूं। उसके बाद भैरोंसिंह जी ने एग्रीमेंट किया हिन्दुस्तान जिंक के साथ, वह डैम बना। उदयपुर शहर में 2051 तक 2600 एमसीएफटी पानी की आवश्यकता रहेगी। मावली में आज भी निजी कुओं और टैंकरों से पानी की सप्लाई चालू हो गयी है। मेरा आपसे सुझाव है कि पानी की कमी पूर्ति करने के लिये देवास फेज सैकण्ड, थर्ड और फोर्थ की स्वीकृति प्रदान की जाए। उसकी डीपीआर भी तैयार है। 1990 में उसकी डीपीआर बन गयी है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, मुझे दो मिनट ही हुए हैं अभी। मेरी प्रार्थना है आपसे, मुझे मेरी बात पूरी रखने दें। देवास थर्ड और फोर्थ फेज का 2013 में कार्यालय खुल गया। स्टाफ भी है, कर्मचारी भी है और स्टाफ कर्मचारी फालतू बैठे हुए हैं। अभी उनकी स्थिति यह है कि जो बाढ़ आती है, बाढ़ नियंत्रण में उनको लगा देते हैं।

एक स्कीम हमारी बिरोटी नाका, आपको आश्चर्य होगा बिरोटी नाका अगर बनता है, बिरोटी नाके की सर्वे हो गयी, उसकी भी डीपीआर बनी है। बिरोटी नाका अगर बनता है तो उदयपुर की बहुत बड़ी समस्या, जिसका पानी ग्रेविटी से जयसमंद भी जाता है और राजसमंद भी जाता है, वह पानी वेस्ट होकर गुजरात जा रहा है।

एक स्कीम बनी, वहां पर खाचन की पुलिया के यहां क्योंकि बिरोटी के लोगों ने विरोध किया कि वे लोग कहां जाएंगे? अगर डैम बन गया तो डूब में आ जाएंगे। नई स्कीम बनी और कोटड़ा के पास में खाचन की पुलिया के पास उसकी स्कीम बनी। एक निवेदन करना चाहता हूं कि जयसमंद टनल से, परन्तु ये सब स्कीम होने के बाद..

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। श्री अशोक खण्डार।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): जवाई बांध में पानी के लिये जोधपुर से अधिकारी आए, सभापति महोदय, मेरी एक मिनट की बात सुन लीजिए।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

जवाई बांध में पानी डालने के लिये एक स्कीम बनी और उसका भी सर्वे हुआ परन्तु उसका भी कुछ नहीं हुआ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि हिन्दुस्तान जिंक को जो पानी दिया जा रहा है, वह पानी अभी बंद हो गया है। मावली क्षेत्र में पानी की स्कीम बनाकर उस पानी की सप्लाई की जाए।

फिर उदयपुर शहर में वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से यूआईटी पैसा लेती है। करोड़ों लाखों रुपये लोगों से ले लिये। एक रुपया कहीं भी, यूआईटी में न तो मोनिटरींग है, न कहीं पैसा लगाया है। एक अंतिम बात निवेदन करके अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय गुलाब सिंह जी शक्तावत थे, उन्होंने वल्लभनगर के लिये माही बांध का पानी जाखम के नीचे नागलिया डैम है, उसमें ग्रेविटी से आएगा और नागलिया डैम का पानी वल्लभनगर, वल्लभनगर का पानी मावली और मावली का पानी राजसमंद में जाएगा। अगर ये स्कीम भी पास हो जाती है तो मेवाड़ के लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।

श्री सभापति: श्री अशोक खण्डार।

श्री अशोक (खण्डार): सभापति महोदय, पेयजल की मांग संख्या 27 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। इस बार के बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पेयजल योजनाओं पर काफी दिल खोलकर योजनाओं को स्वीकृत किया है, बजट घोषणाएं की हैं। मुझे उम्मीद है कि इन योजनाओं से प्रदेश के दूर-दराज ग्रामीण अंचल तक पेयजल की समस्या का समाधान होगा। 'जल जीवन मिशन' के तहत हमारे प्रदेश में घर-घर ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिये बीस लाख घरों की आबादी को पेयजल उपलब्ध होगा। ऐसी अनेक योजनाएं हर जिले में बन रही हैं। बड़ी-बड़ी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा में बोली हैं।

मेरा तो इतना ही मानना है कि इन योजनओं को जब हम धरातल पर लाएंगे तो राजस्थान की जनता पेयजल के मामले में अपने आपको बहुत लाभान्वित महसूस करेगी। अभी पूर्वी राजस्थान में 13 जिलों की जीवन दायिनी 37 हजार करोड़ की लागत की पूर्वी राजस्थान परियोजना, ईआरसीपी को धरातल पर लाने की प्रतिबद्धता माननीय मुख्य मंत्री जी ने बताई है। इसका भी उनको बहुत-बहुत आभार। अगर यह योजना धरातल पर आती है तो 13 जिलों के लोगों को, ग्रामीणों को, जनता को लाभ मिलेगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में करीबन

(श्री अशोक)

1100 करोड़ की ईसरदा बांध पेयजल परियोजना का काम चालू है। बहुत द्रुत गति से इसका काम हो रहा है। इससे हमारे पूरे क्षेत्र को, सवाई माधोपुर को, बामनवास को, दौसा तक के अंचल को पेयजल का लाभ मिलेगा। ऐसी अनेक योजनाओं से मेरे क्षेत्र के लोगों को लाभ मिलने से वहां की जो पेयजल की समस्या है, उसका समाधान हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के सम्बन्ध में जो पीएचईडी की स्कीम चल रही हैं, वह बड़े-बड़े कस्बों में, गांवों में पुराने समय की हैं। उनका और विस्तार करने की आवश्यकता है जैसे खण्डार, छाण, भैरोंडा कला, भैरोंडा खुर्द, बालेर, कुस्तला, चौथ का बरवाड़ा, ईसरदा और सिवाड़ की स्कीमों में सुधार और विस्तार करने की बहुत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इन योजनाओं का विस्तार करने की लिये समुचित बजट उपलब्ध कराए। मेरे क्षेत्र के उपखण्ड चौथ का बरवाड़ा की ग्राम पंचायतों में 'जल जीवन मिशन' के तहत जिला स्तर पर अधिकारियों की लापरवाही से स्कीमों को बनाने का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि चौथ का बरवाड़ा उपखण्ड के जो हमारे गांव वंचित हैं, जिनकी स्कीम समय पर नहीं बन पा रही है, न स्कीम स्वीकृत हो रही है। धरातल पर लाने में समय लगेगा इसलिये हमारे विभाग के अधिकारियों को आप निर्देशित करें कि इन योजनाओं के प्लान बनाएं, स्वीकृत कराएं और जल्दी ही उनको धरातल पर लाएं। मैं समझता हूं खण्डार की तरह उपखण्ड बरवाड़ा में भी इन पेयजल स्कीमों का लाभ मिलेगा।

मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुस्तला में जेजे स्कीम है और यह गांव करीबन 10 से 15 हजार की आबादी का है। पंचायत इसको चलाती है, परन्तु संधारण की हालत खराब है क्योंकि पिछले पांच साल में बीजेपी के टाइम में ग्राम पंचायत ने बिजली के बिल जमा नहीं कराए हैं। अब वर्तमान में करीबन 70 से 80 लाख का बिल बकाया है। हर बार बिजली विभाग आकर बिजली का कनेक्शन काटने की धमकी देता है। बमुश्किल टुकड़े में पैसा जमा कराते हैं। मेरा आग्रह है कि इस स्कीम को, बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ा कस्बा है कुस्तला, अगर इस स्कीम को विभागीय स्कीम में शामिल कर लिया जाए तो ग्राम पंचायत का बोझ हटेगा और ग्रामीणों को पेयजल का लाभ मिल पायेगा। मैं यही आग्रह करूंगा मंत्री महोदय, इस स्कीम को जरूर आप आपकी रेगुलर स्कीम में शामिल करें।

(श्री अशोक)

हमारे क्षेत्र की पीएचईडी विभाग की पेयजल स्कीमों को संधारण के लिये ठेके पर दे रखा है और ठेकेदारों की मनमर्जी और विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठेकेदार लापरवाही करते हैं और कई बार मोटर 5-7 दिन तक जल जाने के बावजूद भी गांव के लोगों को स्कीमों की मोटर नहीं मिलने की वजह से काफी परेशानी होती है। मेरा आग्रह है कि ऐसे ठेकेदारों को, विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करके उनको सुव्यवस्थित करवाएं। यह गांव है भगवतगढ़, सारसोल, सिवाड़ आदि।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवदेन भी करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में पिछली भाजपा सरकार में ग्राम धबून खुर्द ग्राम कावड़, ग्राम हलोन्दा, ग्राम भेड़ूला की स्कीम्स पीएचईडी ने मंजूर की थी और लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो गया परन्तु स्कीम्स स्टार्ट होने से पहले उनके पाइप फट गये। घटिया सामग्री थी, घटिया पाइप थे, इसकी वजह से 5 साल से वह गांवों की स्कीम फेल पड़ी है और विभाग लापरवाही कर रहा है, जांच नहीं कर रहा। अगर जांच होकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही हो तो रिस्क एंड कॉस्ट के आधार पर दुबारा टैंडर होंगे और हमारे चारों गांव की स्कीम है, उसका लाभ मिलेगा। इसमें लाखों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक (खण्डार): मेरा आग्रह है कि इन स्कीमों को चालू करने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाह रहा था कि पूरे राजस्थान में, 13 ज़िलों की जीवनदायिनी स्कीम है, ईआरसीपी को हमारे मुख्य मंत्री धरातल पर लाने की बात कहते हैं और जिम्मेदारी से प्रतिबद्धता दर्शा रहे हैं। पिछली बार हमारे देश के प्रधान मंत्री, जुलाई, अक्टूबर में, चुनाव में आकर, अजमेर व जयपुर में सभाएं करते हैं कि मैं राजस्थान की नहर परियोजना को, ईआरसीपी को, राष्ट्रीय योजना में घोषित करूंगा, परन्तु तीन-चार साल हो गए, मोदी जी अपना वादा भूल गए। मेरा विपक्षी साथियों से आग्रह है कि उनको याद दिलाएं। उनकी आदत चुनावों में भाषण देने की, वादा करने की, जुमले फेंकने की है। इतनी बड़ी स्कीम है, 13 ज़िलों को पानी का लाभ मिलेगा, उससे हमारे प्रदेश के लोगों के साथ धोखा नहीं करें। फेंकते-

(श्री अशोक)

फेंकते इतना फेंक दिया कि अब बेचने का काम भी शुरू कर दिया, फेंकने का काम भी शुरू कर दिया। मोदी जी बुलेट ट्रेन कब चलाएंगे, 15 लाख कब देंगे यह तो पता नहीं, काला धन कब आएगा, यह भी पता नहीं। परन्तु पूरे राजस्थान की ईस्टर्न कैनाल परियोजना है, उसको पूरा कराएं। दाढ़ी बढ़ाने से देश नहीं चलेगा। जनता को धरातल पर लाभ देना पड़ेगा। झूठे वादे, मक्कारबाजी करने से देश नहीं चलेगा। गांधी जी को देखो। दाढ़ी बढाने से देश का कोई भला होने वाला नहीं है। वादा करते हो, घोषणाएं करते हो तो योजनाओं को पूरा करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। समाप्त करें।

श्री अशोक (खण्डार): देश को बेचने का काम बंद करो। देश को बेचने से काम नहीं चलेगा। देश को सच्चाई से लाभ देना है तो सच्चाई से जनता का दिल जीतो। धन्यवाद, जय हिन्द। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मक्कार शब्द असंसदीय है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। बेवजह उत्तेजना मत पैदा कीजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): मक्कार शब्द असंसदीय है।

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान) कुछ सीख लीजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री अशोक (खण्डार): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य ...(व्यवधान) आप विराजिए। कल इतनी देर माननीय अध्यक्ष जी ने आपको समझाया। तोते को पढ़ाए तो तोता बोलना शुरू कर दे, आप तो जन प्रतिनिधि हैं। आपके कोई बात समझ नहीं आती। एक तरफ माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया ...(व्यवधान) लाहोटी साहब, बीच में बोलना जरूरी है?

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: शांत रहें। ज्ञानचंद पारख।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): आप वापस घड़ी देख लेना। माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री महोदय ने आज सदन में मांग प्रस्तुत की है, लगभग 83 सौ करोड़ की। माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसमें आपके डिपार्टमेंट की घोषणा, जोर लगाओगे तो करीब 19 हजार करोड़ की घोषणा है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने डीपीआर और उनको जोड़ लिया।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज। आप लास्ट में जवाब दे दीजिए।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हो सकता है, आप कह रहे हों डीपीआर, हमारी सरकार की योजना ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप उनको इनवाइट क्यों कर रहे हैं?

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय सभापति महोदय, आपने पहले ज़ोन वाइज पैकेज बनाकर जो टैंडर जारी किए थे, बाद में आपको बैक होना पड़ा। डिस्ट्रिक्ट वाइज, योजना वाइज आपने टैंडर लगवाए। वह टैंडर भी आपने लगभग 72 सौ करोड़ के लगवाए थे आज से सात महीने पहले। बाद में ठेकेदारों ने आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। आपने हिम्मत दिखाई। मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपके कारण ही राजस्थान के ठेकेदारों को काम मिलेगा, वरना आपके जो अधिकारी हैं वह तो बाहर के ठेकेदारों को काम देना चाहते हैं।

श्री सभापति: आपका संबोधन आसन की तरफ हो।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय मंत्री महोदय, केन्द्र से भी आपको पिछले साल की तुलना में ढाई गुना राशि इस बार मिलेगी। दो बार आपको 2522 करोड़, 2522 करोड़ मिली। रुपये या गारंटी दोनों मिली हैं। पैसा हमने कम खर्च किया, इसलिये राशि कम आई पर इस बार भारत सरकार से आपको 63 सौ करोड़ रुपये मिलने वाले हैं, आपको इस बार मिलेगा। अब इस 63 सौ करोड़ को खर्च करने के लिये आपके पास योजना तक नहीं है। आपने मांग ही 83 सौ करोड़ की पेश की है, तो यह 12 हजार 600 करोड़ रुपये का काम आप कैसे कर पाओगे, जबकि आपका पुराना काम भी काफी पैंडिंग है। थोड़ा आप करेक्ट करवा देना अधिकारियों से पूछ कर। भारत सरकार 63 सौ करोड़ देने को तैयार है तो हमारी उतनी बजट की व्यवस्था हो जाए और उसका पूरा का पूरा लाभ मिल जाए।

माननीय मंत्री महोदय, यह पानी का मामला है। आपकी छवि बहुत अच्छी है, बहुत सीधे-सादे आदमी हो। आपको बहुत अच्छा मौका मिला है। आबकारी मंत्री जी, गांव-गांव, गली-गली में दारू पहुंचा सकते हैं तो आप पानी क्यों नहीं पहुंचा सकते, आपकी क्षमता कम है क्या? थोड़ा आप संकल्प लीजिए। माननीय नरेन्द्र मोदी जी का संकल्प है कि हम 2024 तक हर घर

(श्री ज्ञानचंद पारख)

तक, नल से कनेक्शन दे देंगे, तो मंत्री महोदय, यह राजस्थान की जनता आपको कभी भूलेगी नहीं।

माननीय मंत्री महोदय, आपकी प्रोग्रेस को आपने देखा होगा कि दो साल में हमें कितना करना था और हमने कितना किया। जो कमी रह गई, उसको आप कैसे पूरी कर सकते हो। 2019-20 में हमको केन्द्र से 2522 करोड़ रुपये मिले, इतने ही हमको देने थे और पहले से हमारे पास केन्द्र के 995 करोड़ रुपये थे। मतलब कुल 3517 करोड़ तो हमको पहले साल ही मिल गए। हमने क्या किया, हम मात्र 537 करोड़ के काम करवाने में सफल रहे, बाकी सारा का सारा पैसा, जो हमारा इस काम के लिये था, वह हम उपयोग नहीं ले पाए, उसका नुकसान प्रदेश की जनता को हुआ। 2020-21 में भी हमें 2522 करोड़ रुपये मिले, हम इतनी राशि नहीं जुटा पाए। 2020-21 में भी हम मात्र 630.51 करोड़ का काम करवा पाए, इतना कम करवा पाए।

माननीय सभापति महोदय, लक्ष्य क्या था, हमको अब तक 40 लाख घरों में नल का कनेक्शन करवा देना था, हमने 6.34 लाख घरों तक ही करवाया। मतलब 33 लाख 66 हजार तो हमारे पहले के बाकी थे, जो हमको करवा देना चाहिए था। देश की प्रोग्रेस आप देखेंगे, इस योजना के शुरू होने से पहले, देश में 17 परसेंट घरों में नल का कनेक्शन था। दो साल में 36 परसेंट घरों में नल का कनेक्शन हो गया, दुगुने से भी ज्यादा। हमारी प्रोग्रेस, हम 11.5 से बढ़कर मात्र 17.85 परसेंट लगभग डेढी, हम बहुत पीछे चले। यह बार-बार इसलिये कह रहा हूं कि हमको हमारी मशीनरी को थोड़ा टाइट करना पडेग़ा। हमको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, तब कहीं जाकर 2024 तक घर-घर नल कनेक्शन का काम हम कर पाएंगे।

माननीय मंत्री महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने पहले संकट था, मानता हूं, कोरोना का संकट था, आपका एक साल कोरोना में चला गया। सरकार बचाने का मामला भी था। अब कोरोना का संकट भी चला गया, सरकार भी आपकी सुरक्षित, अब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में याराना भी हो गया, अच्छा याराना हो गया, दोनों हवा में साथ उड़े भी, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपका पूरा का पूरा फोकस मुख्य मंत्रीजी की घोषणा है। हम कुछ भी अतिरिक्त मांग नहीं करते, पर पवित्र सदन में उन्होंने जो घोषणा की है, उसकी जिम्मेदारी आपकी बनती है। इतना आपसे आग्रह रहेगा कि जो-जो घोषणाएं की हैं वे सारी की सारी घोषणाएं जल्दी पूरी करवा दें, काम करवा दें।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय मंत्री महोदय, मैं सीधा-सीधा अपने क्षेत्र की बात करूंगा, क्योंकि मुझे समय बहुत कम दिया है। अधिकारियों की लापरवाही कह दूं या काम करने की इच्छा-शक्ति नहीं होने के कारण, मेरा क्षेत्र आसानी से घर-घर नल योजना के पहले चरण में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है, लेकिन जब तक योजना नहीं बनेगी, तो फिर पास कैसे होगी। आप अधिकारियों को निर्देश दें। मेरे यहां जवाई बांध का पानी भी उपलब्ध है। इन्फ्रास्ट्रक्चर भी पर्याप्त मात्रा में है। 81 गाँवों के बीच 23 एसआर चालू हालत में है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जो दो या तीन तरफ से पाइप लाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। जब सारा सिस्टम आपका है भारत सरकार का मापदण्ड है, क्लब करके, आप 5-6 गांवों का क्लब बनाकर यदि प्रति कनेक्शन 50 हजार तक का खर्चा आता है तो पहले उनको प्राथमिकता दें। मेरा क्षेत्र तो 30-35 हजार के ख़र्चे में ही पूरा कवर हो जाएगा। आप अधिकारियों को एक समयबद्ध प्रोग्राम दे दें। वह प्रस्ताव बनाकर भिजवा देंगे तो हो सकता है बहुत बड़ी समस्या का समाधान मेरे क्षेत्र में हो जाएगा। मेरा क्षेत्र जोधपुर का पड़ोसी क्षेत्र है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां पाली से रोहट तक सन् 2009-10 में जवाई पाइप लाइन बिछाई गई थी, जिसकी अवधि दस साल की थी, दस साल पूरे हो गए।

(15.00 बजे)

2019 में यह योजना बन जानी थी? 2021 तक यह धरातल पर आ जानी थी, पर मुझे कहते हुए अफसोस है अधिकारियों ने क्या किया, इस योजना के साथ-साथ जो डी.एम.आई.सी. जोधपुर और पाली के बीच में बन रहा है, उसको भी सम्मिलित कर दिया। आपने वह डी.पी.आर. बनाकर भिजवा दी। वह वापस लौटकर आ गई कि वह काटो। उसके चक्कर में काफी देरी हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मेरे एक ध्यानाकर्षण का जवाब आ गया। आपके अधिकारी खुद मान रहे हैं कि इस पाइप लाइन की जो क्षमता है, वह वर्तमान आबादी की तुलना में काफी कम है। वे खुद मान रहे हैं कि वर्तमान मांग 6283 किलोलीटर प्रतिदिन है और इसकी अधिकतम क्षमता 5911 किलोलीटर है, जिसमें आपके अधिकारी कह रहे हैं कि महीने में 3-4 बार, यह पुरानी लाइन होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसकी वजह से महीने में लगभग 7-8 दिन क्लोजर भी

(श्री ज्ञानचंद पारख)

रहता है। जब पानी की पूर्ति, हम प्रोडक्शन बराबर नहीं कर पाएंगे न, तो आगे जो उस सिस्टम से जुड़े हुए गांव हैं वहां तक पानी पहुंचाना मुश्किल काम होगा तो इस योजना को, जो जवाई बांध, वह समयबद्ध हो गई, जिसको आपको करना ही है, आपके नियमों में है, आपको वह करना ही है, तो इसकी फाइल मंगवाकर आप पहले दिखवा देंगे तो रोहट का जो क्षेत्र है उसके गांवों में जो दिक्कत आ रही है, उन गांवों में काफी सुविधा हो जाएगी और आपके अधिकारी मानते हैं कि भूमिगत जल अत्यधिक खारा है तो दूसरा कोई सोर्स भी वहां नहीं है। इसमें मेरा आग्रह एक और रहेगा, रोहट का एक तालाब है। जब जवाई पाइप लाइन नहीं थी तो यह तालाब पी.एच.ई.डी. के काम आता था। यहां पानी का स्टोर करके जब पानी नहीं होता था तो इस तालाब से पी.एच.ई.डी. पानी की सप्लाई करती थी। वह सिस्टम वहां लगा हुआ है। कोई मामूली सी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई होगी या कोई पुरानी मोटर होगी, इस रोहट के तालाब को वापस आपके स्टोरेज का तालाब बनाकर, उसमें जब भी पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो जाए, क्लोजर लेना पड़े या कहीं पानी की कमी आ जाए तो उस अवधि में इस तालाब का उपयोग लेकर हम जनता को राहत दे सकते हैं। यह मेरा आग्रह रहेगा।

ऐसा ही मेरा दूसरा सेन्टर है, जैतपुर। जैतपुर सेन्टर में भी बहुत बड़ा तालाब है। ये पाइपलाइनें क्षतिग्रस्त होंगी, मांग भी बढ़ेगी, तालाब में पानी भी बरसात के मौसम में बहुत बड़ी मात्रा में आता है। इस पानी का भी उपयोग हम पेयजल वितरण में कर सकते हैं तो जैतपुर के तालाब को भी हम पी.एच.ई.डी. को सौंपकर पी.एच.ई.डी. के स्टोरेज के काम में ले लेंगे तो शायद संकट या समस्या काफी कम हो जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, आप जो भी योजना बनाते हैं, यह मनुष्य की आबादी को ध्यान में रखकर बनाते हैं पर हमारे यहां पशुधन बहुत बड़ी संख्या में है। बहुत बड़ी संख्या, मनुष्यों की जितनी आबादी है उससे ड्योढ़े पशु होंगे। पशु को भी पीने के लिये पानी चाहिए। जैसा विभाग का मानना है कि हमारे यहां अतिरिक्त खारा पानी है, तो जहां भूतल खारा है और कोई सोर्स नहीं है तो वहां आप नोर्म्स में थोड़ा चेंज करें। जहां पशुधन ज्यादा है, वहां 55 लीटर की जगह ज्यादा पानी पहुंच जाए ताकि पशुधन की पानी की पूर्ति भी हो जाए और मनुष्य की पूर्ति हो जाए तो यह समस्या कम हो जाएगी वरना आप तो कितना भी पानी भेजेंगे, इन्सान तो वैसे का वैसा प्यासा रहेगा।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय मंत्री महोदय, आपसे कहना चाहूंगा कि पहले से क्षेत्र संकट में है और उसके बाद में अफसरों की कमी है। जे.ईएन. के तीन पद हैं। बहुत बड़ा इलाका, 81 गांव, मात्र एक पद आपका भरा हुआ है, आपके दो पद खाली हैं। ऐसे में मोनिटरिंग प्रोपर होना, यह थोड़ा असम्भव होता है, एक जे.ईएन. के लिये इतनी भाग-दौड़ करना मुश्किल होता है। कम से कम जो संकटग्रस्त क्षेत्र है, वहां आपके जो भी अभियंताओं के पद हैं या तकनीकी कर्मचारियों के पद हैं, अगर आप वे समय पर भर देंगे तो उससे भी कुछ व्यवस्था सुधर सकती है, वरना हम फोन लगाते हैं, पीछे पड़ते हैं तब तो पानी पहुंच जाता है। अगर कोई पीछे नहीं पड़ा तो पानी नहीं पहुंच पाता तो यह सारी मोनिटरिंग की जरूरत है।

माननीय सभापति महोदय, यह अवैध कनेक्शन हैं न, उसमें भी आपको थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी वरना कुछ लोगों को, जो अवैध कनेक्शन लेते हैं, उनको भरपूर पानी मिल जाता है, अपने बगीचे को भी वे पानी पिला देते हैं और पानी का दुरुपयोग भी करते हैं। उसका खामियाजा, जो दूरदराज के गांव हैं टेल-एण्ड वाले, उनको भुगतना पड़ता है तो एक बार अभियान चला कर जितने भी अवैध कनेक्शन आप कटवा देंगे तो इस समस्या से हमारे क्षेत्र की जनता को काफी ज्यादा राहत मिल जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के तीन गांव हैं, जीतड़ा, माडपुरिया, इन्द्रकों की ढाणी। इनका उपखण्ड भी रोहट लगता है, पर पेयजल की सप्लाई सोजत से होती है तो प्रोपर मोनिटरिंग नहीं होती है। वहां ए.ईएन. अलग है, वहां एक्स.ईएन. अलग है, तो अधिकारियों ने एक योजना बनाकर बनवाकर भिजवाई थी कि पाली से जीतड़ा तक पाइपलाइन, और वहां एक स्टेशन बनाकर माडपुरिया, इन्द्रकों की ढाणी और जीतड़ा को पानी दे सकें। अब जल जीवन मिशन में आपको पर्याप्त पैसा मिल रहा है। उसमें अगर आप जीतड़ा को पाली से जोड़ देंगे तो इन तीन गांवों की समस्या का भी समाधान हो जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, मुझे कहते हुए अफसोस है कि पिछले 15 वर्षों में, आपके विभाग की ओर से जो मेरे पास जवाब आया है, उसके अनुसार पेयजल के लिये 142.55 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई। मामूली राशि स्वीकृत नहीं हुई है, पर 142.55 करोड़ की राशि स्वीकृत होने के बाद भी पानी का संकट या पानी की समस्या रहती है तो जिम्मेवारी तय करें। आपकी योजना

(श्री ज्ञानचंद पारख)

बनती है तो कितने अधिकारियों के हाथों से जाकर निकलती है, तब जाकर वह योजना पास होती है। भविष्य की कितनी अभिकल्पित आबादी को देखकर आप योजना बनाते हैं, उसके बावजूद भी एक या दो साल बाद ही संकट पैदा हो जाए और इतना पैसा पानी में चला जाए, हमारा बर्बाद हो जाए तो कहीं न कहीं सरकार को इस पर अंकुश लगाना होगा। मेरा आपसे यह आग्रह रहेगा।

15 सालों में कुल 165 जल योजनाएं स्वीकृत हुई थीं। आपने 164 पूर्ण भी कर दीं। पूर्ण कर दीं आपने, पर आप जाकर वहां पूछेंगे तो हालात में कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं है। टेल-एण्ड के जो गांव हैं, वहां तो वो की वो दिक्कत रहती है।

माननीय सभापति महोदय, यह हमारा डी.एम.आई.सी. आ रहा है, जो बिलकुल रोहट के बोर्डर पर, जोधपुर-पाली के बोर्डर पर है, तो डी.एम.आई.सी. के लिये आप जोधपुर से पानी लाने की योजना बना रहे हैं। डी.एम.आई.सी. जहां स्थित है, वहां से रोहट मात्र 9 किलोमीटर दूर है और इन्दिरा गांधी कैनाल के तीसरे चरण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने रोहट क्षेत्र को भी जोड़ा है। तो जिस समय आप पानी की डी.एम.आई.सी. की योजना पास करें, अगर उसमें रोहट की आबादी को जोड़ देंगे तो हो सकता है कभी जवाई बांध में पानी नहीं आये या इधर से लाइन क्षतिग्रस्त हो जाए, क्योंकि डी.एम.आई.सी. आयेगी तो आबादी जो भी आजू-बाजू की है, रोहट वाली है, वह बढ़ेगी। तो डी.एम.आई.सी. के साथ-साथ आप इसको भी जोड़ देंगे तो रोहट को और राहत मिल जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, यह जवाई बांध हमारे जिले के पेयजल का बहुत बड़ा स्रोत है। जवाई बांध के लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कालीबुर बांध के लिये जरूर कोई सौ करोड़ की घोषणा की है तो मेरा आग्रह रहेगा जवाई बांध को हम पुनर्भरण की स्थिति में वापस जल्दी लाएं।

उदयपुर का जो पानी गुजरात जाता है, उसको रोककर हम यदि जवाई बांध में डाल देंगे तो निश्चित रूप से पाली जिले के लिये यह वरदान साबित होगा, सिंचाई के भी अवसर बढ़ेंगे और पेयजल की जो समस्या है और पेयजल का जो आपका सिस्टम, जिसमें करोड़ों रुपये लग चुके हैं, समस्या से समाधान मिलेगा और करोड़ों रुपये जो लगा हुआ है न, उसका लाभ भी जनता को मिलेगा, वरना जवाई बांध खाली रहा और आपकी पाइपलाइन है, आपका एस.आर. है, आपकी जी.एल.आर. है और अगर पानी नहीं है तो ये सारे के

(श्री ज्ञानचंद पारख)
सारे अनुपयोगी हो जाएंगे। इसलिये जवाई बांध में पर्याप्त मात्रा में पानी आता रहे, उसके लिये कोई भी बड़ी योजना बनाकर आप इसमें थोड़ा प्रयास करेंगे तो मुझे विश्वास है कि पाली में पानी का यह संकट कम हो जाएगा।

अब स्थिति क्या है, माननीय सभापति महोदय, मेरे शहर में तो योजना पास हो गई 24x7 की, जब टोंटी खोलो पानी मिलेगा, शहर में पानी की कमी नहीं। मेरा आधा बैल्ट ग्रामीण लगता है, वहां पानी की भारी कमी। मतलब एक तरफ तो खूब पानी और एक तरफ पानी का संकट। आप इसका संतुलन कैसे बनाएंगे कि जितना पानी शहर में मिलता है उतना नहीं मिले। चलो, शहर में 70 लीटर प्रति व्यक्ति आपका नियम है। गांव में 50 लीटर प्रति व्यक्ति है, पर उतना पानी, 50-55 लीटर, जो भी प्रति व्यक्ति है, 55 लीटर का, यह आपके जल-जीवन योजना में प्रावधान है, तो उतना मिल जाए। शहर में पशु भी नहीं होते, पर गांव में पशु होते हैं तो यह संतुलन आप बराबर करा देंगे तो भी समस्या का समाधान हो जाएगा।

एक आपकी ये जो क्षतिग्रस्त लाइनें हैं, ये पानी की कितनी बर्बादी करती हैं, वह सब जानते हैं। इनको मरम्मत करने में जो वक्त लगता है, उस दौरान जो पानी व्यर्थ चला जाता है, तो आपके जो मिस्त्री हैं, मेट हैं, आपके ये पद खाली हैं। जो पुरानी क्षतिग्रस्त पाइपलाइन्स हैं, आपको यह लगता है कि वह अब ठीक होने योग्य नहीं हैं, एक बार आपका पैसा लगेगा, इन क्षतिग्रस्त पाइप लाइन्स को आप बदलवा देंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में आपका पानी बच जाएगा तो मुझे विश्वास है कि आप इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे।

आपने पिछली बार जो नलकूप दिये थे, उनको थोड़ी मेहरबानी करके चालू करवा दो। दे दी आपने, इस बार और देंगे आप, लग भी गये वह, पर पानी की सप्लाई उससे चालू नहीं हुई है और पहले जो आरओ. प्लांट लगे हुए थे, वह लगभग सारे के सारे आर.ओ. प्लांट बंद पड़े हैं, तो जो आर.ओ. प्लांट पहले लगे हुए थे, मामूली यह खर्चा आएगा, जिस कम्पनी को आपने इसका ठेका दे रखा है, उसको आप थोड़ा टाइट कर देंगे, पाबंद कर देंगे तो आर.ओ. प्लांट के जरिए कुछ मीठा पानी प्रत्येक परिवार को मिल जाएगा तो यह भी आप करवा दें।

अन्त में, मेरा आपसे यही आग्रह रहेगा कि माननीय मंत्री महोदय, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। माननीय प्रधान मंत्रीजी का संकल्प है।

श्री सभापति: आप दो मिनट में अपनी बात को समाप्त करें।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): हां, दो मिनट में, यह लास्ट है। 2024 तक देश के प्रत्येक गांव की, ढाणी के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाना है और उसमें हम बहुत पिछड़े हुए हैं बहुत पिछड़े हुए। थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा अतिरिक्त काम करना पड़ेगा आपके अधिकारियों को। जल्दी से जल्दी जितनी भी योजनाएं बनाकर, उनकी स्वीकृति जारी करके उनके टेंडर लगवा देंगे आप तो 2024 का माननीय प्रधान मंत्रीजी का वह सपना है, वह राजस्थान की जनता को भी साकार लगने लगेगा वरना प्रधान मंत्री चाहते हैं लेकिन आपके यहां पर ढिलाई होगी तो उसका खामियाजा जनता भुगतेगी।

माननीय प्रधान मंत्रीजी का कैसा संकल्प? एक के बाद एक नये संकल्प। देश के हर घर में शौचालय होना चाहिए तो हर घर में पहुंचा दिया। देश के हर घर में लाइट होनी चाहिए तो दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के माध्यम से, चाहे यह कितने भी पोल लगे, उन्होंने लाइट दी। हर गरीब के पक्का मकान होना चाहिए तो प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से ढेर लगा दिया उन्होंने मकानों का। हर व्यक्ति के जन-धन का खाता होना चाहिए तो 80 करोड़ परिवारों का खाता खुलवा दिया और हर घर में गैस कनेक्शन होना चाहिए तो आठ करोड़ परिवारों के गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया और अब हर घर में नल होना चाहिए, वह काम माननीय मंत्री महोदय, आपके हाथ में रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है, आप बहुत भले, सज्जन आदमी हो। जहां पर जाते हैं आपकी तारीफ भी लोग करते हैं। मेरे क्षेत्र की जनता आपको वाहवाही दे, आपकी तारीफ करे, आपको दुआ दे इसलिये यह जरूरी है कि मेरे क्षेत्र के जितने भी प्रस्ताव हैं, आप वह बनवा दें और बनवाकर उनके टेंडर लगवा दें, बहुत कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री मदन प्रजापत।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 27 जो कि पेयजल-पानी के ऊपर है और सबसे प्रमुख मुद्दा है, सभी ने चिंता व्यक्त की। जल है तो जगदीश है, जल है तो कल है।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद में कई सरकारें आईं। अपने पूर्वजों ने, आगे वाली सरकारों ने, सभी जन प्रतिनिधियों ने बड़ी मेहनत की। अपन यह कह दें कि भाई, कुछ नहीं हुआ है लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि भी है। योजना बनती है और समय पर पूरी नहीं होती है, जब तक वह योजना पूरी नहीं हो, उससे पहले ही समस्या ज्यों की त्यों हो जाती है।

माननीय सभापति महोदय, एक लम्बी दूरी से पानी लाना और ढाणियों में बसावट के कारण पानी लाने में भी खर्चा ज्यादा और घर तक पहुंचाने में भी ज्यादा आता है इस वजह से योजनाएं बहुत ही महंगी पड़ती हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्रीजी से दो बातों का निवेदन करते हुए स्थान ग्रहण करूंगा कि हमारे क्षेत्र में, वैसे जिले में तो चार योजनाएं हैं, मोहनगढ़ लिफ्ट कैनाल, पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना, उम्मेद सागर-कल्याणपुर और नर्मदा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो योजनाओं का पानी है, उम्मेद सागर, कल्याणपुर और पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना। आज से दस साल पहले पानी आया लेकिन दस साल में भी वह योजनाएं पूरी नहीं हो सकीं क्योंकि गत पांच साल पहले जो विपक्ष में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई काम नहीं किया, सब बंद हो गया और नहीं करने की वजह से दोनों योजनाएं अधूरी रह गईं। माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से यह निवेदन करता हूं कि उन दोनों योजनाओं में बजट देकर उन योजनाओं को पूरा करें क्योंकि दस साल की गारंटी थी और पूरा नहीं हुआ तो वह योजनाएं बेकार हो जाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, बालोतरा बड़ा शहर है। इन्होंने आनन-फानन में पानी तो शुरू कर दिया लेकिन बिना टैस्ट लाइन के कर दिया। आये दिन लाइन्स टूटती हैं और एक बार लीकेज वापस ठीक करने में तीन-चार दिन लगते हैं क्योंकि बड़ी लाइन है। उसकी वजह से बालोतरा में पानी के लिये त्राहि-त्राहि मच जाती है। मेरा यह आग्रह है कि बालोतरा के आस-पास कम से कम पन्द्रह दिन का एक स्टोरेज बना दें तो पानी की आपात स्थिति में क्योंकि पुराने जल स्रोत बंद हो गये हैं। स्थानीय खारा पानी है और जैसलमेर से पानी आता है तो लाइन है, कभी गड़बड़ भी हो जाती है तो यदि यहां पर स्टोरेज हो जाए तो इमरजेंसी में जनता को तकलीफ नहीं होगी।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा मैं माननीय मंत्रीजी से आपके मार्फत यह निवेदन करूंगा कि शहर में दस करोड़ रुपये का बजट देकर, आबादी बढ़ गयी है, तीन एस.आर. बना दें ताकि पुरानी लाइन्स ठीक हो जाएं और गांवों में पांच करोड़ से दो-तीन एस.आर. बना दें। जैसे कुड़ी है, भीमलाई है, गोदावास एवं डोली है, इनमें एस.आर. बना दें।

माननीय सभापति महोदय, इसमें प्रमुख मुद्दा यह है कि अवैध कनेक्शन जो मजबूत लोग हैं, बदमाश हैं वह अवैध कनेक्शन कर लेते हैं और टेल तक पानी नहीं पहुंचने के कारण मेरा यह निवेदन है कि सख्त कार्यवाही करके, चाहे जोधपुर से आ रहा है, चाहे जैसलमेर से आ रहा है, चाहे स्थानीय हो, चाहे मेरा भाई भी है, अगर किसी बंदे ने भी अवैध कनेक्शन किया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके मुकदमे कराएं ताकि सरकार का डर और भय लगे। ठीक है अपना फर्ज है पानी पहुंचाना, लेकिन बदमाशी करके वह अपने आपमें यह व्यवस्था भंग हो गयी।

इसके अलावा रिक्त पद भी बहुत बड़ी समस्या है। इतना बड़ा तंत्र है, एक जमाने में तो चार-पांच लाइन्स थीं, आज तो इतना बड़ा तंत्र है और जल जीवन मिशन में घर-घर की योजनाएं बन रही हैं लेकिन स्टाफ और इतने रिक्त पद हैं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि कौनसी लाइन कहां पर बिछी हुई है और यह इतने बड़े तंत्र की देख-रेख कौन करेगा?

माननीय सभापति महोदय, कल्याणपुर तहसील हैडक्वार्टर है, पंचायत समिति भी है तो वहां पर कम से कम एक ए.ईएन. आफिस नव सृजित किया जाए ताकि उन पंचायत समिति का कंट्रोल अपने आप में अलग से हो जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा कई बातें आईं और हमने भी यह सुना था 2019 में कि लूणी नदी भरी हुई होगी और हमारे पड़ोसी श्री हमीर सिंहजी भी यहां पर बैठे हैं और वह भी उस सभा में थे, लूणी नदी भरी हुई होगी और आम लगेंगे, यह धरती को सलाम करता हूं। यह वाक्य कोई मामूली आदमी ने नहीं, देश के प्रधान मंत्रीजी ने यह कहा था। न तो लूणी नदी भरी, न हमने कोई आम देखे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा तो मेहरबानी करके आपके मार्फत यह निवेदन है कि यह दो-तीन जो सुझाव दिये हैं, स्टोरेज, एस.आर. और कल्याणपुर में ए.ईएन. आफिस और यह अवैध कनेक्शन। इनके अलावा आज जो यह जल जीवन मिशन में मेरा छोटा-सा सुझाव है कि जो बड़े कस्बे हैं, उनकी पहले स्कीम बनाई जाए ताकि कम खर्चे में ज्यादा लोगों को राहत मिल

(श्री मदन प्रजापत)

सके। बाकी अपना सबका प्रयास हो कि हर घर में मिले, आम आदमी को मिले क्योंकि पानी सबकी जरूरत है और मेहरबानी करके पानी के ऊपर राजनीति नहीं हो और अपन सभी मिलकर और हमारे विपक्ष के साथियों से भी यह निवेदन है कि यह 50 परसेंट की जो है, आप भी यह निवेदन करें और मोदीजी बड़ा दिल रखें और इसको 90 अनुपात 10 में लाएं ताकि राजस्थान का भला हो जाएगा। क्षेत्रफल में हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा राज्य है और इतनी बड़ी जगह में पानी पहुंचाना अकेली राज्य सरकार नहीं कर सकती, अपना सबका फर्ज है कि यह मंत्रीजी घर-घर पानी पहुंचाएंगे और आप 90 अनुपात 10 वाले जनता जल मिशन में, केन्द्र 90 प्रतिशत दे और अपन 10 प्रतिशत दें।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, जो वास्तविक आज के हालात हैं, उसमें जनता का भला हो जाएगा और यह आम और हमारे साथी श्री हमीर सिंहजी से यह निवेदन करता हूं कि वह लूणी नदी वाला वादा भी याद दिलाना ताकि अपन मिलकर आम खा सकें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंह भायल।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये धन्यवाद। पेयजल के बारे में मैं आदरणीय मंत्रीजी को कई बार बता चुका हूं कि सिवाना स्थित अभी मेरे पड़ोसी श्री मदन प्रजापत जो फरमा रहे थे कि सिवाना टेल पर है, पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना योजना जो है ए, बी, सी, डी- इसमें ए फेज में 80 प्रतिशत, बी फेज में 70 प्रतिशत, इसमें काफी जगह काम हो चुका है, पर यह टेल पर होने की वजह से 12 किलोमीटर पाइप लाइन पोकरण-फलसूण्ड की नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि आज बारहवें दिन भी सिवाना में पेयजल के लिये धरना चल रहा है। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। धरने को आज 12 दिन हो गये हैं और इस पेयजल के लिये जब तक वह 12 किलोमीटर पाइपलाइन लगाकर हैंडल पाइंट तैयार नहीं होगा तो सर्दियों में 25 दिन में पानी आ रहा है और इस योजना को सही ढंग से नहीं बनाया। 101 गांव इसी योजना से जुड़े हैं। एस.आर. की एन.ओ.सी. मिलने के बाद भी मैं ईमानदारीपूर्वक, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि छह तारीख को आचार संहिता लगी थी, उसके बाद में इस योजना में एक फीट भी पाइप नहीं लगा। अब इससे ज्यादा बड़ी बात और क्या

(श्री हमीर सिंह भायल)

हो सकती है। वहां दो ए.ईएन. की पोस्ट है, एक डेपुटेशन पर लगा हुआ है। चार जे.ईएन. की पोस्टों में से एक भी नहीं है। अधिकारी नहीं है। पूरा विधान सभा क्षेत्र है, तीन पंचायत समिति हैं, तीन तहसीलें हैं, दो उप खण्ड हैं। पम्प ड्राइवर के भरोसे पूरा विधान सभा क्षेत्र चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि सिवाना, बाड़मेर में है, राजस्थान में है। सिवाना दूसरे प्रान्त में नहीं है।

मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि कैसे भी करके इस ब्लाक में 12 किलोमीटर पाइपलाइन नहीं आएगी तब तक सिवाना के लिये पेयजल की भरपाई नहीं होगी। लोगों में यह हालत हो गयी है। मेरे सिवाना क्षेत्र के गांव मूठली से, थापन से लगाकर, कुसीप, खाखलाई, पादरड़ी, मोकलसर, माइलावास से लगाकर पूरा भाखरड़ा बैल्ट, सिणधरी की यह हालत है। मेरे सिणधरी में सांसीरा, चाड़ों की ढाणी, अन्याली, गालानाड़ी, नाकोड़ा, लोईडी, दाखा, धनवा, भूंका से लगाकर सारे गांवों में पेयजल स्थिति खराब है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 13 गांव नर्मदा से इस सर्वे में हैं। आज दिन तक उस पर काम शुरू नहीं हुआ है, होडू से कमठाई, डंडाली से लगाकर।

माननीय सभापति महोदय, हम और दूसरी चीजों के बगैर रह सकते हैं, पर पानी के बिना नहीं रह सकते। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज धरने को चलते हुए 12 दिन हो गये हैं। सैकड़ों आदमी वहां बैठे हुए हैं, पर आज की तारीख में प्रशासन बाड़मेर के यहां से किसी ने धरने वालों से बात नहीं की। वहां लोग प्रतिदिन ज्ञापन दे रहे हैं, पर किसी ने बात नहीं की। माननीय सभापति महोदय, मुझे भी कल धरने पर बैठना पड़ेगा। माननीय मंत्रीजी, करें क्या? वहां पर हालात ये हो गये हैं कि इनको नर्मदा से जो पानी देना था, उनका अभी तक कोई नाम नहीं, पोकरण-फलसूण्ड की यह हालत है। उम्मेद सागर का जो पानी शुरू हो गया था 2018 में, वह जरूर चल रहा है, पर उसकी भी मोनिटरिंग होनी चाहिए। बिना अधिकारी मोनिटरिंग कौन करे? वहां पर एक भी पाइप नहीं है, ज्वांइट नहीं है, जले हुए पम्प को बदलने वाला कोई नहीं। अब हम टेलीफोन करके किसको बताएं। एक वहां पर पोखर नाम का देवासी है, वह पम्प ड्राइवर है। वह फोन उठाता है, माननीय सभापति महोदय, वह कहता है कि मैं किसको कहूं? गर्मी को देखते हुए आप कम से कम वहां पर टैंकरों की तो व्यवस्था करें। 12 किलोमीटर की पाइपलाइन जब तक चालू नहीं होगी तो हालत चिंताजनक रहेगी। आज धरने को बारहवां दिन

(श्री हमीर सिंह भायल)
तो चल रहा है और यह धरना आगे और बढ़ेगा। यह आपके और हमारे, सबके लिये ठीक नहीं रहेगा।

बिजली के बारे में मैं आपको निवेदन करूंगा। आपने बिजली के बिल बढ़ा दिये और हमारे वहां कनेक्शन कटने का कारण ही यह है।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): आज बिजली की डिमांड नहीं है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): बिजली की नहीं है, पर मैं इसलिये कह रहा हूं कि कई किसानों ने कुए पर कनेक्शन इसलिये ले रखा है कि दिन में एक ड्रम पानी भी मिले तो सही। पानी अगर निकलेगा तो जीवन बचा रहेगा। माननीय उद्योग मंत्रीजी, हमारे वहां ढाणियों में बसावट है। कोई ढाणी में रहता है, कोई कुए पर रहता है। इसलिये पानी की बड़ी दिक्कत है। आप तो मेरी इतनी ही प्रार्थना स्वीकार कर लें, माननीय सभापति महोदय, आप मंत्रीजी को फरमाएं, यहां अधिकारी भी बैठे हुए हैं कि पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई तो वहां सिवाना में त्राहि-त्राहि तो मची हुई है और बारहवें दिन भी धरना चल रहा है। आगे और भी ज्यादा मुसीबत खड़ी होगी। यही मेरा निवेदन और प्रार्थना है, इसको स्वीकार करें। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं आपको व्यक्तिगत भी बता चुका हूं। बिना अधिकारी वहां काम हो रहा है और जब तक वहां 12 किलोमीटर पाइपलाइन नहीं लगेगा तो इसका कोई समाधान नहीं होगा। 101 गांवों के लिये एस.आर. नहीं बनेगी, हैंडल पाइंट सही नहीं होगा, तब तक इसका किसी तरह का समाधान नहीं हो सकता। माननीय मंत्रीजी, आप 101 गांवों में सब जगह टैंकर से सप्लाई नहीं कर सकते। बड़े-बड़े कस्बे हैं, मोकलसर, माइलावास, सिवाना से लेकर सिणधरी, यह स्थिति बनी हुई है। मैं बस मेरी इतनी बात कहकर कहूंगा -

मैं जल हूं, जीवन जल
कहते हैं मुझे गंगाजल,
अजर हूं मैं तेरी काया की,
धार हूं, स्वस्थ हूं, पवित्र हूं,
मैं जीवन जल हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने

(श्री आलोक बेनीवाल)

मांग संख्या 27-पेयजल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद। बहुत ही गम्भीर विषय है और यह सदा आमजन से जुड़ा विषय रहा है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से आज भारतवर्ष में सबसे बड़े राज्य की गिनती में आता है। इसका सबसे बड़ा भूभाग, जो राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति है, उसमें पानी की जो उपलब्धता है, वह हम सब भली-भांति जानते हैं। पानी का क्या महत्व है और जल के बिना जीवन अधूरा है। इस जल से ही हमारा जीवन चलता है। आज इस प्रदेश में जो जल की स्थिति है और उस जल का जो दोहन है, उसका जो उपयोग है, वह लगातार बढ़ता जा रहा है। उस दोहन के कारण हमारे इस क्षेत्र में या प्रदेश में 2017 में जो कुल ब्लाक 295 थे, उनमें से लगभग 194 अति-दोहन क्षेत्र में आ गये। ऐसा करते-करते आज राजस्थान की स्थिति पेयजल के मामले में काफी गम्भीर हो गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहूंगा। जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, उसमें देखते-देखते जो पानी की स्थिति है, वह भी बहुत विकट होती चली गयी। आज चाहे नगरपालिका क्षेत्र हो, चाहे मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र हो, सबसे बड़ी जो मांग है आज की तारीख में, वह पेयजल की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि अभी काफी सारा पैसा दिया। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने मेरे नगरपालिका क्षेत्र में लगभग 21.50 करोड़ रुपया पेयजल के लिये दिया, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करना चाहूंगा। साथ ही मेरे यहां काफी सारी पंचायतों में जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा पैसा माननीय मंत्रीजी ने सैंक्शन किया, उसके लिये भी मैं माननीय मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं।

हमारे मंत्री महोदय लगातार, जो पेयजल की समस्या है किसी भी विधान सभा क्षेत्र में, चाहे जल जीवन मिशन की स्कीम हो, चाहे पाइप की स्कीम हो, इसके अन्दर लगातार ग्रामीण क्षेत्र में जो पानी की मांग है, उसकी पूर्ति करने का काम हमारे मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व में चल रहा है, इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र जो चौमूं का प्रशासनिक क्षेत्र है, उसमें 10 पंचायतें मेरी भी लगती हैं। एक सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ में यह आती है कि जो चौमूं विधान सभा क्षेत्र है, उसमें कई पंचायतें लगती हैं और मेरी यह 10 पंचायतें

(श्री आलोक बेनीवाल)

कई बार उसमें उपेक्षित रह जाती हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि लगातार वहां के अधिकारी, चाहे एक्स.ईएन. हैं, चाहे ए.ईएन. हैं, उनके पीछे पड़कर मेरे क्षेत्र की जो 10 पंचायतें हैं, उनकी योजना को सैंक्शन कराने में मुझे काफी मशक्कत करनी पड़ती है।

कई बार जैसे मेरे जो शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र है, जिसमें एक्स.ईएन. आफिस लगता है शाहपुरा, ए.ईएन. आफिस लगता है शाहपुरा, वहां मुझे इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मानिटरिंग नहीं करनी पड़ती जितनी मुझे उन 10 पंचायतों के लिये करनी पड़ती है। अभी भी मेरे वहां पर लगभग 26 पंचायतों में जल जीवन मिशन की योजना सैंक्शन हुई और उन 10 पंचायतों में मात्र एक ही जगह हो पायी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेरे चौमूं में लगती है हाथणोदा, नांगल भरड़ा, तिगरिया, अमरपुरा, निवाना, देवथला**,** नांगल कोजू, कंवरपुरा, खेजरोली, तिगरिया, यह 10 पंचायतें जो लगती हैं इनकी भी लगातार मानिटरिंग करके और इसकी डिजाइन बना करके और वहां पर जो भी पेयजल के लिये आवश्यक व्यवस्थाएं हैं उनकी व्यवस्था कराने का काम करेंगे, यह मेरे को पूर्ण विश्वास है।

अभी आपके थोड़े दिनों बाद भी मीटिंग होने वाली है, उसमें इन योजनाओं का निस्तारण शीघ्र अतिशीघ्र हो, इस बात की भावना को ध्यान में रखते हुए, मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आप इन गांवों की योजना को भी सैंक्शन कराने का काम करेंगे।

मेरे एक बहुत बड़ा कस्बा है मनोहरपुर, बहुत बड़ी आबादी है। इसी के साथ में एक कस्बा है खेजरोली, यह दोनों ही जगह बहुत बड़ी हैं। खेजरोली को बावनी कहा जाता है क्योंकि उसका फैलाव बहुत लम्बा है। इसके कारण मेरी आपसे मांग रहेगी कि मनोहरपुर और खेजरोली दोनों की अलग से योजना बना करके इनके लिये आप अलग से पैसा दें। इसमें बहुत पुरानी पाइप लाइन हो गई है और पुरानी पाइपलाइन होने के कारण यह जो पाइपलाइनें अंडरग्राउंड हैं, सबसे ज्यादा अगर चोरी होती है तो इन अंडरग्राउंड पाइप लाइन के कारण भी होती हैं। पानी की जो रुकावट है, पानी का जो सोर्स है वो आम आदमी के पास में सब जगह तक पहुंचे, उसके अन्दर अगर सबसे बड़ी रुकावट है तो यह बीच में जो पाइपलाइन को तोड़ करके अवैध कनेक्शन करके...

श्री सभापति: एक मिनट में बात समाप्त करें।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): साहब, बस दो ही मिनट और लूंगा।

इसलिये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इसका कुशल प्रबंधन करें। नगरपालिका शाहपुरा में जहां से मेन पाइपलाइन आती है अलवर तिराहे से, हमारे पी.एच.ई.डी. वाले वहां लगातार मोनिटरिंग करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी कम से कम 32 अवैध कनेक्शन वहां से हटवाये थे। 32 अवैध कनेक्शन जो अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग ढंग से कर रखे थे तो यह अवैध कनेक्शन की बहुत बड़ी समस्या हर कहीं, विधान सभा में कहीं चली जाएं वहां रहती है।

साथ ही जल जीवन मिशन का जो पूरा स्वरूप है उसमें जब आप इसको हैंडओवर करेंगे तो लगभग 15 लोगों की एक कमेटी बनेगी हर ग्राम पंचायत स्तर पर, जिस भी गांव में आप हैंडओवर करेंगे। एक समस्या आपके सामने भी आयेगी और मेरे सामने भी आ रही है। कई पंचायतों में जो सरपंच महोदय हैं या सेक्रेटरी हैं वो इसको एक्सैप्ट करने में या इसको लेने में हिचकिचा रहे हैं तो यह आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें काम कैसे होगा, यह अभी भी लोगों को ग्रामीण स्तर पर पता नहीं है कि इसका पूरा स्वरूप क्या होगा। आपने काम तो कर दिया, बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका आगे इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको मेन्टीनेंस कैसे करेंगे, कौन लोग इसके जिम्मेदार होंगे, उसके ऊपर हमको ध्यान देने की जरूरत है। हम बहुत पैसा पेयजल पर खर्च करते हैं लेकिन उसको सुचारु रूप से हर आदमी के पास वहां पानी पहुंच सके, उसके सम्बन्ध में हमारे को बहुत अधिक मोनिटरिंग करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री मंजीत धर्मपाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): मैं पुन: माननीय मुख्य मंत्री जी का और आपका धन्यवाद करता हूं कि मेरे यहां जो पेयजल की समस्या है उसके सम्बन्ध में आपके सामने मैंने जो विचार रखे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप उसकी पूर्ति करने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): आदरणीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 - पेयजल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

आदरणीय सभापति महोदय, जब यह चर्चा चलती है कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर होगा तो हम सबकी चिंता स्वाभाविक है। आज जिस तरह के हालात देश-प्रदेश में बने हुए हैं, सतही जल की निरन्तर कमी होती

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

जा रही है, पानी की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है, मानसून बेरुखी पर है, जल स्रोत बदहाली पर हैं, साथ ही जल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है।

मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि अब वह समय आ गया है कि भू-जल को राष्ट्रीय सम्पदा घोषित किया जाए। वह समय आ गया है जब पानी चाहे सिंचाई का हो या पीने का हो, उसके लिये दीर्घकालीन योजना बनाई जाए। अगर बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के 33 जिलों में से 26 जिले डार्क जोन में आते हैं और उन 26 में से 12 जिले क्रिटिकल जोन में आते हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, अगर मैं बात करूं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर की तो वहां पर लगातार दो साल से मैं पानी की समस्याओं के लिये निरन्तर आदरणीय मुख्य मंत्री जी से और आदरणीय मंत्री जी से और सरकार के अधिकारियों से मिलता आया हूं। सरकार के बड़े से बड़े अधिकारी से लेकर और छोटे अधिकारी आज यहां अधिकारी दीर्घा में उपस्थित हैं, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं। अगर मैं बात करूं मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के कुछ गांवों की तो मुण्डावर कस्बे के साथ-साथ ततारपुर, बडली, इकरोटिया, नारेड़ी, सोरखा खुर्द, मातौर, बिरटोली, बड़ी, जिन्दोली, कादर नगर, खुशालवास, रूंध, अजीजपुर, बेहरोज, नांगल सिंघलका, खानपुर मेवान, खरेटा, सुहेटा, सोरखा कलां, चकोलिया, रेणागिरी, सबलगढ़, रायपुर, रानोठ, टेहड़का, श्योपुर, पेहल, यह ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के पानी के स्रोत लगातार कम होते जा रहे हैं, नलकूप सूखते जा रहे हैं, सिंगल फेज थ्री फेज बोरिंग सूखते जा रहे हैं और इन गांवों के आसपास पीने के पानी के कोई भी भू-जल स्रोत नहीं हैं। ए.सी.एस. साहब यहां पर बैठे हुए हैं, मैं कुछ दिन पूर्व उनसे मिला था। आदरणीय मुख्य मंत्री जी से मैं इस प्रस्ताव को लेकर मिला था कि हमारे यहां पर सोडावास कस्बे से साबी नदी निकलती है, साबी नदी के अन्दर इतना पानी है कि आने वाले कुछ सालों तक, 10-15 सालों तक इन सभी गांवों को, 20-25 गांवों को उससे योजना बनाकर जे.जे.एम. के तहत उसमें योजना बनाकर इन 20-25 गांवों के लिये वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है। ए.सी.एस. साहब ने मेरे सामने आदरणीय चीफ इंजीनियर साहब को फोन किया, उन्होंने मेरे सामने उनको निर्देशित किया कि आने वाली 3 मार्च को जो जे.जे.एम. की मीटिंग होने वाली है, आप इन गांवों की योजना बनाकर जे.जे.एम. के तहत उस मीटिंग के अन्दर प्रस्तुत करें पर जहां तक मेरी सूचना

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

है, इनकी अभी तक कोई भी योजना नहीं बनाई गई और न ही उस मीटिंग के अन्दर इनको रखा गया तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के पानी की इतनी ज्यादा किल्लत है, किसान के नाम पर लोग हाईवे पर बैठे हुए हैं और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कुछ दिन बाद ही गर्मी का माहौल जिस तरीके से बढ़ रहा है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग रोड पर आयेंगे और रोड ब्लाक करेंगे तब यही सरकार हमारे विरुद्ध काम करेगी।

आदरणीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के अन्दर शाहजहांपुर और नीमराणा दो ऐसे बड़े कस्बे हैं जिसके अन्दर औद्योगिक क्षेत्र हैं और आने वाले क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने वाली हैं तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इन दोनों कस्बों को भी शीघ्र जल जीवन मिशन के तहत जोड़कर इन दोनों कस्बों की भी योजना बनाकर और जल जीवन मिशन में लाभान्वित किया जाए।

आदरणीय सभापति महोदय, कुछ दिन पूर्व भी मैंने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से सरकार से निवेदन किया था कि जो पंचायत के अधीन आने वाले बोरिंग के कनेक्शंस हैं वो काट दिये गये हैं। अब जब पानी की उपलब्धता ही बहुत कम है और पंचायतों के बोरिंग के कनेक्शन काट दिये गये हैं तो वहां पर पानी के लिये हाहाकार मचा हुआ है। जलदाय मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं और सौभाग्य की बात यह है कि वो खुद ऊर्जा मंत्री हैं, तो आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि उन कनेक्शंस को पुनः वापस जोड़ करके कम से कम उस क्षेत्र की जनता को, जहां पर पीने का पानी उपलब्ध है, उस क्षेत्र की जनता को लाभान्वित किया जाए।

एक और आग्रह करना चाहूंगा, मेरा सुझाव देना चाहूंगा कि समय-समय पर इन दोनों विभाग की, जलदाय विभाग की और ऊर्जा विभाग की महीने के अन्दर कम से कम जिला लेवल पर एक मीटिंग की जाए जिससे कि इन दोनों विभाग का सामंजस्य बने और आने वाले समय के अन्दर जनता को लाभ मिल सके।

आदरणीय सभापति महोदय, अभी थोड़ी देर पहले सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी चिंता जाहिर की थी। कन्टीन्जेंसी प्लान बनाया जाता है, गर्मी के अन्दर टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

पर जहां पर 20 टैंकर की सप्लाई की मांग होती है वहां पर पांच से दस टैंकर सप्लाई किये जाते हैं, तो मैं सुझाव देना चाहूंगा कि जिन टैंकरों के माध्यम से सरकार सप्लाई कराती है उसके अन्दर जी.पी.एस. सिस्टम लगाया जाए, उनकी निगरानी के लिये उसके अन्दर जी.पी.एस. सिस्टम इंस्टाल किया जाए जिससे उनकी गिनती प्रोपर हो सके, मानिटरिंग प्रॉपर हो सके कि कितने टैंकर किस गांव के अन्दर उस ठेकेदार ने सप्लाई किये हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूंगा, एक और सुझाव सरकार को देना चाहूंगा। सरकार गांव के अन्दर सीवर लाइन सैंक्शन करती है, जो पानी होता है व्यर्थ वो नालों के अन्दर बहकर कहीं और निकल जाता है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान बनाया जाए, गांवों के अन्दर भी कुइयां खोदी जाएं जिससे कि वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो ग्राउंड लेवल ऊपर आएगा और आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा।

आदरणीय सभापति महोदय, कुछ दिन पूर्व आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा के अन्दर 10 सोलर पम्प की घोषणा की थी, मैं जानना चाहूंगा कि 2019 के अन्दर जिन सोलर पम्प की घोषणा की गई, जिन सोलर पम्प की मेरी अनुशंसा की गई, आज तक मेरी विधान सभा क्षेत्र में, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, दस में से कितने सोलर पम्प दो साल के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र में चालू हो गये हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में एक गांव तो ऐसा है जहां पर किसी भी व्यक्ति ने अपनी जमीन दान नहीं की। मेरे कहने से एक व्यक्ति ने 10 बाई 10 की अपनी जमीन दान की। उसके बाद गांव के लोग विरोध में उतरकर आ गए कि यहां पर सोलर पम्प नहीं लगना चाहिए। हम आपको दूसरी जमीन दे देंगे। 2 महीने बाद वे लोग मेरे पास में आए। मैंने कहा कि एक व्यक्ति ने जब मेरे कहने से जमीन दान कर दी। अब उसकी जमीन पंचायत की हो गई।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री बलवान पूनियां।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): अगर मैं उसकी जमीन में सोलर पम्प नहीं लगवाता हूं तो यह उसकी बेइज्जती है। मैं आपके माध्यम से

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

निवेदन करना चाहता हूं कि हुलमाणा खुर्द ऐसा गांव है जिसके अन्दर एक व्यक्ति द्वारा 10 बाई 10 की जमीन दान की हुई है, सरकार के मंत्री और एसीएस यहां बैठे हुए हैं। वह एक्सईएन. और एस.ई. को निर्देशित करें कि उस व्यक्ति की जमीन पर सोलर हैंड पम्प लगाया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। 2019 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने अलवर, भरतपुर और धौलपुर के लिये चंबल-अलवर परियोजना के तहत 14 कस्बों और 3072 गांवों के लिये योजना बनाई थी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 2 साल के अन्दर इस योजना पर कितना काम हुआ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। कृपया सहयोग करें।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): हाल ही में की गई बजट घोषणा के अन्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री जी ने ईसरदा बांध से हमारे क्षेत्र के अन्दर उमरैण, रैणी, बानसूर, थानागाजी, राजगढ़, कठूमर, लक्ष्मणगढ़ और बानसूर के 4 कस्बे और 1061 गांवों के लिये योजना बनाई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या 2 साल पहले शुरू की गई योजना लुभावनी थी या यह की गई योजना लुभावनी है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी एक ही प्रार्थना है कि चाहे 5 साल का जो बजट एमएलए लैड के तौर पर मुझे मिलता है वह सरकार पूरा ले ले और मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोगों के लिये पेयजल की आपूर्ति कर दे। मैं एक भी रुपया इनसे मांगने नहीं जाऊंगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल पर बोलने का आपने मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मेरे विधान सभा क्षेत्र भादरा समेत हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, झुंझुनूं, जोधपुर, बाड़मेर की कुछ तहसीलें और सीकर, नागौर तक इंदिरा गांधी नहर से और भाखड़ा नांगल डैम से पानी आता है, जो सिंचाई के काम भी आता है और पेयजल के काम भी आता है। सिंचाई के पानी के साथ-साथ पेयजल की योजनाएं भी बनी हुई हैं।

(श्री बलवान पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, डैम की पोजिशन खराब है। आने वाले समय में पेयजल का संकट होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि 2018 में पौंग डैम की स्थिति 1289 फुट थी, अब की बार 2019 में 1378 और अब 2021 में 1314 फुट है। डैम को और नीचे तक लेकर के जाएं लेकिन फसल पकाई और पेयजल के लिये स्टोरेज भी कराएं। भाखड़ा डैम की बात करें तो 1503 फुट 2018 में था। 2019 में 1616 और 2020 में 1565 और आज 2021 में 1566 फुट डैम है, लेकिन पानी अभी भी उन्होंने कम कर दिया, रोक दिया। हरियाणा और पंजाब की दादागीरी की वजह से हमारी तहसील में पेयजल का संकट आया हुआ है।

मंत्री महोदय, हमारे पेयजल की योजना एक-एक वाटर वर्क्स के नीचे 15-15, 17-17 गांव हैं। जो भाखड़ा डैम की पोजिशन 2018 में 1503 फुट थी, आज 1566 फुट है। फिर भी सही मॉनिटरिंग न करने की वजह से हरियाणा और पंजाब गड़बड़ कर रहे हैं जिससे हमारी पेयजल की योजनाएं सही ढंग से नहीं चल पा रही हैं। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं, हालांकि सिंचाई पर चर्चा नहीं है, लेकिन इन जिलों में, जिन जिलों के नाम मैंने पहले दोहराए हैं, पेयजल की सारी योजनाएं नहरों से हैं।

सभापति महोदय, नहरों की रीलाइनिंग का काम पिछली सरकार ने हाथ में लिया था, उसके काम में सरहिंद फीडर पर 2019 में 17 किलोमीटर, 2020 में निल, 2021 में 26 किलोमीटर का काम हाथ में लिया, जो पूरा भी हो गया। इसको पूरा करने की जरूरत है। बीएमएल में, हरियाणा और पंजाब दोनों ने भाखड़ा मैन लिफ्ट चैनल जिससे गंगानगर, हनुमानगढ़ में भी पानी जाता है और वाया नोहर, भादरा हमारे भी पानी आता है, उसमें 2017-18 में 448 लाख, 2018-19 में 30 लाख, 2019-20 में निल और 2020-21 में 89 लाख रुपये दिए हैं। यह तो हरियाणा और पंजाब को दिए हैं। आपके आने के बाद 50 लाख और 57 लाख, जो यह राशि कम है, जब भी पानी की हम बात करते हैं तो वह एक ही रोना रोते हैं कि आप अपना हिस्सा दो। सच्ची बात यह है कि हिस्सा देने में हमारे अधिकारी इसलिये आनाकानी करते हैं कि हरियाणा ने अभी तक हमें रिकार्ड नहीं दिया है कि पहले भुगतान की गई राशि का आज तक किया क्या है?

सभापति महोदय, आपने पेयजल की योजनाएं बहुत बनाई हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आपने राज्य के

(श्री बलवान पूनियां)

मद से 69 करोड़ रुपये की योजनाएं बनाई हैं। आपने 139 करोड़ तक की स्वीकृतियां प्रदान की हैं। मैं आपके मार्फत मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार से मरुस्थलीय प्रदेश और बड़ा क्षेत्रफल होते हुए जो 50:50 फीसदी अंशदान की बात करते हैं, केन्द्र की सरकार 90 फीसदी अंशदान जो पहले हुआ करता था, वह दे। लेकिन यह बात जरूरी है कि जो एक साथी ने बिजली की बात की, लेकिन बात को फिर हमने डाइवर्ट कर दिया। वाटर वर्क्स में अगर हम बिजली के लिये चर्चा नहीं करेंगे तो हम भुक्तभोगी हैं। पिछली गर्मियों में 3 महीने लोग परेशान रहे। जब आंधियां चली और फ्यूज उड़ गए या फिर वोल्टेज की कमी आ गई तो वाटर वर्क्स में मोटर चली नहीं। 20-20, 30-30 एचपी की मोटर चली नहीं। लोड ले नहीं पाईं। एक गांव की बारी आई और 5 घंटे लोड नहीं ले पाई तो उस गांव की फिर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद बारी आएगी। यानी उसके 10 दिन बाद पानी पहुंचेगा।

(15.46 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, जल जीवन मिशन में जो आपने टार्गेट किया है 12 हजार करोड़ की स्कीम बनाने का, आप उसके साथ-साथ बिजली को और उससे जुड़े हुए कर्मचारियों को भी महत्व दें। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस योजना में अगर गम्भीरता से, जिस तरह से आपने लोगों की, सारे विधायकों की बातों को कंसीडर किया है, इन बातों को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जनता जल योजना के बाद आपने मैट, बेलदार कहीं नहीं लगाए। जल जीवन मिशन में बात आई कि हम मैट और बेलदार लगाएंगे। आईटीआई किए हुए लड़कों को लगाएंगे। योजना सिरे चढ़ने वाली है, शुरू होने वाली है, टेंडर होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उनके लगने का कोई अता-पता नहीं है। हमारी स्पष्ट मांग है कि आप पाइप लाइन बिछा देंगे। आप वाटर वर्क्स खड़े कर देंगे। आप एसआर खड़ी कर देंगे। सारी बात ठीक है लेकिन उनकी मेंटिनेंस के लिये, उनको चलाने के लिये, उन मोटर को चलाने के लिये जो कर्मचारियों की जरूरत है, आप उनको लगाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात का ध्यान आपको फिर दिलाना चाहूंगा कि जो यह घर-घर पेयजल की योजना चल रही है, इस योजना में अगर कोई शहर या गांव छूट जाता है तो आप इसको अगली स्कीम में

(श्री बलवान पूनियां)

जरूर शामिल करें। मेरे विधान सभा क्षेत्र के करीब 70 गांव आपने इसमें कंसीडर किए हैं। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जो वाटर वर्क्स बन गए थे और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि हो गई तो उनको भी आप लीजिए। जो किसान ढाणियों में चले गए, उनकी ढाणी 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर हैं। पास में 5-5, 10-10 ढाणियां हैं। एमएलए कोटे से पैसे देंगे, 20-20, 30-30 लाख रुपये लग जाएंगे। आप जल जीवन मिशन में उन पाइप लाइनों को भी शामिल करें। इन ढाणियों को कनेक्शन देने का काम भी आप करें।

आपणी योजना में हमारे गांव जुड़े हुए हैं। 6 गांव जिनको साहवा लिफ्ट कैनाल से पानी आता है और वह पानी नोहर के कर्मसाणा, ललानिया और उसके बाद साहवा में आता है। साहवा में जो सिस्टम है वह सही नहीं है। हमारे 6 गांव आज भी प्यासे हैं। हालांकि आपने बजट में कुंजी और कड़ाऊ इन 2 गांवों में एसआर बनाने का कार्यक्रम बनाया है लेकिन सिर्फ एसआर बनाने से काम नहीं चलेगा। वाटर स्टोरेज की बात आ जाती है तो आज भी इंदिरा गांधी नहर से उनको पानी आता है और उनको वह पानी पूरा नहीं मिल पाता है। सुबह-सुबह लोगों का फोन आता है कि पानी पूरा नहीं पहुंच रहा है। वहां हम ए.ईन., जे.ईन., एक्स.ईएन. से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि हमें सिंचाई महकमे के लोग पानी पूरा नहीं दे रहे हैं। हमारे कर्मसाणा में पानी पूरा नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नहर के बिना वाटर वर्क्स की योजनाएं, पेयजल की योजनाएं सिरे नहीं चढ़ेंगी। आज की डिबेट में जिस तरीके से पीएचईडी के बड़े-बड़े अफसर मौजूद हैं, मंत्री जी मौजूद हैं, आप सिंचाई भी देखते हैं। आप हिस्से के पानी की भी बात करिए। डैम के पानी की भी करिए। बीएमएल, इंदिरा गांधी नहर और सरहिंद फीडर के पुनर्निर्माण की बात भी करिए। आप इन चीजों को भी दुरुस्त करिए कि पंजाब को हमें क्या देना है और हरियाणा को हमें क्या देना है। उनको देने के बाद चैक भी कराएं।

पिछले साल जब मैं गया था, जब बीएमएल लीकेज हुई थी, तीसरे दिन पानी कम करके यह कह देते थे कि बीएमएल लीकेज हो गई। जब हम मौके पर गए तो जाते ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। लेबर लगा रखी थी। जो काम मशीनों से होना चाहिए था, उसके लिये लेबर लगा रखी थी। 3 दिन से

(श्री बलवान पूनियां)
नहर का पानी 5 हजार क्यूसेक कम करे बैठे थे। जब गए, मौके पर जाकर के संभाला तो 20 मजदूर लगा रखे थे, जहां 100 मजदूर और 4 मशीनों की जरूरत थी। पूरे किसानों का रेगुलेशन चौपट हो गया। 15 दिन नोहर और भादरा में पेयजल की भारी किल्लत हो गई। मैं इसलिये आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि आप बीएमएल के पानी को और नोहर, भादरा के हिस्से को पेयजल के साथ-साथ पानी पूरा पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि किसानों की बारियां भी नहीं जाएं। उनकी फसल भी खराब नहीं हो। उनके वाटर वर्क्स की योजनाएं भी सिरे चढ़ें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका एक बार फिर धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जल जीवन मिशन में और राज्य के हिस्से से भादरा की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृत किया है।

लास्ट मेरी बात यह रही कि उत्तरी भारत का सबसे बड़ा मेला हमारे यहां गोगामेड़ी में भरता है। वहां बारहमासी लोग आते है। लाखों लोग आते हैं। वहां पेयजल की योजना के लिये आपको करीब 6 किलोमीटर पीछे से पाइप लाइन लानी पड़ेगी जिससे शुद्ध पेयजल लोगों तक पहुंचा सकें। अन्यथा तो एक माइनर से सीधा वाटर वर्क्स में पानी जाता है। माइनर में लोग नहाते हैं और वह गंदा पानी 2 महीनों के लिये गांव वाले भी पीते हैं और मेले में आए हुए श्रद्धालु भी पीते हैं। आप उनको शुद्ध और अच्छा पानी पिलाने का काम करें। आपने मुझे सुना, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।

श्री सभापति: माननीय श्री गोविन्द प्रसाद।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की बात करना चाहता हूं। यह तीन ब्लाक में बंटा हुआ है तीनों ब्लाकों में पंचायतों की संख्या 65 हैं, 65 ग्राम पंचायतों में से करीब 36 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो पठारी क्षेत्र पर निवास करती है। तीनों ब्लाकों में चार जलप्रदाय योजनाएं परिचालित हैं। पहली जलप्रदाय योजना छापी जलप्रदाय योजना है जो भैरोंसिंह जी की सरकार में स्थापित हुई थी। दूसरी काली खाड़ और गुलेंडी और जावर, ये तीनों जलप्रदाय योजनाएं महारानी साहब, वसुन्धराजी की सरकार में स्थापित हुई थीं। चारों परियोजनाओं से गुलेंडी से करीब 77 गांव जुड़े हुए हैं और कालीखाड़ से करीब 72 गांव जुड़े हुए हैं और छापी से 33 गांव जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से

(श्री गोविन्द प्रसाद)

करीब 40 ग्राम पंचायतों के ये गांव जुड़े हुए हैं। बाकी के जो गांव शेष रहे हैं, जो पेयजल से वंचित हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन योजनाओं से जो पेयजल से वंचित गांव हैं, उनको जोड़ा जाए।

दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि मनोहर थाना ब्लाक की करीबन 27 ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों में से 10 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो किसी भी परियोजना से जुड़ी हुई नहीं हैं। अकलेरा की 31 ग्राम पंचायतों में से करीबन 17 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो पेयजल से जुड़ी हुई हैं और शेष 14 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो पेयजल से वंचित हैं। झालरापाटन की सातों ग्राम पंचायतें पेयजल से जुड़ी हुई हैं। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट भाषण में भी पैरा नम्बर 171 पर इन जलप्रदाय योजनाओं की चर्चा की गई है और इसके तहत जल जीवन मिशन में इन जलप्रदाय योजनाओं को, कई ढाणियों को, कई गांवों को जोड़ने की बात माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो वंचित पंचायतें हैं जो 10 ग्राम पंचायतें मनोहर थाना ब्लाक की और 15 ग्राम पंचायतें अकलेरा ब्लाक की शेष रही हैं, या तो आप इस परियोजना से जोड़ें, नहीं तो नदियों में जो स्टाप डैम एनिकट बने हुए हैं, जो सिंचाई के काम आते हैं उनकी ऊंचाई बढ़ाकर उनसे पेयजल योजनाओं का समाधान किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सीमा से जो हमारे मनोहर थाना विधान सभा क्षेत्र में नेवज नदी मध्य में होकर निकल रही है, उस पर राजगढ़, मध्य प्रदेश के पास मोहनपुरा डैम बना हुआ है और वह बिलकुल सीमा से सटा हुआ डैम है। उस डैम से मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकार समझौता करके अगर चाहें तो सिंचाई और पेयजल के क्षेत्र में समस्या हल कर सकते हैं। आपसे निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दें और वंचित क्षेत्र जो बचा हुआ है, विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के जितने भी गांव बचे हुए हैं, उनको जोड़ने की आप कोशिश करेंगे, यह मेरा आपसे निवेदन है। जो मनोहर थाना की वंचित पंचायतें हैं, आंवलहेड़ा, चांदपुरा बिलान, बांसखेड़ी मेवातान, मनपसर, कोलूखेड़ी कलां, बांसकेड़ा, सरेड़ी, कामखेड़ा, बरबद और केरखेड़ा। अकलेरा क्षेत्र की पंचायतें हैं, दांतोली, गुलखेड़ी, बांसकेड़ी, बोरबंद, सरल्डा, आसलपुर, बोरखेड़ी गूजरान, उमरिया, भालता, बिंदा खेड़ा, सरकेंडिया, देवली चंचल, चूरेल्या,

(श्री गोविन्द प्रसाद)
लसोड्यासा और कोढ़ीझर, ये ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, अधिकतर ग्राम पंचायतें पहाड़ी क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनको भी पेयजल उपलब्ध कराया जाए ताकि क्षेत्र की समस्या का समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जनता जल योजना के तहत जो भी आपने गांवों को जोड़ा है वो आज बंद पड़ी हैं। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा जो योजनाएं चालू की गई थीं, उन योजनाओं में कहीं तो कुओं का निर्माण कराया गया और कहीं ट्यूबवैल से पानी टंकी में डाला गया तो वो जो ट्यूबवैल से टंकी में डाला जा रहा पानी है, उसके बिल तक जमा नहीं हो रहे हैं माननीय मंत्रीजी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो इनका जल संसाधन उपलब्ध नहीं करवा पाती है पंचायत और बिल जमा नहीं करवा पाती हैं, उनको अलग से पैकेज दिया जाए ताकि जनता जल योजना को वापस शुरू किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक ब्लाक में हैंडपम्प मिस्त्रियों की बड़ी कमी है। हैंडपम्प मिस्त्रियों के कारण एक-एक हैंडपम्प मिस्त्री को चार-चार, पांच-पांच पंचायतें दी जा रही हैं, जिससे व्यवस्था गड़बड़ा रही है और वह हैंडपम्प मिस्त्री सही समय पर काम भी नहीं कर पाते हैं और जनता इससे दु:खी है, इसलिये मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इनकी नई भर्ती की जाए और प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक हैंडपम्प मिस्त्री की नियुक्ति की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने परियोजना के बारे में बात की है तो मध्य प्रदेश की सीमा से हमारा क्षेत्र सटा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के जितने भी गांव वहां से लगे हैं वो देखते हैं कि उस पठारी क्षेत्र में वह डैम पेयजल के भी काम आ रहा है और सिंचाई के भी काम आ रहा है, पहाड़ी क्षेत्र में भी एमपी वालों की फसलें हरी-भरी हो रही हैं, वो देखकर राजस्थान का क्षेत्र भी बड़ा दु:खी होता है कि ऐसी योजनाएं अपने यहां राजस्थान में भी आ जाएं क्योंकि वो योजना ऐसी योजना है जो सिंचाई और पेयजल के लिये प्रेशर तकनीक द्वारा पानी पहुंचाने हेतु पाइप लाइन बिछाई गई है, उन्होंने अपनी स्वयं की व्यवस्था की है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बोर्डर पर जो हमारे गांव स्थित हैं, उनके खेतों में पानी और पेयजल उपलब्ध होता है, उनका बचा हुआ पानी हमारे राजस्थान के नालों में आता है और उनसे वो सिंचाई भी कर

(श्री गोविन्द प्रसाद)

लेते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें। दोनों सरकारों के बीच समझौता होगा तो हमारे क्षेत्र की सिंचाई और पेयजल की समस्या से हमेशा के लिये निजात मिल जाएगी। मैं इतना कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आज की मांग संख्या 27 मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी के लिये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जितना बड़ा नाम है, पिलानी एक इंटरनेशनल लेवल पर जाना पहचाना नाम है और पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है इस क्षेत्र का कि आने वाली गर्मी ही नहीं, आने वाले वर्षों में भी पानी के लिये त्राहि-त्राहि मचने वाली है। पिछले बजट में भी मैंने इसी भावना के साथ यह बात कही थी, पुन: मैं यही निवेदन करता हूं कि जल जीवन मिशन एक बहुत बढ़िया योजना है गवर्नमेंट आफ इंडिया की। हमारे सौभाग्य की बात है कि राजस्थान से ही चुनाव लड़कर जीते हुए हमारे सांसद इस विभाग के केन्द्रीय मंत्री हैं, ये जो 50-50 की योजना है, 50 परसेंट स्टेट का और 50 परसेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यह रेशो बदलना चाहिए। उनसे राजस्थान की परिस्थितियां छिपी हुई नहीं हैं। जिस प्रकार से ईस्टर्न व पहाड़ी स्टेट्स हैं, उन सबमें 90-10 का है, कहीं और कुछ है, यह रेशो भी 90-10 का ही होना चाहिए, 10 परसेंट स्टेट का और 90 परसेंट गवर्नमेंट आफ इंडिया का ताकि जल जीवन मिशन में इस डेजर्ट स्टेट में अधिक से अधिक फायदा मिल सके और लोगों को पीने के लिये स्वच्छ और अच्छा पानी मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो मुख्य योजनाएं हैं जो लाभांवित करेंगी भविष्य में जाकर, वो राजगढ़-बूंगी पेयजल परियोजना, एकीकृत तारानगर-झुंझुनूं-सीकर-खेतड़ी पेयजल परियोजना, प्रस्तावित सूरजगढ़-उदयपुरवाटी पेयजल परियोजना, जिससे 6 एमएलडी पानी मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये रिजर्व किया गया है। चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना जो 7,700 करोड़ की बनाई गई है उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के कस्बे और सारे के सारे आबाद गांव कवर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण जल जीवन मिशन परियोजना है वो होगी। पिछली बार भी मैंने निवेदन किया था, माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय यहां बैठे हैं और उनकी पूरी टीम आफिसर्स गैलरी में बैठी है, बहुत काम्पिटेंट टीम है। जल जीवन मिशन

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

से चौधरी कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल की जब डीपीआर पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिये बन गई थी।

(16.00 बजे)

तो मेरे निवेदन पर फिर उसे जल जीवन मिशन से जोड़ने के लिये डीपीआर को रिवाइज किया गया था। PDCOR कंपनी को आपने काम दिया था और जहां तक मेरी सूचना है, उनकी जो डीपीआर है, वह बनकर तैयार हो गयी है। अब मेरा विनम्र निवेदन है कि उस डीपीआर के आधार पर आगे काम किया जाए और पिलानी विधान सभा क्षेत्र को पीने का पानी जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा मैं बार-बार कह रहा हूं कि बहुत ही गम्भीर संकट है। मंत्री महोदय, मैं यह भी निवेदन करता हूं कि स्टेट लेवल की टीम से मैंने निवेदन करके पिलाने का सर्वे करवा लिया है कि इसके नीचे अंडर ग्राउंड वाटर कितना है? आपको यह सूचना देते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि पिलानी के अण्डरग्राउंड नीचे का जो पानी है, वह लगभग समाप्त हो गया है।

दूसरा कोई सोर्स हमारे पास है नहीं। सतही जल जो आएगा, उसी से हमारी नीड पूरी होगी, इसलिये मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो योजनाएं मैंने आपको गिनायीं, उन पर पूरा ध्यान दिया जाए और विशेषकर इस बात का ध्यान रखा जाए कि पिलानी विधान सभा क्षेत्र को इन योजनाओं से जल्दी से जल्दी पानी मिले। जैसे आपकी एकीकृत तारानगर, झुंझुनूं, सीकर, खेतड़ी परियोजना है, राजगढ़-बूंगी पेयजल परियोजना है, जब भी वह योजना क्रियान्वित हो, उसमें पिलानी विधान सभा क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए।

इसी प्रकार से सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी पेयजल परियोजना है। जब पिलानी की दशा दुर्दशा में बदल गयी तो पिछली बार जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 21 घंटे की वीडियो कान्फ्रेंसिंग की थी और सभी लोगों से सम्पर्क किया था तो मैंने चार बार इंटरप्ट करके मेरी व्यथा सुनायी थी कि साहब पिलानी के पास पीने के लिये पानी नहीं है तो उन्होंने बड़ी कृपा की और जो सूरजगढ़ और उदयपुरवाटी वाली परियोजना है, उसके लिये जो साहवा लिफ्ट कैनाल से उसमें एडिशनल 6 एमएलडी पानी पिलाने के लिये डालने का निर्देश दिया था और मेरे विचार से वह प्रोसेस में है। जितनी जल्दी इसका टेण्डर हो जाए, उतना अच्छा है।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

जैसा कि मेरे पड़ोसी विधान सभा क्षेत्र के साथी श्री सुभाष जी पूनिया ने अभी निवेदन किया था, मैं भी इस बात का समर्थन करता हूं कि इस योजना को बहुत जल्द टेण्डर प्रक्रिया पर लाना जरूरी है, अन्यथा गर्मी में बहुत बड़ी समस्या हमारे लिये आने वाली है।

दूसरा, मैं निवेदन करता हूं कि अभी इस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 40-40 हैण्डपम्प और 10-10 ट्यूबवैल दिये हैं। सभापति महोदय, आप हमारे पूरे क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे यहां तो हैण्डपम्प का कोई मतलब ही नहीं है। हमारे यहां तो सौ फीट तक जाकर पानी आता है, इसलिये वे जो 40 हैण्डपम्प हैं, उनकी बजाय हमें ट्यूबवैल आप दे दें। उसके बदले जितने भी देना चाहें। 10 ट्यूबवैल हमारे हैं ही। साथ ही, मैं एक डाकूमेंट बनाकर लाया हूं, जिसमें मैंने वे सभी प्रपोजल्स जो कि चीफ इंजीनियर की टेबल पर आज की तारीख में पड़े हैं, उन्हें मैंशन किया है और उन योजनाओं को भी मैंशन किया है, जिनसे मेरा विधान सभा क्षेत्र लाभान्वित होगा। सभापति महोदय, एक पत्र भी है अध्यक्ष महोदय के नाम से तो आपकी परमिशन से वह डाकूमेंट मैं टेबल कर रहा हूं ताकि सुविधा रहे और माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से जो ब्यूरोक्रेसी के सर्वोच्च अधिकारी हैं, उनके पास वह डाकूमेंट पहुंच जाए और जल्दी से जल्दी जो हमारे प्रस्ताव हैं वे मंजूर हो जाएं ताकि गर्मी की जो आने वाली समस्या है, उसका हम जल्दी से जल्दी बहुत अच्छी प्रकार से सामना कर सकें।

दूसरा, माननीय पीएचईडी मिनिस्टर महोदय से विनम्र निवेदन है कि एक प्रस्ताव मैंने कुछ महीने पहले आपको चिट्ठी लिखकर दिया था और एसीएस साहब जो आज आफिसर्स गैलेरी में मौजूद हैं, का भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उस लेवल पर भी मैंने प्रस्ताव भेजा था, एक बहुत बड़ी और अच्छी बिल्डिंग श्रीमती इन्दिरा गांधी के द्वारा यहां चिड़ावा में उद्घाटित हुई थी और आज उसमें एईएन आफिस हमारे यहां चल रहा है पीएचईडी का। एक्सईएन का दफ्तर आलरेडी बना हुआ है और एक परियोजना है उदयपुरवाटी में जो डल पड़ी है, यह प्रस्ताव मैंने दिया था। आज वहां उस परियोजना में सारा काम खतम हो गया है, पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूरे जो उसके पर्सोनल हैं, अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वे वैसे ही बैठे हैं। उस परियोजना को मैंने चिड़ावा में शिफ्ट करने के लिये और एक्सईएन का जो पद वहां पर है, उसे वहां डाइवर्ट करने के लिये आपसे विनम्र निवेदन किया था। अगर यह होता है

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

तो मेरे विचार से यह एक बहुत अच्छी सौगात आपकी और माननीय मुख्य मंत्री महोदय की तरफ से पिलानी विधान सभा क्षेत्र को होगी। सब-कुछ है, बिल्डिंग है, इन्फ्रास्ट्रक्चर सारा बना हुआ है, एक्सईएन के बैठने के लिये जगह है, कर्मचारी हैं, पर एक एक्सईएन छोटा-मोटा कोई वित्तीय पोषण उसका जो होता है पद के साथ में, वह अगर हो जाए तो आस-पास के क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे।

साथ ही, सूरजगढ़ के लिये भी, जो मेरा पड़ौस का एमएलए क्षेत्र है, उन्हें भी लाभ होगा। उन्हें भी झुंझुनूं जाना पड़ता है, हमारे क्षेत्र को भी झुंझुनूं जाना पड़ता है। उसमें तीन सब-डिवीजन हो जाएंगे- चिड़ावा सब-डिवीजन, पिलानी सब-डिवीजन और एक सूरजगढ़ सब-डिवीजन। तीन सब-डिवीजन्स पर आप एक एक्सईएन देते हैं और वहां वह पोस्ट आइडल पड़ी है तो उसका सदुपयोग भी हो जाएगा और कोई बहुत भारी वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा। इन सब प्रस्तावों के साथ में मैं यह डाकूमेंट टेबल करता हूं और निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र पिलानी की इसे चाहे कथा समझें या व्यथा समझें, आप इस पानी की समस्या पर बहुत जल्दी त्वरित गति से ध्यान दीजिए, अन्यथा आने वाली गर्मी में यहां त्राहि-त्राहि मचने वाली है। अगर टैंकर की भी आप व्यवस्था करते हैं तो जैसा अभी मेरे साथी मंजीत जी ने प्रस्ताव दिया, इस तरह का कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश उसमें न रहे और पूरा का पूरा फायदा आमजन को मिल सके। आपने मुझे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर बोलने का समय दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत आभार। Thank You very much, Sir.

श्री सभापति: माननीय श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे पानी जैसी महत्वपूर्ण मांग पर बोलने का अवसर दिया। पानी के बिना जीवन सम्भव नहीं है और हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे लगता है कि पानी को लेकर हमारे समय में ही हम अपनी पीढ़ी को देखेंगे एक-दूसरे से झगड़ते हुए। ऐसी स्थिति न बन जाए, इसलिये पानी को सहेजकर काम में लेना और हर व्यक्ति तक पानी पहुंचाना, यह सभी सरकारों की जिम्मेदारी है। माननीय प्रधान मंत्री महोदय का मै बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने जल जीवन मिशन जैसी योजना की शुरुआत की।

(श्रीमती अनिता भदेल)

यह भारतीय जनता पार्टी की सोच और उनकी विचारधारा का ही परिणाम है कि जब अटल जी प्रधान मंत्री होते थे तो वे प्रधानमंत्री सड़क योजना लेकर आये थे। कोई 'पिक एंड चूज' नहीं था। नीति निर्धारित करके उन्होंने इस योजना को लान्च किया और जनसंख्या के आधार पर आज गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क योजना बनी है तो वह प्रधान मंत्री अटल जी के कारण से ही बनी है। आज जब माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदीजी जल जीवन मिशन लेकर आये हैं तो उसके पीछे भी यही भावना है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में जो पेयजल है, उसको कैसे स्वच्छ जल के रूप में लोगों तक पहुंचाया जाए। कैसे 70 साल की आजादी के बाद भी जो स्वच्छ जल की जरूरत है, उसे हम पूरा नहीं कर पाये हैं तो वह पूर्ति हम कैसे करें, इसलिये उनकी भावना बहुत अच्छी है। चूंकि पेयजल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, इसके बावजूद भी यदि केन्द्र सरकार 50 परसेंट हिस्सेदारी के साथ में हमें कोई योजना दे रही है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप इस योजना के तहत जितना ज्यादा पैसा केन्द्र सरकार से ला सकते हैं, वह लाना चाहिए और राजस्थान जैसे मरु प्रदेश में पेयजल की समस्या का समाधान इससे हो सकता है।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं, क्योंकि अजमेर बहुत सौभाग्यशाली है, अजमेर में 'स्मार्ट सिटी' है, 'प्रसाद' है, 'अमृत' है। ये सब जितनी भी केन्द्र सरकार की योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं का पैसा अजमेर को मिला है और इसी के तहत 'स्मार्ट सिटी' और 'अमृत' के तहत माननीय मंत्री महोदय, 103 करोड़ रुपया पेयजल की योजनाओं के लिये मिला। उस 103 करोड़ रुपये में पानी की नयी टंकियों का निर्माण कार्य होना था, नये स्मार्ट मीटर लगने थे, पम्पिंग स्टेशनों पर उच्च क्षमता के पम्प हाउसेज लगने थे, नयी पाइप लाइंस बिछाने का काम इसमें होना था और इसके तहत अमृत योजना में तो 30 करोड़ और स्मार्ट सिटी में 50 करोड़ रुपये हमें मिले। पिछली बार बजट सत्र में मैंने निवेदन किया था, आपको धन्यवाद देती हूं कि मेरे निवेदन पर आपने राज्य सरकार की जो हिस्सा राशि थी 20 करोड़ रुपये, वह दे दी, लेकिन एक साल होने के बावजूद भी ये काम माननीय मंत्री महोदय, शुरू नहीं हो पाये हैं और क्यों नहीं हो पाये हैं, मात्र 8 करोड़ रुपये चाहिए। जो ठेका कम्पनी है जोधपुर की, उसका कहना है कि हम

(श्रीमती अनिता भदेल)

सड़कें तो खोद देंगे, लेकिन उन्हें बनाने के लिये पैसा नहीं है, सरकार ने पैसा नहीं दिया, इसलिये 8 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिल जाती है तो ये 103 करोड़ रुपये के अमृत और स्मार्ट सिटी में जो काम होने हैं, वे होंगे। माननीय सभापति महोदय, 70 प्रतिशत पैसा इसमें केन्द्र सरकार का है और 30 प्रतिशत राज्य सरकार का है। 70 प्रतिशत पैसा मिलने के बावजूद भी हम काम नहीं करा पा रहे, फिर वापस हम जल जीवन मिशन में आ जाते हैं कि 70 परसेंट दो, 90 परसेंट दो। जिसमें सरकार ने 70 परसेंट पैसा आलरेडी दे रखा है, दो साल, तीन साल हो गये उन कामों को, पर हम नहीं करा पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम आवश्यकताओं की कैसे पूर्ति कर पाएंगे। मेरा इतना निवेदन है कि मंत्री महोदय, इसमें 95 किलोमीटर लाइन डलनी है और अभी जब से यह मिशन आया है, 4-5 साल इसको हो गये हैं और इसमें सिर्फ 30 किलोमीटर की लाइन डली है तथा 65 किलोमीटर लाइन अभी शेष है। आप भले आदमी हैं इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप इन योजनाओं पर, जो आलरेडी पहले से चल रही हैं, यदि उन पर ध्यान देंगे तो हम अजमेर की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर बिलकुल सेंटर में है और राजस्थान का हार्ट कहलाता है और हार्ट होने के बावजूद अजमेर में कोई कमी नहीं थी, सिर्फ पानी नहीं था अजमेर में और इसलिये अजमेर राजस्थान की राजधानी बनते-बनते रह गया, सिर्फ पानी की वजह से। यदि यह पानी उस समय उपलब्ध होता तो आज अजमेर राजस्थान की राजधानी होता, लेकिन इस पीड़ा को अजमेर के लोग आज तक भुगत रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करती हूं कि 1965 में अजमेर में बनास नदी से पानी आता था, बनास नदी से पेयजल की पूर्ति होती थी। सन् 1995 से बीसलपुर बांध आया और बीसलपुर बांध से पेयजल की आपूर्ति होने लगी, लेकिन मंत्री महोदय, ये जो अजमेर की परियोजनाएं बनी हैं, चाहे वह क्षेत्रीय कार्यालय हो या परियोजना का कार्यालय हो या वृत्त कार्यालय हो, वह बनास नदी से जब पानी आता था न, उसके अकॉर्डिंग ही बनी हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ये जो हमारे वृत्त कार्यालय हैं, उप खण्ड कार्यालय हैं इन कार्यालयों का पुनर्गठन होना भी नितान्त आवश्यक है। यदि इनका पुनर्गठन होता है तो एक अधिकारी मेरे अजमेर भी लगता है, दक्षिण में भी लगता है, एक अधिकारी पुष्कर में भी लगता है, मसूदा में भी लगता है। अब

(श्रीमती अनिता भदेल)

वह एक अधिकारी एक समय में मसूदा जाएगा, पुष्कर जाएगा, अजमेर जाएगा, कहां-कहां जाएगा? इसलिये मेरा निवेदन है कि इन परियोजनाओं का पुनर्गठन आपको करना चाहिए। यह बहुत जरूरी है और यह सारा काम हो चुका, ओन पेपर सब कुछ काम रेडी है, सिर्फ आपको चैक करके उसको फाइनल करना है।

माननीय सभापति महोदय, जैसे मैं आपको बता रही थी कि पहले बनास नदी से पानी की सप्लाई होती थी और अब बीसलपुर से सप्लाई होती है पर माननीय मंत्री महोदय, बीसलपुर जो 2021 तक के लिये डिजाइन हुआ है वह 2021 अब आ गया, अब बीसलपुर का थर्ड फेज आना बाकी है। यह बीसलपुर का थर्ड फेज जब तक आप स्वीकृत नहीं करेंगे तब तक बीसलपुर के बाद में आप ईस्टर्न कैनाल की बात कर रहे हैं कि बीसलपुर का ओवरफ्लो ईस्टर्न कैनाल में जाएगा, लेकिन यदि बीसलपुर भरेगा ही नहीं, क्योंकि बीसलपुर टोंक और अजमेर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जयपुर भी इसका पानी आता है। इसलिये मैं निवेदन करूंगी कि बीसलपुर के लिये थर्ड फेज पर आज से ही हमें विचार करना चाहिए, इसको स्वीकृत करना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री महोदय ने अरबन जल जीवन मिशन जो दिया है, उस अरबन जल जीवन मिशन के तहत अभी से हमें इसके प्रोजेक्ट्स को बनाकर केन्द्र सरकार के सामने प्रस्तुत करना चाहिए ताकि हम इस थर्ड फेज को भी प्रारम्भ कर पाएं और आने वाले भविष्य के लिये पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएं।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में दिलाना चाहूंगी कि अजमेर और बीसलपुर की दूरी 131 किलोमीटर है। 5 टीएमसी पानी बीसलपुर में अजमेर के लिये आरक्षित है, 1.15 लाख के लगभग अजमेर शहर के जल कनेक्शन हैं और हमारी सरकारों में पिछले 15 साल से मैं सुन रही हूं, मैं कोई दुराग्रह से बात नहीं करने वाली हूं, बीजेपी की सरकारें जब-जब बनीं तब-तब ये घोषणाएं हुई कि हम अजमेर को 24 घंटे के अन्तराल से पानी पिलाएंगे और कांग्रेस की सरकार भी, मैं दूसरी बार कांग्रेस की सरकार देख रही हूं, पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी यह घोषणा हुई थी कि हम अजमेर को 24 घंटे के अन्तराल में पानी उपलब्ध कराएंगे, लेकिन अजमेर को कब पानी उपलब्ध करा पाओगे जब इतना पानी बीसलपुर में अजमेर के लिये री-स्टोर हो। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि अजमेर के

(श्रीमती अनिता भदेल)

लिये बीसलपुर बांध में 10 टीएमसी पानी को रिजर्व करना बहुत आवश्यक है तभी अजमेर की आवश्यकता पूरी हो पाएगी।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि बीसलपुर से अजमेर पानी आता है और 131 किलोमीटर की दूरी तय करके आता है तो बीच में थडोली पम्पिंग स्टेशन है, सरवाड़ पम्पिंग स्टेशन है। गर्मियों में बिजली की ट्रिपिंग होने के कारण से, बिजली की लाइनों में फाल्ट होने के कारण से वहां वे पम्पिंग स्टेशन काम नहीं करते तो अजमेर तक पानी नहीं पहुंचता और जब अजमेर तक पानी नहीं पहुंचता तो अजमेर की सप्लाई कई बार 72 घंटे में, 95 घंटे में हो जाती है और भीषण गर्मी में बहुत त्राहिमाम अजमेर में मचता है। मेरा निवेदन है कि ये जो पम्पिंग स्टेशन हैं इनकी रेगुलर मेंटिनेंस हो और जो चार पम्पिंग स्टेशन हैं उनमें से सिर्फ दो पम्पिंग स्टेशन ही वर्क करते हैं, बाकी के दो पम्पिंग स्टेशन वर्क नहीं करते और मेरी जानकारी में इस प्रकार की बात आई है, इसलिये चारों पम्पिंग स्टेशन निर्बाध गति से पम्प करे और पानी अजमेर के सेवन नम्बर टैंक तक पहुंच जाए, इस नाते से इस लाइन की जो कम्पनी मेंटिनेंस करती है वह नहीं करती है और अचानक से पता पड़ता है कि पानी की पाइप लाइन फूट गई इसलिये चार दिन अजमेर में पानी नहीं आएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि जो ओ एण्ड एम जिस कम्पनी से आप कराते हो, उसकी जिम्मेदारी तय करो कि आप किस बात का ओ एण्ड एम का पैसा लेते हो जब आप यह नहीं कह सकते कि चार दिन बाद में यह लाइन बर्स्ट होने वाली है, यहां से कमजोर है तो सरकार ओ एण्ड एम का पैसा भी दे रही है और हम काम भी उसका नहीं करा पा रहे हैं।

साथ ही, मैं मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहूंगी कि बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार बनी रहे, इस नाते से ब्राह्मणी नदी का पानी बीसलपुर में आना चाहिए। 146 करोड़ रुपये की योजना पहले बनी थी और यह योजना लगभग लागू होने वाली थी कि सरकार बदल गई, उस वजह से यह योजना भी ठण्डे बस्ते में चली गई। अब जो हम ईसरदा बांध के ऊपर इतना बड़ा खर्च कर रहे हैं, ईस्टर्न कैनाल पर जो हम खर्चा करने वाले हैं, यदि बीसलपुर में पानी नहीं आता तो वह सारा खर्चा हमारा व्यर्थ होने वाला है क्योंकि चार-पांच सालों में कैचमेंट एरिया में बारिश ठीक नहीं हुई और बारिश ठीक नहीं होने की वजह से बीसलपुर बांध खाली रह गया इसलिये मेरा निवेदन है कि हम ये पैरेलल व्यवस्थाएं करेंगे तो हम भविष्य के पानी की आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे।

(श्रीमती अनिता भदेल)

साथ ही, माननीय मंत्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहूंगी कि माखुपुरा में जो सेवन नम्बर का टैंक बना हुआ है उससे अजमेर की सप्लाई होती है। वहां से मुख्य पाइप लाइन जाती है और मुख्य पाइपलाइन से फिर वितरिकाओं के माध्यम से पानी वितरित होता है तो जो मुख्य पाइपलाइन सेवन नम्बर टैंक से है वह हमारे बस स्टैण्ड तक आती है और वह मुख्य पाइपलाइन आज भी सीमेंट की डली हुई है। पिछले वर्ष भी यह सीमेंट की लाइन अचानक बर्स्ट हो गई और अचानक बर्स्ट होने के कारण से पूरे शहर की पानी की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। मेरा निवेदन है कि यह बहुत छोटा टुकड़ा है ज्यादा बड़ा टुकड़ा नहीं है, मुश्किल से दो-तीन किलोमीटर का ही होगा, तो इस मुख्य पाइपलाइन को भी यदि हम स्टील की पाइप लाइन में कन्वर्ट कर देते हैं तो बार-बार बर्स्ट होने से जो पेयजल सप्लाई बाधित होती है उसको हम रोक पाएंगे।

इसके साथ में एक और निवेदन करती हूं कि जो सेवन नम्बर टैंक है उस सेवन नम्बर टैंक पर हम दो दिन के एक्स्ट्रा स्टोरेज की व्यवस्था कर लें, यदि अजमेर के पानी के लिये दो दिन के पानी के स्टोरेज का टैंक वहां बना दें तो बीसलपुर से अजमेर आने पर जब कभी भी कोई परेशानी हो तो उस रिजर्व वाटर से हम अजमेर की सप्लाई कर सकें, यह व्यवस्था हमको करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही, मैं दो-तीन विषय और रखना चाहती हूं, मैं ज्यादा विषय नहीं रखना चाहती, दो-तीन मेरे विधान सभा क्षेत्र से ही सम्बन्धित हैं इसलिये निवेदन करना चाहती हूं। 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मैं याद करना चाहूंगी माननीय किरण माहेश्वरी जी को, उन्होंने मेरे आग्रह पर पानी की तीन टंकियां स्वीकृत कीं उस बजट में। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, 2018 के बजट में उन्होंने स्वीकृत की थी और स्वीकृत करने के बाद में दो टंकियां 2018 का लास्ट होते-होते बनकर तैयार हो गईं और पानी की सप्लाई शुरू कर दी। उन्होंने ही उसका लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी उन्होंने किया और लोकार्पण भी उन्होंने ही किया, लेकिन एक टंकी, चूंकि जागृति नगर, अजय नगर में जमीन नहीं थी और जमीन के एक्विजिशन की कार्यवाही लम्बी चलती है इसलिये वह टंकी नहीं बन पाई। आज भी बजट की घोषणा है, अब लैण्ड एक्विजिशन का काम आपने कर दिया, आपको धन्यवाद, पर उस टंकी के निर्माण का काम, उसके टेंडर की प्रक्रिया भी शीघ्र प्रारम्भ हो जाए ताकि अजय नगर के लोगों को भी पानी की सुविधा मिल सके।

(श्रीमती अनिता भदेल)

इसके साथ ही, माननीय मंत्री महोदय, मेरा जो मलूसर रोड है वह मलूसर रोड अनुसूचित जाति और बागरिया समाज के लोगों की ही बस्ती है। चूंकि बागरिया समाज और अनुसूचित जाति के लोग पहाड़ों पर बस गये, उनके पास जमीन नहीं है इसलिये उनको जहां जगह, सरकारी जमीन मिली तो वे वहीं बस गए। वहां ठेठ ऊपर अरावली की पहाड़ी है तारागढ़ की और उस तारागढ़ पर वे बसे हुए हैं और वहां पर उनको पेयजल की बहुत दिक्कत है क्योंकि जो टंकी बनी हुई है वह नीचे बनी हुई है तथा वे ऊपर बसे हुए हैं और उनके पानी नहीं पहुंचता है तो मलूसर रोड के मेरे जो नागरिक हैं उन नागरिकों को पानी की सप्लाई के लिये एक एक्स्ट्रा उच्च जलाशय की आवश्यकता है। मैं सिर्फ एक डिमांड कर रही हूं कि एक उच्च जलाशय यदि आप राज्य सरकार के बजट से दे दें तो मेरे उन लोगों के लिये भी सुविधा होगी।

एक निवेदन और करती हूं अवैध जल कनेक्शन के लिये। माननीय सभापति महोदय, अवैध जल कनेक्शन के लिये सरकार ने अभियान चलाया। पिछले वर्ष गर्मियों में अभियान चला और अभियान चलने के कारण से जो भी अवैध कनेक्शन थे उनको विभाग के अधिकारियों ने काटने की मुहिम चलाई। माननीय सभापति महोदय, यह अच्छा काम है, लेकिन जिस जे.ईएन. ने वे अवैध कनेक्शन काटे थे, जिनके अवैध कनेक्शन कटे थे, वे या तो कांग्रेस के समर्थक रहे होंगे या कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे होंगे, उन्होंने मंत्री महोदय, आपसे आकर शिकायत की और आपने उस जे.ईएन. का ट्रांसफर अजमेर से बाहर कर दिया तो मेरा इतना निवेदन है कि ये अधिकारी आपके आदेशों की पालना करते हैं और यदि ये अवैध जल कनेक्शन काट रहे हैं तो उनको शाबाशी मिलनी चाहिए, सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिये ऐसे अधिकारियों को शाबाशी देने की बजाय, आप सज़ा नहीं दें। यदि कोई ऐसी कार्यवाही करता है तो वह आपके विभाग के दिशा निर्देशों की पालना ही कर रहा है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, बस लास्ट। माननीय सभापति महोदय, मेरे आदर्श नगर में उच्च जलाशय बना हुआ है। आदर्श नगर का वह जो उच्च जलाशय है, वह ग्रेविटी से भरता है और ग्रेविटी से भरने की वजह से, वह टैंक भरने में समय लेता है और जब भरने में समय लेता है तो फिर उस टैंक से जल सप्लाई बहुत धीरे होती है, कम दबाव से होती है। मेरा निवेदन है कि आदर्श नगर उच्च जलाशय को भरने के लिये, यदि वहां पम्पिंग

(श्रीमती अनिता भदेल)

स्टेशन आप स्वीकृत करा दें, एक छोटा-सा, कोई ज्यादा राशि नहीं आने वाली, एक-दो करोड़ रुपया उस पर खर्चा आने वाला है। यदि आप एक पम्प स्टेशन वहां पर स्वीकृत कर दें तो मेरे आदर्श नगर के उच्च जलाशय को भरने में आसानी होगी।

लास्ट में, हैंडपम्पों के बारे में निवेदन करना चाहूंगी, माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय को कि हैंडपम्प जब आप स्वीकृत करते हैं तो आप छोटी पोर्टेबल मशीनों के भी टेण्डर करिए, क्योंकि हम शहरों में रहते हैं... (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो आप छोटी पोर्टेबल मशीनों के भी टेण्डर करिए, शहरी क्षेत्र में छोटी-छोटी गलियों में, वे बड़ी-बड़ी मशीनें नहीं जा पाती हैं और उन लोगों को पानी की सुविधा नहीं मिल पाती है इसलिये छोटे एरियाज में भी वह पोर्टेबल मशीनें जा पाएं, वहां पर भी हैंडपम्प की सुविधा मिल सके, ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से लोगों को पानी की सुविधा रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। अन्त में एक निवेदन करते हुए बात को समाप्त करूंगी कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने फ्री पानी के कनेक्शन की बात कही थी कि हम फ्री में पानी पिलाएंगे, 15 हजार लीटर तक का पानी हम फ्री में देंगे लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा, माननीय मंत्री महोदय, वह 15 हजार लीटर, क्योंकि आप तो मीटर रीडिंग करवाते ही नहीं हैं, जब मीटर रीडिंग ही नहीं होगी तो कैसे पता पड़ेगा कि उपभोक्ता 15 हजार लीटर पानी का उपयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है तो आपकी यह योजना तो लागू ही नहीं हुई जबकि, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मार्च, 2019 में इसकी घोषणा की थी। अभी मार्च, 2021 चल रहा है तो जब आप मीटर रीडिंग नहीं करा रहे हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम फ्री जल लोगों को पिला रहे हैं, यह तो थोथी घोषणा साबित हो रही है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मुख्य मंत्री जी के मुखारबिंद से निकली हुई बात यदि थोथी घोषित हो तो फिर लोगों को विश्वास नहीं रहेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसलिये मैं आपसे निवेदन करके, अपनी बात को पूरा करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, नो। माननीय श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय जी, आपने मुझे मांग संख्या-27, पेयजल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा, काफी अच्छा बजट पेश किया।

विधान सभा क्षेत्र में 40 हैंडपम्प, 10 ट्यूबवैल भी दिये हैं, काफी सराहनीय है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की बात करूंगा, डूंगरपुर नगर परिषद् में घाटी मोहल्ला, पातेला, लालपुरा, शास्त्री कालोनी, राजपुर, यहां पर समय पर पानी नहीं मिल पाता है। महीने भर पहले, जो नल लाइन है, उस नल लाइन में मरा हुआ चूहा निकाला, बाहर से प्राइवेट मिस्त्री बुलाकर चूहा निकलवाया तो ऐसा सड़ा हुआ चूहा कहां से आया, ये पेयजल के अधिकारियों की लापरवाही है। कभी मरा हुआ सांप आ जाता है, कहीं चूहा आ जाता है तो यह जिम्मेदारी किसकी है? ऐसा गंदा पानी लोगों ने पीया।

सर, आपसे निवेदन है कि पेयजल के जो भी कर्मचारी-अधिकारी हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और अभी गर्मी का समय आ रहा है, पानी की बहुत किल्लत है। टीएसपी क्षेत्र है, वहां पर कई गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। देवाल खास, बिछीवाड़ा, छापी, चूंडावाड़ा, ऐसे जो बड़े-बड़े कस्बे हैं, वहां भी अब पानी की दिक्कत आएगी। कई बार टैंकरों से सप्लाई होती है। गर्मी पड़ती है, लेकिन टैंकर भी समय पर पानी नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिये सभापति महोदय, निवेदन है कि इसके लिये कोई योजना बनाई जाए और सही समय पर लोगों को पानी मिले। इसमें पुरानी बावड़ियां भी बनी हुई हैं, पुरानी बावड़ियों को गहरा किया जाए, उनकी मरम्मत की जाए और घाटी मोहल्ले में एक बड़ी टंकी की आवश्यकता है। डूंगरपुर में आसपास सभी मोहल्लों में व्यवस्थित पानी मिल जाए और वहां पास में ही हमारे राजा डूंगर बरंडा की पहाड़ी पर छतरी बनी हुई है। पहले भी मैंने मांग उठाई थी, पर्यटन की दृष्टि से हमारे आदिवासी लोग वहां पर जाते हैं, पूजते हैं, लेकिन पहाड़ी पर पीने का पानी नहीं है तो सिर पर बर्तन में पानी लेकर चढ़कर जाते हैं, 500 मीटर जाना पड़ता है और पहाड़ी पर पगडंडी का रास्ता है, वहां पर रोड भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां भी पानी की सुविधा की जाए नल लाइन बिछाई जाए।

(श्री गणेश घोघरा)

माननीय सभापित महोदय जी, टीएसपी एरिया होने के नाते, जनजाति बहुल क्षेत्र होने के नाते 40 हैंडपम्प की सीएम साहब ने घोषणा की है। मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 200 हैंडपम्प आप खुदवाएं तो ठीक रहेगा। हमारे वहां पानी का जल स्तर काफी ऊंचा है, 80 या 120 फीट पर हमारे वहां पानी आ जाता है।

माननीय सभापति महोदय जी, हैंडपम्प मिस्त्री की काफी समस्या है। एक-एक हैंडपम्प मिस्त्री के पास 6-6 पंचायतें हैं। इस पंचायत के लोग पूछते हैं मिस्त्री साहब, कहां हो, वह बताता है मैं इस पंचायत में हूं। उस पंचायत वाले पूछते हैं तो कहता है कि मैं इस पंचायत में हूं तो अब गर्मी का समय आने वाला है, हर गांव में स्थिति खराब है, हैंडपम्प खराब है तो हर पंचायत में 100-100 पाइप एक्स्ट्रा पहुंचाये जाएं और हैंडपम्प मिस्त्री की नई भर्ती कराई जाए, जिससे लोगों को राहत मिल सके। सभापति महोदय, आपसे यह मांग करता हूं।

इसी के साथ ही, मेवाड़ा बांध बिछीवाड़ा पंचायत समिति में बना हुआ है। सिंचाई के लिये वही एक बांध है, बारिश का पानी आता है और बारिश का पूरा पानी गुजरात चला जाता है। उस एक बांध की वजह से कुछ लोगों के पीने की पानी की, सिंचाई की व्यवस्था होती है, लेकिन नहर बिलकुल सीपेज हो चुकी है, नहर में पानी निकलने से आगे पानी पहुंच नहीं पाता है और नहर दोनों तरफ, दायीं और बायीं तरफ दोनों अधूरी है तो कुछ गांवों सिंचाई का फायदा नहीं ले सकते हैं। माननीय सभापति महोदय जी, आपसे निवेदन है कि उस मेवाड़ा बांध कोडियागोन नहर की मरम्मत कराई जाए। जो अधूरी नहरें हैं, उनको पक्की कराएं, आगे लोगों को पानी मिल सके, उनको सिंचाई की सुविधा मिल सके।

इसी के साथ ही, माननीय सभापति महोदय जी, मीरा डूंगरी में भी यही हालात हैं। डूंगरपुर में वहां पर आज तक लोग मीरा डूंगरी में बसे हुए हैं, लेकिन नल लाइन की व्यवस्था नहीं हुई है। बिलकुल सिटी के अन्दर है, फिर भी उनको नल का पानी नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय जी, आपसे निवेदन है कि जल ही जीवन है, हम खाने के बिना रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना इंसान नहीं रह सकता है तो आपसे निवेदन है कि डूंगरपुर विधान सभा क्षेत्र में जिस-जिस पंचायत में, जिस-जिस ढाणी में और नगर परिषद्,

(श्री गणेश घोघरा)

नगरपालिका में जहां पानी की समस्या है, वहां पर पानी समय पर मिले। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द-जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री पूराराम।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-27 पर चर्चा हो रही है, वास्तव में यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मनुष्य को जीने के लिये तीन चीज की अति आवश्यकता होती है, पहली हवा, दूसरा पानी, तीसरा भोजन।

माननीय सभापति महोदय, देश आजाद हुआ, आज देश की 72 साल की आजादी के बाद, सरकारें आपने भी देखी हैं, आप भी विपक्ष में रहे हों, मैं भी विपक्ष में रहा, आप सरकार में रहे तो मैं विपक्ष में रहा। सरकारें आती हैं, जाती हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश के प्रथम प्रधान मंत्री माननीय नेहरू जी और भारत के प्रथम गृह मंत्री जो पीएचईडी मंत्री भी थे, माननीय वल्लभ भाई पटेल ने एक चिन्ता की थी कि यदि नदी से नदी नहीं जोड़ी गई तो आने वाले समय के अन्दर बहुत बड़ा पेयजल संकट हो जाएगा पूरे भारत के अन्दर। कल माननीय मुख्य मंत्री जी बोल रहे थे एडोल्फ हिटलर के बारे में। दूसरा विश्व युद्ध जब एडोल्फ हिटलर हार गया था तो उसने भारत के बारे में चिन्ता की थी कि इंडिया इज वेरी गुड कंट्री, उसने माफी मांगी थी देश के महान नेता के सामने, सुभाष चंद्र जी बोस के सामने कि और कोई वर्ल्ड वार होगा तो पानी के लिये होगा और वास्तव में यह चिन्ता का विषय है। पुराना जमाना था जब लोग गांव में रहते थे, आजकल तो सिटी में रहने लग गये। पहले गांव में पानी का सोर्स सिर्फ और सिर्फ या तो बावड़ी रहती थी या गांव में एक कुआ रहता था या तालाब रहता था तो गांव में सगाई करने के लिये जाते थे, आप भी गांव के रहने वाले हो, आपको पता होगा, तो पहले पूछते थे कि गांव में पानी है कि नहीं, गांव में बावड़ी अच्छी है कि नहीं, तालाब है या नहीं, गांव का जागीरदार कैसा है, गांव की बस्ती कैसी है, उस हिसाब से पेयजल देखकर वे सगाई करते थे, नहीं तो नहीं होती थी। आज 72 साल की आजादी के बाद जब हम देखने जा रहे हैं, सरकारें आती हैं यह आई, बाद में यह आई ज्यादातर सरकार कांग्रेस की रही है, बीजेपी की सरकार तो बहुत कम रही, लेकिन सरकार चाहे किसी की भी हो इसके लिये हमें चिन्ता करने की आवश्यकता है। जालौर जिले के अन्दर एक योजना बनी थी। मैं अब जिले पर

(श्री पूराराम चौधरी)

आ रहा हूं नर्मदा पेयजल योजना और उसमें तीन प्रोजेक्ट थे ईआर, एफआर और डीआर। माननीय मंत्री महोदय ने यह बात तो कही है, परसों रानीवाड़ा से आने वाले माननीय विधायक देवल साहब ने एक प्रश्न लगाया था तो उन्होंने कहा कि हम दो करोड़ रुपये डीपीआर बनाने के लिये देंगे। आप डीपीआर कितनी बार बनाओगे? एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार डीपीआर बनाओगे? 1094 करोड़ रुपये तो दिए, पर वास्तव में पैसे हैं या ऐसे ही दे दिये हवा में? भीनमाल शहर के लिये उन्होंने कहा कि हम 50 करोड़ रुपये की योजना दे रहे हैं। वास्तव में यह योजना पिछली वसुन्धरा जी की सरकार में सैंक्शन हो चुकी थी। चलो बजट बढ़ गया होगा, मैं उसका नहीं कह रहा हूं, 46 की जगह 50 करोड़ हो गया होगा, लेकिन यदि ईआर, एफआर और डीआर, 2008 के अन्दर नर्मदा का पानी सांचौर के अन्दर आ गया था, लेकिन आज गांव और ढाणियों के अन्दर परिस्थिति बहुत खराब है, माननीय सभापति महोदय, यह तो सर्दी थी, अब गर्मी का समय आ रहा है। गर्मी के समय के अन्दर यह स्थिति हो जाएगी कि लोग पानी के लिये त्राहि-त्राहि करेंगे और धरना देने पर मजबूर हो जाएंगे। यह हकीकत की स्टोरी है। आप तो विद्युत मंत्री रहे हैं। आपको पता है सब। बिजली, ठीक है मिल रही है, मैं इसकी कोई खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन बिजली जब तक पीएचईडी को डायरेक्ट लाइन से नहीं जोड़ेंगे, आपने ट्यूबवैल दे दिए 10, कोई बात नहीं 10 की जगह जैसे हमारे इधर कम ज्यादा हैंडपम्प खोदेंगे तो उससे ज्यादा ट्यूबवैल दे देंगे हर विधायक को। यह तो हमेशा देते हैं चाहे कोई भी गवर्नमेंट आये, बीजेपी की आये चाहे कांग्रेस की आये। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय मंत्री महोदय का पता नहीं, कोई बात नहीं शायद वह सुन रहे होंगे, मेन जो ईआर प्रोजेक्ट है, ईआर प्रोजेक्ट में 256 गांव हैं, इसमें पूरा जालौर जिला है और जब तक जालौर जिले में डीआर, हमारे पास पानी है जालौर में, नहीं है ऐसी स्थिति नहीं है। नर्मदा का पानी आ रहा है और नर्मदा का पानी जब तक ईआर प्रोजेक्ट में क्लस्टर, जब गवर्नमेंट बीजेपी की गई, पालड़ी सोलंकीयान के अन्दर पानी का जो मेन डैम है वह बन रहा है। बीच में एक पेपर में आया था कि एक साल के अन्दर वह हम पूरा करेंगे पालड़ी सोलंकीयान में। जैसे ही सरकार गई पता नहीं वह पाइपलाइन लगनी बंद हो गई कि क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कैसे वह काम रुक गया। पूरे जालौर जिले का मामला है और 70 गांव उसमें भीनमाल के हैं। माननीय सभापति महोदय, जो मेन है वह भीनमाल शहर है, भीनमाल शहर की ही करीब एक लाख से

(श्री पूराराम चौधरी)

ऊपर की आबादी है और एक लाख की आबादी के ऊपर यदि हम पेयजल सुविधा नहीं करेंगे तो 72 साल की जो देश की आजादी है, उसके बाद में फायदा क्या है?

आज भारत के माननीय प्रधान मंत्री की एडोल्फ हिटलर से, माननीय मुख्य मंत्री ने कुछ कहा था, भारत के प्रधान मंत्री तो बब्बर शेर हैं, एडोल्फ हिटलर नहीं, एडोल्फ हिटलर अलग था। वे तो बब्बर शेर के नाम से ही जाने जाते हैं और पूरे भारत की जो इज्जत रखी है न, आप और हम सब जानते हैं। मैंने किसी पर कटाक्ष नहीं किया है। मैंने नेहरू जी का नाम भी लिया है क्योंकि जो भले आदमी हैं उनका नाम लिया जाता है, वल्लभ भाई पटेल का नाम भी लिया जाता है और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी जी का नाम जरूर लिया जाएगा क्योंकि जो विकास का कार्य करता है, जब जनता के अन्दर जाना पड़ता है न माननीय सभापति महोदय, तो लोग कहते हैं कि आप चलो विपक्ष में हो तो आप गुलाब जी भाई साहब से कहिए, आप खुद बोलिये। मैं बोलता बहुत कम हूं। मैं तो जो भी मंत्री हैं किसी भी विभाग के कोई भी सरकार आये, उनको कह देता हूं कि यह मेरा वाजिब काम है। हमारी सरकार भी रहेगी तो भी मैं यह नहीं कहता कि उसका ट्रांसफर करो, उसका यह करो लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि भीनमाल के अन्दर एक एक्सईएन है, अच्छा आदमी है मैं उसकी खिलाफत नहीं कर रहा हूं। अच्छा आदमी था उसको हटा दिया था। मैंने मंत्री जी को कह कर वापस लगवा दिया। एक भी एईएन नहीं है जबकि भीनमाल, रानीवाड़ा, बागोड़ा और जसवंतपुरा में एईएन है, पर जेईएन एक भी नहीं है। मेहरबानी करके ये लगाने की कृपा करें ताकि लोगों की जो समस्या है उसका समाधान हो सके।

आज जो चिंता माननीय सदस्य ने जताई है, वह वास्तव में बहुत बड़ी चिंता है, पानी के बगैर लोग जिंदा नहीं रह सकते और पानी की एक स्कीम अलग से बनाई है। भारत सरकार पैसा दे रही है और भारत सरकार को लिखें मंत्री महोदय। भारत सरकार में मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी से हमने व्यक्तिगत भी यह कहा था कि हमारी नर्मदा की जो पेयजल योजना है उसके लिये आप पैसे दीजिए। उन्होंने कहा कि आप राजस्थान सरकार से लिखवाकर भेजो ताकि भारत सरकार भी पैसा दे सके। मेहरबानी करके जो पेयजल है, यह बहुत बड़ी समस्या है पूरे राजस्थान के अन्दर, हालांकि है तो पूरे भारत में,

(श्री पूराराम चौधरी)

लेकिन राजस्थान में जालौर जिले में, माननीय सभापति महोदय, हमारे पास रॉ मैटेरियल है, यदि हमारे पास रॉ मैटेरियल नहीं होता तो हम तो यह नहीं कहते कि भाखड़ा नांगल से हमारे पास पानी लेकर आओ। हमारे पास नर्मदा का पानी उपलब्ध है पीने के लिये, लेकिन जो नर्मदा ईआर प्रोजेक्ट मेन है जिसमें 256 गांव और भीनमाल नगर है और आधा सांचौर सिटी भी है मेरे हिसाब से, उनको जल्दी से जल्दी जोड़ने की कृपा करें। यही मैं आपसे अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति : माननीय श्रीमती मीना कंवर।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): माननीय सभापति महोदय जी, मांग संख्या 27-पेयजल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपको धन्यवाद देती हूं। मैं सदन के माध्यम से माननीय सभापति महोदय का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पेयजल सम्बन्धी निम्न समस्याओं की ओर दिलाना चाहती हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत 26 योजनाओं के लिये 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत करने के लिये माननीय मंत्री जी व मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। जल जीवन मिशन योजना के तहत हम सबका सपना है कि घर-घर नल का पानी पहुंचाया जाए। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के माध्यम से मदासर हैड में पानी की सप्लाई होती है, लेकिन राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की क्षमता पर्याप्त रूप से नहीं हो पा रही है। मेरी आपसे मांग है कि करोड़ों रुपये का बजट जल जीवन मिशन पर खर्च किया जाए लेकिन लिफ्ट में पानी नहीं होने की वजह से आम जनता को राहत नहीं मिल पाएगी। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि लिफ्ट की ऊंचाई बढ़ाकर पानी की पर्याप्त सप्लाई दिलाई जाए ताकि जल जीवन मिशन की योजना का सफल क्रियान्वयन किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के मदासर हैड से पानी की आपूर्ति शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में बढ़ाई जाए।

माननीय सभापति महोदय, गगाड़ी-गोपालसर-जियाबेरी-देवानिया पम्प हाउसों में वर्ष 2009 में पम्प लगाए गए थे, लेकिन आज दिनांक तक उन्हीं पम्पों से पानी सप्लाई होने की वजह से पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है। मेरी आपसे मांग है कि इन पम्पों को बदलकर उच्च क्षमता के पम्प लगाए जाएं

(श्रीमती मीना कंवर)

ताकि दूरदराज की ढाणियों में निवास कर रही मेरी शेरगढ़ की जनता को पानी की समस्या से निजात मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर जनता दूरदराज की बिखरी हुई ढाणियों में निवास करती है। ऐसे में मेरे विधान सभा क्षेत्र में फेल हैंडपंप की जगह नलकूप खुदाए जाएं क्योंकि गर्मी के दिनों में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल का 70 दिन का क्लोजर रहता है। ऐसे में दूरदराज की ढाणियों में निवास कर रही जनता के पास पानी का एकमात्र स्रोत हैडपंप ही है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह है कि आपके द्वारा सोलर सिस्टम आधारित 20 नलकूप एक वर्ष पूर्व मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोदे गए थे, लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा दु:ख होता है कि आज दिनांक तक एक भी नलकूप पर सोलर सिस्टम नहीं लगे होने के कारण इन नलकूपों से न तो पानी मिल रहा है और न ही चालू करने की दिशा में कोई उचित कार्यवाही होती नजर आ रही है। मैं आशा करती हूं कि जल्द ही आप कुछ कार्यवाही करते हुए सोलर आधारित नलकूपों को जल्द चालू करवाकर आने वाली आगामी भीषण गर्मी से मुझे पूर्ण रूप से राहत दिलवाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 1994 में जनता जल योजना आरम्भ की गई थी जिसके अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र की बालेसर पंचायत समिति में 141 तथा सेखाला पंचायत समिति में 207 तथा शेरगढ़ पंचायत समिति में 153 ट्यूबवैल खोदे गए थे, जिनका अप्रैल, 2011 तक रख-रखाव पीएचईडी विभाग के पास था। इसके बाद इनका रख-रखाव पंचायतों को सौंप दिया गया। पंचायत के सरपंच के पास ऐसा कोई बजट नहीं है जिससे कि वे इनका रख-रखाव कर सकें। समय पर रख-रखाव के अभाव में आधे से ज्यादा नलकूप खराब हैं। अतः आपसे मेरा नम्र निवेदन है कि उक्त योजना में बजट का प्रावधान किया जाए, जिससे इनका रख-रखाव समय पर हो सके। सभापति महोदय, धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर प्रदान किया। मैं आशा करती हूं कि मेरे द्वारा उठाई गई मांगों पर पूर्ण रूप से कार्यवाही होगी।

श्री सभापति: माननीय श्री रूपा राम।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पर बोलने का अवसर दिया, आपको धन्यवाद। माननीय सभापति

(श्री रूपा राम)

महोदय, जीवन में हवा के बाद में पानी ही आता है जो हमें जिंदा रहने के लिये या इस पृथ्वी पर रहने के लिये बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण हमारे लिये पानी है। विधान सभा क्षेत्र मकराना में बंद खराब पड़े आरओ प्लांट के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। मकराना विधान सभा क्षेत्र में पूर्व संचालित आरओ प्लांट आज दिनांक तक खराब चल रहे हैं। इसको सही व सुचारु रुप से चालू रखने बाबत जलदाय विभाग के उच्चाधिकारियों को बार-बार फोन द्वारा अवगत करवाने के उपरांत आज दिन तक खराब चल रहे हैं। इसके लिये मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं। मकराना विधान सभा क्षेत्र में कुल 55 आरओ प्लांट हैं। इनमें से 12 आरओ प्लांट करीब 3 वर्ष से खराब होने के कारण से बंद पड़े हैं जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को गंदा पानी पीना पड़ता है और शुद्ध पानी पीने से जनता वंचित रह जाती है। यह आरओ प्लांट हैं, मावणा, गंगालिया, मोड़ी भीखा, सिंवराशी, जिवादिया, चावंडिया, हरनावा, तोषिना, बाजोली, भरनाई, बरवाली। श्रीमान जी, इन आरओ प्लांट को लगाने वाली कंपनी फोंट्स कंपनी है, जो नई दिल्ली की है। इसको बार-बार अवगत कराने के बावजूद, बार-बार जानकारी देने के बावजूद भी यह कंपनी कुछ भी करने को तैयार नहीं है, यह गैर जिम्मेदार है। श्रीमान जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही आरओ प्लांट को सही करवाकर आम जनता को राहत प्रदान कराएं व शुद्ध पानी के लिये आप उचित कदम उठाएं।

श्रीमान जी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहरी योजना से जोड़ने बाबत 470 ढाणियों का सर्वे पूर्व में हो चुका है। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में बहुत-सी ढाणियां ऐसी हैं जिनकी संख्या 2011 के अनुसार 1 से 50 तक व 50 से 100 से अधिक व्यक्तियों की हैं जो अभी तक सर्वे से वंचित है। इन ढाणियों का वर्तमान में नेबकॉन कंपनी द्वारा सर्वे किया जा रहा है, जो काफी धीमी गति से किया जा रहा है। श्रीमान जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मेरा निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में सर्वे से वंचित रही सभी ढाणियों का सर्वे करवाकर डीपीआर बनाने का आदेश प्रदान कराएं। विधान सभा क्षेत्र मकराना की पहले से सर्वे की गई 470 ढाणियों को इसी गर्मियों से पहले पाइपलाइन डलवाकर पानी की सप्लाई की जाए, जिससे इसी गर्मी के मौसम में स्थानीय निवासियों को पीने के पानी की समस्या से राहत मिल सके।

विधान सभा क्षेत्र मकराना में नागौर लिफ्ट परियोजना (नहरी योजना)

(श्री रूपा राम)

के फेज द्वितीय चरण का कार्य धीमी गति से होने के सम्बन्ध में। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को जानकारी देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मकराना में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी पहुंचाने का काम पूर्ववर्ती सरकार के समय स्वीकृत हुआ था। इस कार्य का एग्रीमेंट एल एण्ड टी कंपनी के नाम दिनांक 9 नवम्बर, 2017 को हुआ था। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 193.30 करोड़ है। इस कंपनी की कार्य करने की अवधि 33 माह की थी, यानी 8 अगस्त, 2020 तक थी। इस परियोजना से 119 गांव लाभान्वित होंगे व कुल पाइपलाइन एक किलोमीटर लम्बी है। इसमें 6 जगहों पर पंपिंग स्टेशन बनाए गए हैं व 33 ग्रामों में उच्च जलाशय बनकर तैयार हैं। जलाशय पाइपलाइन से भी जुड़ गए हैं। फिर भी गांवों में पानी की सप्लाई क्यों नहीं दी जा रही है? इस कंपनी को 33 माह में सम्पूर्ण काम करना था। इस अवधि में कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण समय अवधि बढ़ाकर फरवरी, 2021 कर दिया गया है, फिर भी कार्य सम्पूर्ण नहीं हुआ है। अभी वर्तमान समय में तीसरी बार जून 2021 तक समय बढ़ा दिया गया है। समय बढ़ाने के उपरांत भी उक्त अवधि में प्रोजेक्ट का सम्पूर्ण कार्य नहीं होने की उम्मीद है। क्या सम्बन्धित कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार है? आम जनता को निर्धारित अवधि में नहर का मीठा पानी नहीं मिलने के कारण आने वाली गर्मियों में परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके लिये मंत्री जी को भी परेशानी होगी और हमें भी लोगों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। अतः सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करता हूं कि मेरी विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्र में नहरी योजना का जल आम जनता को मिल सके, इसलिये आप अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर सम्बन्धित कंपनी व सम्बन्धित जलदाय विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देशित करें।

विधान सभा क्षेत्र मकराना में सौर ऊर्जा चलित टैंक सहित सिंगल फेज ट्यूबवैल को चालू करने के बाबत। वर्ष 2019-20 बजट घोषणा अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10-10 सिंगल फेज ट्यूबवैल देने की माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी। इस घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। इस घोषणा के अनुसार विधान सभा क्षेत्र मकराना में 10 ट्यूबवैल की दिनांक 08.06.2020 को स्वीकृति जारी हुई थी जिसका निर्माण कार्य पूरा हो गया, परंतु आज दिनांक तक इनको बोरिंग के अलावा कुछ भी नहीं मिला, कनेक्शन नहीं हुआ है। श्रीमान से

(श्री रूपा राम)

मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में निम्नलिखित जगहों पर ट्यूबवैल की स्वीकृति हुई है। ग्राम जाखली में गोशाला के पास, ग्राम जूसरी में गोदारों की ढाणी के पास, ग्राम भरनाई में बड़ा बास, ग्राम अलतवा में गोगालाई नाड़ी के पास, ग्राम जिवादिया में कुदणों की ढाणी के पास, ग्राम बाजोली में सांसियों के मोहल्ले में, ग्राम डोबड़ी में सांवलदास मेघवालों के मोहल्ले में, ग्राम इन्दौखा में देवगढ़ बावरी के मोहल्ले में, ग्राम डोडवाड़ी में गोशाला के पास, ग्राम देवरी में मुस्लिम मोहल्ले के पास। श्रीमान जी प्रत्येक ट्यूबवैल की लागत 11 लाख 69 हजार रुपये है। श्रीमान जी इस सम्बन्ध में मैं जलदाय विभाग के उच्चाधिकारियों को कई बार फोन कर चुका हूं, पत्र लिख चुका हूं, अवगत करा चुका हूं, परन्तु इस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। अत: श्रीमान जी आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, आग्रह करना चाहूंगा कि इन ट्यूबवैलों को शीघ्र से शीघ्र से चालू करवाकर हमारे विधान सभा क्षेत्र की जनता को पानी के लिये जो आपकी योजना है, वह पूरी की जाए।

विधान सभा क्षेत्र मकराना में पीने के पानी के स्थायी समाधान बाबत एक दीर्घकालीन योजना बनायी जाए, जैसा कि सभी विधायकों ने कहा है। श्रीमान से अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में हर रोज फोन आते रहते हैं कि कोइल खराब हो गयी। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े आठ लाख में ट्यूबवैल खुदता है। यह इंजीनियरों की स्कीम बनायी हुई है। माननीय, कभी केबल खराब हो जाती है, कभी पाइप खराब होती है, कभी मोटर खराब हो जाती है। जहां तक मेरी जानकारी है, हमारे यहां पर पानी की कमी रहती है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो गुणवत्ता है, उसका ध्यान रखा जाए। ट्यूबवैल खराब हो जाता है, मोटर खराब हो जाती है, पाइप खराब हो जाते हैं, केबल खराब हो जाती है। मैं आपसे यही कहूंगा।

अभी हमारे मुख्य मंत्री जी ने दस ट्यूबवैल दिये और 40 हैंडपम्प दिये। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो दस ट्यूबवैल दिये हैं, 120 गांव से ऊपर हैं और हमारे यहां 470 ढाणियां हैं, मेरा निवेदन तो यही रहेगा कि जो दिया है, उसके लिये धन्यवाद। दस तो मिले हैं। गर्मियों में पानी के लिये मैं धन्यवाद दे रहा हूं, जो दिया है, उसके लिये। 40 हैंडपम्प दिये हैं, हमारे वहां किसी में इतनी ताकत नहीं है, वहां पानी भी नहीं है, वहां हैंडपम्प काम

(श्री रूपा राम)

नहीं कर रहे हैं। इसलिये हो सके तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि 40 हैंडपम्प की जगह आप 15-20 ट्यूबवैल भी दे दीजिए। इसके साथ मेरा उद्बोधन और मेरी जानकारी पूरी हुई। मैं तो यह कहूंगा कि मंत्री जी, आपको टाइम मिले तो मेरी बात सुन लिया करें, यहां तो मेरा कहने का हक था। मैं एक ही बात कह रहा हूं। एक मिनट और बोलता हूं। पानी पर किसी गीतकार ने कितना अच्छा लिखा है।

'गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल,
ओहो-ओहो, अंबर से निकले, जमीन पे मिले,
नीर के बिना तो भैया काम ना चले,
ओ बंधु रे, जल जो ये ना होता तो जग जाता जल,
गीत गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल'

धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: माननीय श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे के लिये बढ़ाया गया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 पर विचार

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): आदरणीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र महवा के पेयजल संकट पर मांग रखने के लिये आज आपने अवसर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। चाहे भारत सरकार हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है कि भारत में किसी भी कोने में बसे हुए नागरिक को पानी घर तक पहुंचे। यह एक ऐसा विषय है जिस विषय में भारत सरकार और राजस्थान सरकार, दोनों 45-45 प्रतिशत

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

हिस्सेदारी देकर, 10 प्रतिशत की साझेदारी उस गांव की होगी, ऐसा करके 100 प्रतिशत राशि खर्च करके हर घर तक जल पहुंचाने की एक योजना, जिसका नाम जल जीवन मिशन दिया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और निवेदन करता हूं कि जिन योजनाओं के लिये भारत सरकार ने 31 मार्च तक के लिये गाइडलाइन दी है। जो पीडब्ल्यूएस स्कीम हैं, उनकी आपको 31 मार्च तक स्वीकृति जारी करनी है। सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय बी.डी. कल्ला जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आपके पास इस समय जो टीम है, आदरणीय सुधांश पंत जी, जो एडिशनल चीफ सैक्रेटरी, पी.एच.ई.डी. हैं। आपके रूरल के चीफ इंजीनियर आर.के. मीणा जी, शहरी चीफ इंजीनियर सी.एम. चौहान साहब, यह पूरी ऐसी ऊर्जावान टीम है, जो राजस्थान के इतिहास में पहली बार आपकी जल जीवन मिशन योजनाओं को शामिल करते हुए, अभी इन्होंने दो-तीन कैम्प लगाये हैं। जब हम विधायक मुख्य अभियंता कार्यालय में जाते थे, स्कीम सैंक्शन कराने में हमारी चप्पल घिस जाती थी, लेकिन इन अधिकारियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये कैम्प लगाकर हमारी स्कीमों की स्वीकृति लगातार जारी कर रहे हैं। इस जल जीवन मिशन के लिये मैं आदरणीय सुधांश पंत को इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो एफएसटीसी कोड है, अगर उसको गलती से हम रिड्यूस करके कम पर लेकर आ जाएंगे तो उस गांव के हर नागरिक को, हर घर को समुचित व्यवस्था में पानी नहीं मिल पायेगा। हम जहां एक करोड़ रुपये किसी गांव के लिये खर्च कर रहे हैं। बी.डी. कल्ला साहब, मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि आप सुधांश पंत साहब के साथ बैठकर, चाहे 1 करोड़ की जगह 1 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च हो जाएं, लेकिन गांव में प्रत्येक घर तक अगर पानी पहुंचेगा तो सरकार का एक शानदार और जानदार संदेश जाएगा, मैं इस बात के लिये आग्रह करूंगा कि इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है।

अभी मुझसे पूर्व हमारे साथी बोल रहे थे कि जब तक सिंचाई की व्यवस्था सम्पूर्ण नहीं होगी। हमारे ग्राउंड वाटर में बहुत सारी कमियां हैं, वाटर की शोर्टेज हो गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक जमाना था, जब पूर्वी राजस्थान हरा-भरा हुआ करता था। पश्चिमी राजस्थान बिलकुल सूखा था। आज पश्चिमी राजस्थान पूरा हरा-भरा है, यह नहरी क्षेत्र के कारण हुआ है। मैं पश्चिमी राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूं और भारत सरकार और

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

राजस्थान सरकार से आग्रह करता हूं कि जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, पूर्ववर्ती सरकार ने 37 हजार का प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा। वर्तमान में मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने भी उसका रिमांडर भेजा है। कटारिया साहब बैठे हैं, राठौड़ साहब बैठे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपनी लड़ाई को छोड़कर भारत सरकार और राजस्थान सरकार को अगर पूर्वी राजस्थान की चिंता करनी है और हर घर पर पानी पहुंचाना है, चाहे सिंचाई का पानी हो, चाहे पीने योग्य पानी हो। आप दोनों मिलकर भारत सरकार से आग्रह करके 40 हजार करोड़ रुपये लाइये, जिससे पूर्वी राजस्थान का भला हो सके और आने वाले इलेक्शन में जो भी पार्टी इस काम को करेगी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उसकी शानदार जीत हो सकती है, मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

आज हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है। ईसरदा डैम को माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत सारी राशि दी है। कल्ला साहब के अथक प्रयास रहे हैं। इसमें आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी योजना बनाते हैं तो उसको पूरी करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि आपने मेजर प्रोजेक्ट के मामले में मेरे यहां से 26 गांवों को छोड़ दिया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। आपको एसआर टैंक भी बनाना है, पाइपलाइन भी लगानी है, वह लाइन आपको मेजर प्रोजेक्ट में भी काम आ जाएगी, इसलिये मेजर प्रोजेक्ट के बहाने उन गांवों को छोड़ा नहीं जाए। मैं निवेदन करूंगा कि केसरी, बनावड, केसरा, खेडली नारायणसिंह, गोपालगढ़, मौसमपुर पट्टी, हुडला, ग्वारकी, शीशवाडा, ये ऐसे गांव हैं, जिनमें पिछले पांच साल से 2015-16 में आर.ओ. सैंक्शन हुए थे, उनकी ट्यूबवैल कट गयी है। उनकी ट्यूबवैल सूखने के कगार पर है।

मैं आग्रह करूंगा कि जो फोंटेश कंपनी थी, उसे वापस री-साइन करने के लिये आप प्रयास कर रहे हैं। उनका क्या हुआ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इन आर.ओ. को कब तक लगाएंगे। गांवों के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। मैं सुधांश पंत से भी यही निवेदन करूंगा कि इसकी स्पेशल बैठक रखें। जो पुराने पूर्ववर्ती सरकार के आर.ओ. सैंक्शन हैं, उनको चालू करवाएं। उनके काम शुरू करें। नयागांव में जहां गुणवत्तापूर्ण पानी नहीं हैं, वहां भी आर.ओ. लगाने के लिये जो आई.एम.आई.एस. साइड पर जिन गांवों का नाम अपलोड कर दिया गया है, उनको भी शामिल करें।

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

अंत में, मैं यही कहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के महुखुर्द, महुखेड़ा, महुकलां, कानेटी, तिगरिया, पातरखेड़ा, हिंगोटा, गढमैड्या की ढाणी, बाबड़ी खेड़ा, कुआं का बास, खारी की झोपड़ी, कांकरवास, अलीपुर, ढिगारिया भीम, ढिगारिया कपूर, बडावास, बालाहेड़ा, झूंथाहेड़ा खुर्द, झूंथाहेड़ा कलां, कोठीन, कंचनपुरा, बैजूपाडा, हाण्डली, बडावास, लोटवाडा, नांगल, बनावड, हाण्डोली, नांगलमेव, दौलतपुरा, रिगसपुरा, कोट, हल्दैना, नांगण चारण, ऐदलपुर, मण्डावर, नांगर सुमेरसिंह, सरावली, नांगलमीना, टहलडी, रायपुर, टीकरी किलानोत, भण्डपुरा, गढ़हिम्मतसिंह, रींदली, चौलावां की ढाणी, ईसरीखेड़ा, खेडली कलां, गोपालगढ़, ऊकरूंद, जटवाड़ा, नौरंगपुरा, मान्यापुरा, पाडला, बीरगांव, नांदना, धौलखेड़ा, बीरासना, पीलवा, पाखर, राजपुर, खेडली नारायणसिंह, केसरा, केसरी, रसीदपुर, राजगढ़, दुलापुरा, बेरखेड़ा, टुडियाना, बालाहेडी, हासिलपुर, मूंडफोडी, नौरंगवाड़ा, विशाला, कायमपुर, पीपलखेड़ा, गगवाना, मौजपुर, ग्वारकी, बीरपुर, हुडला, बलीन, कमालपुर, शीत, भापुर, भोपर टप्पा, सिन्दुकी, टोडरा, बहड़खो, खोकलां, सालिपुर, टीकरी जाफरान, अमोलक नगर, पाली, शहदपुर, रामगढ़, समलेटी, पाडली, कीर्तिनंगला, बिरोंदा, सायपुर, चुरखेड़ा, खौंचपुरी, प्यारा का नंगला, खोहरी, मौसमपुर पट्टी, समसपुर, धन्तुरी, बरीतकी, ठेकड़ा, महवा, नया गांव, अलापुर, हडिया, रौत, खेडला गदाली, लालपुर, पलानहेड़ा, सांथा, गहनौली, भोपर शाहपुर, गाजीपुर, खावदा, अमरपुर, पावटा, मीणा खेड़िया, नौगांव, कुतकपुर, बाड़ाबुजुर्ग, खोहरामुल्ला, गोण्डी मीणा, खानपुर, ओण्ड गुर्जर, खोहरा (सांथा), मोहनपुर, पहाड़ी, ओण्ड ब्राह्मण, ओण्ड मीणा, तालचिड़ी, जहाजपुर, मिलकीपुरा, कोंडला, खेडलाबुजुर्ग, बड़ागांव, रतनपुरा, सुल्तानपुरा, जलालपुर, साहिड़ा, सलेमपुर, नाहिड़ा, सिकन्दरपुर, अलीपुर, समसपुर, ढण्ड, शीशवाड़ा, खेडली खुर्द, मिर्जापुर, भोजपुर और कोलरा टोडरा।

(17.00 बजे)

आदरणीय सभापति महोदय, ये सभी गांव ऐसे हैं जो पीडब्ल्यूएस में शामिल हैं। इनकी योजनाओं की स्वीकृति करने की कृपा करें। साथ ही मैं अंत में एक चीज कहना चाहूंगा कि मेरे यहां अभी एक्सईएन आफिस एक छोटे-से कमरे में चल रहा है, उसकी राशि भी स्वीकृत करें जिससे अधिकारी अच्छे ढंग से बैठकर काम कर सकें और पुन: आदरणीय बी.डी. कल्ला जी की टीम को, एसीएस साहब को, चीफ इंजीनियर्स को सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

और आप जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि 2023 के अंत तक राजस्थान के प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। आपने बोलने का मौका दिया, मेरी विधान सभा क्षेत्र के मुख्य मुद्दे उठाने का मौका दिया, इसके लिये तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय सर्व समाज।

श्री सभापति: माननीय श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि पेयजल की मांग संख्या 27 के माध्यम से मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्याओं पर दिलाना चाहती हूं। मेरी विधान सभा क्षेत्र की 50 में से लगभग 35 पंचायतों में पेयजल की समस्या है। सोजत सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ऐसे में जवाई बांध की सप्लाई महीने में एक बार होती है जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। विधान सभा क्षेत्र का पश्चिमी भाग सूखाग्रस्त, जहां जल का कोई स्रोत नहीं है। दांतीवाड़ा जल परियोजना से राजोला कलां, चौपड़ा, सरदारसमंद, धुरासनी, सुरायता, जुपेलाव, चाड़वास, बिलावास, रेपड़ावास, घाबूड़ा, मेव, खारिया नींव, धाकड़ी, धीनावास, इन ग्राम पंचायतों को अतिशीघ्र पानी की पूर्ति कराने की कृपा करें। इसके अलावा मगरा क्षेत्र की कुछ पंचायतें हैं जैसे गुढा बीजा, खोरिया, गुढ़ा रामसिंह, गुढ़ा कलां, हरियामाली, केलवाद, चंडावल स्टेशन, रायगा, कर्मावास, बगड़ी, इन ग्राम पंचायतों को पहाड़ी इलाका होने के कारण वहां पर पानी की पूर्ति नहीं हो पाती इसलिये गजनाई बांध से नई पानी की परियोजना शुरू कराने का श्रम कराएं। इससे पहले भी इस परियोजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। महिलाओं की दिनचर्या पानी से ही शुरू होती है और पानी पर ही खतम होती हैं। कम से कम दस-दस किलोमीटर दूर तक सिर पर महिलाएं पानी लेकर आती है। इसके अलावा रायपुर, गुसालपुरा, हाजीवास, निमेडा कलां, मोहरा कलां, बासिया, इन ग्राम पंचायतों में घर-घर नल योजना हेतु वित्त उपलब्ध कराने का श्रम कराएं। इसके अलावा सोजत शहर के मध्य स्थित तालाब से सोजत की जनता पानी पीती है लेकिन इनमें जलकुम्भी उग जाने से एवं गंदगी होने की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। अत: मैं मंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस तालाब की सफाई करें एवं सफाई मशीनरी उपलब्ध कराने हेतु बजट जारी करवाएं।

(श्रीमती शोभा चौहान)

सभापति महोदय जी, सोजत रोड एक बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है। इसमें कई कालोनियां ऐसी हैं जो नियमन में हैं लेकिन पानी उपलब्ध कराने का कोई भी माध्यम नहीं है। यहां जनता को पानी लेने हेतु इधर-उधर जाना पड़ता है, अन्यथा टैंकरों के माध्यम से पानी मंगवाना पड़ता है, जो उनकी आर्थिक स्थिति के अनुकूल नहीं है। सोजत विधान सभा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति हेतु मैं शुरू से ही मांग उठा रही हूं कि जनता गंदा पानी और बदबूदार पानी पीने को मजबूर है। महोदय, स्वच्छ जल के लिये जनता तरस रही है किन्तु मेरे द्वारा पूरे जोर से मांग उठाने पर भी सरकार के कानों तले जूं तक नहीं रेंगती। महोदय जी, ढाणियों में रहने वाले लोगों के लिये पानी एक विकट समस्या है। सोजत में ही नहीं सम्पूर्ण प्रदेश में बैरो-ढाणियों में रहने वाले लोगों हेतु नई जल नीति की बहुत आवश्यकता है। जल मनुष्य की अभिन्न आवश्यकता है। इसके लिये सरकार से बार-बार निवेदन कर रही हूं कि सोजत में जो जवाई बांध से आपूर्ति हो रही है, वह आंशिक है। इससे कई ग्राम और राजस्व ढाणियों को पानी नहीं पहुंच पाता। नई गजनाई बांध योजना से 12 ग्राम पंचायतों को पानी की सप्लाई होती है। इन ग्राम पंचायतों में पानी की सप्लाई हेतु पुरानी सीमेंट पाइपलाइन डाली हुई है इसीलिये इन पाइपलाइनों में पानी का दबाव होने की वजह से अंतिम छोर की ग्राम पंचायतों में पानी नहीं पहुंच पाता। इस परियोजना की सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब यहां जीआई पाइप डलवाने से अंतिम छोर तक पानी पहुंच सकेगा और यहां की जनता पानी की उपलब्धता और इससे लाभान्वित हो सकेगी।

इसके अलावा वहां गंदा पानी पीने की वजह से महिलाओं में और जो बूढ़े लोग हैं, उनमें हड्डियों की समस्याएं देखने को मिली हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहती हूं कि जो दांतीवाड़ा जल परियोजना, जोधपुर के पास में आपने बनाई है, उसे अतिशीघ्र करवाने की कृपा करें। आपने मुझे इस सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री रामलाल मीणा। माननीय श्री विजयपाल मिर्धा।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): धन्यवाद, सभापति महोदय। मांग संख्या 27-पेयजल पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिये तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र डेगाना में अधिकांश जो पंचायतें हैं छोटी-छोटी ढाणियां, उनकी आबादी लगभग 100 से 150 है। इंदिरा गांधी नहर

(श्री विजयपाल मिर्धा)

के सैकण्ड फेज में इनको, माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा, इनको उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। मंत्री जी, मुख्य एक-दो मांग हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा। इन ढाणियों को नहर योजना में सम्मिलित करवाया जाए और जो गांवों में पानी की समस्या है, आगे गर्मी का समय है इसलिये आपसे निवेदन है कि इन ढाणियों को आप इसमें जुड़वाएं।

जायल से आने वाली मंजु देवी मेघवाल जी भी यहां बैठी हैं, उनको भी पता है नहरी परियोजना में डेगाना क्षेत्र के, मेरे क्षेत्र के 112 गांव द्वितीय खण्ड जायल के अधीन आते हैं। जो आफिस है, वह जायल में है। माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप एक अस्थाई आफिस डेगाना में खुलवाएं ताकि लोगों को समस्या नहीं हो और वहां पर जाकर, जैसा अभी रूपा राम जी ने बताया था आमजन को परेशानी नहीं हो। आम आदमी वहां जाकर अपनी समस्या का समाधान करवा सके। जो नहरी सर्वे जनगणना 2011 हुआ था, उसमें जो गांव व ढाणियां छूटी हुई हैं आपसे निवेदन करूंगा, जो तीसरा फेज है, उसको आप जल्दी चालू करवाकर जो ये गांव व ढाणियां बची हुई हैं इनको जोड़ने की कृपा करें। अधिकांश कई ढाणियां जो अभी राजस्व ग्राम बन गई हैं, उनको अभी भी ढाणियां कहते हैं। कई ऐसी ढाणियां हैं जैसे सरोज नगर, हनुमान नगर, सोहनपुरा, ज्ञानेसर, मुगालियों की ढाणी, नोदलों की ढाणी, ऐसी कई ढाणियां हैं, माननीय मंत्री जी, कई ढाणियां तो सम्मिलित भी की गयी थीं प्रोजेक्ट में, परंतु अभी भी वहां काम चालू नहीं हुआ है और कई में जहां काम चालू हो गया है, वहां पर भी कई कालोनियां गांवों में छूट गयी हैं। जो आम रास्ते हैं, उनको भी छोड़ दिया गया है।

मंत्री जी, मुख्य एक समस्या और है जैसे डेगाना गांव, तिलानेश और कीतलसर, कई गांवों में जो शुल्क है, वह पुरानी दर से 2400 रुपये से कनेक्शन के लिये उनसे लिया जा रहा है और जो नये शुल्क हैं, 19 ऐसे गांव हैं, जिसमें मैंने आपको नाम बताए, वह सम्मिलित हैं। आपसे निवेदन करूंगा कनेक्शन नि:शुल्क व न्यूनतम दर निर्धारित कर गरीबों को, वहां के आम किसानों को राहत पहुंचाने का काम करें। नहरी प्रोजेक्ट जो धीमी गति से चल रहा है, जैसा रूपा राम जी ने भी बताया, जो वहां पर कंपनी है, जो प्रोजेक्ट 2019-20 में पूरा होना था, वह एक साल डिले चल रहा है और आने वाले समय में गर्मी में लोग बहुत ज्यादा परेशान होंगे।

सभी सदस्यों ने मांग उठाई है कि फेल टयूबवैल के अगेंस्ट नये ट्यूबवैल देते हैं, उसका एक समय निर्धारित करें। हम प्रपोजल कई बार भेज

(श्री विजयपाल मिर्धा)

चुके हैं, पर उनके कोई हमारे वापस आए नहीं है। मीना साहब के पास, आपके जो अधिकारी हैं, उनको निर्देशित करें कि उनका टाइम पीरियड हो जाए, जो भी फेल टयूबवैल होते हैं, उनका समय निर्धारित कर, निर्देशित कर, जल्द से जल्द लोगों को राहत पहुंचाने का काम करें।

सांजू बड़ा कस्बा है, वहां मीठा पानी पहुंच चुका है। वहां आप ऐसी व्यवस्था करवाएं ताकि लोग गर्मी में टैंकर भरकर, आस-पास के 25-30 गांव हैं, वह लाभान्वित हो सकें, आप ऐसी व्यवस्था करें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद। जय हिन्द, जय किसान।

श्री सभापति: माननीय श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि पानी जैसी महत्वपूर्ण डिमांड पर आपने मुझे अवसर दिया। हम पानी की डिमांड और बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मैं चर्चा आरम्भ करूं, उससे पहले आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा। इसी 12 जनवरी को, हमने दो साल तक मेहनत करके, छोटी-छोटी स्कीम कहीं 3 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं 7 लाख की, ऐसी कई विधान सभा क्षेत्रों की बनाकर, पीएचईडी मुख्यालय तक, फाइनेंस तक भेजी। 12 जनवरी को एक आर्डर निकलता है कि there is no budget available और दो साल की सारी स्कीमों को निरस्त कर दिया जाता है।

मंत्री महोदय, मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा, न ही कोई आक्षेप कर रहा हूं। हो सकता है कि इनको किसी और प्लान के कारण किया होगा, पर दो साल की मेहनत पूरी पानी में मिल गई। पानी पर ही हम चर्चा कर रहे हैं। इन स्कीम को आप यदि पुन: जीवित कर देंगे, इसके टेंडर लगा देंगे तो लोगों को इसका फायदा होगा। हज़ारों कालोनियां पानी के बिना हैं।

सभापति महोदय, हम जयपुर की बात कर रहे हैं, राजधानी की बात कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र हो तो समझ आता है। आजादी के 75 साल बाद, आज भी जयपुर में टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है। जितनी कालोनियों में हम पानी दे रहे हैं, उससे ज्यादा कालोनियों में टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है।

सभापति महोदय, हर वर्ष जब मार्च आता है, चाहे सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, मैं कोई सरकार पर आक्षेप नहीं कर रहा। हर वर्ष मार्च आता है, जब एक कंटींजेंसी प्लान बनाया जाता है। अभी हाल ही में

(श्री अशोक लाहोटी)

आपने खुद ने देखा होगा कि मंत्री महोदय ने पैसे सैंक्शन भी कर दिए, क्योंकि वह तो करने ही थे, मार्च आ रहा है। अगले महीने गर्मी शुरू हो जाएगी लेकिन 60 करोड़,100-100 करोड़ रुपये हर वर्ष कंटींजेंसी प्लान के नाम पर बहाया जाता है। बाद में आडिट होती है कि यह घपला हो गया, यह ओटीपी में नम्बर जनरेट नहीं हुआ, यह नहीं हुआ, वह नहीं हुआ। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस व्यवस्था में आप थोड़ा धीरे-धीरे ग्रेजुअली सुधार करेंगे तो हम यह टैंकर व्यवस्था खतम कर पाएंगे। कम से कम राजधानी का ऐसा दृश्य नहीं देखना पड़े, मैं आपसे यह उम्मीद करता हूं।

सभापति महोदय, जयपुर शहर में लगभग 2200 से ज्यादा ट्यूबवैल खोदे जा चुके हैं। अभी ट्यूबवैल खोदने की छूट भी दी है। पानी पाताल में चला गया है। 2200 से ज्यादा ट्यूबवैल खोदे जा चुके हैं, हम नये ट्यूबवैल के आर्डर कर रहे हैं, पर कभी यह भी आकलन करें कि पुराने कितने बंद हो गए। आपकी खुद की सर्वे रिपोर्ट में है कि जयपुर शहर के 700 से ज्यादा ट्यूबवैल बंद हो चुके हैं। या तो कनेक्शन नहीं है या पानी खतम हो गया या वह खराब हो गए। अभी कई सदस्यों ने कहा कि किसी में सिंगल फेज नहीं है, किसी में कुछ नहीं है, इस प्रकार की है।

सभापति महोदय, मैं राजधानी में ही, मेरे क्षेत्र सांगानेर की समस्या बता रहा हूं। सांगानेर वह क्षेत्र है जहां बीसलपुर का पानी आता है, स्टोरेज होता है। सांगानेर के सीने में लाइनें खोदकर पूरे जयपुर को पानी सप्लाई किया जाता है। एक मारवाड़ी में कहावत है कि घर के पूत कुंवारे डोले और पड़ोसियों के फेरे होवे। वह स्थिति मंत्री महोदय, हमारे क्षेत्र की हो रही है। हमारे क्षेत्र में भांकरोटा क्षेत्र, कमला नेहरू नगर, नारायण विहार, रामपुरा रोड क्षेत्र, पृथ्वीराज नगर, ढाणी कुमावतों की, ढाणी सिरोहियों की, मदरामपुरा, तेजाजी का बाड़ा, माल की ढाणी, डिग्गी रोड, मुहाना रोड, शिकारपुरा क्षेत्र, झूलेलाल नगर, हीरावाली खारड़ा, देवराज नगर, श्रीजी नगर, झोतरावारा, बागडों का बड़, कोकावास, गोवर्धन नगर काला, बड़ के फाटक, आस-पास पूरा क्षेत्र कृषि नगर, टीबा टोल टैक्स, इंडिया गेट प्रताप नगर, चक गेट, श्योपुर रीको कांटा, कल्याण नगर, सचिवालय नगर, पत्रकार कालोनी के आस-पास, आज भी टैंकरों से पानी सप्लाई हो रहा है, पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं है।

सभापति महोदय, सांगानेर में 600 से ज्यादा कालोनियों में पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। बीसलपुर के पानी का हम लगातार इंतजार कर रहे हैं।

(श्री अशोक लाहोटी)

मानसरोवर क्षेत्र, गोपालपुरा बाईपास, दुर्गापुरा क्षेत्र, जहां 25-25 साल पहले लाइनें डल गई थीं, वह लाइनें अस्त व्यस्त हो गई हैं, छिन्न-भिन्न हो गई हैं। वहां 30-40 परसेंट पानी का लीकेज है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जल जीवन मिशन अरबन भी शुरू हो गया है, आप उसमें ले लें, लेकिन इन लाइनों को रिपेयर करने या इनको बदलवाने का काम करवाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी।

सभापति महोदय, 25-30 साल पहले लाइनें डल गई थीं, जैसा कि मैंने आपको बताया। जयपुर शहर की सबसे बड़ी समस्या है कि यहां एक तरफ तो जयपुर शहर को राजस्थान पत्रिका गुलाब कोठारी जी का हाई कोर्ट में आदेश चल रहा है, उसके हिसाब से, शहरों की आबादी को बाहर विस्तार करने से रोका जा रहा है। शहर वर्टिकल बढ़ रहा है, यह अच्छी बात है लेकिन बहुमंजिला इमारतों में लाखों लोग रह रहे हैं, अभी सब एमएलएज को भी आपने मानसरोवर शिफ्ट किया है, थोड़े दिनों में यह भी आपको फोन करेंगे कि पीने का पानी नहीं आ रहा। बहुमंजिला इमारतों को बीसलपुर का पानी देने का अभी तक कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में गम्भीरता से विचार करके बहुमंजिला इमारतों को पानी उपलब्ध करवाएं।

सभापति महोदय, वसुन्धरा जी के समय, हमारी सरकार में 1104 करोड़ रुपये की, जो यह क्षेत्र मैंने आपको बताए, इस क्षेत्र की योजनाएं बन चुकी थीं, टेंडर प्रोसेस पर आ गया था, सर्वे हो गया था। दो साल से कभी ए एंड एफ जारी करने के नाम पर, कभी फाइनेंशियल सैंक्शन के नाम पर, उनको दुबारा से री-एलोकेट करके बार-बार, अभी मुख्य मंत्री जी ने उसकी पुन: बजट में, छोटे से एरिया की, 114 करोड़ की घोषणा कर दी। मेरा निवेदन है, सरकार के पास पैसा नहीं है, आप इसकी योजना बनाकर केन्द्र में भेजें। आधा पैसा हम मोदी जी से दिलवाएंगे, आधे पैसे की व्यवस्था आप कर दें। मंत्री महोदय, 1104 करोड़ की आप व्यवस्था करवाकर हमारे क्षेत्र को पीने का पानी उपलब्ध करवाएं। मंत्री महोदय, मैं मांग करता हूं कि इसमें प्रस्ताव बनाकर आप भेज दें। 15-20 जल छीजत जो मैंने आपको बताया। सबसे बड़ी एक समस्या, सी-स्कीम और सिविल लाइन में 250 गज प्लाट में पानी का कनेक्शन लेता है तो उसके 2500 रुपये में कनेक्शन हो जाता है। कितनी बड़ी विडम्बना है। अभी गंगा देवी जी के और मेरे, मैं अशोक लाहोटी और गंगा देवी जी के एरिया में, हमारे यहां 250 गज के प्लाट में पानी का कनेक्शन मांगते

(श्री अशोक लाहोटी)

हैं तो 40 से 50 हजार रुपये का खर्चा आता है। यह अन्याय क्यों? आपके यहां एक प्रपोजल भी बना था, सबको समान करें। सिविल लाइन में 2500 रुपये और हमारे बाहर के क्षेत्र में, जहां गरीब लोग निवास करते हैं वहां 50 हजार रुपये, यह किस बात का अन्याय है। कनेक्शन तो सभी लेते हैं। इस कारण से लोग अवैध कनेक्शन जोड़ते हैं।

जिस प्रकार हमने पानी के लिये महत्वपूर्ण किया। 1899 में जब अकाल आया, मैं आपको जयपुर के बारे में बताना चाहूंगा, उस समय यहां के महाराजा माधोसिंह जी द्वितीय ने चीफ इंजीनियर स्वीट एस. जैकब के साथ मिलकर दो दर्जन बांध बनाए थे। उस जमाने में पानी की कल्पना शुरू की थी। आज मैं एक पेपर यहां पढ़ रहा था कि राजस्थान में पानी कितना महत्वपूर्ण है। राजस्थान का पहला बजट 7 अप्रैल, 1952 को वित्त मंत्री आदरणीय नाथूराम जी मिर्धा ने पेश किया। इस पहले बजट की पहली लाइन, जिसमें सिंचाई के लिये 400 लाख रुपये, ग्राम प्रदाय जल योजनाओं के लिये 100 लाख रुपये और जल प्रदाय रिपेयरिंग के लिये 30 लाख रुपये। यह आजाद भारत का, राजस्थान के पहले बजट की पहली लाइन है। हमारे लिये यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सांगानेर क्षेत्र में महारानी फार्म का बांध, गूलर का बांध, नेवटा, चंदलाई का बांध, यह सब हमारे क्षेत्र में शामिल थे। जयपुर शहर के परकोटे में तो आज भी यह कहते हैं, आदरणीय मुख्य सचेतक महोदय, रफीक जी, सब वहां के हैं कि एक घोड़े पर बैठकर आदमी निकल जाए, इतना बड़ा वाटर सर्किट जयपुर में बना हुआ है। यहां का पूरा पानी इकट्ठा होकर तालकटोरा में जाता था। तालकटोरा से रामगढ़ बांध में जाता था। 60 मीटर तक रामगढ़ बांध की भराव क्षमता थी। जयपुर शहर में लगभग 75 लाख लीटर पानी 60 वर्षों तक रामगढ़ बांध से सप्लाई हुआ। आज रामगढ़ बांध भू-माफियाओं के हत्थे चढ़ गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद, कई सरकारें निकल गईं, लेकिन रामगढ़ बांध में आज एक इंच पानी नहीं आ रहा, यह हमारे लिये चिंता का विषय भी है और शोचनीय विषय भी है।

सभापति महोदय, अभी हाई कोर्ट ने पेयजल की किल्लत को देखकर बीसलपुर बांध के सम्बन्ध में एक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि बीसलपुर बांध में केवल 11.5 टीएमसी पानी है। क्यों नहीं बीसलपुर बांध को केवल ड्रिंकिंग वाटर के लिये रिजर्व किया जाए?

(श्री अशोक लाहोटी)

(17.19 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

यदि वहां खेती के लिये पानी देना है तो 24 टीएमसी पानी होना चाहिए, यह आपके सर्वे में भी, आपकी रिपोर्ट में भी है। 24 टीएमसी पानी है ही नहीं तो उसको खेती में रोककर, इसको केवल आप पीने के पानी के लिये रिजर्व करें। इसके साथ ही बीसलपुर में आवक बढ़ाने के लिये चंबल नदी की सहायक ब्राह्मणी नदी को जोड़ने का, बीसलपुर से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट बना था, वह तो आपके पास पैंडिंग है, वह तो केन्द्र सरकार के पास भी पैंडिंग नहीं है। 5808 करोड़ का प्रोजेक्ट था, आपके यहां से फाइनेंस की स्वीकृति भी हो गई, केवल डीपीआर बननी बाकी है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि यह हो जाएगा तो जयपुर सहित आस-पास के 5-6 ज़िलों में पीने के पानी की समस्या खतम हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि प्रदेश में हर पांचवां आदमी रसायनयुक्त पानी पी रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 19575 बस्तियों में प्रदूषित पानी है और फ्लोराइडयुक्त पानी है। सभापति महोदय, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि माननीय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत का 1999 का जो पहला बजट है। उस बजट में भी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, अब आपके आने से तो थोड़ी उम्मीद बढ़ी थी कि आप थोड़ा मेरा ध्यान रखेंगे।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 1999 के उस बजट में गहलोत साहब ने संकल्प रखा था कि राजस्थान को फ्लोराइडमुक्त करेंगे। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि उसमें आप गति बढ़ाएं। (व्यवधान) 2019-20 में आपने जो बजट ...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें। एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): बलजीत भाई, बस एक कविता के माध्यम से बात पूरी कर रहा हूं। मुझे पता है अब सभापति महोदय बोलने नहीं देंगे। मैं तो बस यही कह रहा हूं:-

''नहीं बचा धरती पर पानी, बहा व्यर्थ बे-ईमानी में,

खूब मिटाया हमने-तुमने पानी यूं नादानी में,

इतना घाटा उठा चुके हैं, हम अपनी मनमानी में

न रामगढ़ में आया पानी, न ही बीसलपुर में बचेगा पानी।''

बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27 पर बोलने का मौका दिया।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से हमारे पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर आदरणीय कल्लाजी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक ट्यूबवैल भी खुदवाये और जे.जे.एम. योजना के तहत अनेक गांवों के लिये करोड़ों रुपये स्वीकृत किये। इसके साथ ही अभी भी मेरे काफी गांव ऐसे हैं जहां पर घर-घर जल पहुंचाने के लिये उनको जे.जे.एम. स्कीम से जोड़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं कुछ उन पंचायतों के नाम यहां पर रखना चाहता हूं। बाद में पता नहीं, सभापतिजी टाइम दें, न दें।

सभापति महोदय, ग्राम पंचायत अनन्तपुरा, भगवाड़ी, ढुंढाडिया, गादोज, ढिंडोर, गूजरवास, गुंती, हमीदपुर, जखराना, जटगावड़ा, कारोड़ा, डिश, अजमेरीपुर खोर, खोरी, ऊंटोली, बरंड, महाराजावास, डहमी, दुगैड़ा, हमजापुर, माचल, कांकड़ा मोहम्मदपुर, रामसिंहपुरा, नासरपुर, नारेड़ा, मावड़ी, सोरवा, रिवाली, शेरपुर, गोकलपुर, शिमला, श्यामपुर, अकलीमपुर, नारेड़ा, निहालपुरा, फतेहपुरा, दाबड़वास, भीणवास, दोसोर, डुमडौली, नाइसराणा, जैतपुर, काठवास, मंगलपुर, हुडियाकलां, मेहतावास, खुंदरोठ, माजरा, माजरीकलां, नानगवास, चावण्डी, परतापुर, रामचन्द्रपुरा, बेंजपुर, रहवाणा, तलवाना, रोडवाल, सांतौ, रायसराणा, पुरोना, बीगाणा जाट, कोराना, पहाड़ी, हुड़ियाकलां, इनमें, ... (व्यवधान) काठवास बोल दिया, काठवास, ये ग्राम पंचायतें हैं और इनके गांव हैं लगभग 99 गांव हैं, जिनमें अभी भी घर-घर जल पहुंचाने की आवश्यकता है।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा, बहुत अच्छी

(श्री बलजीत यादव)

बात है और सरकार की तरफ से बहुत ही अच्छे सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं कि हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, दूर-दूर से पानी लेकर आती हैं। जब हम चुनाव में गये तो गांव की चौपाल पर महिलाओं की बहुत भारी भीड़ मिलती थी। रात के 12-12 बज जाते थे, ठंड के मौसम में, फिर भी हमारी माताएं चौपाल पर खड़ी रहती थीं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिये, हमें आशीर्वाद देने के लिये। उनकी एक ही मांग होती थी कि हमारे को सिर्फ इस पानी की समस्या से मुक्ति दिला दो। हमारे घर पर पानी की व्यवस्था करना। मैं समझता हूं, महिलाओं का सबसे इम्पोर्टेंट काम है और उनकी सबसे बड़ी समस्या गांव में यह है कि पानी नहीं है तो दूरदराज से हमारी माताएं, बहनें पानी लेकर आती हैं।

आपने नल की व्यवस्था की, अच्छी की लेकिन, सभापति महोदय, मेरा पूरा का पूरा क्षेत्र डार्क जोन में आ गया है। मेरे अलावा भी हमारा पूरा राजस्थान पहले से ही पानी की समस्या से ग्रस्त है। हमारे यहां पानी की कमी है। जब तक हम नदियों को न जोड़ेंगे, जब तक जो नदियां जिनमें अवैध एनीकट बन गये, कब्जे हो गये, उनके बहाव क्षेत्र में रोक दिया गया, तब तक मैं समझता हूं कि हम यह जो समाधान कर रहे हैं यह स्थायी नहीं है, अस्थायी है। थोड़े दिन बाद फिर अपने को यही करना पड़ेगा कि यहां समस्या आ गई। बहुत से ट्यूबवैल करते हैं, फिर वे ड्राई निकल जाते हैं, फिर ट्यूबवैल के लिये सैंक्शन होती है, फिर दूसरी जगह करते हैं, फिर ड्राई निकल जाते हैं क्योंकि पानी जमीन में बहता हुआ नहीं है। अब पानी ब्लॉक्स में है। वे एक ट्यूबवैल करते हैं, वह कुछ समय चलता है, वह ड्राई हो जाता है।

मैंने पहले भी सुझाव दिया था कि पी.एच.ई.डी. विभाग जो थ्री-फेज बोरिंग वगैरह अभी भी कहीं करता है, उसकी जगह अगर वह सिंगल-फेज बोरिंग करे, अलग-अलग मौहल्ले में कर दें, तो अभी ढाणी वगैरह खूब बस गईं, उन ढाणियों में सिंगल-फेज बोरिंग की जाए तो ज्यादा समय तक के लिये आपकी वह बोरिंग चलेगी, आपका पैसा भी कम खर्च होगा।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि बरसात के दिनों में हम अख़बार में पढ़ते हैं कि चम्बल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हम उधर पढ़ते हैं, हमारी तरफ यमुना नदी है, वह खतरे के निशान से बह रही है। हरियाणा के अन्दर पंजाब की नदियां जब खतरे के निशान पर बहती हैं तो पंजाब से पानी छोड़ दिया जाता है। वह पानी लोगों के खेतों में भर जाता है, फसल खराब हो जाती है और वे लोग परेशान रहते हैं। मेरा सिर्फ इतना सुझाव है कि

(श्री बलजीत यादव)

हम सब इतना पैसा खर्च करते हैं, हर साल करते हैं, और भी योजनाओं पर करते हैं, सड़कों पर करते हैं, दूसरी चीजों पर करते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अगर यह सारा पैसा थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से केन्द्र सरकार के साथ समन्वय बैठा करके, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिल करके जो हमारे यहां की नदियां हैं उनसे उस पानी का उपयोग, जो बरसात के दिनों में या वैसे जो व्यर्थ जाता है, ज्यादा से ज्यादा कैसे किया जा सकता है, बांध बनाकर उस पर खर्च किया जाए। साथ ही बिहार जैसी जगह, जहां पर बाढ़ के लिये इतना भारी भरकम बजट दिया जाता है, उस पैसे से और उस पानी को यहां राजस्थान में लाया जाए तो मेरे राजस्थान की धरती सोना उगलेगी।

सभापति महोदय, मेरे अलवर जिले की जमीन इतनी उपजाऊ है, मैं समझता हूं राजस्थान में शायद कहीं की भी जमीन उससे ज्यादा उपजाऊ नहीं है। इतनी अच्छी वहां पर सरसों, गेहूं होता था। प्याज की फसल, अन्य सब्जियां, टमाटर वगैरह इतने जबरदस्त होते थे। अब गांव के गांव वीरान हो गये हैं। लोग बेरोजगार हो गये हैं। इसलिये जरूरत है सरकार और चीजों पर बजट काट करके, यह पानी है, यह पेयजल के लिये ही नहीं, यह किसान के खेत तक भी पहुंचाये क्योंकि अगर सिंचाई के लिये पानी आ जाएगा तो पेयजल की भी समस्या खतम हो जाएगी। अगर नदियों का पानी बांध बना कर हम ले आये, साबी नदी पर हमारे वहां पर बांध बना दिया, साबी के एनीकट्स को हटा दिया और वह साबी नदी पहले की जैसे बहने लगी तो फिर जल स्तर ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। जो हर बार आपके ट्यूबवैल ड्राई हो जाते हैं, फिर करोड़ों रुपये देते हो, करोड़ों रुपये देते हो, कई हजारों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। एक बार अगर आप सब चीजों पर, दूसरी रोड वगैरह पर बजट को कम करके, मैं तो कहता हूं बंद करके इस पानी की व्यवस्था करें। सभी जगह बात होती है, जैसा कि अभी हमारे मित्र बता रहे थे लाहोटीजी, कि पहले देश आजाद हुआ, उस वक्त भी जब हमारे यहां के पोलिटिशियंस थे, उन्होंने माना कि राजस्थान के लिये पानी सबसे इम्पोर्टेंट विषय है।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्री रामप्रताप कासनियां।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सबसे ज्यादा पानी की समस्या के लिये बजट दिया जाना चाहिए, तो दिया तो उसी प्रकार से वर्तमान सरकार भी उसको गम्भीरता से ले, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल, बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बखान किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे भयंकर समस्या यह है कि आज के दिन पंचायतों ने जनता जल योजना को फेल कर दिया है। पानी सुचारु रूप से नहीं दे रहे हैं। समय पर बिल नहीं भरे जा रहे हैं। 10-10 दिन तक बिजली कट जाती है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में टिब्बा क्षेत्र के अन्दर मैं गांवों का नाम बता रहा हूं आपको-सरदारपुरा, खरथा, ठेठार, कानोर, भोजेवाला, 1 BJW., 2 BJW., 3 BJW., सोमासर, 4 SMR, 4 SMR राइका चक, जैसाभट्टी, कालूसर, ऐटा, चाड़सर, रत्तासर, ठुकराना, फरीदसर, राइयावाली, इसके अलावा सांवलसर, लदेर, सिंगरासर, डीडवाना, देईदासपुरा, करड़ू, भोजेवाला, बछरारा, राजियासर गांव, मौकलसर, मालेर, पंचायत के पूरे गांव, सब मैं गांवों का नाम यदि लूंगा तो इधर से फिर गड़बड़ हो जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टिब्बा क्षेत्र के अन्दर सर्दियों के अन्दर भी पानी की किल्लत रहती है और सबसे बड़ी समस्या, इस विभाग का अगर कोई भट्टा बैठाने में हाथ है तो यह आपके हैल्पर हैं। ये चीफ इंजीनियर को भी फेल कर देते हैं और जब आपसे हम बात करते हैं तो आप यह कहते हो कि इनकी तो यूनियन है तो यह कोई भगवान हैं? खा जाएंगे, यूनियन है तो हमको बरबाद कर देंगे सबको? कोई कार्यवाही करेंगे?

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी स्कीम में जो 24 घंटे के पैसे जमा करवाये हुए हैं बिजली के और लाइट दे रहे हैं सिर्फ 12 घंटे, 10 घंटे। मेरे क्षेत्र में सोमासर और जैसाभट्टी नाम की दो स्कीम हैं, जिनसे आठ-आठ, दस-दस गांव जुड़े हुए हैं। उनके अन्दर आठ-दस घंटे से लाइट ज्यादा नहीं और पैसा पी.एच.ई.डी. ने 24 घंटे का जमा करवाकर लाइन खींची हुई है।

दूसरी, जो पी.एच.ई.डी. ने मोटरें ठेकेदारों से लगाई हैं, वह अपनी

(श्री रामप्रताप कासनियां)

जिस रूल के अनुसार, जितनी क्षमता में पानी निकालना चाहिए, वह मोटर पानी नहीं निकाल सकती क्योंकि उसमें गड़बड़ घोटाला है। मैं ज्यादा चर्चा करूंगा तो आप मेरी सुनते नहीं हो और वह नीचे वाले अधिकारी और खाएंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक जगह पर नहीं, दस स्कीम्स में मैंने यह देखा है कि 50 एच.पी. की मोटर, वह पानी अपनी क्षमता के अनुसार नहीं निकाल रही है। वही पानी बिलो रही है। बिलोना का मतलब समझते हो न? अपने बिलोना जैसा करते हैं। आपसे ज्यादा कहना अच्छा नहीं है, मंत्री महोदय, और दूसरा इस क्षेत्र के अन्दर टंकियां बनी हुई हैं। पहले पानी टंकियों में डालते हैं, दस-दस घंटे के अन्दर एक टंकी भरी जाती है और फिर पानी सप्लाई करते हैं तो डाइरेक्ट ही दे दो। फिल्टर तो पानी टंकी कर नहीं रही है। फिल्टर तो पीछे से होकर आता है अगर है तो और नहीं है तो। टंकियों में दस-दस घंटे टाइम बरबाद करके और 100-100 फीट ऊंचा पानी चढ़ाना, मोटर तो वैसे ही कमजोर है और बिना मतलब का टाइम खराब कर रहे हो तो सप्लाई अगर आपको देनी है तो जहां पर कोई तीन-तीन मंजिला मकान नहीं है, टंकियां तो बन गईं, वैसी स्कीम्स बना ली तरह-तरह की तो मैं, मंत्री महोदय, आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा, एक अगर आपसे इलाज होता है तो अवैध कनेक्शन, मुझे एक स्कीम ऐसी बता दो जिसमें सेंट-परसेंट गांवों में पानी मिलता हो। एक भी ऐसा गांव नहीं है, एक भी स्कीम नहीं, क्योंकि लोग मनमर्जी के कनेक्शन, हैल्पर कराते जा रहे हैं, वह अपने आप ही बहुत होशियार हैं, लोग कर लेते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): समाप्त तो मेरे पहले भी तीन मिनट बाकी पड़े हैं, पिछली बार पन्द्रह में से बारह ही मिनट दिये हैं आपने। मेरे पर थोड़ी कृपा करो और मैं धीमी गति का समाचार हूं, मैंने पहले भी कह दिया।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आज तो बहुत तेज बोल रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या, जी?

श्री सभापति: अपनी बात को समाप्त करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं तो इनके भय से भयभीत हूं। मैं यह कह रहा था कि अवैध कनेक्शन और मोटर, दो चीजों की आप

(श्री रामप्रताप कासनियां)

व्यवस्था कर दो तो मैं दावे के साथ यह कहता हूं कि पानी सप्लाई में कोई बाधा नहीं आएगी। तीन इंच का पाइप, आपका जो कनेक्शन है, उस रूल के हिसाब से 90 घरों को पानी दे सकता है। तीन इंच पाइप और इतना कनेक्शन, 90 घरों को तो आपने पाइप्स बहुत लगा रखे हैं, सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी पानी नहीं है। अंतिम छोर के उपभोक्ता तो हमेशा रोते ही रहते हैं तो आप तो एक तो इन हैल्परों का और एक अवैध कनेक्शन, इनमें कटौती करो।

माननीय सभापति महोदय, डेजर्ट वाले जो गांव हैं, सर्दियों में पानी नहीं पहुंचता है। सूरतगढ़ शहर के अन्दर 45 वार्ड हैं, बहुत पैसा खर्च किया है पी.एच.ई.डी. ने, फिर भी आज भी लोग प्यासे हैं सर्दियों में। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार हो, चाहे वर्तमान में तो खैर, आपके पास है ही नहीं पैसा मेरे ख्याल में ज्यादा। पहले करोड़ों-करोड़ों रुपये की योजना बनाकर पानी की तरह पैसा बहाया है। अब ढाणियों के अन्दर लोग बसे हुए हैं। यह प्रजातंत्र है। हर आदमी यह मांग करता है कि हमें कनेक्शन दिलाओ। इस बात को कोई नहीं सुनना चाहता कि हमारी ढाणी तीन किलोमीटर है, सरकार के डेढ़ लाख रुपये लगे, दो लाख रुपये लगे तो लगे, इससे अच्छा है कि उनको सीधा ही उपलब्ध करवा दो। यह मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि आप कितना ही प्रयत्न करते जाओ, जब तक जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल नहीं करेंगे, चाहे पेयजल हो, चाहे बिजली हो, चाहे कोई और बात हो, यह राजस्थान और हिन्दुस्तान बरबाद होगा, समय रहते हुए अगर आप लोगों ने, पक्ष-विपक्ष ने मिलकर के एक बच्चे का निर्णय नहीं किया तो इस देश की सारी योजनाएं कम पड़ जाएंगी, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री अमीन खां।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): कोई पुरानी दुश्मनी है। जय हिन्द।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, डिमांड संख्या-27 को पास करने का समर्थन करता हूं। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे विचार और दिल की बात सूरतगढ़ से आने वाले एम.एल.ए. ने कही। सभी यह जितने भी बैठे हैं, चाहे अधिकारी हैं, हकीकत को सब जानते हैं और भाषण देकर हम कोशिश करते हैं समझाने की यह वाहियात मेहनत है। समझाना तो उसको है जो अनजान है, जिसको कोई किसी बात से खबर नहीं

(श्री अमीन खां)

है। साहब, अपने से यह सब होशियार हैं, यह सब जानते हैं लेकिन जानते हुए कोई गड़बड़ हो रहा है तो उसका इलाज खुदा के पास है।

मंत्रीजी, हम साफ कहते हैं कि देश की आजादी के बाद में कांग्रेस शासन में भी, बुराई किसी की भी करो लेकिन पीने का पानी का गांवों में इंतजाम करने में कोई कसर कम नहीं रखी लेकिन अभी तक भी लोग हर जगह पर पानी की शिकायत कर रहे हैं। उसका कारण यह जो सूरतगढ़ से आने वाले एम.एल.ए. ने कहा है, वह सही है। एक तो जो आदमी गांव-ढाणियों में प्रभावशाली है, वह किसी की भी इजाजत बिना छेनी लेकर, आपकी पाइप लाइन तोड़कर अपने घरों, टांकों में कनेक्शन करते हैं और उस कनेक्शन को कोई नहीं कटा पाता। अगर वह कनेक्शन कटाने की कोई बात करता है तो वहां के एम.एल.ए. को सीधी धमकी मिलती है कि चार हजार वोट तेरे कम होंगे। तब वह एम.एल.ए. कहता है कि भाई, माफ करना, मैं आपके कनेक्शन का दुबारा कह दूंगा, इसका कारण है यह।

राजनीतिक लोगों की इस कमजोरी और बेईमानी और शासन की कमजोरी के कारण टेल पर रहने वाले आदमी के साथ हमेशा अन्याय हुआ है और अन्याय होता रहेगा, हम ऐसा मानते हैं। मैं आपको, मैंने शुरू से ही यह कहा कि हम लम्बे-चौड़े भाषण डिमांड पर देना नहीं चाहते और न भाषण हम जानते हैं। अब जैसे क्षेत्रफल के एरिया के हिसाब से शिव विधान सभा क्षेत्र ऐसा है, जिसका क्षेत्रफल एरिया 9 हजार वर्ग किलोमीटर है और बाड़मेर पचपदरा एक ऐसा क्षेत्र है, जिसका क्षेत्रफल ढाई हजार वर्ग किलोमीटर है। उस ढाई हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले क्षेत्र में आपके कर्मचारी-अधिकारी मौजूद हैं और 9 हजार वर्ग किलोमीटर वाले एरिये में जिसका राई-उप खण्ड है, उसमें तीन ए.ईएन. की पोस्ट हैं, तीनों ए.ईएन. की पोस्ट खाली हैं, तीनों जगह जे.ईएन. की पोस्ट खाली हैं और तीनों जगह वाटरवर्क्स का कोई व्हीकल नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने और बीजेपी की सरकार, दोनों ने एक सिस्टम तय किया है कि सरकार के पैसे बचत करते हैं। इसलिये नई लेबर को भर्ती मत करो। लेबर के बिना आपकी कोई भी स्कीम सफल नहीं हो सकती। हां, अनहोती ज्यादा लेबर मत भरो, बिना जरूरत के लेबर भर्ती मत करो, परन्तु कम से कम रेगिस्तानी इलाके में 15 किलोमीटर पर आपका एक आदमी तो होना ही चाहिए। अब 15 किलोमीटर की जगह एक किलोमीटर पर आपका आदमी नहीं, ट्रेंड पम्प चालक नहीं और फिटर मौजूद नहीं। आपका जे.ईएन.

(श्री अमीन खां)

भी नहीं है, कहीं है तो उसके पास गाड़ी नहीं है। अपन खुद ही मान लेंगे कि पानी हम नहीं पहुंचा पा रहे। यही मानकर चलना है, इसमें शर्म काहे की। आप मेहरबानी करके फिक्स-पे पर भले ही इंजीनियर लाओ। हमारे क्षेत्र में जहां डेजर्ट है, पानी की ज्यादा समस्या है, वहां पर जे.ईएन., ए.ईएन. पूरे रखो। गाड़ियों के आपकी पूरी बचत का डर ज्यादा है तो हम तो कहते हैं उनके लिये आप मोटर साइकिल की व्यवस्था कर दो ताकि मोटर साइकिल पर एक जे.ईएन. जाकर 10 गांवों को देख सकता है। बाकी फिलहाल आपकी स्थिति यही रही तो उधर से बोलने वाले, वह बीजेपी वालों की तारीफ करके बाहर निकल जाएंगे और इधर से बोलने वाले कांग्रेस की तारीफ करके बाहर निकल जाएंगे, पर गरीबों के काम की चिन्ता न तो उनको है, न हमको चिन्ता है। इसलिये, मेहरबानी करके शासन अरबों रुपये जो खर्च कर रहा है, उसका जाप्ता मामूली रुपयों की किफायत से मत बचाओ।

आपकी पानी चलाने की जो मोटरें हैं, यह लोग क्या करते हैं कि वाटर वर्क्स की जो असली मोटर हैं, वह तो बाजार में बेच देते हैं और दूसरी सैकण्डहैंड रद्दी मोटर लाकर वहां पर लगा देते हैं, फिर उसको हर चौथे दिन रिपेयर करते हैं। यह पैसे बचत से ज्यादा घोटाला नहीं है क्या? इस तरह के बेईमानी के धंधे बंद किये जाएं और मौके पर अधिकारी सब जगह जितने होने चाहिए, वह रखो।

मैंने आपको भी दो बार कहा था। बाड़मेर के एस.ई. और एक्स.ईएन. ने भी प्रस्ताव भेजा कि चौहटन (दक्षिण) एक्स.ईएन. है ..(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमीन खां (शिव): उसके अंडर में मेरे विधान सभा क्षेत्र की 18 पंचायतें हैं, इनको राई-उप खण्ड, बाड़मेर में मिलायी जाए। दो साल में अभी तक वह आर्डर नहीं हुआ है। आपको क्या तकलीफ है, वह हमको बता दो, हम बोलना बंद कर देंगे और इन अधिकारियों को क्या तकलीफ है, तो भी हम बोलना बंद कर देंगे, नहीं तो हम अफसोस के साथ कहते हैं कि एक मामूली बात के लिये वहां दस बार कहो और हर बात इग्नोर नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी गलत बात है यानी मेरी गलत बात है तो मुझे कहा जाए कि आपकी बात गलत है, नहीं मानी जाएगी तो यह कोई जुल्म नहीं है।

आखिर में, मैं यही कहना कहना चाहूंगा कि काफी जमीनों में अंडरग्राउंड जल खारा है और इस खारे पानी को इंसान नहीं पी सकता और

(श्री अमीन खां)

कोई मजबूरी से पी भी लिया तो नुकसान ही होता है। हम यह चाहते हैं कि जहां पानी खारा है जमीन के नीचे, उसको पशु तो पी सकता है, भैंस, गाय, ऊंट, बकरी, भेड़, उसके लिये वाटरवर्क्स की स्कीम में ट्यूबवैल लगाना चाहिए। पीने के पानी के लिये इंसान को तकलीफ रहती है, 90 प्रतिशत गांव, जो पशुपालक हैं, उनमें 90 प्रतिशत पानी का लोड जानवरों का है और 10 प्रतिशत मात्र इंसान की जरूरत है। इससे 90 प्रतिशत लोड हल्का हो जाएगा, 10 प्रतिशत लोड लोग हजार रुपया देकर ट्रैक्टर वाले से अपने टांके में डलवा देगा और उसको कोई तकलीफ नहीं रहेगी और इस तरह के ट्यूबवैल हर गांव में खोद दो और यह लंबी-लंबी पाइप लाइनें बिछाने का खर्चा है, यह तो कोई कमीशन लेते हैं, उनके लाभ की है और दूसरा ठेकेदार, जो धंधा करते हैं, उनके काम का है। इससे पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता। आखिर में, मैं इतनी ही बात करके आपकी डिमांड को पास करने के लिये समर्थन करता हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल पर कटौती प्रस्ताव के सम्बन्ध में बोलने का समय दिया, उसके लिये धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, देश को आजाद हुए 70 वर्ष से अधिक हो गये हैं, परन्तु आज भी काफी ढाणियों में रॉ वाटर उपयोग किया जाता है। मेरा विधान सभा क्षेत्र नहरी क्षेत्र है। वहां 30 प्रतिशत लोग ढाणियों में निवास करते हैं, परन्तु आज भी सीधे खालों से पानी पेयजल के लिये डिग्गियों को भरते हैं और अपना जीवनयापन करते हैं, परन्तु नहरों से जो सीधा पानी आता है, वह बहुत ही रसायनयुक्त होता है, जिससे कैंसर या अन्य बीमारियों का भय रहता है।

जल जीवन मिशन, हर घर नल योजना के तहत धरातल पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और लोग विधान सभा क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं। श्रीमानजी, विधान सभा क्षेत्र में पांच पी पी से अधिक फ्लोराइड है, जिसका पिछली विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से जवाब आया था कि यहां के नागरिक फ्लोराइडयुक्त पानी काम में ले रहे हैं। जो चक गांव व ढाणियां हैं, वह फ्लोराइडयुक्त पानी को काम में लेने के लिये मजबूर हैं और फ्लोराइडयुक्त पेयजल से मुक्ति चाहते हैं। इन गांवों की सूची निम्न प्रकार है- चक 49 LLW, 8 HDP, 10 LKS, 9 PBN (B), 3 PBN, 5 NSW, 6

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

NSW, 7 NSW, 7 BRP, 9 BRP, 6 ZED, 7 ZED, 17 MZW, 9 LKS, 4 LKS, 6 LKS, 14 BPN, 12 PBN, 4 STB, 54000 RD और 51000 RD, जहां आज भी लोग 5 पी पी से अधिक फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं। पेयजल से वंचित गांवों के लिये पिछली बार विधान सभा में मैंने प्रश्न पूछा था तो उसमें यह कहा था कि आपकी योजना काफी जगह बनायी जा रही है। परन्तु उसमें जो नाम आये थे - गोलुवाला, पीलीबंगा, पीलीबंगा गांव, रामपुरा, रंगमहल, चक 16 PBN, चक 12 PBN, चक 14 PBN, चक 4 STB जाखड़ावाली, सुंदर सिंह वाला, अमरपुरा ढाणी, रतनपुरा और 10 KWD रावतसर, 22 AG सरदारपुरा खालसा, चक 8 KM, नेहरावाली ढाणी, चक 1 RNM बिजारणिया वाला, बुधवालिया, 54000 RD, 51000 RD, RD 122 खोड़ा रावतसर। इनके लिये यहां पर आश्वासन दिया गया कि यहां पर स्कीमें बनायी जाएंगी परन्तु आज तक वहां पर कोई योजना नहीं बनायी गयी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब जल जीवन मिशन के अन्दर प्रभारी मंत्री हनुमानगढ़ जिले में गये थे तब भी आपको कहा था कि हमारे जिले में धरातल पर कोई बात नहीं आयी है। मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि नहरी क्षेत्र होने के बाद भी लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत जो हमारी योजना आयी है, उसमें पानी की कमी नहीं है, परन्तु सरकार हमारे साथ भेदभाव बरत रही है। आपने नोहर में खूब स्कीमें दी हैं, भादरा में खूब दी हैं, हनुमानगढ़ में खूब दी हैं, पर हम प्रतिपक्ष के हैं तो ऐसा नहीं कि हमने कोई जुल्म किया है। माफ करना, हम पानी मांग रहे हैं, पीने के लिये पानी तो दे दो। आपसे पानी मांग रहे हैं। पानी पीने के बाद आपको याद नहीं करेंगे मंत्री महोदय, आप भले हो, बढ़िया हो, परन्तु हमारे प्रभारी मंत्री हो, उस मीटिंग में आपको कहा था कि यह धरातल पर नहीं है। हनुमानगढ़ जिले में आप भेदभाव नहीं बरतकर हमें भी कुछ मौका दो, क्षेत्र में जनता ने आपको भी वोट दिया है, सारे हमें वोट नहीं मिले, कुछ आपको भी मिले हैं, परन्तु आप नहीं करेंगे तो आपको आगे कुछ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि वह हमारे से नाराज हों तो आपको कुछ मिल सकते हैं। बाद में वह नाराज होकर हमारे साथ आ जाएं तो आपको क्या मिलेगा? आप यह सोच लें कि हमारा राज ही नहीं आएगा। मंत्री महोदय, ऐसा मत करो। आप भेदभाव मत बरतो और हमारे पर दया करो और क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय मत करो।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

माननीय सभापति महोदय, जो योजना जयपुर के अन्दर पी.एच.ई.डी. आफिस में आयी हुई है, उसको स्वीकृति के लिये 10 KWD भाखरावाली 253.11 लाख, 14-15 BPM 193.86 लाख, 16 DWD 256.50 लाख, 4 RWM 82.28 लाख, 5 SPD (B) 233.95 लाख, 1-3 CLD 233.95 लाख, 3-4 NWD 195.80 लाख 15-16 KWD 121.84 लाख, 7-8 KM 56.94 लाख, 1 CYM 51.89 लाख।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): साहब, एक मिनट, एक मिनट।

22 एजी- 20.79 लाख, 29 डीडब्ल्यूडी- 54.48 लाख, 99 आरडी- 26.01 लाख, पीलीबंगा गांव और 14 जेआरके, 4 केएचडी (खेदासरी)- 253.83 लाख, 9-10 डीडब्ल्यूडी- 208.33 लाख, 4 सीवाईएम- 111.76 लाख और शहरी जल योजना (रावतसर) 76.65 लाख, इन योजनाओं को स्वीकृति दिलाएं।

इसके साथ-साथ में आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। मेरे वहां आपणी योजना है, मैं धन्यवाद दूंगा स्वर्गीय भैरोंसिंह जी को जो कि बहुत बड़ी योजना लेकर के आये, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर स्थित है और बहुत बड़ी योजना है, जो एशिया की सबसे बड़ी योजना है, जो लोगों को सौ परसेंट शुद्ध पानी पिलाती है परन्तु उस योजना को लटकाया जा रहा है। मुझे दु:ख इस बात का है कि हम उसके नजदीक हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में है, जो योजना हरदासवाली तीनों बास, हरदासवाली डेर चक, 4 JBD चक, 5 JBD चक, धन्नासर, केसरदेसर, रामपुरा मटोरिया, किंकरालिया, लालपुरा, राईकां वाली ढाणी और गंधेली, इन गांवों में यह योजना लागू है, आप यहां तो पानी दे नहीं रहे हो और यहां से 300 किलोमीटर दूर और 400 किलोमीटर ले जा रहे हो, बड़े दु:ख की बात है। जो क्षेत्र के आसपास के लोग हैं उनको पीने के लिये पानी दो, यह बहुत ही बढ़िया पानी है, जो मिनरल वाटर आता है वो इस आपणी योजना में है। आप ले जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यह योजना जहां लागू हो चुकी है उसका विस्तार तो उन गांवों में कर दो क्योंकि वो 20 साल पहले 1992-93 में बनी थी, परन्तु उन गांवों के अन्दर आज भी ऊंचे एरिया में पानी नहीं मिल रहा है, लोग तरस रहे हैं, टैंकरों से डलवा रहे हैं या अन्य से ला रहे हैं।

इसके साथ-साथ रावतसर शहर इस योजना से 15 किलोमीटर नजदीक है, तो आप कृपा करके इस योजना को रावतसर शहर में लागू करें

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

ताकि वहां की जनता को फ्लोराइड से मुक्ति मिले और अच्छा पानी मिले और जो पानी कैंसरयुक्त सीधा रॉ-वाटर पी रहे हैं, उससे मुक्ति मिले। यह योजना बहुत बड़ी योजना है और यह स्वर्गीय भैरोंसिंह जी के कार्यकाल में बनी थी, इस योजना को कायम रखिये ताकि एशिया के अन्दर अपना नाम रहे और राजस्थान की सरकार का यह अच्छा वाटर मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री गोपाल लाल मीना।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल पर बोलने का मुझे मौका दिया इसके लिये धन्यवाद। आज महत्वपूर्ण डिमांड है और इस डिमांड के लिये सबसे महत्वपूर्ण जयपुर जिला जिसमें राजधानी है और इसमें जमवारामगढ़ एक महत्वपूर्ण झील के रूप में, बांध के रूप में था। आज जिस प्रकार से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर 295 ब्लाक पानी के थे जिसमें से केवल 37 ब्लाक में पानी रह पाया है और धीरे-धीरे पानी की यह स्थिति है कि राजस्थान में यह पानी धीरे-धीरे कभी भी सूख सकता है, इसके लिये बड़ी योजना की जरूरत है।

आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में पेयजल के लिये बड़ी योजनाएं दी हैं। बड़ी योजनाओं के साथ में जो जल जीवन मिशन योजना है उसके तहत जिस प्रकार से मेरे साथी, सामने जो विपक्ष के साथी हैं उन्होंने बताया कि 50 परसेंट केन्द्र सरकार दे रही है और 50 परसेंट राज्य सरकार दे रही है। निश्चित रूप से दे रही है लेकिन इस देश में यह पहली बार हुआ है कि केन्द्र सरकार 90 परसेंट से 50 परसेंट पर आ गयी। इसकी वजह से आज जो भेदभाव की बात करते हैं तो निश्चित रूप से कई जगह कई राज्यों में 90 परसेंट केन्द्र सरकार दे रही है और 10 परसेंट राज्य सरकार दे रही है। इसी प्रकार से अगर यहां भी 90 परसेंट दें तो निश्चित रूप से आज जहां भी दिक्कत है और राजस्थान तो वैसे भी डेजर्ट है, सूखा प्रदेश है और यहां पानी की कमी है इसलिये यहां पर अगर 90 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार देती तो निश्चित रूप से यहां पानी की समस्या का समाधान हो जाता।

जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसके तहत 40 हजार करोड़ रुपये, केन्द्र सरकार इसको लटका रही है, मेरे को पता नहीं क्यों लटका रही है

(श्री गोपाल लाल मीना)
लेकिन उसमें जो योजना है उसमें जमवारामगढ़ बांध को भी लिया गया है और पहले चरण में ही लिया गया है।

अब आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो ईसरदा बांध योजना को दिया है उसमें जमवारामगढ़ को भी लिया गया है लेकिन जमवारामगढ़ को द्वितीय चरण में लिया गया है। मैं आदरणीय मुख्य मंत्री जी और आदरणीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जो ईसरदा बांध परियोजना है इसमें जमवारामगढ़ बांध को पहले चरण में लें और यहां पानी की जो समस्या है उसका समाधान हो।

मेरे विपक्ष के साथियों ने जमवारामगढ़ बांध की बात की, निश्चित रूप से करनी चाहिए और यह ऐसी जगह है कि यह राजधानी के पास में है, पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकती है। यहां पर 1982 में एशियाई खेल हुए, उसके बावजूद इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। 2013 में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी उस समय मेज नदी से 1068 करोड़ की स्कीम बनाई और बजट के अन्दर इसकी डी.पी.आर. के लिये रखा गया लेकिन ज्यों ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद में इस जमवारामगढ़ बांध की स्थिति आपने देखी, पांच साल में एक बार भी इस विधान सभा में नाम नहीं लिया गया कि रामगढ़ बांध का क्या हुआ? चौमूं से आने वाले मेरे साथी विधायक रामलाल जी सुबह चिंता कर रहे थे, लेकिन पांच साल तक उनकी सत्ता थी यहां विधान सभा में भी और वहां लोक सभा में भी, लेकिन राज्य और केन्द्र में दोनों में सरकार होने के बावजूद इन्होंने जमवारामगढ़ बांध की बात नहीं उठाई। 2013 में आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बजट भाषण में घोषणा की, उसके बाद में पांच साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया।

मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार में जमवारामगढ़ के बांध की बात सुनी जाती है, आदरणीय मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस जमवारामगढ़ बांध में अगर पानी लाने की बात हमने रखी है और ठानी है तो निश्चित रूप से प्रथम चरण में लेने की बात करें क्योंकि अधिकारियों को मैंने बहुत समझाया। बीसलपुर बांध का जो पानी है, जब बांध भर चुका था और पानी फालतू बह रहा था, उस समय भी मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था और उन्होंने मेरे को आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से पानी आना चाहिए और जमवारामगढ़ बांध में पानी लाने की मंशा है लेकिन नीचे अधिकारियों का मन पता नहीं कैसे विचलित हो

(श्री गोपाल लाल मीना)

जाता है और वे पता नहीं क्या फीड कर देते हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जयपुर में जमवारामगढ़ से लाइन आ रही है और उसमें डिपार्टमेंट का कोई खर्चा नहीं है लेकिन फिर भी जमवारामगढ़ बांध में पानी ले जाने में पता नहीं क्यों आदरणीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को गुमराह किया जाता है। यहां पर हमारे अधिकारीगण भी बैठे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा और आदरणीय मंत्री जी से भी कहना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ बांध में अगर पानी आयेगा, बहुत सारे लोग हैं जो जब जमवारामगढ़ बांध भरा हुआ होगा तब वहां गये होंगे और अब वहां की क्या स्थिति है, आज आप खुद देख सकते हो।

आदरणीय माननीय सदस्य लाहोटी जी और चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य रामलाल जी ने बताया कि वहां पर अतिक्रमण है, निश्चित रूप से कुछ अतिक्रमण हो सकता है लेकिन मैं बारबार यही कहना चाहूंगा, अखबार में भी आता है कि अतिक्रमण की वजह से पानी नहीं आता, यह गलत बात है। अतिक्रमण की वजह से नहीं, वहां बरसात की वास्तविकता की कमी है। दूसरी बात क्या है कि लाखों बीघा जमीन में लोगों की खेती होने लग गई है, एरिया छोटा हो गया इसलिये पानी आने में दिक्कत आ रही है और यह पानी इसीलिये नहीं आ पा रहा है। हरदम मैं अखबार में पढ़ता हूं कि अतिक्रमण कर लिया, वो कर लिया...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): और जाते कब हैं जब किसान, जो गरीब लोग हैं वो नदी में जब बरसात आती है तो वे भी कुछ फसल बो लेते हैं और अधिकारीगण जाते हैं तो उस समय कोई अतिक्रमण नया हटाता, केवल उस गरीब की फसल को उखाड़कर आ जाते हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि अगर जमवारामगढ़ बांध में पानी आयेगा तो केवल जमवारामगढ़ का भला नहीं है, जयपुर शहर का भी है, दौसा का भी है, आसपास के जिलों का है, भरतपुर तक को इसका फायदा मिल सकता है। यह इतना बड़ा बांध है कि जयपुर को सौ साल तक पानी पिलाया है तो निश्चित रूप से आज इस सदन में आदरणीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप जमवारामगढ़ बांध की बात रखेंगे और निश्चित रूप से इसमें पानी आने की बात रखेंगे तो इसमें पहले चरण में पानी लाने का आपसे निवेदन है।

(श्री गोपाल लाल मीना)

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ बांध है, जो बीसलपुर की टीएम-2 लाइन आ रही है उसमें डिमांड जोड़ने के लिये भी मैं पिछले दो साल से प्रयास कर रहा हूं।

(18.00 बजे)

मैं कह रहा हूं, अधिकारियों को बोल रहा हूं कि 8 फीट का पाइप आएगा तो सवा 8 फीट का भी आ सकता है। जो रिजर्व पानी है, बरसात के समय पर जो रिजर्व पानी है, उस समय अगर जमवारामगढ़ बांध में पानी डल जाए तो निश्चित रूप से जमवारामगढ़ बांध की काया पलट हो सकती है।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मेरे क्षेत्र की भी कुछ डिमांडें हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): मेरे जमवारामगढ़ क्षेत्र में एक्स.ईएन. आफिस की बहुत आवश्यकता है। वैसे भी वहां आपको एक्स.ईएन. आफिस लाना है क्योंकि वहां पर अभी ईसरदा बांध वाली योजना आएगी।

श्री सभापति: प्लीज, समाप्त करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): तब भी एक्स.ईएन. आफिस आएगा। अगर पहले आ जाएगा तो निश्चित रूप से यह जो जल जीवन मिशन चल रहा है, उस समय यह आ पाएंगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और एक बार पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जमवारामगढ़ बांध में अगर पानी आएगा तो निश्चित रूप से जयपुर शहर और आसपास के लोगों को इसका फायदा मिलेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): जयपुर के लिये एक पर्यटन स्थल मिलेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये आपको हृदय के अंतर्मन से हार्दिक आभार।

(श्री संजय शर्मा)

माननीय सभापति महोदय, मैं अलवर शहर से चुनकर आया हूं। अलवर जिले में 11 विधान सभा क्षेत्र हैं। अलवर जिले में जिस प्रकार से औद्योगिक विकास हुआ उससे जनसंख्या में बड़ी तेज गति से बढ़ोतरी हुई क्योंकि बाहर के लोग भी वहां आए। उसके साथ-साथ पानी का दोहन भी हुआ। डार्क जोन में भी हमारा जिला प्रतिदिन तेज गति से जाता जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अलवर जिला मुख्यालय पर जो जलदाय विभाग का आफिस है, उसमें जो एस.ई. का पद है, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर का पद है, वह स्थानांतरण के बाद रिक्त पड़ा हुआ है। एडीशनल चीफ इंजीनियर का जो पद है, वह भी स्थानांतरण के बाद रिक्त पड़ा हुआ है। जिनका स्थानांतरण हुआ वह तो रिलीव होकर चले गए लेकिन जिनको उस पद पर लगाया गया उन्होंने आज तक ज्वाइन नहीं किया। हमारा अलवर जिला बहुत बड़ा जिला है। एस.ई. एनसीआर के पास दोनों पदों का चार्ज है। इसके साथ-साथ अगर मैं अलवर शहर की बात करूं तो अलवर शहर में ए.ईएन. का पद रिक्त है। जे.ईएन. के 2 पद रिक्त हैं। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वह दोनों अधिकारी जिनको एस.ई. पीएचईडी एडीशनल चीफ इंजीनियर के पद पर नियुक्ति दी गई, आप उनको आदेशित करें कि वह तुरंत प्रभाव से ज्वाइन करें। यदि वह ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो किसी सक्षम अधिकारी की नियुक्ति तुरंत प्रभाव से की जाए। साथ ही साथ, अलवर शहर में ए.ईएन. और जे.ईएन. के जो पद रिक्त हैं, उनको भी तुरंत प्रभाव से भरा जाए।

माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या लगभग 5 लाख से अधिक है। इस वक्त इस जनसंख्या को देखते हुए विभाग के अनुसार पेयजल की जो मांग है, वह लगभग 600 लाख लीटर प्रतिदिन की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जलदाय विभाग द्वारा नलकूपों के माध्यम से 300 लाख लीटर से भी कम पेयजल प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। अलवर शहर की जनसंख्या को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि कम से कम 80 नये ट्यूबवैल की केवल अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र के लिये स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।

उसके साथ-साथ चंबल परियोजना, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2019 में घोषित की थी, 4718 करोड़ का बजट भी आबंटित किया, लेकिन वह अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री

(श्री संजय शर्मा)

महोदय से आग्रह है कि यमुना नदी का पानी यदि अलवर जिले को मिले तो निश्चित रूप से बहरोड़, बानसूर, भिवाड़ी, तिजारा सहित अलवर शहर और बाकी जो हमारे हिस्से हैं, उससे बहुत बड़ा लाभ हमारे किसान भाइयों को भी मिलेगा और पेयजल के लिये भी पानी उपलब्ध होगा। इस ओर भी एक परियोजना बनाकर उस पर काम करना शुरू करें तो अलवर जिला निश्चित रूप से लाभान्वित होगा।

माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर के जलदाय विभाग की यदि मैं बात करूं, यदि कोई ट्यूबवैल खराब हो जाता है तो विभाग के पास स्पेयर में कोई सबमर्सिबल नहीं है। कोई केबिल नहीं है। सबमर्सिबल निकलने के बाद लगभग 5 से 6 दिन उसको ठीक कराने में लगता है। तब तक उस क्षेत्र की जनता पानी के अभाव में त्राहि-त्राहि करती रहती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय जलदाय मंत्री महोदय इस ओर विशेष रूप से ध्यान दें और इस प्रकार का एक बजट आबंटित करें कि यदि कोई सबमर्सिबल खराब हो जाए तो तुरंत प्रभाव से उसको बदलने का काम जलदाय विभाग के कर्मचारी कर सकें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य कनक्लूड करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, अमृत जल योजना के तहत दिनांक 25.08.2016 को 90.62 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी। यह योजना अक्टूबर, 2019 तक पूरी होनी थी लेकिन किन्हीं कारणों से पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद विभाग ने 30 जून, 2020 तक इसको काम करने की परमिशन दी। यह मुझे व्यक्तिगत रूप से जब मैंने प्रश्न लगाया तो जवाब में दिया गया लेकिन आज तक केवल 6,500 कनेक्शन ही जारी किये गये हैं। 12,721 कनेक्शन दिए जाने थे। 12,000 आवेदन प्राप्त हुए। 8,000 कनेक्शनों के लिये डिमांड नोटिस जमा हो गए लेकिन विभाग द्वारा वहां 6,500 कनेक्शन जारी किये गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इस योजना की ओर भी विशेष ध्यान दें और जहां कनेक्शन हुए हैं, वहां भी पानी पूरी मात्रा में नहीं आ रहा है।

माननीय सभापति महोदय, एम.पी. और एम.एल.ए. को यह अधिकार है कि अपनी विधायक निधि कोष से या सांसद निधि कोष से वह ट्यूबवैल दे सकता है, बोरिंग दे सकता है लेकिन 29.12.2020 को मेरे द्वारा 4 बोरिंग की स्वीकृति के लिये डीआरडीए को पत्र लिखा गया। डीआरडीए द्वारा

(श्री संजय शर्मा)

23.12.2020 और 27.12.2020 को, जो मैंने पत्र लिखे थे, उस संदर्भ में वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक, सर्वे, भू-जल विभाग को पत्र लिखा गया लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक वरिष्ठ भू-जल वैज्ञानिक द्वारा इन बोरिंग्स को लगाने के लिये एनओसी प्रदान नहीं की गई है। उनका यह कहना है कि भारत सरकार ने बिना एनओसी लगाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में छूट दी है। वह मार्गदर्शन के लिये राजस्थान सरकार के पास भेज रहे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): उसके साथ-साथ मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एनसीआर योजनान्तर्गत अलवर शहर में पेयजल व्यवस्था के अपग्रेडेशन हेतु दिनांक 14.03.2016 को 145.15 करोड़ रुपये का कार्यादेश मैसर्स इंडियन ह्यूम पाइप कंपनी लिमिटेड, जयपुर को दिया गया था।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): इस कार्यादेश के तहत शहर में लाइनों को बदलना था, 16 टंकियों का बनना था लेकिन इस कम्पनी ने लाइनों का कोई काम नहीं किया। विभाग के द्वारा 60 से 70 प्रतिशत भुगतान इस कम्पनी को कर दिया गया है। उसके साथ-साथ कम्पनी ने जो काम किया, उसको भी हैंड ओवर कर लिया है।

श्री सभापति: सहयोग करें। विराजें आप।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि माननीय मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्य।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अलवर शहर में जो पानी की बिगड़ी हुई व्यवस्था है, उसके लिये कोई विशेष पेयजल योजना बनाकर के अलवर शहर की जनता को राहत प्रदान करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल के बारे में आपकी अनुमति से मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं बस्सी विधान सभा क्षेत्र से आता हूं।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

आज से करीबन 20 साल पहले इस क्षेत्र में जबरदस्त सब्जियां होती थीं। यहां जबरदस्त पानी था, लेकिन अति दोहन के कारण अब वहां कमप्लीट ड्राई है। अभी वहां पर मनुष्यों और पशुओं के लिये जो पेयजल की व्यवस्था है, वह बीसलपुर परियोजना से है, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने 2008 से 2013 वाले कार्यकाल में स्वीकृत की थी। उसकी वजह से यहां पानी की समस्या का समाधान हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, बस्सी के बारे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जो पानी की सप्लाई है, वह अल्टरनेटिव डे होती है। जो आज की जनसंख्या के अनुसार आवश्यकता है वह 13.91 एमएलडी है लेकिन सप्लाई केवल 7 एमएलडी हो रही है तो हमारी गुजारिश है कि इसके पानी की वृद्धि की जाए। इसका जो समय है वह अभी सवा घंटा, डेढ़ घंटा आता है और अल्टरनेटिव डे में तो या तो डेली सप्लाई की जाए और यह सम्भव नहीं है तो कम से कम इसकी दो घंटे सप्लाई की जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ये जो डिजाइन की गई थी वहां पीएम 2 पाइप लाइन उसकी समयावधि 2021 तक है, चूंकि जनसंख्या बढ़ रही है, पानी की आवश्यकता बढ़ रही है तो इसको भी जल्दी चेंज करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अभी जो ईसरदा बांध है, जिसके लिये बताया जा रहा है कि 2021 दिसम्बर तक यह पूरा हो जाएगा और उससे सवाई माधोपुर और दौसा जिले को पेयजल की आपूर्ति होगी। कल ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक बहुत बड़े औद्योगिक क्षेत्र की दौसा और बस्सी के बीच में घोषणा की है। वहां पर नीचे पानी बिलकुल नहीं है तो वहां पर दोनों जिलों की पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा, इंडस्ट्रियल एरिया को भी पानी की आवश्यकता होगी, उसके लिये अभी से वहां पर लाइन बिछाकर पम्प हाउस का निर्माण करने के लिये कुछ राशि स्वीकृत करने की हमारी गुजारिश है।

माननीय सभापति महोदय, बीसलपुर का जो प्रोजेक्ट है, वह बना, उसके बाद में दो या तीन बार भरा है, अगर मान लो बरसात नहीं हुई या कैचमेंट एरिया में बरसात हुई तो पूरे इलाके में पेयजल की समस्या होगी और

(श्री लक्ष्मण मीणा)

इसका विस्तार दिनोंदिन किया जा रहा है, कई जिलों को इससे जोड़ दिया गया है और अभी भी काफी डिमांड इसकी आ रही है कि इससे और भी जिलों को जोड़ा जाए। मेरी आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से गुजारिश है कि हमारे जो परम्परागत सोर्सेज हैं जल के, जिसमें एनिकट हैं, डैम हैं, तालाब हैं, उनके अन्दर भी जेजेएम के पैसे खर्च किए जाएं ताकि आपके जो भी ट्यूबवैल हैं, ओपन वैल हैं, उनमें पानी बढ़ेगा और उससे भी पेयजल की आपूर्ति की जा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जेजेएम के बारे में माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अभी जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, उसमें पाइप की स्कीम के कस्बे हैं उनको सैंक्शन किया है और बस्सी तहसील के 28 गांव तथा कोटखावदा तहसील जो मेरे विधान सभा क्षेत्र की है, वहां 27 गांवों में सैंक्शन कर दिये हैं, उनके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।176 गांवों के केस अभी हमारे पैंडिंग हैं, हमारा निवेदन है कि उनको जल्दी स्वीकृत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां दो एजेंसियां हैं एक तो पीएचईडी और दूसरा बीसलपुर प्रोजेक्ट वाले इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। पाइप्ड स्कीम है उसमें तो काम कर रहे हैं पीएचईडी वाले और बीसलपुर प्रोजेक्ट वाले कर रहे हैं जेजेएम में, लेकिन उन्होंने यह किया कि जेजेवाई के पहले से कनेक्शन हैं और उनका काम चला रहे थे गांव वाले अपने पेयजल के लिये उन्होंने कनेक्शन को भी आईएमआईएस पर अपलोड करके यह बता दिया है कि ये कनेक्शन भी हमने जेजेएम में कर दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, इसको चैक किया जाए और वे कह रहे हैं कि इसमें दुबारा लाइन नहीं डालेंगे, कनेक्शन नहीं करेंगे तो इससे तो यह हुआ कि जो पुराना काम था उसको भी जेजेएम में बताया जा रहा है और दोनों एजेंसीज जो काम कर रही हैं उनमें आपस में कोई कोर्डिनेशन नहीं है तो उनकी आप जांच करायें, अधिकारियों को कहें कि आप आपस में कोर्डिनेशन बनाकर जेजेएम को सफल बनायें।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा एक मेरा अंतिम सुझाव है माननीय मंत्रीजी को, इसका मैंने पहले एक प्रश्न भी विधान सभा में यहां सदन में लगाया था कि जितनी भी स्कूल हैं, चाहे वे सरकारी हों या प्राइवेट

(श्री लक्ष्मण मीणा)

हों, गवर्नमेंट आफिसेज, पंचायत भवन और पटवार भवन हों, इनको बीसलपुर प्रोजेक्ट में भी पानी का जल सम्बन्ध नहीं किया गया था लेकिन अब जो जेजेएम है, उसमें इनका जल सम्बन्ध किया जाना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लोग पूरे दस बारह घंटे इन आफिसेज में ही बिताते हैं, केवल मात्र आठ-दस घंटे अपने घर रहते हैं, तो इसके साथ ही मैं माननीय मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि इन्होंने हमारे दो-तीन-चार सैंक्शन कर दिये, बाकी 176 गांवों को भी करें और जल्दी से जल्दी और गुणवत्ता वाली स्कीम को बड़े अच्छे तरीके से क्रियान्वित करें ताकि पेयजल की समस्या का समाधान हो सके। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान क्षेत्रफल के अनुसार पूरे देश में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान का क्षेत्रफल देश के 10.4 होने के बावजूद सतही जल मात्र 1.16 परसेंट है। प्रति व्यक्ति औसतन 800 घन मीटर है।

अब मैं ज्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2019-20 के बजट में सरकार ने यह कहा कि चार हजार से अधिक की आबादी के गांव हैं उनको हम पानी के पाइप लाइन से जोडेंगे, अब राजस्थान में कितना काम हुआ कि नहीं हुआ, पता नहीं, मेरे रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के छह गांव थे, धानोल, करवाड़ा, दईपुर, जालेरा खुर्द, दातवाड़ा और मौखातरा। माननीय सभापति महोदय, इनकी प्रशासनिक स्वीकृति भी निकली, वित्तीय स्वीकृति भी निकली, लेकिन आज दिन तक टैक्निकल स्वीकृति नहीं निकली और उसके पीछे मेरा सीधा-सीधा मानना है कि हमारे रानीवाड़ा उपखण्ड में, कल मैंने माननीय मंत्रीजी से व्यक्तिगत निवेदन भी किया, वहां एईएन और जेईएन के सारे पद खाली हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आज सुबह से सुन रहा हूं, मंत्रीजी से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान के ये एईएन और जेईएन गए कहां? कभी सिवाना में बोलते हैं कि नहीं है, कभी बालोतरा में बोलते हैं नहीं है, जालौर में नहीं है, आहोर में नहीं है तो ये एईएन और जेईएन शहर में तो

(श्री नारायण सिंह देवल)
आकर नहीं बस गए तो इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। एईएन, जेईएन नहीं होने के कारण सरकार की जो स्कीमें हैं, उनका एस्टीमेट कौन बनाएगा? दो साल तो लग गए स्कीम में, तीन साल में पता नहीं क्या काम, कितना काम होगा, कितना नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा 2012-13 में हमारी जो स्कूल थी, राजस्व गांव थे, ढाणियां थीं, वहां सरकार ने सिंगल फेज के नलकूप लगाये और लगाने के बाद पीएचईडी इनका बिल भर रहा था, अभी पिछले दो साल से जलदाय विभाग ने वे बिल भरने बंद कर दिए और उन ढाणियों वालों को और स्कूल वालों को कहा गया कि ये बिल हम नहीं भर सकते, आप जन सहयोग से भरायें या पंचायत से भरायें। माननीय सभापति महोदय, कई पंचायतों के पास निजी आय नहीं होती है तो बिल नहीं भर रहे हैं और गर्मी आने वाली है और फिर कनेक्शन कट जाएंगे तो आने वाले समय में वहां की जनता को भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, रानीवाड़ा, जालौर जिले में नर्मदा परियोजना है, ईआर, डीआर और एफआर, हमारे वहां डीआर के तहत 138 गांव हैं, ईआर प्रोजेक्ट में पांचों विधान सभा क्षेत्र जुड़ते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा कि इस बजट में 1094 करोड़ रुपये आपने ईआर में दिए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, वैसे आपने अपनी रिप्लाई में कहा कि हम इसकी बहुत जल्दी डीपीआर बनाएंगे और इसको चालू करेंगे। रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में डीआर से 90 गांव आंशिक रूप से जुड़े हुए हैं। गांव में पानी तो मंत्री महोदय पहुंचा देते हैं, परन्तु जो पीएचईडी का पुराना सिस्टम है, उससे नहीं जोड़ते हैं तो इस कारण से ढाणियों में या गांव के आस-पास में जो लोग बसे हुए हैं, वे उसका फायदा नहीं ले सकते। हम नर्मदा के अधिकारियों और कम्पनी से कई बार बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह काम हमारा नहीं है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि या तो आप कम्पनी से या नर्मदा के अधिकारियों से या पीएचईडी के अधिकारियों से बात करें और उन्हें आदेश दें और यदि उसमें कोई समस्या भी आती है तो छोटा-मोटा सामान हम एमएलए लैड से लगा सकते हैं, पंचायतों के माध्यम से लगा सकते हैं। बहुत छोटा काम है। यह काम होने से ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। गांवों में एसएलआर और पीएसपी बन गये हैं। पशु खेली भी बन गयी है, परंतु हमारे

(श्री नारायण सिंह देवल)

रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में गांवों में कम और ढाणियों में लोग ज्यादा रहते हैं और इस कारण कई गांवों में जैसे पानी नहीं है, कहीं फ्लोराइड है, कहीं खारा पानी है तो इन ढाणियों को भी आप डीआर प्रोजेक्ट्स से जुड़वाएं। आपने इस प्रोजेक्ट के अन्दर ईआर के लिये 1094 करोड़ घोषित किये हैं तो इस डीआर की 500 करोड़ की योजना भी आपके पास पड़ी है, इसकी स्वीकृति दिलाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही ज्यादा गम्भीर समस्या है कि जैसे आपकी मोटर जल जाए तो सभी जगहों का तो मुझे पता नहीं, पर रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव सांचौर में आते हैं। दो-दो महीनों तक ये मोटरों को जोड़ते नहीं हैं और एक्सईएन आफिस को हर चीज के लिये एडिशनल चीफ इंजीनियर की ओर देखना पड़ता है। 2 फुट का पाइप नहीं, टी नहीं, इसमें कम से कम आप ध्यान देकर उसमें सामान भी दिलाएं। ट्यूबवैल खोद दिये जाते हैं, परन्तु आप बिजली विभाग के भी मंत्री हैं, तीन-तीन, चार-चार महीने तक बिजली के कनेक्शन नहीं होते हैं तो इसके ऊपर भी ध्यान दें।

माननीय सभापति महोदय, एमएलए लैड आप दे रहे हैं, एमपी लैड दे रहे हैं, इनसे जीएलआर हम बनाते हैं, पाइप लाइन देते हैं तो पीएचईडी उसे समय पर जोड़ती नहीं है तो उस कारण से साल-साल, दो-दो साल वे टांकें यूं ही पड़े रहते हैं और वह पाइप जमीन के अन्दर ही सड़ती है। मंत्री महोदय, इसके लिये आपको विशेष आदेश देना पड़ेगा। या तो एमएलए को आप आदेश निकालें कि आप टंकी नहीं बनायें और अगर बनती है तो उन्हें जोड़ने का आप आदेश करवाएं।

एक निवेदन और है कि हमारे रानीवाड़ा विधान सभा क्षेत्र में आरओ प्लांट दो साल से खराब पड़े हैं। सिलासन, दातवाड़ा, सांकड़, गुंदाऊ, सरनाऊ, पांचला, टीटोप, सुरावा, करडा, कोटड़ा, इन आरओ प्लांट्स को आप जल्दी से जल्दी ठीक कराएं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सभापति महोदय, मांग संख्या 27, पानी के विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। अभी दिन में उपनेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे, पानी जैसा गम्भीर इश्यू है, सदन में प्रतिनिधि मौजूद नहीं हैं। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जयपुर का इनका एक भी

(श्री रफीक खान)

विधायक सदन में नहीं है। इनके प्रदेशाध्यक्ष जयपुर से आते हैं, वे भी सदन में नहीं हैं। इन्हें पानी की कितनी चिंता है। पानी के बारे में आप सोचें, इतना गम्भीर विषय है। एक भी नेता जयपुर का इनका सदन में नहीं है, बड़े अफसोस और दर्द की बात है।

मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुख्य मंत्री जी और हमारे पीएचईडी मंत्री जी का कि इन्होंने जिस तरह से पिछले दो साल में जयपुर की जल समस्याओं का समाधान किया और जितनी तेजी से लाइनें चालू कीं और तेजी से पानी पहुंचाने का काम किया, यह एक बहुत बड़ा काम इन्होंने अचीव किया। जब 2018 में सरकार बनी, उससे पहले मुझे याद है कि हर गली में मटके फूट रहे थे, पानी का संकट था। 2018 में सरकार आने के साथ ही एक कंटिंजेंसी प्लान बनाया गया और 700 बोरिंग जयपुर में खोदे गये, इसके लिये मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं।

मेरे विधान सक्षा क्षेत्र आदर्श नगर में, बगरू में 168 करोड़ की एक योजना जो बीसलपुर से पानी लेकर जामडोली की जनता, बगराना की जनता, सुमेल की जनता, आगरा रोड की सारी जनता, खोनागोरियान की जनता जिन्हें पिछले 20 सालों से पानी नहीं मिल रहा था, एक योजना बीसलपुर की लेकर आये, जहां अब पानी चालू करने का काम शुरू किया जा रहा है। कोरोना में थोड़ा-सा डिले हुआ, अदरवाइज यह प्लान्ड था कि अक्टूबर 2020 में ही चालू हो जाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं।

पृथ्वीराज नगर जयपुर का बहुत बड़ा मसला था। मैं पीएचईडी मंत्री जी को तो धन्यवाद दूंगा ही दूंगा, इसमें धन्यवाद देना चाहता हूं मैं यूडीएच मंत्री जी को भी, इन दोनों के संयुक्त प्रयासों से मुख्य मंत्री ने यह योजना लागू की है और 563 करोड़ की यह योजना लागू हुई और पूरे पृथ्वीराज नगर को पानी मिला। मैं इसके लिये इनका धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस जिंदादिली से, जो भावना मन में रखकर इन्होंने काम किया, उसके लिये एक दोहा अब्दुल रहीम खानखाना का पढ़ना चाहता हूं-

'दानी भए दरिद्रतर', मतलब दानी कितना भी दरिद्र हो जाए, कितना भी गरीब हो जाए, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी, उसका कैरेक्टर उससे नहीं जाता है, 'तउ जांचबे जोग', फिर भी जांचोगे तो कुछ न कुछ देगा, गरीब होने के बाद भी कुछ देगा। जैसे एग्जाम्पल दिया उन्होंने आगे कि 'नदी बीच सूखा पड़े, कुआं खुदावत लोग', मतलब अगर नदी के बीच में सूखा भी पड़ जाता है तो

(श्री रफीक खान)

अपना पेट चीरकर पानी देने का काम नदी करती है, इस तरीके से इन्होंने काम किया। मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।

अभी थोड़ी देर पहले अजमेर से आने वाली विधायिका बड़ी जोर से बुलंद आवाज में जल जीवन मिशन की बात कर रही थीं। आप लोग देखिएगा, मैं सबको कहना चाहता हूं, 15 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्री जी का लाल किले से ऐलान, ''70 सालों में कांग्रेस सरकार ने यह नहीं किया, ऐसे पानी नहीं दिया, वैसे पानी नहीं दिया और हम इसे मिशन की तरह लेकर आएंगे और पूरे देश को पानी देंगे और साढ़े तीन लाख करोड़ से भी ज्यादा रकम इसमें खर्च करेंगे।''

सभापति महोदय, जब बजट आया तो क्या आया, साढ़े 11 हजार करोड़ रुपये। परसों बजट के भाषण में नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, यह इस्तेमाल नहीं हुआ, वह इस्तेमाल नहीं हुआ, वे साढ़े 11 हजार करोड़ दिये हैं और वे भी इस्तेमाल नहीं किये हैं इन्होंने। साढ़े तीन लाख करोड़ की घोषणा की और जब 2020 में बजट दिया तो साढ़े 11 हजार करोड़ का बजट दिया और वे साढ़े 11 हजार करोड़ भी खर्च नहीं हुए आप लोगों से। बातें आप बहुत बड़ीबड़ी करते हैं कि यह दे दिया, वह दे दिया। आप बात कर रहे हैं 50-50 परसेंट के बारे में कि 50 परसेंट ले लो, 50 परसेंट ले लो।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): राजस्थान देश में सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला एरिया है। अगर जल जीवन मिशन को लागू करेंगे तो अकेले राजस्थान में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये चाहिए। आप कह रहे हैं साढ़े तीन लाख करोड़ से ज्यादा लेकर आएंगे। कब लेकर आएंगे? कितना देंगे राजस्थान को? समाप्त करने के लिये कह रहे हैं, इसलिये एक शेर से ही इस बात को समझाऊंगा, शायद समझ में आ जाए आपके।

मैंने अपनी खुश्क आंखों से, राजस्थान सरकार के लिये कह रहा हूं,

''मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया
एक समंदर कह रहा है मुझको पानी चाहिए।।''

सभापति महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: 8 बजे माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई होगा और 16-17 माननीय सदस्य बोलने अभी बाकी हैं। जो लोग बाकी रह जाएं, वे अपना टेबल कर दें। जितने लोग बोल सकते हैं, वे बोल लें, 8 बजे माननीय मंत्री महोदय का रिप्लाई होगा। जितने बोल पाएंगे, उतने बोल पाएंगे, बाकी अपना टेबल कर दें। श्री छगनसिंह राजपुरोहित।

श्री छगनसिंह (आहोर): सभापति महोदय, मांग संख्या 27 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। पेयजल योजना, वैसे मैं शुरुआती दौर में मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपने ईआर क्लस्टर जो जालौर जिले की महती योजना थी, उसके लिये आपने करीब 1100 करोड़ की घोषणा की, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इसी ईआर मेन की। वह स्वीकृत तो है लेकिन उसका काम आज दिन तक पूरा नहीं हुआ। अगर ईआर मेन का काम पूरा नहीं होगा तो ईआर क्लस्टर कैसे लागू होगी, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ईआर मेन का काम यथाशीघ्र पूरा करें। माननीय मंत्री जी, मेरी दो-तीन बातें अगर सुनकर जाते तो मेरे लिये ठीक रहता। मैंने तो धन्यवाद के साथ ही शुरुआत की है। ईआर मेन का जो काम स्वीकृत है उसका काम पूरा नहीं है इसलिये वह पूरा करवाएं जिससे ईआर क्लस्टर की आपने इस बजट घोषणा में घोषणा की है उसका काम होगा। इससे पहले नर्मदा से पेयजल के लिये जो कैनाल बनी हुई है वहां डिग्गी बननी थी तेतरोल में, पर वह डिग्गी अभी तक नहीं बनी। जब भी मेंटिनेंस का कार्य होता है तो महीने भर तक वह कैनाल बन्द रहती है और उससे पूरे जालौर जिले में गर्मियों में पानी की बहुत कमी हो जाती है। आज भी नर्मदा की कैनाल बन्द है तो महीने भर पानी बन्द रहेगा और अगर डिग्गी बन जाती तो यह पानी शुरू रहता।

दूसरी बात यह है कि जो ईआर क्लस्टर स्वीकृत किया है, इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र के 22 गांव भी इसमें सम्मिलित हैं। उन 22 गांवों में पेयजल की बहुत भारी समस्या है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह काम करने में लगभग डेढ़-दो साल लगेंगे तो उससे पहले हैण्डपम्प, ट्यूबवैल और अन्य सोर्स की जो आवश्यकता होती है वह इन 22 गांवों में दिलवाने की कृपा करें। वहां पर थोड़ा बहुत फ्लोराइड का पानी मिलता है उससे कूबड़पन लोगों में

(श्री छगनसिंह)

आ गया है। मैं इसके लिये हमेशा कहता रहता हूं, मेड़ा, महिलावास, बागरा, सियाणा हैं और बागरा में तो पूरा का पूरा खारा पानी है। मैं निवेदन करूंगा कि इन क्षेत्रों में नये ट्यूबवैल स्वीकृत करवाकर जब तक ईआर क्लस्टर का काम पूरा नहीं होता तब तक इनकी स्वीकृति दें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आप पेयजल के प्रति गम्भीर हैं, मेरे एफआर क्लस्टर का काम लगभग 90 परसेंट पूरा हो गया है उसमें जल जीवन मिशन के तहत करीब 28 योजनाएं स्वीकृत हुई हैं लेकिन उनका एक का भी काम शुरू नहीं हुआ है। कुछ के टेंडर लगे हैं एक-दो के, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है।

मैं जल जीवन मिशन के तहत एक बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि 90 परसेंट तो आप लोग, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दे रही है, लेकिन 10 परसेंट की जब बात आती है और 2 करोड़ की अगर स्वीकृत होती है एक जल जीवन मिशन में तो 20 लाख रुपये कौन देगा? अगर 20 लाख रुपये आएंगे नहीं, न तो ग्राम पंचायत दे पाएगी क्योंकि ग्राम पंचायत के पास इतना फण्ड होता नहीं है, कोई एमएलए भी एमएलए फण्ड एक गांव में दे सकते हैं लेकिन कहां-कहां देंगे इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि यह 10 परसेंट वाला राइडर निकालकर पूरा का पूरा आपके द्वारा जल जीवन मिशन के तहत काम कराया जाए तो आपकी अनुकम्पा होगी।

माननीय मंत्री महोदय, मैं एक बात निवेदन करूंगा कि जितने भी जेजेवाई, जनता जल योजना में जो-जो स्कीमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं जैसे छीपरवाड़ा, चवरछा, बाला और अन्य दो गांव हैं, उनको भी जनता जल मिशन में जोड़ दीजिए जिससे हमेशा उनकी लाइट काटने की बात होती है, दो-दो लाख का बिल आता है और बिल भर नहीं पाते....

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री छगनसिंह (आहोर): इसलिये निवेदन करना चाहूंगा कि जनता जल योजना को जनता जल मिशन में डायवर्ट कर लीजिए जिससे वहां की जनता का भला होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से उम्मेदाबाद में पानी का नर्मदा का पम्पिंग स्टेशन है और वहां हमेशा मोटरें खराब होती हैं। उसमें भी महीने-महीने भर तक मोटरें ठीक नहीं होतीं तो

(श्री छगनसिंह)

निवेदन करूंगा कि नर्मदा पेयजल योजना के जो पम्पिंग स्टेशन बने हुए हैं, उनमें अतिरिक्त पम्प मशीन वहां रखें जिससे जब भी मशीन खराब हो तो तत्काल बदलकर नया पम्पिंग स्टेशन शुरू कर दें, यही आपसे निवेदन है।

अब मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ एसआर टंकियां जो मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत आवश्यक हैं जैसे हरजी, भागली, बीछावाडी में अगर एसआर टंकियां बनेंगी तो वहां के गांवों में पानी की सप्लाई बराबर होगी अन्यथा वहां पानी रात को दो-दो बजे तक आता है। माननीय मंत्री महोदय, हरजी, भागली और बीछावाडी में नई एसआर टंकी की स्वीकृति दिलाएं जिससे जनता का भला होगा। यही मैं आपसे निवेदन करते हुए अपने स्थान को ग्रहण करता हूं। जय हिन्द। भारत माता की जय।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे आज मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर बोलने के लिये मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। समय कम है इसलिये मैं सीधा-सीधा मेरी बात पर आ जाता हूं।

माननीय मंत्री महोदय विराज रहे हैं, आपके माध्यम से उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे यहां की 69 स्कीम्स हैं जिनके प्रपोजल बनकर आपके पास, डिपार्टमेंट के पास आ चुके हैं, पर अभी तक उनकी स्वीकृति नहीं मिली है जेजेएम में। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वे जो 69 स्कीम्स हैं, जिनके प्रपोजल बनकर आ गए हैं उनको आप अतिशीघ्र स्वीकृत कराएं ताकि मेरे ये जो गांव हैं, भांवसा, बिंजरवाड़ा, गेहलपुरा, गोली, हरपुरा, जोरावरपुरा, जुगलीपुरा, काकलवाड़ा, केरिया, खेड़ा नोनन्दपुरा, माला, ढाणी पुरोहितान, मण्डावरिया, मोतीपुरा, पच्चीपला, शंकरपुरा, किशनपुरा, पाण्डरवाडा, डांग, खेड़ा गोपालपुरा, ये 69 हैं और मैं इन सबका नाम लूंगा तो सारा समय इसी में पूरा हो जाएगा, इन गांवों को आप अगली जो मीटिंग आ रही है उस मीटिंग में जोड़ें।

मेरा एक निवेदन और है कि स्टाफ की कमी की वजह से कई बार जलापूर्ति और बहुत सारी सेवाएं हैं, उनमें बाधा पड़ती है। मैं चाहूंगा कि मेरे किशनगढ़ में 3 सहायक अभियंता और 5 कनिष्ठ अभियंताओं के पद खाली हैं, बहुत बड़ा विधान सभा क्षेत्र है और ऐसे 8-9 पद अगर खाली हैं तो पेयजल योजनाओं को सम्भालना बहुत मुश्किल है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूंगा कि पुनर्गठन के लिये भी एक योजना बनाई जाए क्योंकि मेरी छह पंचायतें

(श्री सुरेश टाक)

केकड़ी एक्स.ईएन. के अण्डर में आती हैं और काम पूरी तरह से नहीं हो पाता, वे ध्यान नहीं दे पाते हैं। उनका केकड़ी पर फोकस रहता है और मेरी जो छह पंचायतें हैं वे पानी से वंचित रह जाती हैं। इसमें मनोहरपुरा, बोराड़ा, भगवन्तपुरा, बरोल, डबरेला और कासीर, ये जो छह पंचायतें हैं इनको अगर अराई में जोड़ दिया जाए जिससे किशनगढ़ एक्स.ईएन. के अण्डर में ये आ जाएंगी। माननीय सैक्रेटरी साहब विराज रहे हैं, मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि आप इस बात पर ध्यान दें और यह डिवीजन तोड़कर अगर किशनगढ़ में मिला दिया जाए तो इन छह गांवों को पानी की सुविधा आराम के साथ मिल जाएगी।

इसी के साथ में, वीडब्ल्यूएससी, विलेज वाटर सेनिटेशन कमेटी में जो 10 परसेंट राशि आपने रखी है इस 10 परसेंट राशि से बिजली के कनेक्शन के साथ-साथ अगर सोलर कनेक्शन दे दिया जाए तो ज्यादा बैटर होगा जिससे आने वाले टाइम में ये जेजेएम की स्कीम चालू रहे। कई बार बिजली के बिल जमा नहीं करने के अभाव में गांवों में पानी आज भी नहीं मिल रहा है जैसे सिंगल फेज कनेक्शन है और बिजली का बिल पंचायत जमा नहीं करा पा रही है तो वह पानी वहां बन्द हो गया। इसलिये इस योजना को आज से ही स्टार्ट कर लिया और अगर सोलर पावर सिस्टम के साथ इसे जोड़ दें तो यह ज्यादा बैटर होगा और आने वाले समय में यह सुविधा लगातार अनवरत जारी रहेगी तथा यह जो स्कीम है यह सार्थक हो जाएगी।

इसके साथ में, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि मेरे शहरी क्षेत्र में कुल पानी की डिमांड 32 एमएलडी है, लेकिन आज की स्थिति में मुझे 22 एमएलडी से ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है। 48 घंटे में पानी की सप्लाई होनी है, पर 48 घंटे में सप्लाई अभी भी नहीं हो पाती। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरा जो 32 एमएलडी पानी स्वीकृत है, इसकी पूरी पूर्ति करें ताकि 48 आवर्स का जो सरकार का वादा है, वह पूरा हो जाएग।

इसी तरह से, ग्रामीण क्षेत्र में हम जेजेएम लागू करना चाह रहे हैं, लेकिन पानी आज भी वहां कम आ रहा है। 16 से 18 एमएलडी पानी देना है, पर 14 एमएलडी से ज्यादा पानी नहीं जा रहा है। अगर जेजेएम की स्कीम लागू हो गई, अगर आपने यह पानी चालू कर दिया तो यहां भी 20 एमएलडी से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी तो मेरा पानी बढ़ाया जाए। बीसलपुर में जो पानी की कमी आ रही है, ब्राह्मणी नदी की स्कीम के बारे में मेरे से पूर्व

(श्री सुरेश टाक)

वक्ता माननीय अनिता जी, जो अजमेर से आती हैं, उन्होंने भी बोला था और मैं भी उस बात का समर्थन करते हुए आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर में पानी की आपूर्ति पूरी रहे इसके लिये ब्राह्मणी नदी की जो स्कीम 146 करोड़ की बनी है, उस पर अमल किया जाए ताकि पानी होगा तभी जेजेएम सार्थक हो पाएगी। अगर बीसलपुर में पानी ही नहीं होगा तो कहां से होगी। एक समय था जब बीसलपुर अजमेर की प्यास बुझा रहा था और आज जयपुर के साथ-साथ बहुत सारे जिलों को पानी दे रहा है तो उसमें पानी सुनिश्चित हो, यह भी जरूरी है।

इसके साथ, मैं डिपार्टमेंट को एक बात और कहना चाहूंगा जो बहुत गम्भीर है। बहुत सारे कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं जिनमें सहायक है, पम्प ड्राइवर है, बेलदार है, ऐसे लोग शहरी क्षेत्र में फालतू बैठे हैं, उनके पास काम नहीं है। अब सरकार ने जेजेएम स्वीकृत किया है तो इनको ग्रामीण क्षेत्र में लगाया जाए ताकि इनका उपयोग हो सके, जो पैसा इनको सरकार दे रही है उस पैसे का ये काम करें ताकि जनता को इसके अच्छे परिणाम मिलें और इन परिणामों के साथ-साथ हम एक सुशासन दे सकें तथा जो जल जीवन मिशन है इसको सार्थक कर सकें।

मेरा एक निवेदन आपसे और है कि यह जो दस प्रतिशत राशि है इस दस प्रतिशत राशि को स्कीम के साथ जोड़ना है उसके लिये सरपंचों को और जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी को एम्पावर्ड करें कि ये पैसे जैसे ही स्कीम स्टार्ट हो तब वसूल करना शुरू करें। स्कीम से पहले गांव वाले नहीं दे रहे हैं और इससे स्कीम को लागू करने में बहुत देरी हो रही है। गांव वाले पैसे देने को तैयार हैं लेकिन उनको लगना चाहिए कि मेरे गांव में पानी की पाइप लाइन डल रही है, मेरे एसआर बन रही है। यह जरूरी है, उनको लगना चाहिए तब पानी का पैसा इकट्ठा हो जाएगा और सोलर सिस्टम पर विशेष फोकस करें।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): बस एक मिनट में खतम कर रहा हूं। सर, मेरी कुछ पंचायतें रह गई हैं। 69 की स्कीम्स आपके पास आ चुकी हैं पर कुछ पंचायतें हैं, जैसे-छोटा लाम्बा, आकोड़िया, कासीर, घुटियाना, मनोहरपुरा, काकलवाड़ा, जो नई पंचायत बनी हैं, बरोल, डबरेला और भगवन्तपुरा और इसके साथ-साथ किशनगढ़ पंचायत समिति की मालियों की बाड़ी, टिकाउड़ा, बरना, रलावता, सुरसुरा, नल्लू, सरगांव और खातौली, इन पंचायतों को भी

(श्री सुरेश टाक)
जेजेएम में जोड़ने के लिये प्रस्ताव मंगवाये जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे सारे गांव जेजेएम के साथ जुड़ जाएं और सभी ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी मिले। आज मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कन्हैया लाल।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): महोदय, आपने मांग संख्या-27 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत मेरे मालपुरा क्षेत्र, पूरे राजस्थान और पूरे भारत की ग्रामीण जनता को घर-घर नल कनेक्शन देने की योजना बनाई, इसके लिये वे बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसमें 10 परसेंट हिस्सा राशि जनता की रखी है और जिस तरह से पहले गांवों के अन्दर पीएसपी के थ्रू जो पानी पहुंचाया जा रहा है, उनका बिल भी गांव वाले नहीं दे पाते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस 10 परसेंट हिस्सा राशि को सरकार ही भुगते और फिर भी अगर सरकार पूरी नहीं भुगत सकती तो कम से कम बीपीएल परिवारों को तो सम्पूर्ण माफ करे और एससी की जहां बस्तियां हैं, वहां पर 5 परसेंट पैसा ही ले तो सफलता मिलेगी।

इसके साथ-साथ, जल जीवन मिशन को पूरा करने में अभी काफी समय लगेगा और आपने घोषणा की है कि 40 हैंडपम्प और 10 ट्यूबवैल, जिस तरह से पानी की कमी है, काफी समय बाद हैंडपम्प आपने दिये हैं, इनकी संख्या कम से कम 100 करने की कृपा करें और ट्यूबवैल भी 10 से बढ़ाकर 20 करने की कृपा करें तो सब लोगों की गर्मी आराम से निकले क्योंकि यह योजना पूरी करने में कम से कम साल से डेढ़ साल लगेगा।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी गांवों के अन्दर पानी जा रहा है, जगह-जगह पाइप के बीच में हर कोई आदमी कनेक्शन कर लेता है, कोई कानून नहीं है तो कम से कम यह योजना तब सफल होगी, इसके लिये कोई ऐसा आधार बनायें कि कोई भी क्षतिग्रस्त करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो और उसके लिये अधिकारी भी इसकी जिम्मेदारी लें, क्योंकि अधिकारी कहते हैं कि यह जो जल जीवन समिति बनाई है, वह इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए, वे लोकल

(श्री कन्हैया लाल)

आदमी रहते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते है और जगह-जगह कम से कम अभी भी बीसलपुर की जो योजना चल रही है, आधे से ज्यादा गांवों में पानी नहीं जा रहा है, हर जगह कोई भी आदमी जिसकी इच्छा होती है, वह पाइप तोड़कर पानी ले लेता है, इसकी भी एक योजना बनाकर चलें।

इसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी समस्या है, हैंडपम्प की मरम्मत की। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गर्मी में अभियान चलता है तब तो हैंडपम्प ठीक हो जाते हैं, बाकी समय में हैंडपम्प मिस्त्री, कम से कम आज 20-25 साल से कोई भर्ती नहीं हुई, सारे या तो बीमार हैं या रिटायर हो गये, 80 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं, उनके मेंटीनेंस के लिये हम खूब कहते हैं, हैंडपम्प ठीक करने के लिये कोई जाता नहीं है, कम से कम इनके पद भी भरे जाएं या फिर संविदा पर परमानेंट आदमी रखें, जिससे इस समस्या का परमानेंट समाधान हो।

माननीय सदस्य ब्यावर वालों के वहां पर जो अमृत मिशन में योजना चल रही है, जिसके अन्दर पाइपलाइनों से रोड टूटने की बात चल रही थी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो मैकेनाइज तरीके से ये करते हैं तो दो फीट का तो वे पेमेंट देते हैं और वह कम से कम डेढ़ से दो मीटर तक पूरी सीसी रोड को खराब कर देते हैं और जिस तरह से पिछले दो वर्ष से पंचायतों में कोई बजट नहीं आ रहा, इसके लिये भी कम से कम एक मीटर चौड़ाई के अन्दर, मशीन से क्योंकि लैबर काम नहीं कर पाती, मशीन से करते हैं तो एक मीटर चौड़ाई का एस्टीमेट में ही लेकर चलें, कम से कम उसका दुबारा मेंटीनेंस हो सके, 60 सेंटीमीटर में न तो दुबारा मेंटीनेंस कर पाते हैं तो एस्टीमेट में ही यह प्लानिंग लेकर चलें तो यह स्कीम भी पूरी सक्सेस हो और गांव की सड़कें खुदी पड़ी नहीं रहे, उसका दुबारा मेंटीनेंस हो जाए।

अभी काफी कुछ बातें चल रही थीं। हमारे दूदू से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि टोडारायसिंह से, जो दूदू की लाइन है, वह जगह-जगह से डैमेज हो चुकी है। उसका पानी जगह-जगह निकला पड़ा रहता है, जगह-जगह वैस्टेज जाता है। जो सीमेंट पाइपलाइन है, कम से कम 15 साल पुरानी लाइन हो चुकी है, उसका भी एस्टीमेट बनाकर, प्लान करके करें जिससे पानी वैस्टेज जा रहा है, वह बचे और कैपिसिटी भी जिस तरह से, इसको 2021 के हिसाब से बनाया था, आने वाले समय में पोपुलेशन बढ़ रही है तो उस हिसाब से इसकी डिजाइन करके बनाया जाए।

(श्री कन्हैया लाल)

इसके साथ-साथ, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरी ग्राम पंचायतें जिनको जल जीवन मिशन में जोड़ा जा रहा है, उनकी जल्दी से जल्दी डीपीआर बनायें। ये मेरी निम्न पंचायतें हैं- बासेड़ा, बोटूंदा, कंवरावास, कूकड़, रील्या, मेहरू, मांदोलाई, भावता, लक्ष्मीपुरा, धाबडधूमा, मूंडया, दतोब, खुवाड़ा, झाड़ली, इंदौली, टोरडी, डूंगरी, तिलांजू, कलमंडा, लावा, चैनपुरा, किरावल, देश्मा, देवल, पचेवर, पाड़ली, गंवर, मलीकपुर, आवड़ा, मोडला, सिंधोल्यारत, राजपुरा, कांटोली, लाम्बा और देवल, इन सभी ग्राम पंचायत के सभी गांवों की जल्दी से जल्दी डीपीआर बनाकर भिजवाई जाए, जिससे मेरी पंचायतों के जो भी गांव हैं, वे भी जल जीवन मिशन से जोड़े जाएं, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

दूसरा, पानी की सभी ने मांग की है कि ब्राह्मणी नदी का जो एस्टीमेट काफी समय से बना पड़ा है, उसको भी क्रियान्विति हेतु लाया जाए, उसकी भी डीपीआर बनाई जाए और केन्द्र से और राज्य सरकार से जिस भी तरीके से पैसा ला सकते हैं, तब जाकर पानी की पूरी व्यवस्था होगी, ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

इसके साथ-साथ, सबसे बड़ा फिल्टर प्लांट मेरे टोडारायसिंह में सूरजपुरा में, वहां पर लगभग 15 साल से संविदा में कई कर्मचारी काम कर रहे हैं...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): वे टैक्नीकल होने के बावजूद भी उनको 5 से 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार से ज्यादा नहीं दिये जाते, जबकि उनकी योग्यता के अनुसार, कम्पनी खूब पैसे उठाती है, बाकी उनका शोषण किया जाता है तो नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी टैक्नीकल आदमी की होती है, वह दिलाने के लिये भी कुछ व्यवस्था करें, जिससे उनको प्रोपर पैसा मिले, बार-बार कई जगह स्ट्राइक भी करते हैं, बाकी पानी बंद नहीं हो, सुचारु चलता रहे, जयपुर का, सब जगह का, हम खुद उनको समझाते हैं, बाकी उनकी संख्या भी लगभग 250 के आसपास है, उन्होंने 150 से ज्यादा नहीं रख रखे हैं, उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। जिस तरह से बात करते हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है तो उनको रोजगार भी मिले और उनकी मिनिमम वेज जो बनती है, उनको पूरी दिलाई जाए, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अवाना।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): समयाभाव को देखते हुए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जो मांग संख्या-27 के सुझाव हैं, उनको टेबल करने की अनुमति दी जाए।

श्री सभापति: टेबल करें आप। श्री वाजिब अली।

श्री वाजिब अली (नगर): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मांग संख्या-27 पर मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया। राजस्थान की जलवायु, भौगोलिक परिस्थितियां इस तरह की हैं कि पेयजल हमेशा से ही एक बहुत बड़ी समस्या सभी सरकारों के लिये रही है।

मैं अपने जिले की और अपने क्षेत्र की बात करूं तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत साहब को, जिन्होंने चम्बल परियोजना के तहत हमारे जिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र को पानी पिलाने के लिये स्कीम बनाई, लगभग 20 से 25 गांवों में सुचारु रूप से चम्बल परियोजना के तहत पानी मिल रहा है और बाकी क्षेत्र में भी लाइनें बिछ चुकी हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी पानी आ जाएगा।

महोदय, आपके द्वारा मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन ठेकेदारों ने चम्बल परियोजना के तहत जो काम किये हैं, उन्होंने गांवों की गलियों और सड़कों को बुरी तरह से तोड़ दिया और उनकी रिपेयर अभी तक नहीं हुई है, जिससे वहां के लोगों के लिये आमजन के लिये बहुत बड़ी परेशानी हो रही है तो सरकार से निवेदन करता हूं कि ठेकेदारों से उनकी मरम्मत का कार्य है, वह भी जल्दी पूरा कराया जाए।

इसके अलावा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री जी का, जिन्होंने अभी भी 40 हैंडपम्प और 10 ट्यूबवैल दिये हैं, इससे पहले भी ट्यूबवैल और हैंडपम्प मिले हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लगभग 80 से 90 परसेंट जो सरकारी ट्यूबवैल या पीएचईडी के जो हैंडपम्प हैं, वे खराब हैं। उनकी क्वालिटी जो है वह अच्छे से मेंटेन नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि मेरे क्षेत्र में पिछले दो सालों में जो ट्यूबवैल और हैंडपम्प लगे हैं, उन्हें दुरुस्त कराने की कृपा की जाए।

इसके अलावा जो आरओ संचालित हैं, उनकी भी हालत बहुत अच्छी नहीं है। लगभग 70 से 80 प्रतिशत आरओ बंद पड़े हैं। जो कम्पनी इनका मेंटीनेंस करती है, वह इन पर ध्यान नहीं देती, जो लोग मेंटीनेंस के लिये वहां लगा रखे हैं, उनको भी एक-एक साल से पैसे नहीं मिलते, तो जो पानी मिलना

(श्री वाजिब अली)

चाहिए, जो लाभ मिलना चाहिए आम जनता को, उन आरओ के द्वारा वह भी नहीं मिल पा रहा है।

एक बहुत-बड़ी समस्या यह भी है कि बिजली सही से नहीं आना, एक ऐसा कारण बन जाता है कि शहर में सप्लाई नहीं हो पाती तो मंत्री जी बिजली विभाग भी देखते हैं तो इनसे निवेदन यह है कि जो प्रपोजल बिजली के आए हुए हैं 33 केवी सब-स्टेशन के मेरे विधान सभा क्षेत्र के, तो कृपया उन्हें भी पास करने की कृपा करें ताकि पेयजल की जो जरूरतें हैं, वे पूरी हो सकें। इस महत्वपूर्ण मांग पर आपने बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय आज की मांग पारित होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

श्रीमती रमीला खड़िया।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27 पर विचार

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 27-पेयजल के ऊपर बोलने का मौका दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में 1990 में जो तालाब बनाया हुआ था उसका शिलान्याश पवन कुमार रोकड़िया, जिला प्रमुख ने किया था। उसके बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि 1990 में जो तालाब बनाया गया था उस तालाब की जो नहरें हैं, उनमें बिलकुल टूट फूट हो चुकी है, उनमें मिट्टी भर गयी है तो मैं सदन के माध्यम से हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी और हमारे मंत्री जी से मैं निवेदन करती हूं और मांग करती हूं कि

(श्रीमती रमीला खड़िया)

जो नहरें हैं इन नहरों का बजट देकर उनकी सफाई की जाए तो हमारे आदिवासी क्षेत्र में किसानों को पानी मिल सकेगा। इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में पीपलोनकुंडिया का एक डैम 25 करोड़ की लागत से बना था। उसकी नहरें आज तक कच्ची पड़ी हैं और बन नहीं पायी हैं तो मैं सदन से निवेदन करती हूं कि हमारे मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं इसकी पक्की नहरें बनाने का बजट दें ताकि हमारे काश्तकार और किसान जो गरीब हैं, उनको लाभ मिल सके।

इसी तरह से, मेरे घाटा क्षेत्र में, मैं हमेशा मेरे घाटा क्षेत्र की बात रखती हूं, आज तक हमारे कोटड़ा, गोपालपुरा, सरूना, बरसाला, पाटन, मकुमपुरा, महुड़ा इन पंचायतों में आज तक पीने के लिये पानी नहीं है। ये ऐसी पंचायतें हैं कि वहां पानी पीने के लिये बहुत दूर-दूर तक जाना पड़ रहा हैं और मेरी माताएं और मेरी बहनें पानी लेने के लिये बहुत दूर तक जा रही है और हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में जो पानी का टैंकर लगाया जाता है पीने के लिये, उन टैंकरों का दो साल से भुगतान नहीं हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इन टैंकरों का भुगतान किया जाए ताकि अब गर्मी का मौसम आ गया है और हमारे घाटा क्षेत्र में आज पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। उनका भुगतान हो जाए तो टैंकर वाले दुबारा पानी पिलाने का ठेका ले लेंगे।

इसी तरह से मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में मकुमपुरा में एक काटावाली नाल है, एक गोपालपुरा में तालाब है तो मैं सदन से मांग करती हूं कि वन विभाग में जो काटावाली नाल और रामगढ़ में सापरीवाला नाका वो एक हैक्टेयर से कम में आ रहा है तो आपके माध्यम से मैं अनुरोध करती हूं कि यह जो तालाब हैं, उन तालाबों को वन विभाग से एनओसी दी जाए। एक हैक्टेयर से कम है, वह फोरेस्ट का है और उसकी एनओसी डीएफओ के माध्यम से मिलती है तो वह तालाब बनने से हमारा जो रामगढ़ बैल्ट है जो हथियादिली है वहां तक पानी पहुंचेगा तो हमारे जीव-जन्तु जंगलों से निकलकर बाहर नहीं आयेंगे तो यह मैं सदन के माध्यम से मांग रखती हूं कि मकुमपुरा में काटावाली नाल और रामगढ़ में सापरीवाला नाका एक हैक्टेयर से कम में आ रहा है तो इनकी एनओसी दी जाए। मैं सदन के माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इसकी एनओसी देकर हमारे ये छोटे-छोटे जो तालाब हैं, उन तालाबों को बनायें ताकि हमारा जो सूखा एरिया है, इस एरिये को पानी मिले और हमारे लोगों को लाभ मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि महत्वपूर्ण पेयजल मांग संख्या-27 पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा अनेक कॉलोनियां बनायी हुई हैं, उनमें पेयजल की समस्या है, जैसे एमबी नगर, श्रीनाकोड़ा नगर प्रथम, द्वितीय और तृतीय, नाकोड़ा पुरम, रकमपुरा, आदर्श नगर, सौभाग्य नगर, गायत्री नगर, जनकपुरी आदि कॉलोनियां लगभग 25 हजार की आबादी की कॉलोनियां हैं। सभापति महोदय, ऐसे ही मेरे एक तीतरड़ी ग्राम पंचायत है, उसमें 20 हजार की आबादी है, वहां पर जनता जल योजना से पानी की सप्लाई हो रही है। पहले जनसंख्या कम थी, वहां तक तो ठीक है मगर अब जनसंख्या बढ़ने की वजह से पानी की पूर्ति हो नहीं पा रही है और यूआईटी द्वारा कॉलोनियां भी बहुत बन गयी हैं। उसमें जयसमन्द द्वारा पानी की सप्लाई अगर होती है तो हमारे वहां पर बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा।

सभापति महोदय, पैरीफेरी एरिया में दक्षिण विस्तार की योजना यूआईटी द्वारा बना रखी है, उसमें अनेक काम्प्लैक्स बन गये हैं, उसमें पानी की बहुत भारी समस्या है। ऐसे ही मेरे सिसरमा ग्राम पंचायत में अम्बाबाड़ी गैस गोदाम में भी पानी के लिये ट्यूबवैल खोदते हैं तो वे भी सूखे मिलते हैं। वहां पर अगर बड़ी का तालाब से जो पाइपलाइन आ रही है उससे पानी देंगे तो उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और उनको पानी मिल जाएगा। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि चित्रकूट नगर, भुवाणा ग्राम पंचायत में कम से कम तो अभी 14 हजार वोट और 25 हजार की आबादी है वहां पर चित्रकूट नगर में नवरत्न काम्प्लैक्स, गोल्ड फिल्म कालोनी, कोटा बावड़ी, डीपीएस स्कूल के पास में जो पूरा एरिया है मीरा नगर, बी ब्लाक के पास वाला एरिया है, सैटेलाइट हास्पिटल के पीछे वाला एरिया, नवरत्न काम्प्लैक्स आदि कालोनियों में भी पानी की भारी समस्या है। पैरीफेरी एरिया में गांव भी बहुत सारे हैं, 130 गांव हैं, उनमें भी पंचायतों के पास पैसे नहीं हैं और विशेष करके दो साल में तो एक भी पैसा नहीं आया है मगर पैरीफेरी एरिया में यूआईटी कालोनियों की जो ये इतनी बसावट हो गयी है, वहां पर ग्राम पंचायत सफाई तक भी नहीं करवा पा रही है इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि ये पैरीफेरी एरिया यूआईटी का यह उदयपुर के आजू-बाजू बसा हुआ है। इस बार हमने खूब मांग की है। यूआईटी

(श्री फूल सिंह मीणा)

द्वारा बजट भी रखा है मगर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, आप पर पूरा विश्वास है कि उस बजट को खर्च कर लें, नहीं तो 2018 के अन्दर कलडवास में 3 करोड़ 30 लाख रुपये दिये वह अभी तक भी पाइपलाइन, कम से कम 15 साल पहले की सीमेंट की पाइपलाइन डली थी उसमें टूट-फूट हो गयी थी, टंकी भरती नहीं थी, 2018 के अन्दर 3 करोड़ 30 लाख रुपये दिये थे कि एकलिंगपुरा में टंकी बनेगी और उस गांव में टंकी भरने

(19.00 बजे)

की पाइपलाइन डलेगी मगर वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे ही 1 करोड़ 70 लाख रुपये की टंकी मेरे यहां कानपुर में बनाने के लिये दी थी, वह भी आज दिन तक पूरी नहीं हुई है। 2018 की घोषणा है और उसके पैसे दे दिये, मगर वह काम पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही ग्राम पंचायत नाई में 1 करोड़ 73 लाख रुपये की पाइप लाइन बिछाने के लिये दिया था, वह काम अभी भी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मैं आशा करता हूं, पिछले बजट में जयसमंद के लिये पाइपलाइन बिछाने के लिये 251 करोड़ रुपये का आपने प्रावधान रखा था, उसका अभी तक क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, हमारे नेता प्रतिपक्ष गुलाब जी भाई साहब ने भी कल कहा था। हमारे उदयपुर में वास्तव में पाइप बहुत डैमेज हो रहा है, अगर वह पाइपलाइन बिछ जाएंगी तो उससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। केन्द्र सरकार ने 1051 करोड़ रुपये घर -घर नल के लिये जो पैसे दिये थे, उसमें से केवल और केवल 600 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, इसको भी जरा आप देख लें। मैं आपसे मांग करता हूं कि हिन्दुस्तान जिंक का पानी जो इस मानसी वाकल से मिल रहा था, उसका एमओयू खतम हो चुका है। अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा है...

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उसको पानी देना है तो हमारे उदयसागर से दे दें, इस पानी को आप न दें, क्योंकि यह पानी पीने के काम में आयेगा। सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा। हमारे मंत्री महोदय ने देवास तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर के पेयजल तथा मानसी वाकल तृतीय

(श्री फूल सिंह मीणा)

एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर एवं सिरोही जिले के लिये पेयजल हेतु एवं जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने की बात की है। मंत्री महोदय, यह रिपोर्ट तो पहले ही बन गई। इसको क्रियान्वित करें तो हमारा उदयपुर संभाग पानी से तर हो जाएगा, यह वैस्टेज पानी जा रहा है। सभापति महोदय, हमारे तीन बजट हुए हैं, 2018 में उदयपुर के लिये हमें 450 करोड़ रुपये दिये थे, उसके बाद दो बजटों में कोई नामोनिशान नहीं है जो हमारे उदयपुर के लिये दे दें। मैं आपसे मांग करता हूं कि हमारी जो मांग है उस पर आप अमल करें।

अन्त में मैं पुन: आग्रह करता हूं मेगा आवास रतनपुरा में आपने उद्घाटन कर दिया, 1700 मकान बने हुए हैं, मगर आज भी वह पानी के लिये तरस रहे हैं, पानी की सप्लाई नहीं है। आपने और भी मेगा आवास के मकान बनाने के लिये कहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): इन मकानों को बनाकर दे दें। आज वह वहां रह रहे हैं, 500-500 रुपये एक-एक टैंकर के दे रहे हैं, 15 दिन में वह खतम हो जाता है। एक-एक हजार रुपये उनके पानी के लगते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मुझे खतम कर लेने दो। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पुन: मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि कानपुर, कलड़वास, एकलिंगपुरा, नाई बड़ी, नाकोड़ा नगर फर्स्ट, सैकण्ड, थर्ड, नाकोड़ापुरम, रतनपुरा, आदर्श नगर, सौभाग्य नगर, गायत्री नगर, जनकपुरी, प्रेमनगर, तितड़ी आदि कालोनियों को ध्यान में रखकर मेरी इस मांग पर गौर करें और जनता को पानी दें। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री संदीप कुमार।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान की सरकार द्वारा वर्तमान में पूरे प्रदेश में पेयजल का ध्यान रखा गया है। हमारा प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश है और पानी की यहां पर लगातार कमी रही है। मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा में जल जीवन मिशन में 20 लाख घरों को करीब 1094 करोड़ की लागत से घर-घर

(श्री संदीप कुमार)

पानी पहुंचाने के लिये योजना बनाई है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा आपने प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 40 हैंडपम्प और 10 बोरवैल अलग से देने की जो आपने घोषणा की है, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष और विपक्ष के साथियों से निवेदन करूंगा कि राजस्थान हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है, यहां पर जल जीवन मिशन में स्पेशल पैकेज देकर 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिये और 10 परसेंट राजस्थान सरकार द्वारा दी जानी चाहिये ताकि प्रत्येक राजस्थानी को पानी मिल सके, प्रत्येक घर तक पानी पहुंच सके।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं कि जल जीवन मिशन में मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब 26 गांवों में योजना पहुंची है जिसमें करीब 11 करोड़ रुपये का राजस्थान की सरकार द्वारा सहयोग दिया गया है। मेरे यहां तिजारा शहर में 65 हैंडपम्प लगाये गये हैं और 80 हैंडपम्प करीब दो सालों में विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये। इसके अलावा 10 सोलर बोरवैल भी दिये गये हैं। 21 कंटिंजेंसी में हैंडपम्प दिये गये हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि ठेकेदार काम में थोड़ी लापरवाही करते हैं। 2019-20 की घोषणा में जो 10 सोलर पम्प दिये थे, उसमें अभी तक सोलर प्लेट नहीं लगी है, जिसका काम अभी अधूरा है।

इसके अलावा मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे यहां पर बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और औद्योगिक क्षेत्र का रसायनयुक्त पानी जगह-जगह भरा रहता है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि भिवाड़ी में जो पानी दूषित हो चुका है, रसायनयुक्त पानी के कारण से भूजल पूरी तरह दूषित हो चुका है, वहां पर स्पेशल पैकेज देकर भिवाड़ी के सभी गांवों में आरओ प्लांट लगाने का मैं आपसे निवेदन करता हूं। इसके अलावा वहां पर फैक्ट्रियों द्वारा पानी का लगातार दोहन हो रहा है। फैक्ट्रियों की जितनी कैपेसिटी है या जितनी एनओसी उन्होंने ली हुई है, उससे ज्यादा पानी का दोहन फैक्ट्रियां लगातार कर रही हैं जिसके कारण भूजल स्तर नीचे जाता जा रहा है। हमारे भिवाड़ी, खुशखेड़ा और नीमराना इंडस्ट्रियल एरिये में, नीमराना-बहरोड़ हमारा पूरा डार्क जोन है, मुण्डावर में हमारे डार्क जोन हैं। वहां पर बीयर फैक्ट्री हैं, दारू की फैक्ट्रियां हैं और एसआरएफ एवं अन्य जो

(श्री संदीप कुमार)
कैमिकल की बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वे बहुत अधिक पानी का दोहन लगातार कर रही हैं और फैक्ट्रियों से जो गंदा पानी निकलता है, वह पानी लगातार सड़कों पर बह रहा है या फिर गांवों में छोड़ दिया गया है। उस पानी को काम में लिया जा सकता है, परन्तु वहां पर किसी भी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। उस पानी को वापस ट्रीट करके लेने का प्रावधान होना चाहिये, इस दिशा में कदम होने चाहिये। मैं आपके माध्यम से सरकार में यह बात रखना चाहता हूं कि पानी के अति दोहन के कारण से भूजल नीचे जाता जा रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि उन फैक्ट्रियों पर कार्यवाही होनी चाहिये और सीईटीपी प्लांट या एसटीपी प्लांट से जांच करके, ट्रीट करके उस पानी को फैक्ट्रियों में और पार्कों आदि में काम लिया जाना चाहिये।

इसके अलावा हमारे अलवर जिले में माननीय मुख्य मंत्री जी ने चंबल के पानी के लिये वापस केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मैं निवेदन करता हूं कि आधे अलवर को चंबल से और आधे एरिये को यमुना का पानी भी मिल सकता है। तीन-चार तहसीलों में यमुना के माध्यम से पानी ला सकते हैं, उसकी भी योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी जानी चाहिये। इसके अलावा भिवाड़ी में एक अतिरिक्त एईएन कार्यालय की आवश्यकता है, भिवाड़ी बड़ा शहर है। हमारे तिजारा में एईएन कार्यालय है, भिवाड़ी में भी एक अलग एईएन कार्यालय खोला जाए।

इसके अलावा मेरी विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से मांग है, हमारे सारे अधिकारी भी बैठे हैं, मेरी आपसे मांग है कि पीएचईडी द्वारा जितने भी नलकूप लगे हैं, जितने भी बोरिंग लगे हैं, जितने भी बोरवैल लगे हैं, उनका कनेक्शन भी आप लेते हैं, बोरिंग भी आप कराते हैं और उसके बाद आपने ग्राम पंचायतों को सौंप दिया। बहुत सारी ग्राम पंचायतों में बिजली के बिल नहीं होने की वजह से जो बोरवैल लगे हुए हैं, वे लगातार ठप होते जा रहे हैं। उनके कनेक्शन काट दिये हैं या जो ग्राम पंचायत का सरपंच है, जिसने उसको वोट नहीं दिया, उस कालोनी या उस एरिये विशेष के उन्होंने कनेक्शन काट दिये, जिसके कारण से सरकार का जो पी.एच.ई.डी. में पैसा खर्च हुआ है, जो बोरवैल हुआ, उसका पैसा भी वेस्ट जा रहा है। बोरिंग फेल हो रहे हैं और जनता को पानी के लिये तरसना पड़ रहा है। पी.एच.ई.डी. और ऊर्जा विभाग, दोनों आपके पास हैं। मेरा निवेदन है कि आप सैटलमेंट करके, कैसे भी करें, उसका बिजली का बिल पी.एच.ई.डी. विभाग भरे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों

(श्री संदीप कुमार)

को परेशानी नहीं हो। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार साहब।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर बोलने का अवसर दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, मैं उनके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र जैतारण, जैतारण और रायपुर दो पंचायत समितियों में बंटा हुआ है। माननीय मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं। मेरे जैतारण का आधा इलाका पहाड़ी इलाका है और मगरा क्षेत्र आता है और आधा मैदानी इलाका है। पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जवाई जल परियोजना 315 करोड़ रुपये की लागत की स्वीकृत हो रखी है। उसमें एक जैतारण नगरपालिका और 125 गांवों को इस योजना से लाभान्वित होना है। इस योजना को काफी लम्बा समय हो गया और अभी तक यह योजना अधूरी है, इसलिये मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप इस योजना को अपने अधिकारियों के मार्फत निर्देश देकर तुरन्त प्रभाव से जल्दी से जल्दी इसमें आदेश प्रदान कराएं, ताकि वे जल्दी इसको खतम करें। इसके साथ में जो इस योजना के अन्दर मगरा क्षेत्र के कुछ गांव भी लाभान्वित हो रखे हैं, लेकिन वहां तक, चूंकि पहाड़ी इलाका है, ढलान का इलाका है तो वहां इस योजना से पानी पहुंचना शायद मुश्किल होगा।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि रायपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काणूजा, बगड़ी, कोटखेराड़ा, कलाड़िया, काडब, पचानपुरा में भौमदा बांध, जो बगड़ी ग्राम पंचायत की सरहद में स्थित है, वहां माननीय मंत्री महोदय, भीम को पानी दिया जाता है, इससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये जो छह-सात पंचायतें मेरे मगरा इलाके की लगती हैं, उनमें इस भौमदा बांध से पेयजल की स्कीम को अगर स्वीकृत किया जाता है तो जो ऊपर का पहाड़ी क्षेत्र का इलाका है, उसमें आमजन को पीने के पानी की समस्या का निदान होगा। इसके अलावा जवाई से जो 125 गांवों को लाभान्वित किया गया है, उसके अलावा पूर्व में राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से 14 गांवों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है, जिसमें खराड़ी, बिरोड़, ठाकरवास, कुड़की, खेड़ा देवगढ़, मोहनगढ़, कोटड़िया, गुढ़ाहेमडई, सेवरिया,

(श्री अविनाश)

बस्सी चैनपुरा, देवरिया राजपूतान, खिंदावास, लूमड़ावास और रामदेव ढाणी देवरिया। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि इनकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि यह थर्ड फेज की योजना है और इसमें 1354 करोड़ रुपये की घोषणा हो रखी है। इसमें रोहट के भी कुछ गांव हैं और पाली के अलावा जैतारण के भी ये 14 गांव, जिनका मैंने आपसे निवेदन किया, इन गांवों की स्वीकृति भी आप प्रदान करेंगे तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण में प्रधान मंत्री मोदीजी की महत्वाकांक्षी योजना, जनता जल मिशन योजना है, उसके अन्दर भी, अभी तक मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र के 22 गांवों में स्वीकृति आपकी मेहरबानी से हुई है, इसके लिये भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा। मेरा यह निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने कार्यकाल 2024 से पहले तक हिन्दुस्तान की प्रत्येक ग्रामीण आबादी को इस योजना से लाभान्वित करने के लिये एक मिशन चलाया है तो मैं राजस्थान सरकार से भी मांग करूंगा कि आप भी इसे अपने कार्यकाल 2023 तक एक मिशन के रूप में लें और इस राजस्थान प्रदेश की ग्रामीण आबादी, इस जनता जल मिशन योजना से किस प्रकार लाभान्वित हो सके, यह भी आपसे निवेदन रहेगा। मेरे बचे हुए जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं, जो शुष्क इलाके हैं, उनमें भी इस योजना की स्वीकृति प्रदान करें, ताकि लोगों को फायदा मिले।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे जैतारण क्षेत्र में सवा चार करोड़ रुपये की एक शहरी परियोजना वर्तमान में संचालित है, कार्यशील है, लेकिन बहुत ही धीमी रफ्तार से उसका कार्य हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय, पहले सीवरेज के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पिछले चार सालों से शहर की सड़कें खुदी हुई हैं वापस बनी नहीं हैं। जो चेम्बर थे, उनकी वजह से प्रोब्लम हुई है। अब चूंकि सीवरेज और पीएच.ई.डी. की लाइनों की वजह से जो नये मकान बने, कुछ दुकानें बनीं उनके अन्दर, पानी पाइपलाइन से नींवों में गया, जिससे वहां पर कम से कम 25-30 मकानों में दरारें आ गयीं। उन्होंने नगरपालिका में लिखकर दिया, उन्होंने पी.एच.ई.डी. विभाग में लिखकर दिया। आप दोनों मंत्री विराजमान हैं, दोनों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप इसकी जांच करवाकर उन गरीबों लोगों को, जिन्हें अपना आशियाना बनाने में 50 साल लग जाते हैं, उसके अन्दर आप लोग राहत प्रदान करें।

इसके अलावा मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में, पहले भी मैंने इस

(श्री अविनाश)

सदन के अन्दर एक निवेदन किया था कि जवाई बांध से मेरे यहां जैतारण में पानी आता है। जवाई बांध का जो जवाई कमांड एरिया, सुमेरपुर में, वहां के किसान हर बार, जब बारिश का टाइम होता है, बांध थोड़ा भरता है, उससे वे सिंचाई के लिये पानी की डिमांड करते हैं। पिछली बार जब कमेटी ने निर्णय लिया, उसमें पेयजल की बजाय सिंचाई के लिये पानी ज्यादा दे दिया। जोधपुर के कमिश्नर साहब हैं, आई.जी. साहब, उनको मैंने लिखकर दिया था। उन्होंने मुझे कहा था। मेरा क्षेत्र जैतारण जो जवाई बांध से लाभान्वित होता है, मैं उस कमेटी का मेम्बर नहीं हूं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि जवाई जल वितरण कमेटी है, उसके जैतारण क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में आप मुझे शामिल करें, ताकि मेरे जैतारण के हक और अधिकार का जो मसला है, मैं उसको उस कमेटी के सामने रख सकूं और पेयजल की जो व्यवस्था है, उसको मैं सुचारु रूप से कर सकता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र में ए.ईएन. का पद रिक्त है, जो कि बड़ा महत्वपूर्ण पद है। वह काफी टाइम से रिक्त है और अभी कुछ योजना भी चल रही है तो बिना तकनीकी अधिकारियों के उस योजना को असली मुकाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जैतारण क्षेत्र में जितने भी अधिकारियों के, कर्मचारियों के, जे.ईएन. के जो पद रिक्त हैं, उनको जल्दी से जल्दी भरें, ताकि इस क्षेत्र की जो पानी की समस्या है, उसमें आराम से मानिटरिंग हो सके।

इसके अलावा जैतारण विधान सभा क्षेत्र के कुछ प्रमुख गांवों में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। माननीय मंत्री महोदय, इसमें ग्राम राबड़ियावास, जूजनडा, बलाड़ा, घोड़ावड़, रास, सिलणा, निबोल, तालकिया, खराड़ी, आनंदपुर, कालूखेड़ा, देवगढ़, नीमाच सुमेल, बैड़, लोटोती, बीकरलई, काणेचा, रामगढ़, सैंदड़ा, भाभरा, प्रतापगढ़, केंकिदरा, काणूजा, कलाड़िया, बगड़ी, काड़द, कोटकिराणा, पचानपुरा, सबलपुरा, कालाकोट, रातक्या, रेअड़ा, गिरी, ये इस प्रकार के गांव हैं, इंटीरियर इलाके के हैं, वहां पानी की वाकई में तकलीफ है। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले काफी वर्षों से 10-15-20 साल पहले वहां पाइपलाइन लगी। चूंकि इनका समय बहुत ज्यादा हो गया। एक तो आठ दस फीट गहरी लाइन हो गयी, उसके अन्दर झाड़ियां आ गयीं तो पानी पास-आउट नहीं होता, इसलिये भी परेशानी होती है।

माननीय मंत्री महोदय, रामगढ़ जो सैंदड़ा ग्राम पंचायत का एक रेवेन्यू विलेज है। रामगढ़, सौणेतान, झाड़ली, मानपुरा, उसमें 2006 और 2007 के

(श्री अविनाश)

अन्दर 40 लाख रुपये की एक योजना स्वीकृत हुई। उसमें दो कुएं खोदे गये और रामगढ़ स्कूल के पास टंकी बनायी गयी। आधी जगह पर पाइपलाइन बिछा दी, आधी जगह पर नहीं बिछायी गयी। वह स्कीम जो 40 लाख रुपये लगने के बाद भी नाकारा पड़ी है। इसलिये चूंकि आपका जलदाय विभाग रेलवे क्रासिंग का बहाना बनाकर हर बार इतिश्री कर लेता है तो, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि आप अपने उच्च अधिकारियों को इसमें निर्देश दें, इसकी जांच करवायें, ताकि जो 40 लाख रुपये लगे हैं, नाकारा स्कीम है, उसको उपयोगिता के रूप में हम लोग काम में ले सकें।

इसके अलावा इसी बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने 40 हैंडपम्प और 10 ट्यूबवैल दिये हैं। मैं बहुत-बहुत स्वागत करूंगा लेकिन मैं इस बात के लिये आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी वित्तीय स्वीकृति इसी अप्रैल के अन्दर आप प्रदान करें, ताकि इस बजट में जो ट्यूबवैल और हैंडपंप देने का असली मकसद है, उसमें जनता को लाभ मिल सकता है। आपने पहले 10 सोलर ट्यूबवैल दिये थे। बोरिंग तो हो गये, लेकिन जो सोलर मशीन है, वह लगनी बाकी है। जहां तक मेरी जानकारी है, मार्च और अप्रैल के अन्दर भी इसके टेण्डर हो गये। साउथ इंडिया की कोई कंपनी है। मेरा निवेदन रहेगा कि जल्दी से जल्दी उसको वर्क आर्डर प्रदान कर उसको पाबंद करें, ताकि सोलर मशीन लगे और जो बोरिंगें हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): सभापति महोदय, एक मिनट में खतम करूंगा। इसके अलावा मेरे जैतारण क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है। आर.ओ. प्लांट पहले लगे हुए हैं, लेकिन वे फ्लोराइड की वजह से खराब हो रखे हैं। जो-जो आर.ओ. प्लांट खराब हैं, आपके अधिकारियों को निर्देशित कर जैतारण विधान सभा क्षेत्र के तमाम आर.ओ. को ठीक करायें और नये आर.ओ. प्लांट लगाने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही, चूंकि अभी गर्मी का मौसम है। सरकार ने अभी तक अधिकारियों से कंटींजेंसी प्लान नहीं मांगा है। आप अधिकारियों को निर्देशित करें कि वे कंटींजेंसी प्लान तैयार करें। जो हर बार अप्रैल के अन्दर शुरू होता है, उसको भी तैयार कराएं।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें। सुश्री दिव्या मदेरणा।

श्री अविनाश (जैतारण): अंतिम आधे मिनट में, मैं अपनी बात खतम करूंगा। इतनी कुछ समस्याएं होने के बावजूद, माननीय मंत्री महोदय, पूरा

(श्री अविनाश)

सदन यहां विराजमान है कि महिला क्रिकेट के अन्दर चूरू की प्रिया पूनिया का सलेक्शन हुआ और मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र की इतना खारा पानी पी-पी कर एक बहन मोनिका पटेल का इंटरनेशनल वुमेन टीम में सलेक्शन हुआ है जो इंटरनेशनल क्रिकेट और टी-20 वे खेलेंगी। इसलिये माननीय मंत्री महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जो मैंने समस्या बतायी, उन सब पर पूरी गम्भीरता के साथ विचार जैतारण क्षेत्र की जनता को लाभान्वित कराएं। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): सभापति महोदय, पेयजल की इस चर्चा में हिस्सा ले रही हूं। विपक्ष से आने वाले एक विधायक ने नाथूराम जी मिर्धा के काम की सराहना की, उनको याद किया। मैं जानती हूं कि जैसे कि आज पेयजल पर चर्चा है तो किरण माहेश्वरी जी को याद करना चाहूंगी, क्योंकि अगर वे सदन में होतीं तो आज वे विपक्ष के रूप में यहां बहस को खोलतीं। मैं मेरे दादा जी को भी याद करूंगी और आज 05 मार्च, 2021 को पेयजल पर चर्चा है। यह दिन मेरे लिये बड़ा अहम है। 05 मार्च, 2009 को मैं सार्वजनिक जीवन में आयी और मेरे दादा जी ने पहली बार एक जन सभा के माध्यम से मुझे जनता से मुखातिब किया और उनके हाथों में सौंपा। जिसके अस्तित्व की पहचान से मैं यहां हूं, मेरे पिता का जन्मदिन है। जीवन-मृत्यु की लड़ाई में दबा अपना काम कर लिया, आप सबकी दुआएं साथ देंगी, मुझे आशा है। किसान वर्ग से आते हैं, इसलिये खेती करते हैं, जानते हैं पानी की अहमियत है और उससे कहीं अधिक रेगिस्तान से आते हैं तो बूंद-बूंद की अहमियत को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं।

2009 के बजट के अन्दर पेयजल की अनेक योजनाओं की घोषणा की और स्वीकृति हुई। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बोलकर बाकी दूसरे एजेंडा पर आऊंगी। जिसके अन्दर आपके प्रतिवेदन के अन्दर 24.8 के ऊपर जलदाय योजना पांचला-घेवड़ा-चेराई, 24.9 के ऊपर जलदाय योजना तिंवरी-मथानिया-ओसियां-बावड़ी-भोपालगढ़ और तीसरी परियोजना थी भेर-हरलाया पेयजल योजना। बाकी की वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी थी, लेकिन तीसरी योजना की वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई थी। सरकार बदल गई और बदले की भावना से काम करते हुए उन्होंने वित्तीय संसाधन इसको नहीं दिये। हमारी प्राथमिकता थी कि उन गांवों में राजस्थान के अन्दर हिमालय का मीठा पानी

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

चले। जो किलोमीटर घड़े चढ़ाकर हमारी बहनें चलती हैं, हमने उनको वादा किया था, मेरे पिता ने कहा था कि आपके सिर से हम घड़े उतरवाने का काम करेंगे।

मैंने मुख्य मंत्री जी को कहा कि इसे पहले बजट के अन्दर आप करिए कि अगर कांग्रेस की सरकार में पहले पानी आया था और अबकी बार नहीं आया तो इन ढाणियों में कभी मीठा पानी नहीं आएगा। मुझे खुशी है कि मंत्री महोदय जी, मुझे नहीं लगता कि एक मंत्री के क्षेत्र में जितना पानी का काम होता है, बराबर एक काबीना मंत्री के जितना मेरे क्षेत्र में काम हुआ है। मेरे पास कोई मांग आपके लिये पानी के क्षेत्र में करने के लिये नहीं है। पांचला-घेवड़ा आन फाइल आपने 150 करोड़ कर दिये, 600 करोड़ की भेर-हरलाया मुख्य मंत्री जी ने वादा किया था और पहले नंबर पर उस स्कीम, पहले और दो नंबर पर मुख्य मंत्री जी ने उस स्कीम को किया, ये प्रतिबद्धता, संकल्पबद्धता पानी के प्रति हमको बताता है। पांचला घेवड़ा के सम्बन्ध में मैं संक्षिप्त में बात कहना चाहती हूं, the completion certificate was issued by the incompetent authority; there's an enquiry going on. There's a huge administrative change made here because the previous highest bureaucratic channel was working as a contractor's Advocate. I hope to see new changes here. बार-बार आता है कि मुख्य मंत्री जी से उसका शिलान्यास कराया जाए, I would like that there should be an enquiry setup, उनके काम की चैकिंग होनी चाहिए। मैं दूसरी चीज इस पर आना चाहती हूं और इसके क्रियान्वयन के लिये मैं चाहती हूं क्योंकि अब पूरी की पूरी कांस्टीट्यूएंसी और आगे तक लोहावट तक इसको कवर कर रही है, बड़ी स्कीम्स हैं, वृहद स्कीम्स हैं। एक एईएन आफिस तिंवरी के अन्दर आप करें ताकि हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करवा सकें। 'जान.एफ. केनेडी', पूर्व राष्ट्रपति, यूएसए ने कहा था जो कोई भी पानी की समस्या का समाधान कर देता है, उसे दो नोबल पुरस्कार मिलना चाहिए। एक विज्ञान के लिये और दूसरा शांति के लिये।

मैं दो पाइंट्स पर मेजरली जेजेएम को फोकस करूंगी। बहुत छोटी स्पीच अपनी रख रही हूं। 2009 से 2013 के अन्दर सबसे पहली बार सीरियस एफर्ट्स लिये गये कांग्रेस की सरकार में। नियोजित, फोकस एजेंडा के साथ कार्य किया। हमारे कार्यकाल में घड़साना और रावला जैसे प्रकरण नहीं हुए। 'जल नीति, 2010', 'जल नियामक अधिनियम, 2012' जैसे सुधारात्मक वाटर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

रिफार्म्स हमारे कार्यकाल में हुए। यूरोपियन यूनियन के 400 रुपये की परियोजना पर हस्ताक्षर हुए जिसकी बाध्यकारी शर्तों पर हस्ताक्षर किये गये, लेकिन राजनैतिक क्रम के बाद इन्होंने उसको दर-किनार किया। बीजेपी की व्यास कमेटी, बीजेपी ने गठित की थी। उसकी रिपोर्ट व सिफारिशों को आपने दर-किनार किया, लेकिन कांग्रेस राजनीतिक नफा-नुकसान नहीं देखती, we're committed to public welfare और पानी के प्रति हम राजनीति नहीं करते। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं दे सकती हूं कि जहां से विपक्ष के नेता आते हैं, वहां पर देवास की जो योजना मोहन लालजी सुखाड़िया के टाइम में थी, देवास दो और तीन की 100 करोड़ की सैंक्शन हमने राजनीति से ऊपर देकर दी थी कि हमें पानी की परियोजना में पानी पर राजनीति नहीं करनी है। 2010 के अन्दर जल नीति लागू हुई। जल संसाधनों के बेहतर प्रबन्धन के लिये, first time in the Country and I take a lot of pride here; first time in the Country, प्लानिंग का प्रोसेस अगर कहीं शुरू हुआ तो राजस्थान के अन्दर हुआ, 2009 के अन्दर। उसके कम्पोनेंट्स थे IWQM, विकेन्द्रित ग्रामस्तरीय जल योजना तैयार करना, कार्य करके हाथ में लिया गया। Groundwater aquifers study करवायी गयी जिससे प्रत्येक 'aquifer' में भू-जल का पता चले और री-चार्जिंग का कार्य इस आधार पर प्लान किया जाए। स्टेट वाटर स्टडी कराई गई जो 1995 के बाद में 2009 के अन्दर दोबारा हुई। प्रत्येक बेसिन में सतही जल का आकलन हो सके और World renowned Consultancy को इसके लिये दिया गया। बड़ी सिंचाई परियोजना में एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिये बैंच मार्किंग स्टडी करायी गयी। ग्रामीण व शहरी पेयजल के लिये भी बैंच मार्किंग स्टडी करायी गयी। एक बहुत बड़ा पेयजल और सिंचाई के लिये काम्प्रीहेंसिव डेटा बेस तैयार किया गया, इतने बड़े वाटर के सेक्टर में जो रिफार्म्स हुए और इतना बड़ा जो डेटा बेस उपलब्ध कराया गया, बीजेपी ने उसको डस्टबिन में डाल दिया, जल नीति को भी डस्टबिन में डाल दिया। इसका इस्तेमाल नहीं किया। मैं मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगी कि इतना बड़ा डेटा बेस, हमारे पास में ह्यूज डेटा बेस, जो फ्यूचर प्लानिंग के लिये काम आएगा, सारी कमियों को देख सकता है, आप उसको यूज करें। एग्जिस्टिंग स्कीम्स की एफिशिएंसी लेवल पर लाने के लिये पैसा कितना लगेगा? लीकेजेज पानी बहकर जा रहा है, कहां पर, कितना, उसके लिये क्या किया जा सकता है? एक प्लान के तहत आगे बढ़ेंगे, उसमें यह डेटा बेस काम आएगा। अंधेरे में लट्ठ मारने से कुछ नहीं होगा।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

मैं जेजेएम पर आना चाहूंगी जिसके लिये जब जेजेएम की बात होती है तो बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं कि 15 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्रीजी ने कहा कि हम 2024 तक घर-घर नल पहुंचा देंगे और उसके अन्दर 50:50 की हिस्सेदारी दी and I here again take a lot of pride, जिस जल जीवन मिशन पर कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी ने किया, 70 साल तक आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने वे ही कम्पोनेंट्स पिक अप किये जो हमारे वाटर सैक्टर रिफार्म्स में, जो मैंने अभी आपको बताया था, जो 2009 के अन्दर पहली बार राजस्थान के अन्दर पिक अप किये गये थे, स्टार्ट किये गये थे। JJM is based on what was done in 2009. IWQM, Water Planning, विलेज लेवल पर Groundwater Aquifer Study, all these components were started in the year 2009. दूसरी चीज जो मैं कहना चाहती हूं कि DRDWP के तहत वाटर स्कीम्स में पहले 90 प्रतिशत राशि मिलती थी। पहाड़ी राज्यों की भांति राजस्थान को भी केन्द्र सरकार विशेष राज्य बताते हुए 90 प्रतिशत अनुदान उनको देना चाहिए और खासकर विशाल क्षेत्रफल, मरुस्थलीय भू-भाग, जल संसाधनों की अत्यधिक कमी, आबादी का कम घनत्व, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, अनियमित एवं अनिश्चित मानसून पर निर्भरता, बार-बार अकाल की समस्या, लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा इस तरीके के जो कोस्ट आफ डिलीवरी है, वह बहुत ज्यादा अत्यधिक आती है, छितराई हुई ढाणियों के कारण।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट जेजेएम के अन्दर यह कहना चाहूंगी कि इसके अन्दर पहले 70 एलपीसीडी वाटर था, मरुस्थलीय एरिया के लिये, बाकियों के लिये 40 था। अब इन्होंने जेजेएम के लिये 15 एलपीसीडी पेन इंडिया पेन कर दिया है। 30 एलपीसीडी एक्स्ट्रा एटलीस्ट रेगिस्तानी एरियाज के लिये होना चाहिए। एक जो यह बार-बार कह रहे हैं कि जेजेएम का पैसा आ रहा है, ये हो रहा है, आप कुछ कर नहीं रहे, सब कुछ वहां से आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं? एक चीज जो उन्होंने कही है कि जितनी भी पाइप वाटर स्कीम्स है, उनको retrofitting proportion करके, कम्प्लाइन टू जेजेएम करके आप 31 मार्च, 2021 तक करिए, जिसके अन्दर 43 हजार विलेजेज में से 26 हजार विलेज में ये होना बाकी है। अगर 31 मार्च तक यह नहीं आएगा then we'll not get funds और एक ह्यूज लोस स्टेट को होगा। मानवीय दृष्टिकोण आपको रखना चाहिए। There's one

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

more point, जो मैं जेजेएम में कहना चाहती हूं कि इस कार्यक्रम में ग्रामीणों का 10 प्रतिशत हिस्सा राशि अनिवार्यत: जोड़ी गयी है। इस क्षेत्र में जब गरीब किसान ढाणियों में बसते हैं तो प्रति घर ये हिस्सा राशि लगभग 10 हजार भी आ सकती है। यह गरीब कृषक द्वारा दे पाना कठिन होगा। इस कारण से यह योजना वंचित रह जाएगी। इसके अन्दर मानवीय दृष्टिकोण रखकर बहुत सारे सुधार हैं, समय का अभाव है, मुझे पिछली बार पेयजल के ऊपर दो मिनट दिये थे और मैंने सदन से वाक आउट कर दिया था। इस बार थोड़ा-सा दिल आपने उदार रख दिया।

माननीय सदस्य जो चूरू से आते हैं, उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा था। गालिब के खतूत का उन्होंने हवाला नहीं दिया क्योंकि वह खतूतों के डंक से डसे हुए थे और यही खतूत, इन्हीं खतूत वालों को प्रधान मंत्रीजी ने भी अश्क भर आंखों से रुखसती दी लेकिन किसानों को श्रद्धांजलि न दे सके। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से भी पानी हम जाने नहीं देंगे, “Blood and water cannot flow together”, प्रधान मंत्रीजी ने कहा था कि ये किसानों के हक का पानी है और हम पाकिस्तान नहीं जाने देंगे। उस पर कुछ नहीं कर पाए। किसानों के प्रति आप क्या कर रहे हैं? आप कितना रखते हैं? ये आपका चरित्र दिख रहा है। आप कीलें लगा रहे हैं, झूठे केस कर रहे हैं, लट्ठ बजा रहे हैं, but, the truth is, the flow of blood can be stopped, but water will continue to flow. आपको बहुत हम्बली अपने फेलियर को एक्सेप्ट करना चाहिए। पानी समुद्र में हो या आंखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। मैं सदन में आई हूं, अभी कोई मिर्ची की बात कह रहे थे कि हमारे यहां बहुत सब्जियां होती हैं हमारे यहां विश्व प्रसिद्ध मिर्ची होती थी और वह ब्लाक बिलकुल ही एक्सप्लाइटेड हो गये तो इसलिये मिर्ची नहीं होती लेकिन उस मिर्ची का काम मैं कर देती हूं स्वयं ही। मैं शिव मंगल 'सुमन' की यह बात पढ़ना चाहूंगी:-

यह हार एक विराम है,
जीवन महासंग्राम है,
तिल-तिल मिटूंगा पर दया की भीख मांगूंगा नहीं,
वरदान मांगूंगा नहीं,
क्या हार है, क्या जीत में,
किंचित नहीं भयभीत मैं,
संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही, वह भी सही
वरदान मैं मांगूंगा नहीं।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

इस सदन में आयी हूं तो बहुतों को पानी पिलाकर आयी हूं। आपने संक्षेप में समय दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या 27-पेयजल योजना के सम्बन्ध में बोलना चाह रहा हूं। मैं धन्यवाद भी दूंगा मंत्री साहब को। इस सदन में सबसे सुलझे हुए मंत्री, संजीदा मंत्री और अनुशासित मंत्री हैं। आज की तारीख में खाचरियावास साहब और राठौड़ साहब से भी जवान लग रहे हैं। (व्यवधान) 100 परसेंट, अगर पूरा आंकलन किया जाए। सभापति महोदय, थोड़ा टाइम जरूर देना। मेरे विधान सभा क्षेत्र में, 13 पंचायतों के ...

श्री सभापति: कहो तो दूसरी घड़ी यहां लगा दूं लेकिन टाइम नहीं है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): 23 करोड़ 96 लाख रुपये जल जीवन मिशन के अन्तर्गत मंजूर किए, मैं धन्यवाद दूंगा। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री साहब के बंगले पर गया था, 07.07.2020 को 50 हैडपम्प और 10 सोलर पम्प, आपने मुख्य अभियंता ग्रामीण को लिखा, आपने स्वीकृति करके आदेश दिया, अभी तक आपके मुख्य अभियंता ग्रामीण ने स्वीकृति नहीं निकाली, उसके लिये बड़ा खेद है।

दूसरा, मैं यह भी कहना चाहूंगा, सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र है। 50 साल पुरानी पाइपलाइन, टंकियां, यह सब हैं। 27.11.2019 से एफसी में फाइल 497 लाख 54 हजार की पड़ी हुई है। उसके लिये भी आपसे निवेदन है कि आज घोषणा करें।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है सोम कमला अम्बा बांध से सलूम्बर व सराड़ा के 84 गांवों के लिये 2006-07 में स्कीम बनी थी, पूरी पाइपलाइन सीमेंटेड थी। वह पहाड़ी क्षेत्र भी है, टूट-फूट जाती है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत इस एरिया को जोड़ें।

इसी तरह जावद अदवास सेमाल की 2005 में स्कीम बनी थी, मेवल क्षेत्र की थी जयसमन्द से बनी थी। बहुत से गांवों में पानी नहीं पहुंचा है उसको जल जीवन योजना के अन्तर्गत जोड़ा जाए।

(श्री अमृतलाल मीणा)

इसी तरह जयसमन्द से सराड़ा क्षेत्र के 33 गांवों की योजना बनी थी, वह भी सीमेंटेड थी, 24 घंटे चलने वाली थी लेकिन उक्त योजना में सीमेंटेड के पाइप होने की वजह से पूरी तरह पानी नहीं मिल रहा है। मेरा माननीय पीएचईडी मंत्री साहब से निवेदन है, जयसमंद झील के किनारे 93 गांव बसे हुए हैं। 72 गांव सलूम्बर तहसील के और 21 गांव लसाड़िया पंचायत समिति के हैं। जयसमंद झील बहुत बड़ी है। आप वहां पधारे भी होंगे, देखा भी होगा। बॉम्बे के समुद्र की तरह अगर अपन टहलते हुए देखें, जयसमन्द झील प्राकृतिक मानव निर्मित झील है। उस झील के किनारे 93 गांव जो निवास कर रहे हैं उनको अभी तक शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। बहुत से गांव, बहुत-सी पंचायतें, जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बची हुई पंचायतों को भी करने का मुझे भरोसा है। इसके अलावा विधान सभा क्षेत्र की जो ग्राम पंचायतें इस योजना से वंचित रह गई हैं, उनको भी जल जीवन में जोड़ा जाए। जल जीवन मिशन में जन सहभागिता का मामला है। पूरा जनजाति क्षेत्र है, ट्राइबल बैल्ट है। दस परसेंट सहभागिता के अन्दर कोई देने वाला नहीं है, क्योंकि पूरा ट्राइबल है। इस योजना के विभाग के माध्यम से या टीएडी के माध्यम से, कैसे भी करके आप उस क्षेत्र को पानी पिलाने की योजना बनाएं। सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना जयसमंद झील से उदयपुर पाइपलाइन पिछले बजट में 251 करोड़ की स्वीकृत की। जगह-जगह पाइप लीकेज होने की वजह से नुकसान हो रहा है, उसके लिये आप जल्दी से जल्दी उच्च अधिकारियों को निर्देश दें ताकि उसका काम हो। पंचायत समिति मुख्यालय सेमारी में सहायक अभियंता का कार्यालय खोला जाए।

अन्त में, जो वंचित हमारी ग्राम पंचायतें रही हैं, मेरे पूरे विधान सभा क्षेत्र में दो उपखण्ड हैं, पांच तहसीलें हैं। वंचित ग्राम पंचायतें जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जो नहीं जुड़ पाई हैं, आप कृपा करके, पंचायतों का नाम है गुडेल, ईडाणा जी, जवारडा, कांट, ओडवारिया, प्रतापपुरा, कडूणी है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माकडसीमा, गामडापाल, चिबोडा, खैराड, ईसरवास, डाल, धारोद, सेरिया, थड़ा, बस्सी सामजोत, बस्सी झूझावत, आमलोदा, समोडा, डगार, लाम्बी डूगरी, नोली-पारोडा, चन्दोडा-सुरखेडा, रठोडा-पाल सराडा, ईटाली-बाणा खुर्द, बडावली-बाडाकला, मल्लाडा-नावडा, बड़गांव-नालनकार, सराड़ा, कातनवाडा, चावण्ड, थाणा, झाडोल, श्यामपुरा, नठारा,

(श्री अमृतलाल मीणा)

सर्सिया, पीलादर, अमरपुरा, पलोदड़ा, धावरिया, देवपुरा, पाडला, नैवातलाई, सिघरवाड़ा, केवडा ओर ओडा, मेरा निवेदन है कि इन पंचायतों को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जोड़ें। (व्यवधान)

कोई दो राय नहीं है, आप बिलकुल काम करते हैं। आपके प्रति सदन को पूरा भरोसा है। थोड़ा हमारा टकराव धारीवाल साहब के साथ जरूर हो जाता है। बाकी इनकी उम्र भी हो गई है। उस उम्र के हिसाब से, धारीवाल साहब, मेरी भी 62 साल हो गई है। आपकी कम से कम 70 या 80 होगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 90 है।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): 90 है तो फिर उलझना ही सही है। आपका उलझना सही है, क्योंकि बालकपना आ जाता है तो उसमें उलझना ही पड़ेगा।

मेरा पीएचईडी मंत्री जी से निवेदन है कि 50 हैडपम्प और 10 सोलर पम्प ...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): 07.07.2020 को स्वीकृत किए, इनके अधिकारियों ने बार-बार झांसा देकर, एक मंत्री जी की अवहेलना करना ठीक नहीं है। अधिकारियों को सोचना चाहिए। पूरे राजस्थान के पीएचईडी मिनिस्टर हैं, अच्छे मिनिस्टर हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): सलूम्बर में 497 लाख की...

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करें। श्रीमती इन्द्रा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): धन्यवाद।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27-पेयजल योजना के अन्तर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करना चाहूंगी, 9 ग्राम पंचायतों में, 22 गांवों में 11 पेयजल स्कीम 27 करोड़ 69 लाख रुपये की स्वीकृत हुई हैं उसके लिये माननीय मंत्री महोदय व सीएम साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र ब्लाक बौंली में, जो कि ईसरदा डैम योजना से जोड़ा गया है, उसमें 100 गांव जोड़े गए हैं। ईसरदा डैम का कार्य, समय का पता नहीं कि

(श्रीमती इन्द्रा)

कब पूर्ण होगा लेकिन अभी प्रजेंट में 60 से 70 गांव ऐसे हैं, जिनको तत्काल पानी की आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि ईसरदा डैम की स्कीम, जब बनकर तैयार हो जाएगी, उसके बाद वह गांव जुड जाएंगे लेकिन अभी छोटी-छोटी स्कीम बनाकर, उनको हम पानी पिलाना चाहते हैं, आप इसकी स्वीकृति दिलाकर, छोटी-छोटी स्कीम स्वीकृत करने की कृपा करें ताकि बौंली के जो 60-70 गांव पानी से वंचित हैं, उनमें पानी की बहुत बड़ी समस्या है, उस समस्या का समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, ब्लाक बौंली के अन्दर, कस्बे के अन्दर, बीसलपुर बांध से पानी सप्लाई किया जा रहा है। पर-डे 10 लाख लीटर पानी स्वीकृत है, लेकिन अभी जो पानी आ रहा है सवा सात लाख लीटर। कई बार हमने इसके लिये बोला भी है लेकिन यह पानी बढ़ाते नहीं हैं। हम चाहते हैं 10 लाख लीटर पानी है, वह 15 लाख लीटर होना चाहिए, तब जाकर बौंली कस्बे की सप्लाई सम्पूर्ण हो पाएगी और इस समस्या का समाधान हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, सवाई माधोपुर ज़िले का सबसे बड़ा उपखण्ड बौंली है, जिसमें 02 पंचायत समिति आती हैं। उपखण्ड के अन्दर सहायक अभियंता का कार्यालय, जो सवाई माधोपुर में चलता है, इतना बड़ा उपखण्ड होने के बावजूद एईएन सवाईमाधोपुर बैठता है। बहुत दिक्कत आ रही है, कई बार हमने लिखकर दे दिया है। मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहेंगे कि हमने कई बार इसके लिये बोला है लेकिन उपखण्ड बौंली में एईएन नहीं बैठ पा रहा है, जबकि एईएन आफिस वहां स्वीकृत है। केवल सवाई माधोपुर नाम से चल रहा है। उसको सवाई माधोपुर बैठना पड़ता है, तो क्षेत्र के अन्दर बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इतना बड़ा क्षेत्र है और एक एईएन. वहां बैठता नहीं है, तो कार्यालय का स्थानान्तरण करने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से हम निवेदन करना चाहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, बामनवास ब्लाक में तीन कनिष्ठ अभियंताओं के पद स्वीकृत हैं, जिनमें से दो रिक्त हैं। कृपया इनको लगवाने की कृपा करें ताकि अव्यवस्थाएं नहीं फैलें और क्षेत्र की जो पानी की प्राब्लम है, वह सुचारु हो सके।

माननीय सभापति महोदय, विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ब्लाक

(श्रीमती इन्द्रा)

बौंली में अधिशासी अभियंता कार्यालय खोला जाए क्योंकि मेरा विधान सभा क्षेत्र बामनवास है, उसमें बामनवास है जो गंगापुर में लगता है और बौंली सवाई माधोपुर में लगता है। इससे बड़ी दिक्कत होती है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और हमें भी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि दो-दो एक्स.ईएन. को फोन करना पड़ता है और उनसे बार-बार कहकर स्कीम वगैरह और कई सारी चीजों के लिये बोलना पड़ता है। मैं चाहती हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अधिशासी अभियंता का नया कार्यालय स्वीकृत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, ब्लाक बामनवास की ग्राम पंचायत ककराला में और उसके आसपास कई सारे गांवों में वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। यह पहाड़ी क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का 40 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी है। मैं चाहती हूं कि पहाड़ी क्षेत्र में एनीकट्स का निर्माण कराया जाए ताकि वाटर लेवल बढ़ सके। अत: ककराला, भेडोली और गोठड़ा में सोलर पनघट योजना स्थापित की जाए। साथ ही ककराला और आसपास के गांवों में एनीकट बन जाएं तो और ज्यादा अच्छा होगा।

माननीय सभापति महोदय, ब्लाक बामनवास की क्षेत्रीय योजना सकीपुरा-बानोर में पानी की पाइपलाइन काफी पुरानी हो चुकी है। दिनों-दिन लीकेज होते रहते हैं। अत: सर्वे करवाकर इन पाइपलाइनों को दुबारा से बदला जाए, ताकि गांवों के अन्दर जो पानी की प्राब्लम्स हैं, उनका समाधान हो सके। इसके अलावा वर्तमान में कुएं से पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, जो कि अपर्याप्त है।

माननीय सभापति महोदय, बामनवास तहसील के अधिकतर गांवों का भूजल नीचे जा चुका है, जिससे कई गांवों में, जैसे कोहली प्रेमपुरा, पिपलाई, बामनवास पंचायत सकीपुरा के गांव गंडाल पंचायत, पानी की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। सम्पूर्ण तहसील को चम्बल-नादौती योजना से जोड़ा हुआ है। उस कार्य में सालों बीत चुके हैं लेकिन वह कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हो रहा है। अत: आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि यह चम्बल जो प्रोजेक्ट है, इससे बामनवास के जो बाकी गांव हैं, उनको अतिशीघ्र जोड़ा जाए ताकि लोगों की पानी की समस्या का समाधान हो सके।

माननीय सभापति महोदय, ग्राम पंचायत नारोली चोड़ के दो गांव, भंवरकी और नारोली; ग्राम पंचायत सांचोली के आठ गांव, सांचोली, महरावण, माधोपुरा, आबादी की ढाणी, अरामपुरा, ठीकरिया, सुखानंदपुरा और चक उदयरामपुरा ...(व्यवधान)

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): एक ही मिनट में कर रही हूं, सभापति महोदय।

ग्राम पंचायत सूंदरी के तीन गांव, सूंदरी, मीना ठीकरी और रामसिंहपुरा; पंचायत बरनाला के दो गांव, काजी गूंडली और गोठ इत्यादि के लिये जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल योजना की मोरेल नदी से स्वीकृति की गई है। इससे क्षेत्र में पानी का अभाव होगा। क्षेत्र में इन योजनाओं के कारण पानी का अभाव होगा। मोरेल नदी का पानी प्रतिवर्ष बहुत सारा बह जाता है। मैं चाहती हूं मोरेल नदी के ठीकरिया के पेटे में एक एनीकट का निर्माण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इससे वाटर लेवल कृषि और पेयजल के लिये पर्याप्त हो सकेगा। इसका तकमीना 16.95 करोड़ का तैयार किया जा चुका है।

श्री सभापति: श्री बाबूलाल खराड़ी।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अत: मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगी कि यह जल्दी से स्वीकृत किया जाए ताकि जनता की पानी की समस्याओं का समाधान हो सके।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल विश्नोई। श्री बिहारीलाल विश्नोई।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): इसके बाद 15 से 30 साल तक हमको पानी की समस्या का समाधान मिल सकेगा। धन्यवाद, नमस्कार।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापतिजी, पेयजल योजना, मांग संख्या 27 पर 27वें नम्बर पर बोलने का मौका देने के लिये धन्यवाद।

अगर ए नाखुदा तूफां से लड़ने का दमखम है,

इधर कश्ती न ले आना, यहां पानी बहुत कम है।

आदरणीय कल्लाजी, जिस धरती से आप आते हैं, जिस धरती से मैं आता हूं, वहां घी तो मिल जाता है लेकिन पानी देखने को नहीं मिलता है। पुरखों ने पानी को सहजने की बहुत बड़ी परम्परा वहां विकसित की। समय के साथ-साथ उसको हम भूलते गये। आज पानी की बूंद-बूंद के लिये हमारा क्षेत्र तरस रहा है। पानी है नहीं, और बहुत गहरा है। फ्लोराइडयुक्त है, बहुत भारी पानी है, जिसको जानवर भी नहीं पी सकता है।

आदरणीय कल्लाजी, इस सदन में विधायक के रूप में जनता ने आशीर्वाद देकर भेजा तो जब भी मौका मिला, पानी पर चर्चा हुई या अलग-

(श्री बिहारीलाल)

अलग मौके पर हमारे नोखा की नहरी पेयजल परियोजना की मांग हमने आपसे रखी, सरकार से रखी।

माननीय प्रधान मंत्रीजी ने दुबारा प्रधान मंत्री बनने के बाद 15 अगस्त, 2019 को लाल किले से जल जीवन मिशन की घोषणा की। उसी के तहत आप दोनों के सहयोग से, केन्द्र और राज्य के सहयोग से यह बहुत अभूतपूर्व योजना कि 2024 तक का सपना, घर-घर नल से जल पहुंचे। 20 फरवरी, 2020 को आपने बजट पेश किया, मुख्य मंत्रीजी ने दूसरा बजट पेश किया। 23 फरवरी, 2020 को आप मुख्य मंत्रीजी के साथ नोखा मुकाम पधारे तो वहां लाखों लोगों की उपस्थिति में नोखा, जिसकी बहुत लम्बे समय से मांग थी, जिसका वसुन्धराजी ने हमारे हिस्से का 59 एम.एल.डी. पानी देशनोक तक लाकर रिजर्व कर दिया था। उस पानी को नोखा की ढाणी तक, गांव तक, एक-एक घर तक लाने की मांग लाखों लोगों की उपस्थिति में मुख्य मंत्रीजी के सामने हमने आपसे की। चार दिन बाद, नोखा की धरती का चमत्कार मानें, आपका, उस वक्त तो हम, जब-जब पानी की मांग होती तो हम कहते थे, बीकानेर से आते हैं और आप भी बीकानेर से आते हैं, इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं और बीकानेर में, धारीवालजी, हमारे वहां कहा जाता है ऊपर उल्ला नीचे कल्ला, तो हमने यहां कहा। कल्लाजी ने हमारी बात को गौर से सुना। प्रधान मंत्रीजी की योजना, कल्लाजी की, दोनों की सहभागिता से योजना, तो 27 फरवरी, 2020 को बजट रिप्लाई में मुख्य मंत्रीजी ने, कल्लाजी ने हमें डी.पी.आर. बनाने के पैसे देने की घोषणा की। अब 362 दिन बाद, 24 फरवरी, 2021 को तीसरा बजट आया। उसमें बिन्दु संख्या 177 पर 750 करोड़ की नहरी पेयजल योजना नोखा को देने का आपने काम किया। उसके लिये मैं आपको धन्यवाद करता हूं। हमारा पानी उसमें रिजर्व रखा। मुख्य मंत्रीजी का भी धन्यवाद करता हूं और पूर्व मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी का भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे हिस्से का पानी रखा और आपने हमें यह परियोजना दी। हमारे जलशक्ति मंत्री गजेन्द्रसिंहजी का, माननीय प्रधान मंत्रीजी का, सबका धन्यवाद करता हूं।

एक आग्रह भी आपसे करता हूं, कल्लाजी, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। आप हमारी इस परियोजना को, इस बजट घोषणा की इसी वित्तीय वर्ष में एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल सैंक्शन कर देंगे, टैक्निकल सैंक्शन कर देंगे, टेंडर प्रोसेस पूरा कर देंगे और काम करना शुरू कर देंगे तो

(श्री बिहारीलाल)

नोखा वाले यह भी कहेंगे कि कल्ला है तो जल है, और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करेंगे। यह महत्वपूर्ण मांग हम आपसे करते हैं।

माननीय कल्लाजी, विभाग की जो स्थिति है, नोखा में 12 जे.ईएन. में से 4 काम कर रहे हैं। मंत्रालयिक कर्मचारी 37 में से 17, मतलब 20 खाली; तकनीकी कर्मचारी 37 में से 17, अर्थात् 20 खाली हैं।

माननीय कल्लाजी, गर्मी का समय आ रहा है। इस योजना को हम चाहते हैं आप स्पीड से लागू करें, तो भी बहुत समय लग जाएगा। गांव-ढाणियों में ट्यूबवैल खराब हो जाता है तो मोटर सबमर्सिबल पम्प बदलने के लिये 7-7 दिन नहीं, 15-15 दिन, एक-एक महीना, दो-दो महीने, तीन-तीन महीने लगा देते हैं। पशुधन के पीने के लिये पानी रहता है। आमजन की तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिये इस व्यवस्था को भी दुरुस्त करने का काम, आदरणीय कल्लाजी, करिये। महकमे में अधिकारी और तकनीकी कर्मचारी भी बढ़ाइये और जो पम्प आपरेटर और ट्यूबवैल चलाने के लिये ठेके व ठेकेदार की व्यवस्था, संवेदक के माध्यम से जो अभियान चला रखा है, उसमें गांव के आमजन को तो छोड़िये, सरपंच को भी यह पता नहीं है कि मेरे यहां पी.एच.ई.डी. के ट्यूबवैल को चलाने वाला पम्प आपरेटर कौन है और किसका ठेका है। इसलिये आप उनको जब भुगतान करें तो कम से कम, पंचायत का मुखिया होता है सरपंच, उससे फिजिकल वैरिफिकेशन भी करवाएं ताकि वहां पम्प आपरेटर कौन है, क्या है, यह सारी स्थिति का पता चले। केबल भी फाल्ट हो जाती है, एक-एक पाइप के लिये भी मोहताज रहना पड़ता है, इसलिये हमारे डिपार्टमेंट ने, कनिष्ठ अभियंता कार्यालय, जसरासर ने आने वाले गर्मी के मौसम में सबमर्सिबल पम्पों को बदलने के लिये 49 लाख की एक स्कीम आपको भेज रखी है। आप अपने चीफ इंजीनियर से कहियेगा कि उसको स्वीकृत करें, गर्मी में राहत मिलेगी। आदरणीय मंत्रीजी, जल जीवन मिशन की इतनी बड़ी योजना आपने सैंक्शन कर दी, उसको अमली जामा पहनाइये, यह आपसे मांग करते हैं।

जनता जल योजना हमारे वहां नहीं है लेकिन उसी तरह की एक योजना में बरसों से दर्जनों लोग काम कर रहे हैं, जिनको पांच सौ रुपये का भी भुगतान आज तक नहीं हुआ है। हाई कोर्ट से उनके आदेश आ गये। मिनिमम वेजेज देने के आदेश आ गये। फाइल आपके पास पड़ी है, आपके अधिकारियों के पास पड़ी है और अभी भी उनका भुगतान नहीं हुआ है तो उन अल्प वेतन-

(श्री बिहारीलाल)

भोगी कर्मचारियों को मिनिमम वेजेज जो हाई कोर्ट का आदेश है, उसको लागू करने का काम करिए।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा कि कर्मचारियों को, सभी जो संवेदक के माध्यम से लगे, उनके नम्बर डिसप्ले हों, जनता को उनके नम्बर पता चलें और 12 घंटे में गर्मी के मौसम में दुरुस्त करने का कार्य करें। माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राकेश पारीक।

श्री राकेश पारीक (मसूदा): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 27-पेयजल के बारे में बोलने का जो आपने मौका दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं मसूदा विधान सभा क्षेत्र से आता हूं और मेरे विधान सभा क्षेत्र में बीसलपुर योजना से मेरा क्षेत्र जुड़ा हुआ है कागजों में। आप यह देखेंगे कि किसी जमाने में मेरे भिनाय में अधिशासी अभियंता का कार्यालय हुआ करता था। अभी मेरे इलाके में मैं मंत्री महोदय से यह आग्रह करूंगा कि मेरे वहां पर जितनी भी पोस्ट्स खाली हैं जे.ईएन. और ए.ईएन. की, अभी एक आदमी है फोन करने के लिये जो ब्यावर में एक्स.ईएन. बैठता है कोई जैमन, उसके अलावा, वह कहता है कि साहब, इसको भराओ तो सही डिपार्टमेंट में और वह पथरीला इलाके में कोई कर्मचारी जाना भी नहीं चाहता है तो मैं मंत्रीजी से यह आग्रह करूंगा कि जहां भी राजस्थान में जो भी आप लगाना चाहो, इन अधिकारियों को लगाओ जिससे मेरा इलाका मगरे का इलाका है, देखिए आप, उस मगरे के इलाके को बीसलपुर परियोजना से हमने जोड़ तो दिया लेकिन न खरवा में पानी पहुंचता है, न पीपलाज में पानी पहुंचता है। मगरे की तमाम पंचायतों में पाइपलाइन गड़ी हुई है, टंकियां भी बनी हुई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं है।

उसके बाद दूसरा इलाका मेरे विजयनगर साइड में आता है, विजयनगर की करीब सवा तीन करोड़ की स्कीम मंत्री महोदय आपके कार्यालय में आयी हुई है, उसको आप सैंक्शन कराएं। मैं यह धन्यवाद करूंगा कि आपने पांच बोरिंग गये साल करवाये जिससे पानी की कुछ विजयनगर में, शहर में व्यवस्था है। नीचे के जो गांव आ गये हमारे दांधा का खेडा, कनई, निमेड़ा,

(श्री राकेश पारीक)

केरोट, जैतपुरा, कालोराई, बड़ली, शोभड़ी, इन तमाम गांवों में पीने के पानी की भयंकर किल्लत है और जैसे-जैसे यह गर्मी का मौसम आ रहा है, इस गर्मी के मौसम में और किल्लत बढ़ेगी। आज हैंडपम्प मिस्त्रियों की जो मैं दिन भर से सुन रहा था, वह की वह हालत मेरे भी विधान सभा क्षेत्र में है। अब नये लोग, यह टैक्निकल लोग हैं, इनको संविदा-कर्मियों की तरह रख लो, बाकी अस्पतालों में और सब जगह पर यह जा रहे हैं तो यह आपके पोलिटैक्निक करे हुए है और टैक्निकल बच्चे हैं इनको रखो, आप कम से कम संविदा के रूप में इनको रखो जिससे लोगों का वहां पर काम हो सके।

आप यह देखेंगे कि मेरे यहां पर एक पंचायत ऐसी है जिसका विधायक और सांसद तो अजमेर का चुना जाता है और उसका सारा नियंत्रण, जिला परिषद्, पंचायती राज सारा का सारा भीलवाड़ा हुरड़ा में आता है। वह कानिया ग्राम पंचायत, मैं आपसे यह मांग करूंगा कि चम्बल योजना में उस कानिया ग्राम पंचायत को जोड़ा जाए जिससे वहां की जनता को लाभ हो सके।

मैं तो आपसे यह मांग करूंगा कि मेरी विजयनगर जो तहसील है, विजयनगर तहसील के तमाम गांवों को आप इस बीसलपुर से बचाकर, इस बीसलपुर के पीछे तो वैसे भी बहुत पड़े हैं, चारों तरफ के यह जिले लग गये, जब यह बीसलपुर योजना बन रही थी, उस बीसलपुर योजना को ले जाने वाले बहुत हो गये तो मैं आपसे यह मांग करूंगा कि मेरी यह जो तहसील विजयनगर है, इस विजयनगर कस्बे को और इस विजयनगर तहसील को आप चम्बल योजना से जोड़ दें तो आपका भगवान बहुत-बहुत भला करेगा।

बोलने के लिये बातें बहुत थीं लेकिन आखिरी एकाध वक्ता और होंगे लेकिन मेरी बोलने की बहुत बातें हैं, मैं लिखकर आपसे मिलूंगा। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और सी.एम. साहब का धन्यवाद करूंगा कि आपने 40 हैंडपम्प और 10 सोलर पम्प दिये। अब 247 गांव हैं, मेरा आपसे यह आग्रह है कि यह 40 है, इनको तो 80 कर दो और यह जो 10 है उसका, धारीवाल साहब, आप भी सिफारिश कर दो, यह जो 10 है उनका 20 कर दो और पूरे सदन की तरफ से मैं यह मांग करता हूं कि 40 से 80 कर दो और पूरा सदन आपसे यह मांग करता है, जनता आपको दुआ देगी। धन्यवाद, जय हिन्द, राम -राम, साहब।

श्री सभापति: श्री गुरदीप। श्री शंकर सिंह रावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): गुरदीपजी बोल रहे हैं।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र संगरिया के अन्दर जितनी भी पंचायतें हैं उसके अन्तर्गत, 60-70% पंचायतों के अन्दर वाटर वर्क्स 20-25 साल पुराने बने हुए हैं, जर्जर हालत में हैं। मैं यह मांग करता हूं कि इनको जल जीवन मिशन योजना के अन्दर जोड़कर इनका मेंटीनेंस करवाया जाए और मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर ढाणियों की संख्या बहुत ही ज्यादा है, 30 परसेंट के करीब ढाणियां हैं उनको भी इसके अन्दर जोड़ा जाए क्योंकि मंत्री महोदय हमारे हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी भी हैं। मैंने वहां पर भी यह मांग उठाई थी, जो ढाणियों के अन्दर हम MLA कोटे से पेमेंट कराना चाहते हैं तो हमारे को पी.एच.ई.डी. विभाग एन.ओ.सी. नहीं देता है। 2001 की जनगणना के अन्दर वाटर वर्क्स की जो ढाणियों की संख्या थी, उस समय बहुत ही कम ढाणियां थीं, अब ढाणियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गयी इसलिये इन ढाणियों को भी उसके अन्दर जोड़ा जाए और मेरे संगरिया शहर के अन्दर जो वाटर वर्क्स बना हुआ है, बहुत पुराना वाटर वर्क्स बना हुआ है, उसके लिये मैं यह मांग करता हूं कि पचास हजार की आबादी है, वहां पर नया वाटर वर्क्स बनाया जाए और वहां पर साथ ही लगती हुई जमीन सिंचाई विभाग की है, जो वहां एक कालोनी हुआ करती थी और एस.डी.ओ. का आफिस हुआ करता था, आज वह जमीन खाली पड़ी है। मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि वह जमीन पी.एच.ई.डी. विभाग को देकर वहां नया वाटर वर्क्स बनाया जाए और वहां मेरे वार्ड नम्बर 28 के अन्दर, संगरिया के अन्दर एक टंकी बनी हुई थी, वह 2011 के अन्दर बनाई गयी थी और जब लॉकडाउन लगा उस समय वह टंकी बिलकुल नीचे गिर गयी और पांच-छह वार्ड उसके अन्दर थे, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33 वार्ड है, उनके अन्दर पानी की सप्लाई में बड़ी दिक्कत आ रही है तो वह टंकी दुबारा बनाई जाए और जिन अधिकारियों ने उस टाइम ऐसी टंकी बनाई थी, उनके खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जाए।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के जो गांव पड़ते हैं वह वहां पर वाटर वर्क्स जो है, उनको सिंचाई का अपना नहर का पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर पहले ट्यूबवैल लगे हुए थे, ट्यूबवैल्स का पानी वहां पर दिया जाता था और अब पानी का जो जल स्तर है वह नीचे चला गया और पानी खारा हो गया, उनको भी नहरी पानी से जोड़ा जाए और वहां पर नए वाटर वर्क्स बनाये जाएं। वह

(श्री गुरदीप सिंह)

करीब पन्द्रह पंचायतें हैं। मसीतावाली, सुरेवाला, फतेहपुर, शेरगढ़, मानकसर, खोड़ाथेड, टिब्बी, तलवाड़ा, राठीखेड़ा, सलेमगढ़ मसानी, कमरानी, पीरकामडिया, पन्नीवाली, उसके अलावा मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो वाटर वर्क्स पंचायतों को सौंप रखे हैं जो बिजली का बिल पंचायत भरती है, वहां पर पंचायतों के पास कोई निजी आय नहीं है, हर दो महीने में कनेक्शन कट जाते हैं और हम एक्स.ईएन. से, एस.ई. से हाथ-पैर जोड़कर उनका दुबारा कनेक्शन जुड़वाते हैं तो उनका जो बिल है वह भी पी.एच.ई.डी. विभाग भरे। वहां की पंचायत के पास कोई इनकम नहीं है इसलिये वहां पर उनको राहत मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती कृष्णा पूनियॉ, श्री जगदीश चन्द्र, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्रीमती गंगा देवी, श्री हाकम अली खां, श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, श्रीमती मनीषा पंवार, श्रीमती मंजु देवी, श्री शंकर सिंह रावत, श्री हरेन्द्र निनामा, इन सबको अपने-अपने उद्बोधन टेबल करने की इजाजत देता हूं। श्री बीडी. कल्ला।

(माननीय सदस्य श्रीमती कृष्णा पूनियॉ, श्री जगदीश चन्द्र, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्रीमती गंगादेवी, श्री हाकम अली खां, श्री जोगिन्दर सिंह अवाना, श्रीमती मनीषा पंवार, श्रीमती मंजु देवी, श्री शंकर सिंह रावत, श्री हरेन्द्र निनामा द्वारा सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये लिखित वक्तव्य के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आज सदन के माननीय सदस्यों ने, लगभग पचास माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार रखे और कई, तीन-चार माननीय सदस्यों ने सदन की मेज पर अपना उद्बोधन रखा, इसके लिये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बड़े उपयोगी सुझाव दिये और जलदाय विभाग से सम्बन्धित उन्होंने समालोचना भी की। मैं उन सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

मांग संख्या 27-पेयजल निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है और इसके बारे में हमारे यहां कहा गया है कि- पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितम्। मूढै: पाषाण खण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते।। इसका अर्थ यह है कि जल, अन्न और सुभाषित, यह तीन ही रत्न हैं। बाकी मूढ़ लोग पत्थर के टुकड़े को, पाषाण को रत्न समझ रहे हैं इसीलिये हमारे पुरखों ने, मनीषियों ने हमेशा जल को, प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से एक समुन्नत तरीके से उनको संरक्षण करके रखा।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

(20.00 बजे)

मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने यह बात कही थी कि घी मिल सकता था, घी के गिरने पर कोई नाराज नहीं होता था, लेकिन जल के अपव्यय पर बुजुर्ग लोग रूष्ट हो जाते थे और गुस्सा करते थे। जल रत्न है और जैसे कहा गया है –

राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उलटी रीत।

डरते रहिये 'परसराम', थोड़ी पालैं प्रीत॥

हमारे वेदों में खास तौर से कहा गया है-

'सूर्यो देवता, चन्द्रमा देवता, वसवो देवता।

रूद्रा देवता, दित्या देवता, वरूणो देवता।।

वरूण यानी जल, इसको देवतुल्य माना गया है। हमारे बुजुर्गों को, यदि हम पितृ पक्ष में अथवा कई लोग ऐसे भी होते हैं, जो 365 दिन जल से तर्पण करते हैं और जल से तर्पण करते हैं, उनकी तीन पीढ़ियां पितृ पक्ष की और ननिहाल पक्ष की तर जाती हैं और जो लोग कुएं, बावड़ी या तालाब खुदवाते थे, उनकी सात पीढ़ियां तर जाती थीं। जल का महत्व निश्चित रूप से हमारे शास्त्रों में है, हमारी वैदिक संस्कृति में है और खास तौर से जल ही जीवन है। जल है तो कल है। आप लोगों ने अभी बोला था। यह बात सही है कि जल से ही हमारी खुद की जीवनचर्या चलती है। वनस्पति, औषधि, पशु-पक्षी, जीव-जंतु, समुद्री जीव सभी जल के ऊपर ही उनका सारा जीवन निर्भर करता है इसलिये जल को बचाना आज के युग की आवश्यकता है। मैं जब भी जल के बारे में बोलता हूं तो दो काम करने बहुत जरूरी हैं। एक तो जल का संरक्षण और दूसरा जल की बचत।

माननीय सभापति महोदय, जल का संरक्षण का मतलब, प्रकृति से जो बादल बरसते हैं, उसकी एक-एक बूंद को हमको संचय करके रखना है। इसलिये, जो भी कुएं खुदते हैं, मैंने अपने विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिये हैं कि जहां-जहां कुएं खोदे जाते हैं, वहां जल संरक्षण का काम सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि वर्षा का जल संरक्षित हो सके और कुएं का पानी खूटे नहीं। हमारे यहां मारवाड़ी में कहते हैं न 'खावते खावते कुआं ही खूट जाए' इसलिये जल संरक्षण जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक पानी को सुरक्षित नहीं रख सकेंगे, इसलिये जल संरक्षण बहुत आवश्यक है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

इसी प्रकार कृषि में भी इजरायल पद्धति को हम क्यों महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वह बूंद-बूंद से खेती करते हैं। जड़ में कैसे पानी जाये और उसके नीचे भी फालतू पानी जो निकलकर आता है, जड़ को सिंचित करने के बाद, उसको पुन: उपयोग लेते हैं। इसलिये खेती में भी जल को बचाना जरूरी है। हमारे यहां पहले पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि हर घर में, शहर हो या गांव हो, घर में पानी की जो कुण्डी होती थी, टांका होता था, जलकुण्ड होते थे, उनसे बरसात के पानी का संरक्षण किया जाता था और पूरे वर्षपर्यन्त, बल्कि कई-कई जगह तो डेढ़-डेढ़, दो-दो साल तक वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखा जाता था। कुएं, बावड़ी, तालाब बनाये जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ है, अब जल संरक्षण की जगह जल के दुरुपयोग का जमाना शुरू हो गया है। लोग बाथरूम में शावर के नीचे नहाएंगे और सैकड़ों लीटर पानी का दुरुपयोग कर देंगे। हमारा जो स्नानघर है, वह जल के दुरुपयोग का सबसे बड़ा स्रोत बन गया है। आप मंजन करेंगे, एक गिलास से भी मंजन हो सकता है, टोंटी चलती रहेगी तो 10-12 गिलास फालतू बह जाएगा।

इसी प्रकार हम अपने बाथरूम में यदि छोटी आवश्यकता के लिये दस बार जाएंगे और दस बार में पांच-पांच लीटर पानी का एक तरह से अपव्यय कर देंगे और बड़ी आवश्यकता के लिये जाएंगे तो भी उतना ज्यादा पानी खर्च होगा। मैं सारे माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हमारे अधिकारियों के सहयोग से तमाम गांव और घरों के जितने भी टायलेट्स हैं, उसमें डबल बटन की टंकी लगवाएं, इससे पानी की बचत होगी और हमारा कल सुरक्षित रहेगा। नहीं तो जैसे कई माननीय सदस्य चिंता कर रहे थे कि अगला विश्व युद्ध पानी के कारण होगा और पानी को बचाएंगे तो विश्व युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और कम से कम भारत के लोग सुरक्षित रहेंगे, उनके पास जल की कोई कमी नहीं रहेगी।

जहां तक भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, उसका लगभग 10.4 प्रतिशत राजस्थान में है और भूगर्भ में हमारा जल देश का 1.14 प्रतिशत है। हमारी जनसंख्या देश की जनसंख्या की 5.5 प्रतिशत है और भूगर्भ जल नगण्य है, सतही जल भी करीब-करीब नगण्य के बराबर है। ऐसी परिस्थिति में हमको सबसे पहले यह विचार करना होगा कि राजस्थान के गांवों को, शहरों को, कस्बों को पानी पिलाने के लिये सतही जल लाना होगा। इसीलिये, इस अवसर पर हमारे पुराने नेताओं, विशेषकर मोहनलाल जी सुखाड़िया को याद करना

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

चाहूंगा। उन्होंने गोविन्द बल्लभजी पंत को लाकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत की। आज उससे लगभग 16 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होगी और आप देख रहे हैं कि चूरू, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर इन तमाम क्षेत्र के इलाकों में, जोधपुर में और आगे रोहट-पाली तक पानी पहुंचेगा। वहां तक पानी उपलब्ध होगा। इसी प्रकार यमुना का जल हरियाणा हमको नहीं दे रहा है। सौभाग्य से हमारे राजस्थान के ही केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्र सिंहजी साहब हैं, उनसे हम सब लोग बातचीत करके यमुना का पानी हरियाणा से यदि ले आयें तो शेखावाटी इलाके में पीने के पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। नर्मदा का जल हमारे पश्चिमी राजस्थान, जालौर और इसके आस-पास के क्षेत्र में आया है, उससे भी काफी लाभ मिला है, लेकिन पिछले शासनकाल में जो कम्पनियां वहां पर काम कर रही थीं, एस पी एम एल, गेमन, प्रतिभा, इन्होंने पूरा काम नहीं किया। योजनाएं बहुत अच्छी थीं, लेकिन उन कम्पनियों के बीच में कार्य को अधूरा छोड़ देने से वहां के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया। इसलिये, हम इन तमाम योजनाओं के बारे में पुनरीक्षण कर रहे हैं, इसकी समीक्षा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जितना काम हो गया है, या तो वह कम्पनियां वापस आकर काम करें, नहीं तो किसी को री-साइन्ड करें और इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

इसके अलावा, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को पानी देने वाली स्कीम है। स्वयं प्रधान मंत्रीजी ने लोक सभा के चुनाव के वक्त यह कहा था कि इसको राष्ट्रीय योजना बनाएंगे। हम सब उम्मीद करते हैं कि बहुत शीघ्र माननीय प्रधान मंत्रीजी इसको राष्ट्रीय योजना के रूप में घोषित करें। इससे 13 जिलों को और उनके गांवों को पानी सुलभ होगा। यह 37 हजार 247 करोड़ रुपये की डी.पी.आर. बनाकर हमने उनको भेज रखी है। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस योजना को वह मंजूरी देंगे और इस योजना को मंजूरी मिल जाती है तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि पूर्वी राजस्थान में आने वाले 100 वर्षों में भी कभी पेयजल की कमी नहीं आएगी।

इसके साथ-साथ, ईसरदा प्रोजेक्ट जिससे दौसा को और उसके आस-पास के जिलों को पानी मिलेगा। इसकी स्कीम के अन्तर्गत आगे आने वाले समय में जमवारामगढ़ को भी उस पानी से जोड़ने की योजना है। यह जो स्कीम्स हैं, इनके लिये जल संसाधन विभाग और पेयजल से सम्बन्धित विभाग, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

परवन नदी का पानी हाड़ौती क्षेत्र में आता है। परवन डैम का काम बहुत तेजी से चल रहा है। इन स्थानों पर पेयजल जब सुलभ हो जाएगा तो निश्चित रूप से हाड़ौती क्षेत्र के जो इलाके चंबल के अलावा वंचित है, वहां पर पानी पहुंच सकेगा।

मैं इस अवसर पर खास तौर से यह भी सदन को बताना चाहता हूं कि 2017 में एक सर्वे हुआ था। उसमें राजस्थान के कौन-कौनसे क्षेत्र सेफ हैं, कौन डार्क जोन में हैं, कौन क्रिटिकल है, तो आपको बताना चाहूंगा कि 295 ब्लाक उस समय थे, अब तो ब्लाक्स बढ़ गये हैं। उसके अन्तर्गत 45 ब्लाक्स ऐसे हैं, जो सेफ जोन में आते हैं, 29 सेमी-क्रिटिकल हैं, 33 क्रिटिकल हैं, 185 ओवर एक्सप्लायटेड हैं, अति-दोहित हैं और 3 सेलाइन क्षेत्र में हैं, जिसमें खाजूवाला, तारानगर और रावतसर आता है। पेयजल के लिये विगत 22 वर्षों में राजस्थान में 51 हजार करोड़ से ऊपर की राशि व्यय की जा चुकी है और यह भी हम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि देश के कुल लवणता प्रभावित क्षेत्र जो हैं, उनका 95 प्रतिशत हिस्सा राजस्थान में है और फ्लोराइड प्रभावित क्षेत्र हैं, उसमें 59 प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है। नाइट्रेट प्रभावित क्षेत्र भी देश के 80 प्रतिशत हमारे यहां हैं। इस प्रकार 14 हजार 480 गांव क्वालिटी अफेक्टेड हैं।

सभापति महोदय, इन सबका ध्यान में रखते हुए हमने डिफ्लोराइडेशन प्लांट, आरओ प्लांट वगैरह राजस्थान में लगाये हैं, जिसकी जानकारी मैं आगे दूंगा।

खास तौर से जल जीवन मिशन की 15 अगस्त, 2019 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री जी ने शुरुआत की और मैं सदन से, बहुत ही गम्भीरता के साथ आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि 2013 से पहले जितने भी डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट थे उनमें हमको सौ परसेंट ग्रांट केन्द्र सरकार के द्वारा मिलती थी और 90 परसेंट ग्रांट हमको अन्य हमारे जो जिले हैं उनके लिये मिलती थी, उसको धीरे-धीरे 60:40 किया और जल जीवन मिशन आया तब उसमें 45:45 यानी 45 परसेंट राशि केन्द्र की, 45 परसेंट राशि राज्य की और 10 परसेंट गांव की। मैं माननीय सदस्यों से बहुत विनम्रतापूर्वक, आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि क्या 10 परसेंट गांवों के लोग इसमें अपना सहयोग कर सकते हैं? आप बोलें या न बोलें लेकिन इसका उत्तर न में आयेगा तो इसलिये राजस्थान की विशेष भौगोलिक परिस्थिति और एरिड जोन और सेमी एरिड

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जोन के रूप में राजस्थान के 12 जिले परिभाषित हैं जहां पर बड़ी जनसंख्या रहती है, दो तिहाई क्षेत्रफल आता है, ऐसी स्थिति में हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वह बहुत बड़ा है। आज राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऐसे में हमको चाहिए कि हम सब लोग मिलकर केन्द्र सरकार से मिलकर निवेदन करें कि जो जल जीवन मिशन में राजस्थान का हिस्सा है वह 10 परसेंट किया जाए और 90 परसेंट हिस्सा केन्द्र सरकार दे। यह मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि जो केन्द्र शासित प्रदेश हैं और जहां विधायिका नहीं है वहां सौ परसेंट ग्रांट केन्द्र सरकार दे रही है और विधायिका यानी असेम्बली है और केन्द्र शासित प्रदेश है वहां 90 परसेंट एड केन्द्र सरकार दे रही है। ऐसी परिस्थिति में राजस्थान जैसी स्थिति कहीं भी नहीं है। आज पहाड़ है, वहां पानी है, बर्फ है, सब कुछ है लेकिन हमारे यहां तो पानी ही सबसे बड़ा संकट है। रेगिस्तान में क्या मिलता है, या तो रेत के टीबे मिलते हैं या हमको सांप और बिच्छू और कांटे, जहरीले जानवर मिलते हैं।

एक माननीय सदस्य: तेल निकला है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): तेल निकला है वह तो हमारा सौभाग्य है कि इससे राजस्थान का भाग्य चेंज होगा। पहाड़ी इलाके को भी 90 परसेंट पैसा दिया गया है। पानी का आधार तो यह होना चाहिए कि उसके पास पानी कितना है, सबसे कम पानी राजस्थान के भू-गर्भ में है। ऐसी परिस्थिति में मैं इस सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से और हमारे केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वे सदन की भावनाओं का आदर करते हुए इस रेशो को बदलें और 90 परसेंट एड राजस्थान को मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी तीन बार प्रधान मंत्री को पत्र लिखे हैं। यहां राजस्थान में जब केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रीजी आये थे और हमने उनसे मीटिंग की थी तब भी उनसे यह आग्रह किया था कि आप राजस्थान को 90 परसेंट ग्रांट दें। वे सैद्धांतिक रूप से सहमत भी हैं लेकिन वे कहते हैं कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग और प्रधान मंत्रीजी से बात करनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि आप सारे सदन के लोग, विवेकानंद जी के कोटेशन के आधार पर, 'Awake, arise and stop not till the goal is reached', 'उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लें।' आज पूरे सदन को उठकर खड़ा होना चाहिए और राजस्थान के हक के लिये सारे लोगों को सर्वसम्मत मांग

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

करनी चाहिए कि राजस्थान का जलदाय योजनाओं के अन्तर्गत हमारा हिस्सा 90 परसेंट किया जाए जो पहले था। सभापति महोदय, डेजर्ट में सौ परसेंट हिस्सा था, हम तो 90 परसेंट मांग रहे हैं और ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय योजना का दर्जा मिले तो निश्चित रूप से राजस्थान का भला होगा और राजस्थान पेयजल योजना में कहीं भी पीछे नहीं रहेगा।

मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से यह जो जल जीवन मिशन आया है इसके लिये हमने तीन प्रकार की कमेटियां बनाई हैं, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन। राज्य स्तर की कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वे हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं और स्टेट लेवल सैंक्शन कमेटी के अध्यक्ष हमारे ए.सी.एस. पी.एच.ई.डी. हैं, जिला स्तर की कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर हैं और ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन के, जहां यदि पंचायत हैडक्वार्टर पर है तो वहां का सरपंच और पंचायत हैडक्वार्टर नहीं है तो वहां का वार्ड पंच, जिस गांव का पंच है उस वार्ड पंच को बनाया गया है। इस प्रकार करीब 40 हजार से अधिक गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता मिशन बन चुके हैं। इस वर्ष 5 लाख 68 हजार घरों को कनेक्शन दे दिये गये हैं। जल जीवन मिशन के तहत अब तक हमारी कमेटीज ने 12755 गांवों में 36 लाख परिवारों को घरेलू जल सम्बन्ध जारी करने हेतु 22 हजार करोड़ की 52 वृहद् परियोजनाएं एवं 1891 एकल क्षेत्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाएं स्वीकृत कर दी हैं और इसके परिणाम आगे आने वाले समय में आयेंगे।

अभी कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने पैसा बचा लिया, यह कर लिया। देखिए, केन्द्र सरकार में और राज्य सरकार में योजनाओं के बारे में एडवांस पैसा आता रहता है और लगता रहता है। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि आपकी स्वयं की पिछली सरकार और हमारी सरकार का एक अनुमान के अनुसार जलदाय विभाग का 5073 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार में बकाया था जब यहां पर सरकार में मैंने पी.एच.ई.डी. में मंत्री के रूप में पद संभाला था उस समय और मैंने माननीय जल संसाधन मंत्री, केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया था कि कम से कम यह पैसा तो हमको दिलाओ तो यह पैसे किसने कब दिये, क्या दिये, सभापति महोदय, इसका यह क्रम चलता रहता है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जहां तक वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है, इसके बारे में पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा 19 हजार का बजट बना दिया, उन्होंने डी.पी.आर. बनाने से सम्बन्धित आकड़ों को बजट में जोड़ दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा बजट है 10024.18 करोड़ रुपये का। इसमें प्लान का बजट है 6314.26 करोड़, नोन प्लान का बजट है 3709.91 करोड़ और इसमें हमारी तीन मुख्य योजनाएं रहती हैं। एक तो स्पेशल प्रोजेक्ट जैसे चंबल परियोजना से, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से अथवा और किसी बांध से चलने वाली जो योजनाएं हैं तो वो, वृहद् शहरी जल योजनाएं, ग्रामीण पेयजल योजनाएं और स्पेशल प्रोजेक्ट्स, ये तीन प्रकार के प्रोजेक्ट्स हैं। वृहद् पेयजल योजना के माध्यम से सतही जल स्रोत से 15 शहर, 2900 ग्राम और 2782 ढाणियों को पेयजल सुलभ हो सका है।

बजट घोषणाओं को मैं यहां रिपीट नहीं करूंगा लेकिन लास्ट बोलने से पहले जो घोषणाएं बाकी रह गई थीं उनके बारे में आपसे जरूर जिक्र करना चाहूंगा। समय-समय पर यह जो वृहद् परियोजनाओं की जो घोषणाएं की हैं उससे 1428 ग्राम, 1891 ढाणियां लाभान्वित होंगी और जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 2285 करोड़ की 6 योजनाओं के अन्तर्गत कार्य होगा।

हमारा कन्टीन्जेंसी प्लान हमने फरवरी में ही स्वीकृत कर दिया था। आपने देखा होगा पिछले वर्ष भी हर कलेक्टर के पास हमने 50-50 लाख रुपये की राशि कन्टीन्जेंसी प्लान के अन्तर्गत दी थी। इस बार भी हमने हमारे एडिशनल चीफ इंजीनियर आफिस को 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। वो जिला स्तर की जिला कलेक्टर के साथ जो मीटिंग होती है उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों की राय से कन्टीन्जेंसी प्लान के अन्तर्गत कहां-कहां हैंडपम्प की मरम्मत करनी है, कहां पाइपलाइनों को ठीक करना है, कहां ट्यूबवैल को गहरा करना है अथवा जो भी कन्टीन्जेंसी प्लान में मान लीजिए कहीं पिवाई करनी पड़ेगी तो ट्रक या ट्रैक्टरों के माध्यम से पिवाई करने का काम करेंगे, इसके लिये हमने 500 से अधिक वाहन की स्वीकृति, 2500 से अधिक संविदाकर्मियों की स्वीकृति जारी कर दी है।

इसके अलावा आपको मैं यह जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे जो 43364 राजस्व गांव हैं और 78614 ढाणियां हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से हम आने वाले वक्त में यह कोशिश करेंगे कि जल

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जीवन मिशन जो 2024 में पूरे होने वाला है उससे पहले-पहले यदि 90 परसेंट राशि मिली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे राजस्थान में हम हर घर को जल कनेक्शन से जोड़ देंगे लेकिन यदि 90 परसेंट पैसा नहीं मिला तो यह हरक्यूलीन टास्क है। हरक्यूलीन टास्क में इसलिये कहता हूं क्योंकि पूरे राजस्थान में इस योजना को पूरा करने के लिये लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जबकि जल जीवन मिशन में साढ़े 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान केन्द्रीय सरकार ने पूरे देश के लिये कर रखा है। हो सकता है यह आगे बढ़ जाए, लेकिन मेरा सदन को यह बताना फर्ज है कि 2 लाख करोड़ में यदि 50:50 पैसा खर्च करना पड़ा तो हमको 1 लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता आने वाले समय में होगी। यदि 10 परसेंट हमको देना पड़े तो हमको केवल मात्र 20 हजार करोड़ रुपये देने होंगे। 20 हजार करोड़ तो राजस्थान का वित्त विभाग अलाउ कर सकता है, लेकिन एक लाख करोड़ रुपया देना बहुत मुश्किल है। मैं इसलिये कहता हूं कि यदि आप सब लोग मेरा सहयोग करें तो निश्चित रूप से राजस्थान में हम 55 लीटर पर-डे के हिसाब से जो जल जीवन मिशन की योजना बनी है, उसमें पूरे राजस्थान के गांवों को लाभान्वित कर सकते हैं। वर्ना इस योजना को पूरा करना बहुत टेढ़ी खीर होगी।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र हेतु हमने 42 करोड़ रुपये की राशि कंटीन्जेंसी प्लान में रखी है। शहरी क्षेत्रों के लिये 28 करोड़ रखी है। नहर बंदी जो आ रही है उस क्षेत्र के लिये 24.82 करोड़ रुपये की राशि कंटीन्जेंसी प्लान में हमने स्वीकृत की है।

पिछले वर्ष में हमने 2 लाख हैंड पंपों की मरम्मत की और पूरे 2 वर्ष में लगभग 4 लाख से ऊपर हैंड पंपों की मरम्मत का काम हमने किया है। 1 अप्रैल, 2020 से शहरी और ग्रामीण जो भी क्षेत्र थे, उसमें हमने करीब-करीब 2074 नए नलकूप और 4455 नए हैंड पंप चालू किए हैं। हमने आर.ओ. प्लांट के लिये 290 करोड़ रुपये मंजूर किये थे। उससे 834 आर.ओ. प्लांट स्वीकृत किये गये। हमने इसकी तुलना में 934 आर.ओ. प्लांट अब तक स्थापित कर दिए हैं।

माननीय सभापति महोदय, सौर ऊर्जा आधारित बोर वैल पंपिंग सिस्टम 2742 स्वीकृत किये और 1261 स्थापित कर दिए। पिछले 2 वर्षों में 223.35 करोड़ की लागत से सोलर डीएफयू स्वीकृत किये थे। उसमें 1392 हमने चालू कर दिए हैं।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में खास तौर से बताना चाहूंगा कि 1288 सौर ऊर्जा आधारित डीफ्लोरीडेशन यूनिट, 5711 नलकूप, 12707 नए हैंड पंप इन 2 वर्षों में किए हैं। 4.98 लाख खराब हैंड पंपों की मरम्मत इन 2 वर्षों में की गई। जल की गुणवत्ता की जांच के लिये 33 जिलों में हमने लैब बनाए हुए हैं और 20 चल लैब्स हैं। जो मोबाइल लैब्स हैं, वह समय-समय पर तहसीलों में, गांवों में पानी की जांच करती हैं। कहां फ्लोराइड अधिक है, कहां नाइट्रेट अधिक है और कहां लवण की मात्रा अधिक है, इसकी जांच करके उसके आधार पर उसकी शुद्धता की जांच के लिये काम करती है।

शहरी पेयजल योजनाएं 222 शहरों और कस्बों की हैं, जिसमें 28 परसेंट शहरों को सतही जल स्रोतों से जोड़ने की योजनाएं हैं। 50 परसेंट भूजल और 22 परसेंट मिश्रित भूजल और सतही दोनों को सम्मिलित करके है। 2018 से अब तक 2804 नए कार्य हमने शुरू किए थे। उसमें 1941.36 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए। इस अवधि में 913.40 करोड़ व्यय किए गए हैं।

बीसलपुर- पृथ्वीराज नगर जयपुर की जो योजना है वह 13.03.2020 को चालू की गई। इस पर 563.93 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 2022 तक इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। इसके अलावा खोनागोरियान, हवामहल और शहर के अंदरूनी इलाके में भी काफी काम शुरू किए गए हैं।

नागौर, लाडनूं शहर, मेड़ता सिटी, गोरडी चाचान, डेगाना इनके लिये क्रमश: 4.40 करोड़, 18.73 करोड़ और 11.85 करोड़ की योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में 14.94 करोड़ की योजना चालू की गई है। राजगढ़, चूरू के लिये 46.85 करोड़ की योजना शुरू की गई है। अमृत योजना के अन्तर्गत 23 शहरों में 1007.36 करोड़ की योजनाएं शुरू की गई हैं। इसमें से अब तक 596.75 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। योजना का लगभग 75 परसेंट कार्य पूर्ण हो चुका है।

माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ माननीय सदस्य बोल रहे थे कि 15 हजार लीटर पानी का बिल माफ करने की जो बात थी, वह धरातल पर नहीं, बिलकुल सत्य है। राजस्थान में 15 हजार लीटर तक पानी का चार्ज नहीं लिया जा रहा है। बिलकुल नि:शुल्क दिया जा रहा है। उसके लिये कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन 15 हजार से ऊपर जो पानी का उपभोग करते हैं, उनके ऊपर निश्चित रूप से नियमानुसार चार्ज लिया जाता है।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

जहां तक विभाग में लंबे समय से लोगों के सेवानिवृत्त होने से जेईएन, एईएन और एक्सईएन के पद रिक्त हैं। मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि हमने 312 पद हेतु आरपीएससी को संयुक्त भर्ती परीक्षा 18.07.2019 को लिखा था। उसमें 235 पद यांत्रिक, 77 पद विद्युत संवर्ग और इसके बाद दिसम्बर, 2019 में यह प्रोसेस आगे बढ़ा। बहुत शीघ्र ही इसके परिणाम आएंगे और एईएन के रिक्त पदों की आपूर्ति कर दी जाएगी। 177 जेईएन के पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को लिखा गया था। यह परीक्षाएं आप सब जानते हैं कि किसी कारण से निरस्त हो गई थीं। जब भी होंगी तो जेईएन के पदों की भर्ती भी कर दी जाएगी। 225 जेईएन पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा अभी हमने हाल ही में चीफ इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर, अधीक्षण अभियंता, एक्सईएन और इन सब अधिकारियों की डीपीसी की। उसमें लगभग 200 अधिकारियों को हमने पदोन्नतियां देने की मंजूरी दे दी है। बहुत शीघ्र उनका पदस्थापन कर दिया जाएगा। रानीवाड़ा से, शिव से, सिवाना से, मसूदा से आने वाले माननीय सदस्यों ने रिक्त पदों की भर्ती के बारे में चिंता व्यक्त की थी। जैसे ही यह पद आएंगे, प्राथमिकता के आधार पर जहां रिक्त पद हैं, उन पदों को भरने का मैं पूर्ण प्रयास करूंगा।

जहा तक बजट घोषणाओं का प्रश्न है। बजट घोषणाएं माननीय मुख्य मंत्री जी ने अधिकतर कर दीं। खास तौर से मैं शहर से सम्बन्धित कुछ सूचनाएं आपको देना चाहूंगा।

बाड़ी, धौलपुर में उच्च जलाशयों की क्षमता बढ़ाने, स्रोतों का निर्माण एवं जल वितरण प्रणाली के पुनर्वितरण कार्य हेतु 38 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। बाड़मेर शहर में उच्च जलाशयों के निर्माण व नई पाइप लाइन बिछाने सम्बन्धित कार्य हेतु 10 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। उदयपुर जिले के कानोड़, फतहनगर, सनवाड़ एवं उदयपुर शहर में उच्च जलाशयों का निर्माण, पाइपलाइन बिछाने इत्यादि का कार्य 35 करोड़ रुपयों की लागत से किया जाएगा।

जयपुर शहर के डिग्गी मालपुरा रोड से टोंक रोड के बीच के क्षेत्र एवं सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में बीसलपुर योजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति हेतु 115 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। जयपुर शहर के सीकर रोड स्थित

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

हरमाड़ा एवं बढ़ारणा क्षेत्र की पेयजल स्थाई आधारभूत व्यवस्था हेतु पृथ्वीराज नगर के ट्रांसमिशन सिस्टम से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 41 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

शाहपुरा एवं विराटनगर, जिला जयपुर में उच्च जलाशय एवं पाइप-लाइन इत्यादि के कार्य 38 करोड़ रुपये की राशि से कराए जाएंगे। सीकर, लोसल एवं नीमकाथाना क्षेत्र में पेयजल योजना के संवर्धन सम्बन्धी कार्य 17 करोड़ रुपये की राशि से करवाए जाएंगे।

जिला डूंगरपुर के गलियाकोट एवं चितरी बड़गी जल योजना के पुनर्गठन सम्बन्धी कार्य 33 करोड़ रुपये की राशि से कराए जाएंगे। भीनमाल जिला जालौर में पेयजल सम्बन्धी समस्या के निराकरण हेतु कार्य करने पर 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी। इसके अलावा जैसा माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, लगभग 2 हजार नलकूप और 8 हजार हैंड पंप राजस्थान में लगाए जाएंगे।

माननीय सदस्यों ने जो प्रश्न उठाए हैं, मैं अब उनके बारे में संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। मुझे पता है कि आपको 6.40-6.50 पर जाना है, ...(व्यवधान) लेकिन प्रमुख रूप से चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य ने रामगढ़ को ईसरदा से जोड़ने की योजना के बारे में जिक्र किया। ईसरदा का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ईसरदा को हम जल्दी से जल्दी हमारे जल संसाधन विभाग के माध्यम से कमप्लीट करेंगे। इससे न केवल दौसा को बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा, पानी जैसे ही जल संसाधन विभाग हमको उपलब्ध करवा देगा, हम एक साल के अन्दर-अन्दर पेयजल योजनाओं को आगे बढ़ा देंगे।

माननीय सभापति महोदय, झुंझुनूं से आने वाले माननीय सदस्य ने कुम्भाराम लिफ्ट योजना का जिक्र किया। इस योजना से सीकर, झुंझुनूं और वहां के 31 गांवों को पानी देने की बात की, मैं इसको विभाग से दिखवाकर जो भी सहयोग कर सकता हूं, करूंगा।

भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जल को पंच तत्व का हिस्सा माना, इससे मैं सहमत हूं। पांच तत्वों में जल प्रमुख तत्व है किन्तु प्राइवेट कालोनियां जब बनती हैं तो कालोनाइजर कहता है कि मैं स्वीमिंग पूल बनाऊंगा, मैं वहां पर बिजली डालूंगा, पानी की व्यवस्था करूंगा, यह करूंगा, जिम डालूंगा। पानी और बिजली का इन्फ्रास्ट्रक्चर है उसको वह पूरा बनाता नहीं है लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने यह कोशिश की है कि जो जल जीवन

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

मिशन शहरों के लिये आ रहा है, गांवों में जो जल जीवन मिशन है, हम कोशिश करेंगे कि प्राइवेट कालोनी में भी कोई न कोई पालिसी बनाकर हम किस तरीके से पानी दे सकते हैं, उसका प्रयास करेंगे।

बांसवाडा में माही बांध से बाढ़ का पानी गंभीरी नदी से जोड़ने का मामला जल संसाधन विभाग से सम्बन्धित है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपकी बात पहुंचाऊंगा।

पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकारी स्कूलों में, आंगनबाड़ियों में और इस तरह के संस्थानों में जल जीवन मिशन का पानी पहुंचाने की बात की है। हमारी प्राथमिकता है और भारत सरकार की भी प्राथमिकता है, जो-जो स्कूल इससे जुड़ने हैं, उनको जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पानी से जोड़ेंगे।

जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो उपयोगी सुझाव दिए, उनके बारे में मैं विस्तार से बता चुका हूं कि हमारा राज्य का हिस्सा 10 परसेंट होना चाहिए और केन्द्र सरकार का 90 परसेंट।

माण्डल भीलवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात रखी, उसमें उन्होंने यह कहा था कि हमारे 218 गांवों को जो माण्डल-करेड़ा योजना है, उसकी डीपीआर 260.08 करोड़ रुपये की बन चुकी है, उसके आदेश दे दिए गए हैं। मैं समझता हूं कि वह सदन में हैं तो आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि आपका यह काम करीब-करीब हो गया है।

मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, बागोलिया डैम 15 वर्ष से खाली है, उनकी सीट भी खाली है, जब वो मिलेंगे तब उनको बता दूंगा कि क्या करना है।

खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य ने जल जीवन मिशन को तेज गति से चलाने की बात की। आज मैं पूरे सदन को कहना चाहता हूं कि यदि 90 परसेंट केन्द्र का हिस्सा हो जाएगा तो जल जीवन मिशन दौड़ेगा, नहीं तो फिर यह धीमी गति का समाचार रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कई प्रश्न उठाए हैं, आप निश्चित मानिये कि जोधपुर में जो राजीव गांधी लिफ्ट की थर्ड स्टेज की जो योजना है उसके अन्तर्गत रोहट के भी काफी गांव सम्मिलित हैं। मैं समझता हूं कि इस योजना के शुरू होने से पाली जिले के रोहट में वर्षों से अकाल पड़ता रहता है और वहां का इलाका मेरा देखा हुआ है। मैं पाली का इंचार्ज रहा हुआ हूं वहां पर पानी की काफी कमी है लेकिन यह राजीव गांधी तृतीय चरण की योजना जब आ जाएगी तो इनके गांवों की समस्या का समाधान हो जाएगा।

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

पचपदरा से आने वाले माननीय सदस्य ने अवैध कनेक्शन हटाने की बात कही, और भी कई माननीय सदस्यों ने कही। मैं एक अभियान चलाकर अपने विभाग को यहां सदन से ही यह निर्देशित करता हूं कि वे तीन महीने तक अवैध कनेक्शन हटाने के बारे में कार्यवाही करें और जब भी आप लोग जानना चाहेंगे तो मैं सदन को सूचित करूंगा कि इस अभियान में हमने कितने अवैध कनेक्शन को काटा है, लेकिन आप लोग मेहरबानी करके सिफारिश लेकर मत आना फिर। अवैध कनेक्शन कटेंगे और टेल एंड तक पानी पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा।

जहां तक सिवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि दस-बारह किलोमीटर की पाइपलाइन नहीं होने से सिवाना में पानी का संकट है। यह बात सही है लेकिन आप बुरा नहीं माने, यह पुरानी सरकार का संकट है। उस समय से ही जो एसपीएमएल कम्पनी और वहां जो कांट्रेक्टर कम्पनी थी वो बीच में काम छोड़ गई उसके कारण से संकट है। हम और हमारे एसीएस हैं, इसके बारे में बराबर चिंतित हैं और इसकी बराबर समीक्षा कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि या तो वह कम्पनी काम शुरू कर दे या इसे री-साइंड करके हम इस काम को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे।

मुण्डावर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि जिला स्तर पर जिलाधीश द्वारा मीटिंग होती है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि हर महीने मीटिंग होती है पानी, बिजली और स्थानीय समस्याओं के बारे में, आप मेहरबानी करके उसमें भाग लें तो आपके जिला स्तर की समस्याओं का समाधान होगा।

भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने पंजाब, हरियाणा और डैम की बात की। मुझे बहुत खुशी है कि आप पढ़ाई करके आते है और पोंग डैम में कितना पानी है, भाखड़ा डैम में कितना पानी है, यह जानकारी रखते हैं। जल स्तर निश्चित रूप से पिछले साल की तुलना में कम है और उसके कारण से हमने किसानों को वक्त न वक्त सूचित किया है कि हमारे बांधों में पानी कम है इसलिये कम पानी में जो फसलें होती हैं वे करें और आप अपना क्रोपिंग पैटर्न बदलें, बूंद-बूंद सिंचाई, ड्रिप इर्रिगेशन और यह कहना चाहिए। देखिये हमारा फर्स्ट स्टेज है वहां पर 5.23 क्यूसेक पानी दिया दिया जाता है, हमारा सैकंड स्टेज है वहां पर हम दो और ढाई क्यूसेक में काम चला रहे हैं। ऐसी स्थिति में ज्यादा पानी देने से पंजाब में जमीनें खराब हो गईं, वहां पर सेम की समस्या पैदा हो गई, हमारे यहां बड़ोपल में सेम की समस्या पैदा हो गई,

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

इसलिये जब तक हम आप्टिमम यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारे यहां पर भी किसानों को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा इसलिये कम पानी में अच्छी खेती, व्यावसायिक खेती, हर्बल क्रॉप्स और होर्टिकल्चर से सम्बन्धित हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। आप जानते हैं कि किसानी घाटे का सौदा है और अब ये जो तीन एक्ट आए हैं, ये तो किसानों के लिये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं इन पर चर्चा नहीं करके इतना ही कहना चाहता हूं कि क्रोपिंग पैटर्न को बदलते हुए हमको कम पानी में अच्छी खेती करनी चाहिए, हमारे को जल की बचत करनी चाहिए।

आपने जो सुझाव दिए हैं जनता जल योजना के बारे में, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह बात कही। देखिये जब संविधान में संशोधन हुआ था और पंचायती राज संस्थाओं को और हमारी स्वायत्तशासी संस्थाओं को फंड, फंक्शनरीज के साथ जब डिपार्टमेंट ट्रांसफर करने थे तब तो सब लोग कह रहे थे कि हमको ये विभाग दो, हमको वो विभाग दो, विभाग दे दिए गए और अब संभल नहीं रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हम सारे लोग मिलकर फाइनेंस डिपार्टमेंट से चर्चा करके उसमें क्या रास्ता निकाला जा सकता है, वह रास्ता निकालने का प्रयास करेंगे।

पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य ने जेजेएम का सुझाव दिया, उसका हम स्वागत करते हैं। अजमेर दक्षिण से आने वाली माननीय सदस्य ने बताया कि स्मार्ट सिटी, अमृत योजना में 130 करोड़ रुपये मिले। मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम आपने स्वीकार तो किया कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार जो भी योजनाएं ला रही हैं उनका लाभ आपको मिल रहा है। आपने 30 किलोमीटर पाइपलाइन के बारे में बीसलपुर थर्ड स्टेज के बारे में 1.15 लाख जल कनेक्शन के बारे में जिक्र किया। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इन कामों को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

आपने ब्राहमणी नदी को जोड़ने का सुझाव दिया। हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन ब्राहमणी नदी को जोड़ने के लिये जब तक जल संसाधन मंत्री, केन्द्र सरकार, गजेन्द्र सिंहजी साहब, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बातचीत नहीं कराएंगे तब तक ब्राहमणी नदी का काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिये मैं यह कहता हूं कि पूरे प्रदेश के हित के सवाल हैं, उसमें हमें पक्ष और विपक्ष की दीवार को तोड़ना पड़ेगा और हम सबको मिलकर राजस्थान की पैरवी करनी होगी। आज ब्राहमणी नदी का पानी आता है तो निश्चित रूप से आने

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

वाले 50 साल तक जयपुर में, अजमेर में, ब्यावर में और आसपास के जिलों में पानी की कमी नहीं रहेगी लेकिन ब्राह्मणी नदी से जोड़ने की आप केन्द्र से इजाजत दिलाइए। हम समय ही नहीं लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा दो-तीन साल में ब्राह्मणी नदी को बीसलपुर से जोड़ देंगे लेकिन इसके लिये बीसलपुर से जो आवश्यक स्वीकृति है वो तो हमको मिलनी चाहिए।

डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने मेवाड़ा बांध की नहर की मरम्मत और नयी नहरों को पक्का करने के बारे में जो बातें कही हैं, उन्हें मैंने नोट किया है।

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने ईआर प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात की है। ईआर प्रोजेक्ट करीब-करीब 75 परसेंट से अधिक बन गया है और इसे और आगे बढ़ाने की चेष्टा करेंगे।

शेरगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या ने राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की ऊंचाई बढ़ाने के बारे में सुझाव दिये, मदासर से शेरगढ़ में सप्लाई बढ़ाने की बात कही। पुरानी और खराब एचपी ट्यूबवैल की जगह नये ट्यूबवैल या उसे रीबोर करने का जो सुझाव दिया, सोलर नलकूप जो उन्होंने मांगे हैं, इसके लिये मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उन्हें उनका हक मिले।

इसके अलावा और कोई माननीय सदस्य जो यहां उपस्थित हैं और उनका रहा है तो हाथ खड़ा कर दें, मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा है। 08.40 तक समाप्त करने के लिये माननीय सभापति महोदय ने मुझे कहा था। अन्त में मैं यह बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम सब मिलकर बहुतकुछ कर सकते हैं। बंधा हुआ गट्ठर होता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और बंधा हुआ गट्ठर नहीं रहेगा और हम पक्ष और विपक्ष अलग-अलग अपनी लकड़ियां जलाएंगे तो राजस्थान को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। राजस्थान पीछे रह जाएगा।

मैंने दक्षिण भारत के प्रदेशों को देखा है कि जब प्रदेश का हित होता है तो सारे लोग पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर भारत सरकार के सामने खड़े हो जाते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा करें। यह हमारा हक है। हम कह सकते हैं, 'साड्डा हक एथे रख', हम केन्द्रीय सरकार से मांग कर सकते हैं कि हमारा हक हमें मिलना चाहिए। आज ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट और जल जीवन मिशन में हमारा 90 परसेंट हिस्सा, ब्राह्मणी नदी को हमारे यहां से बीसलपुर से जोड़ने का काम, यमुना नदी का पानी हरियाणा ने रोक रखा है, उसे हमें

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

दिलाने का काम, ये सारी योजनाएं आ जाएंगी तो गांव-गांव में जल कनेक्शन होने में कोई देर नहीं होगी, लेकिन यदि हम अलग-अलग होकर खिचड़ी पकाएंगे तो राजस्थान पिछड़ा रह जाएगा, यह मेरा सदन से निवेदन है।

श्री सभापति: आपकी बात से मोटिवेट हुआ है विपक्ष।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अच्छी बात है। अंत में प्रकृति से प्रार्थना करता हूं:-

ॐ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति:
पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्ति:।
वनस्पतय: शान्तिर्विश्वेदेवा: शान्तिर्ब्रह्म शान्ति:
सर्वं शान्ति:, शान्तिरेव शान्ति: सा मा शान्तिरेधि॥

अगला जो भी बरसात का मौसम आये, अच्छी वर्षा हो। हमारे बांध भरे जाएं। हमारी नदियों में पानी रहे ताकि हम राजस्थान के लोगों को जलापूर्ति कर सकें और राजस्थान में जल संकट नहीं आये, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। अन्त में सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 27 के बारे में जो मैंने मांग रखी है, उसे पारित करने की कृपा करें।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 27-पेयजल योजना का पारण

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि मांग संख्या 27 - पेयजल योजना के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 83,36,74,75,000/- (तिरासी अरब छत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख पिचहत्तर हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 08 मार्च 2021 के प्रात: 11:00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20:43 बजे सोमवार, दिनांक 08 मार्च 2021 के 11:00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

झाड़ोल के राजकीय महाविद्यालय में व्याख्याता के रिक्त पद

103. श्री बाबु लाल (झाड़ोल): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल के महाविद्यालय में व्याख्याता के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने? विषयवार विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में व्याख्याता के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में स्थित राजकीय महाविद्यालय, झाड़ोल एवं कोटड़ा में विषयवार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	महाविद्यालय का नाम	विषय	रिक्त पद
1	झाड़ोल	हिन्दी	01
		इतिहास	01
2	कोटड़ा	अंग्रेजी	01
		हिन्दी	01
		इतिहास	01

(2) रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

बाड़मेर में निजी कृषि कुओं पर संचालित अवैध कपड़ा धुलाई इकाइयां

104. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में वर्ष 2019-20 से 29 जनवरी, 2021 तक कितने

(श्री हमीर सिंह भायल)

उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डल द्वारा पाली, जोधपुर एवं बालोतरा में बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के चल रहे कितने उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही कर बन्द करवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला बाड़मेर के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित निजी कृषि कुओं पर संचालित अवैध कपड़ा धुलाई इकाइयों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? उक्त जिले में ऐसी कितनी अवैध इकाइयों पर रोक लगाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त अवैध इकाइयों को प्रतिबंधित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2019-20 से अब तक 9909 उद्योगों को स्थापना सम्मति व 15759 उद्योगों को संचालन सम्मति जारी की गई हैं। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) दिनांक 01.04.2019 से 31.01.2021 तक पाली, जोधपुर एवं बालोतरा क्षेत्र में मण्डल की सम्मति के बिना संचालित हो रहे कुल 124 उद्योगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें बंद करवाया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) जिला कलेक्टर बाड़मेर से प्राप्त सूचनानुसार ग्रामीण क्षेत्र में निजी कृषि कुओं पर बाड़मेर जिले में संचालित अवैध कपड़ा धुलाई इकाइयों को रोकने हेतु उपखण्ड अधिकारियों/तहसीलदारों को सर्वे कराने तथा बिना सक्षम अनुमति के व्यावसायिक/औद्योगिक कार्य करने वाले पक्षकारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

जिले में अब तक 22 प्रकरणों में अवैध कपड़ा धुलाई संचालकों को पाबंद कर रोक लगाई गई। वर्तमान में कोई अवैध कपड़ा धुलाई इकाई संचालित नहीं है।

(4) जी हां। अवैध इकाइयों की स्थापना एवं संचालन की सूचना प्राप्त होने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय विभाग द्वारा निरन्तर कार्यवाही की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति

105. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को एसीबी द्वारा ट्रैप किए जाने के कारण उनको निलम्बित किया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में कितने अधिकारियों को निलम्बित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक उक्त अधिकारियों के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित होने के पश्चात् भी सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं दिए जाने के कारण उनके विरुद्ध एसीबी द्वारा चालान पेश नहीं किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सेवा के ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनकी वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में एसीबी द्वारा ट्रैप किये जाने के कारण राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 5 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। सूची परिशिष्ट-अ पर अवलोकनीय है।

(2) जी नहीं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों में अनुसंधान उपरान्त ऐसे प्रकरणों में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा अपराध प्रमाणित माने जाने पर प्रकरण से सम्बन्धित अनुसंधान रिपोर्ट के साथ सम्बन्धित आरोपी के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाये जाते हैं। ऐसे मामले राज्य सरकार को प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का समग्र परीक्षण एवं विवेचन के पश्चात् अभियोजन स्वीकृति जारी किये जाने अथवा मनाही किये जाने के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 19 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 के अन्तर्गत सक्षम स्तर से निर्णय उपरान्त तदनुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं।

(कार्मिक मंत्री)

(3) वर्ष 2015 से वर्ष 2020 के मध्य राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गयी। सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

फुलेरा के ग्रामों में बीसलपुर योजना से पेयजल की आपूर्ति

106. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में बीसलपुर परियोजना से पेयजल हेतु कितने ग्राम एवं कस्बों को कब तक लाभान्वित किया जाना था व अब तक कितने ग्राम एवं कस्बों को लाभान्वित किया जा चुका है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना अंतर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों एवं कस्बों व नगरपालिका क्षेत्रों को प्रतिदिन कितने पानी की कितने अंतराल से आपूर्ति की जानी थी और वर्तमान में प्रतिदिन कितने पानी की कितने अंतराल से आपूर्ति की जा रही है? जनवरी, 2020 से 26 जनवरी, 2021 तक की गई पेयजल सप्लाई का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त योजना में पर्याप्त पानी की उपलब्धता होते हुए भी कम मात्रा में एवं अधिक अंतराल से पेयजल की आपूर्ति किए जाने के क्या कारण हैं व अब कब तक पर्याप्त मात्रा में पेयजल की आपूर्ति कर दी जाएगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर-दूदू वृहद् पेयजल परियोजना की दिनांक 11.10.2007 को स्वीकृत पेयजल परियोजना के क्रियान्वयन अंतर्गत जारी कार्यादेशों के अनुसार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 3 कस्बों में से कस्बा सांभर एवं फुलेरा को माह जनवरी, 2009 तक एवं किशनगढ़ रेनवाल को माह जनवरी, 2016 तक तथा इस परियोजना अन्तर्गत प्रावधित मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन टी.एम.-1 के नरेना आफटेक से 53 ग्रामों को माह नवम्बर, 2014 तक एवं सांभर पम्पिंग स्टेशन से 110 ग्रामों को माह जनवरी, 2016 तक लाभान्वित करना निर्धारित था।

कस्बा फुलेरा एवं सांभर को माह जनवरी, 2009 तथा किशनगढ़

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

रेनवाल को मार्च, 2017 में तथा वर्ष 2011 की जनगणनानुसार 53 आबाद राजस्व ग्रामों को चरणबद्ध रूप से माह दिसम्बर, 2015 तथा 110 ग्रामों को चरणबद्ध रूप से माह सितम्बर, 2019 तक लाभान्वित किया जा चुका है।

उक्त परियोजना अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के लाभान्वित ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त पेयजल परियोजना अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के उक्त 3 कस्बों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा 163 ग्रामों को क्रमश: 35 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से पेयजल आपूर्ति की जानी प्रावधित थी।

बीसलपुर-दूदू पेयजल परियोजना से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बा फुलेरा में 50, कस्बा सांभर में 49 तथा कस्बा किशनगढ़ रेनवाल में 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 48 घण्टे के अंतराल पर पेयजल आपूर्ति की जा रही है तथा शेष जल मांग की आपूर्ति स्थानीय भू-जल स्रोतों से की जा रही है।

उक्त विधान सभा क्षेत्र के समस्त 163 ग्रामों में उक्त परियोजना अंतर्गत औसतन 24 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 48 घण्टे के अंतराल पर पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

माह जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 की अवधि में उक्त विधान सभा क्षेत्र के कस्बों एवं ग्रामों में की जा रही पेयजल आपूर्ति मात्रा का माहवार वांछित विवरण क्रमश: परिशिष्ट-'ब' एवं परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(3) बीसलपुर बांध से पेयजल आपूर्ति हेतु उक्त पेयजल परियोजना के अंतर्गत सूरजपुरा हैडवर्क्स से सांभर कस्बे तक, 5 कस्बों क्रमश: मालपुरा, फुलेरा, सांभर, किशनगढ़ रेनवाल एवं जोबनेर तथा पंचायत समिति, सांभर, जोबनेर, मालपुरा, टोडारायसिंह, दूदू, मौजमाबाद एवं किशनगढ़ रेनवाल के ग्रामों हेतु डाली गई पी.एस.सी.सी. मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन टी.एम.-1 का अभिकल्पन वर्ष 2021 तक की अभिकल्पित आबादी की कुल पेयजल मांग 59.00 मिलियन लीटर प्रतिदिन के अनुरूप किया गया था । इस पाइप लाइन में लीकेज एवं अन्य तकनीकी कारणों से हो रहे लगभग 25 प्रतिशत लोसेज के फलस्वरूप, इस लाइन से 45.00 मिलियन लीटर पेयजल प्रतिदिन वर्तमान में उपलब्ध हो पाता है।

अत: उक्त परिस्थितियों एवं बीसलपुर बांध में पानी की उपलब्धता

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

को दृष्टिगत रखते हुए, टी.एम.-1 मुख्य ट्रांसमिशन लाइन पर आधारित विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बा फुलेरा, सांभर एवं कस्बा किशनगढ़ रेनवाल में क्रमश: 50, 49 एवं 45 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से तथा 163 ग्रामों में औसतन 24 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से 48 घण्टे के अंतराल से पेयजल आपूर्ति वर्तमान में की जा रही है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से घरेलू जल संबंधों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य की अनुपालना में उक्त 5 कस्बों तथा पंचायत समिति, सांभर, जोबनेर, मालपुरा, टोडारायसिंह, दूदू, मौजमाबाद एवं किशनगढ़ रेनवाल के ग्रामों की वर्ष 2053 तक की अभिकल्पित कुल पेयजल मांग 110.18 मिलियन लीटर प्रतिदिन के विरुद्ध, 29.82 मिलियन लीटर प्रतिदिन टी.एम.-1 पाइप लाइन द्वारा तथा शेष 80.36 मिलियन लीटर प्रतिदिन विभिन्न व्यास की नवीन प्रस्तावित डी.आई. पाइप लाइन (टी.एम.-1 पाइप लाइन के समानान्तर) द्वारा पेयजल आपूर्ति करने हेतु राशि रुपये 252.85 करोड़ की बनाई गई योजना के प्रस्ताव हाल ही में दिनांक 10.02.2021 को सक्षम स्तर पर प्राप्त हुए हैं।

केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता एवं राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर इसके पूर्ण क्रियान्वयन उपरान्त बीसलपुर बांध में जल उपलब्धता के अनुसार पर्याप्त मात्रा में पेयजल आपूर्ति हो सकेगी।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नवलगढ़ में नवीन ए डी जे न्यायालय की स्थापना

107. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में एडीजे स्तर का न्यायालय सृजित करने के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित हैं तथा नया एडीजे न्यायालय सृजित करने के लिये मानदण्डों के अनुसार कितने मामले लम्बित होने चाहिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में 1 जनवरी, 2019 के पश्चात् कहां-कहां नये एडीजे स्तर के न्यायालय सृजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. राजकुमार शर्मा)

(3) उक्त स्थानों पर एडीजे स्तर का न्यायालय सृजित करने से पूर्व कितने मामले लम्बित थे? निर्धारित मानदण्डों से कम मामलों के बावजूद कहां-कहां कितने न्यायालय एडीजे न्यायालय के रूप में सृजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त सृजित न्यायालयों में अनेक स्थानों पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार मामले लम्बित नहीं होने के बाद भी नये एडीजे न्यायालय सृजित किये गये हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या भी सही हैं कि अनेक स्थानों पर नवलगढ़ से कम मामले लम्बित होने पर भी एडीजे न्यायालय सृजित किये गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार अब विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के नवलगढ़ में नया एडीजे स्तर का न्यायालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) किसी स्थान पर एडीजे न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 1000-1200 प्रकरण लम्बित होने का मानदण्ड निर्धारित किया हुआ है तथा उच्च न्यायालय ने 750 प्रकरण लम्बित होने का मानदण्ड निर्धारित किया हुआ है।

(2) 1 जनवरी, 2019 के पश्चात् राज्य में स्थापित एडीजे न्यायालयों की स्थानवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) उक्त स्थानों पर एडीजे न्यायालय सृजित करने से पूर्व लम्बित प्रकरणों की स्थानवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा की गई बजट घोषणाओं के अनुरूप ही निर्धारित मानदण्ड से कम मामले होने के बावजूद भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श/प्रस्ताव से निम्नलिखित 6 स्थानों पर एडीजे न्यायालय की स्थापना की गई-

1. महवा, जिला दौसा।
2. गंगापुर, जिला भीलवाड़ा।
3. अटरू, जिला बारां।
4. सिकराय, जिला दौसा।
5. बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
6. देसूरी, जिला पाली

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

(4) निर्धारित मानदण्ड से कम मामले होने के बावजूद भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श/प्रस्ताव से निम्नलिखित 6 स्थानों पर एडीजे न्यायालय की स्थापना की गई-

1. महवा, जिला दौसा।
2. गंगापुर, जिला भीलवाड़ा।
3. अटरू, जिला बारां।
4. सिकराय, जिला दौसा।
5. बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
6. देसूरी, जिला पाली।

(5) जी नहीं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां नवलगढ़ से कम मुकदमे लम्बित होने पर भी एडीजे न्यायालय की स्थापना की गई हो।

नवलगढ़ में एडीजे न्यायालय खोलने के प्रस्ताव पूर्व में भी भेजे गये हैं।

अभी हाल ही में दिनांक 27.11.2020 को नवलगढ़ में एडीजे कोर्ट खोलने का प्रस्ताव भेजकर न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में परामर्श मांगा गया था जिसके संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय ने उनके पत्र दिनांक 19.12.2020 भेजकर अवगत कराया है कि नवलगढ़ में एडीजे न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव समिति के समक्ष विचाराधीन है।

माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर नवलगढ़ में एडीजे न्यायालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीगंगानगर में वन, नर्सरी, जोहड़ पायतन की भूमि में आवासीय पट्टे

108. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला श्रीगंगानगर के गांवों में लम्बे समय से वन, नर्सरी और जोहड़ पायतन भूमि के कितने-कितने क्षेत्र में लोग बसे हुए हैं? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(2) क्या सरकार द्वारा दिसम्बर 2020 तक उक्त भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर आवासीय पट्टे दिए गए हैं? यदि हां, तो किन-किन पंचायतों में कितने परिवारों को पट्टों का वितरण किया गया है? ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार आबादी भूमि से वंचित भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित कर आवासीय पट्टे देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर जिले के गांवों में लम्बे समय से वन, नर्सरी और जोहड़ पायतन की भूमि पर लोग बसे हुए हैं। इस सम्बन्ध में तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है:- **(रकबा-हैक्टेयर में)**

क्र. सं.	तहसील	वन भूमि	नर्सरी भूमि	जोहड पायतन
01	श्रीगंगानगर	-	-	185.075
02	सादुलशहर	-	-	-
03	श्रीकरनपुर	-	-	30.618
04	पदमपुर	-	-	72.444
05	रायसिंहनगर	-	31.183	59.745
06	अनूपगढ़	313.265	-	-
07	घड़साना	23.785	-	-
08	रावला	121.655	-	-
09	श्रीविजयनगर	52.140	15.610	4.504
10	सूरतगढ़	-	-	44.130
	कुल योग	**510.845**	**46.793**	**396.516**

तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) दिसम्बर, 2020 तक श्रीगंगानगर जिले में वन, नर्सरी एवं जोहड़ पायतन श्रेणी की भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तित किया जाकर किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा आवासीय पट्टे जारी नहीं किये गये हैं।

(3) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत सरकारी/गैर सरकारी भवनों का नियमन करने का प्रावधान नहीं है। वन (संरक्षण)

(राजस्व मंत्री)

अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन (Diversion) भारत सरकार की स्वीकृति से ही किया जाता है। आवासीय प्रयोजनार्थ वन भूमि का प्रत्यावर्तन अनुमत नहीं है।

जोहड़ पायतन की भूमियां प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि है, इस प्रकार की भूमि का आबंटन नहीं किया जा सकता है। यदि ऐसी भूमियों का आबंटन कर भी दिया गया है तो इनके आबंटन निरस्त किये जाने हेतु राजस्व विभाग स्तर से समस्त जिला कलेक्टर्स को राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में रेफरेंस दायर करने हेतु लिखा गया है। परिशिष्ट-ब संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

राजकीय विद्यालयों में संचालित अन्नपूर्णा दुग्ध योजना के स्थान पर नवीन योजना

109. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जुलाई 2018 से प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कक्षा प्रथम से आठवीं तक के बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए अन्नपूर्णा दुग्ध योजना प्रारम्भ की गई थी?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त योजना को अब बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना के स्थान पर कोई अन्य योजना प्रस्तावित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में कक्षा पहली से आठवीं तक अध्ययनरत बच्चों के लिये अन्नपूर्णा दुग्ध योजना जुलाई, 2018 से प्रारम्भ की गई थी।

(2) जी नहीं। कोविड-19 के कारण दिनांक 14.03.2020 से राज्य के समस्त राजकीय विद्यालय बंद होने के कारण भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी के दिशा-निर्देशानुसार विद्यार्थियों को सूखा राशन ही वितरित किया जा रहा है।

(3) बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

पाली एवं रोहट के राजकीय महाविद्यालयों में व्याख्याताओं के रिक्त पद

110. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला पाली के पाली स्थित राजकीय बांगड महाविद्यालय एवं कन्या महाविद्यालय तथा रोहट स्थित राजकीय महाविद्यालय में किस-किस विषय में, किस-किस कक्षा में कितने-कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तीनों महाविद्यालयों में नये प्रवेश हेतु किस-किस विषय में कितनी-कितनी सीटें स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त तीनों महाविद्यालयों में प्रत्येक में अध्यापन कार्य करवाने वाले किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने-कितने पद भरे हुए हैं एवं कितने-कितने पद कितने-कितने समय से रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त तीनों महाविद्यालयों पर नये प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों के विरुद्ध कितने-कितने आवेदन विगत दो वर्षों में प्राप्त हुए एवं कितने-कितने छात्र प्रवेश से वंचित रह गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार अध्यापन कार्य करवाने वाले व्याख्याताओं के रिक्त पद भरने एवं प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब-कब, कैसे-कैसे व नहीं, तो किन-किन कारणों से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले के राजकीय बांगड महाविद्यालय, पाली, राजकीय महाविद्यालय, रोहट एवं राजकीय कन्या महाविद्यालय, पाली में विषयवार व कक्षावार अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों का संकाय/विषयवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त महाविद्यालयों में शैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) उक्त महाविद्यालयों में गत 2 वर्षों में स्वीकृत सीटों के विरुद्ध

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

प्राप्त आवेदनों एवं प्रवेश से वंचित विद्यार्थियों का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(5) उक्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा तथा स्वीकृत सीटों के संख्या बढ़ाने सम्बन्धी वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति

99. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 01 जनवरी, 2018 के पश्चात् प्रदेश में कितने व किन-किन पदों पर भर्ती हेतु अर्थना राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड को भेजी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में बोर्ड द्वारा किन-किन पदों हेतु कब-कब विज्ञप्ति जारी की गई व उनकी परीक्षा आयोजित कर कब परिणाम घोषित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बोर्ड द्वारा किन्हीं पदों हेतु विज्ञप्ति जारी कर परीक्षा की तिथि घोषित करने के उपरांत भी विज्ञप्ति रद्द की गई है? यदि हां, तो कब व किन-किन पदों की? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त रद्द की गई विज्ञप्तियों को पुन: जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो किन पदों हेतु कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त पदों हेतु भर्ती परीक्षा आयोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन पदों हेतु कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 01 जनवरी, 2018 के पश्चात् राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विभागों से प्राप्त हुई अर्थनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 से अब तक जारी विज्ञप्तियों, रिक्त पदों, परीक्षा तिथि तथा परिणाम जारी करने का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी हां। बोर्ड द्वारा फार्मासिस्ट सीधी भर्ती परीक्षा 2018 दिनांक 13-11-2020 को निरस्त की गई है।

(4) जी नहीं। फार्मासिस्ट सीधी भर्ती परीक्षा की रद्द विज्ञप्ति को पुन: जारी नहीं किया गया है।

(5) जी हां। राज्य सरकार द्वारा फार्मासिस्ट भर्ती के नियमों में

(कार्मिक मंत्री)

संशोधन के उपरान्त भर्ती हेतु नवीन अर्थना प्रेषित की जाकर बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

100. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में 1 जनवरी, 2019 से 28 जनवरी, 2021 तक भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले दर्ज हुए हैं? विवरण सदन में रखें।

(2) उक्त अधिकारियों के विरुद्ध एसीबी द्वारा किये गये मुकदमों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विश्वविद्यालयों के विरुद्ध 1 जनवरी, 2017 से फ़र्ज़ी नियुक्ति, ग़बन, भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो 28 जनवरी, 2021 तक किन-किन के विरुद्ध? उक्त के विरुद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान में 01 जनवरी, 2019 से 28 जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध निम्नानुसार प्रकरण दर्ज हुए हैं:-

सेवा संवर्ग	दर्ज मुकदमों की संख्या
भारतीय प्रशासनिक सेवा	4
राजस्थान प्रशासनिक सेवा	17

उक्त दर्ज मामलों का विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' में अंकित है।

(2) उक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज मुकदमों की वर्तमान स्थिति संलग्न सूची परिशिष्ट ''क'' व ''ख'' के अंतिम कालम में अंकित है।

(भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मंत्री)

(3) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर में 1 जनवरी, 2017 से 28 जनवरी, 2021 की अवधि के दौरान प्रदेश के विश्वविद्यालयों के विरुद्ध फ़र्ज़ी नियुक्ति, ग़बन, भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर 37 परिवाद, 1 प्राथमिक जांच एवं 14 मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई की गई। विवरण संलग्न सूची परिशिष्ट "ग" में अंकित है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

पुष्कर में मुख्यमंत्री सहायता कोष से लाभान्वित परिवार

101. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या मुख्य मंत्री सचिवालय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के किन-किन व्यक्तियों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता हेतु जनवरी, 2019 से 28 जनवरी, 2021 तक आवेदन किया गया? नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त अवधि में किन-किन को उक्त सहायता कोष से किस मद से क्या-क्या सहायता राशि स्वीकृत की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के 163 व्यक्तियों द्वारा दुर्घटना के प्रकरणों में (परिशिष्ट-अ) एवं 18 व्यक्तियों द्वारा रोगोपचार के प्रकरणों में (परिशिष्ट-ब) मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रश्नगत अवधि (दिनांक 01.01.2019 से 31.01.2021 तक) में सहायता हेतु आवेदन किया गया।

(2) उक्त अवधि में मुख्यमंत्री सहायता कोष से पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में दुर्घटना के प्रकरणों में 153 व्यक्तियों (परिशिष्ट-अ) एवं रोगोपचार के प्रकरणों में 10 व्यक्तियों को (परिशिष्ट-ब) नियमानुसार पात्रता के आधार पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से सहायता प्रदान की गयी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

भीलवाड़ा सर्किट हाउस में वीवीआईपी का ठहराव

102. श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल)

(1) भीलवाड़ा सर्किट हाउस में वीआईपी-वीवीआईपी के लिये किए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत विगत दो वर्ष में किस-किस वीआईपी, वीवीआईपी ने कितने-कितने समय के लिये ठहराव किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सर्किट हाउस में किराये की दरों एवं भोजन चाय आदि खाद्य पदार्थों व पेय पदार्थों की दरों में कब-कब परिवर्तन किया गया? वर्तमान दरों का क्या विवरण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सर्किट हाउस में प्रवास हेतु सर्किट हाउस मैन्युअल के अनुसार प्रावधान किये जाते हैं। माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्य मंत्री, माननीय मंत्रीगण एवं राज्य अतिथि को पद की गरिमा के अनुकूल सुईट उपलब्ध कराये जाते हैं।

गत 2 साल की भीलवाड़ा में ठहरे वीआईपी/वीवीआईपी की सूचना परिशिष्ट-'अ' पर सूचना संलग्न है।

(2) परिशिष्ट-ब एवं परिशिष्ट-'स' पर सूचना संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

चौमूं से दूदू मेगा हाईवे का निर्माण

103. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि चौमूं से दूदू मेगा हाईवे स्टेट रोड स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो कब एवं उक्त सड़क का कितना कार्य पूर्ण हुआ? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि अब तक भी उक्त सड़क का कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो उक्त का कार्य कब पूर्ण करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चौमूं से महला वाया रेनवाल जोबनेर सड़क लम्बाई 82.282 किमी राशि 134.20 करोड़ की स्वीकृति डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन एवं हस्तांतरण (डीबीएफओटी) योजना के अन्तर्गत दिनांक 29.04.2011 को जारी की गई। उक्त परियोजना का 69 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी हां। रियायतग्राही एवं परियोजना के ऋणदाता बैंकों के द्वारा उक्त कार्य पूर्ण करने में असफल होने के कारण दिनांक 19.12.2019 को विभाग द्वारा रियायती अनुबंध निरस्त कर दिया गया और शेष कार्य अनुमानित लागत राशि 52.35 करोड़ रुपये को पूर्ण करने के लिये कार्य दिनांक 03.02.2020 को आर.एस.आर.डी.सी. को हस्तांतरित कर दिया गया है।

वर्तमान में शेष कार्य को पूर्ण करने के लिये आर.एस.आर.डी.सी. द्वारा निविदा आमंत्रण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नागौर में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना से लाभान्वित गांव

104. श्रीमती मंजु देवी (जायल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला नागौर में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय विद्युत योजना के तहत कितने गांवों व ढाणियों को विद्युत से जोड़ा गया है? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त जिले में उक्त योजना से वंचित ढाणियों में कब तक विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 583 गांवों एवं 1054 ढाणियों में विद्युतीकरण का कार्य किया गया है। तहसीलवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) नागौर जिले के अन्तर्गत समस्त चिन्हित ढाणियों में सभी पात्र आवेदकों को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनान्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा नगर, धौलाई, सांगानेर को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने की कार्ययोजना

105. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के सांगानेर तहसील क्षेत्र के धौलाई गांव में विधान सभा नगर नाम से आवासीय कालोनी बसी हुई है? यदि हां, तो उक्त आवासीय कालोनी में पेयजल आपूर्ति किस प्रकार से की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त कालोनी की गम्भीर पेयजल समस्या के स्थायी समाधान हेतु उक्त को बीसलपुर पेयजल योजना से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। तहसील सांगानेर के ग्राम धौलाई स्थित विधान सभा नगर आवासीय कालोनी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पेयजल वितरण तंत्र से वर्तमान में जुड़ी हुई नहीं है। इस कालोनी की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था स्थानीय रहवासियों द्वारा निजी स्तर पर तथा विभाग द्वारा मांग एवं आवश्यकतानुसार टैंकर परिवहन द्वारा की जाती है। माह जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 की अवधि में उक्त आवासीय कालोनी के रहवासियों की मांग के अनुसार 160 टैंकर ट्रिपों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया गया।

(2) जी हां। विधान सभा नगर जन विकास समिति द्वारा आवासीय क्षेत्र में नलकूप की मांग तथा इसके संचालन एवं संधारण का सहमति पत्र दिनांक 27.08.2019 द्वारा दिये जाने के उपरान्त, पेयजल आपूर्ति के तात्कालिक समाधान के अंतर्गत नलकूप निर्माण हेतु राशि रुपये 4.61 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.09.2019 को विभाग द्वारा जारी की गई थी। उक्त नलकूप का वेधन 600 फीट गहराई तक करने के उपरांत भी भू-जल की उपलब्धता नगण्य होने के कारण, इसका निर्माण तत्समय असफल रहा।

पेयजल आपूर्ति के दीर्घकालिक उपायों के अंतर्गत पृथ्वीराज नगर एवं आस-पास के क्षेत्रों में बीसलपुर बांध आधारित परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु राशि रुपये 854.22 करोड़ की बनाई गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की तकनीकी सहमति दिनांक 12.09.2017 द्वारा दी गई। इस परियोजना का क्रियान्वयन 2 चरणों में प्रस्तावित किया जाकर प्रथम चरण के अंतर्गत विधान सभा नगर ग्राम धौलाई के सम्पूर्ण क्षेत्र सहित पृथ्वीराज नगर एवं आस-पास के लगभग 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मुख्य ट्रांसमिशन पाइप लाइन, अन्य आधारभूत संरचनाओं के कार्य एवं लगभग 30 वर्ग किलोमीटर

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

क्षेत्र में पेयजल वितरण तंत्र की स्थापना कार्य हेतु राशि रुपये 563.93 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 07.06.2019 को जारी की गई थी।

उक्त परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ करने हेतु अनुबंधक फर्म को दिनांक 12.03.2020 को राशि रुपये 295.51 करोड़ का कार्यादेश जारी किया जाकर परियोजना का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है तथा कार्यादेश अनुसार यह परियोजना दिनांक 14.10.2022 तक पूर्ण करनी निर्धारित है। इस प्रगतिरत परियोजना के 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेयजल वितरण तंत्र की स्थापना हेतु किये गये प्रावधान में, विधान सभा नगर, धौलाई का लगभग 10 प्रतिशत भाग सम्मिलित है तथा इस भाग को सुन्दर नगर प्रथम में निर्मित किये जाने वाले उच्च जलाशय से माह अक्टूबर, 2022 तक पेयजल आपूर्ति से लाभान्वित किया जा सकेगा।

विधान सभा नगर धौलाई के शेष भाग सहित परियोजना के शेष रहे क्षेत्र में पेयजल वितरण तंत्र की स्थापना का कार्य, उक्त परियोजना के द्वितीय चरण में करना प्रस्तावित है तथा इस चरण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार जारी होने के उपरांत इसका कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ की स्थापना

106. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या उदयपुर संभागीय मुख्यालय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? जनजाति बहुल उक्त संभाग की जनता को सुगम न्याय सुलभ कराने हेतु क्या सरकार उक्त संभाग मुख्यालय पर खण्डपीठ स्थापित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ (बैंच) की स्थापना का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

उच्च न्यायालय की खण्डपीठ (बैंच) की स्थापना करना अकेले राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं है।

द स्टेट री-ओर्गेनाइजेशन एक्ट, 1956 की धारा 51 के अनुसार उच्च

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

न्यायालय की स्थाई बैंच की स्थापना महामहिम राष्ट्रपति द्वारा माननीय राज्यपाल और उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से की जाती है।

उदयपुर में उच्च न्यायालय की बैंच की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रकरण राज्य सरकार द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

जयपुर शहर में स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य

107. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर शहर में वर्ष 2019 व 2020 में स्मार्ट सिटी के तहत क्या-क्या विकास कार्य हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्यों के लिये कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई है व कितनी राशि के कार्य पूर्ण हो चुके हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) स्मार्ट सिटी के तहत वर्तमान में कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं व कितने कार्य शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में वर्ष 2019 व 2020 में स्मार्ट सिटी के अन्तर्गत हुए विकास कार्यों की सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा 31.01.2021 तक रुपये 245.00 करोड़ राशि जारी की जा चुकी है तथा 31.01.2021 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त सम्पूर्ण राशि (रुपये 245.00 करोड़) प्रशासनिक एवं परियोजना कार्यों पर व्यय की जा चुकी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

Sr. No.	Installmet Year	GoI Fund Received		
		Project Fund (Cr.)	A&OE Fund (Cr.)	Total (Cr.)
1	2015-16 & 2016-17	186.00	10.00	196.00
2	2020-21	46.50	2.50	49.00
	Total (upto 31.01.21)	232.50	12.50	245.00

(स्वायत्त शासन मंत्री)

Total Expenditure of GoI Fund as on 31.01.2021		
Project Fund (Cr.)	A&OE Fund (Cr.)	Total (Cr.)
232.50	12.50	245.00

(3) स्मार्ट सिटी द्वारा वर्तमान में 21 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 52 कार्य शेष (प्रगतिरत) हैं। कार्यों की सूची परिशिष्ट "2" में संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

बस्सी कस्बे में सीवरेज लाइन डालने की योजना

108. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार की बस्सी कस्बे में सीवरेज लाइन डालने की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। बस्सी को नगरपालिका गठित करने की अधिसूचना दिनांक 19.06.2020 को, डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 10890/2020, 6707/2020, 9483/2020 एवं 6721/2020 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.10.2020 के क्रम में विभागीय अधिसूचना दिनांक 23.02.2021 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इस कारण वर्तमान में बस्सी क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा ही कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

झुन्झुनूं जिले में जलाशयों को संरक्षित करने की कार्ययोजना

109. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को कौन-कौनसे जलाशय संरक्षित किये जाने के प्रस्ताव भेजे गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला झुन्झुनूं में झील संरक्षित किये जाने के मापदंड के आधार पर कौन-कौनसे जलाशय को चिन्हित कर सरकार को भिजवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जलाशयों के अनुमानित व्यय का आंकलन किया गया

(श्री सुभाष पूनिया)

है? यदि हां, तो कौन-कौनसे जलाशय पर कितनी-कितनी राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा राजस्थान झील विकास प्राधिकरण को जलाशय/झील संरक्षित किये जाने हेतु कोई भी प्रस्ताव नहीं भिजवाया गया है।

(2) राजस्थान झील (संरक्षण एवं विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अनुसार एक्ट की धारा 2 (X) के मुताबिक "झील" से, भूमि में स्थित ऐसी जलराशि अभिप्रेत है, जो चाहे प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, इसमें जल हो या न हो, और जो चाहे किसी राजस्व या अन्य शासकीय अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित की गयी हो या न की गयी हो, जिसकी जलप्लावित क्षेत्र इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती पचास वर्षों के दौरान किसी भी समय, सामाजिक-सांस्कृतिक, विरासत या धार्मिक महत्व की जलराशि के मामले में तीन हैक्टेयर से कम न रहा हो, और अन्य मामलों में दस हैक्टेयर से कम न रहा हो। उक्त प्रकार की झील का प्रस्ताव जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय झील (संरक्षण और विकास) समिति के अनुमोदन उपरान्त राजस्थान झील विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना अपेक्षित है।

(3) इस भाग का उत्तर भाग संख्या 01 के उत्तर में निहित है।

मालपुरा के राजस्व विभाग में रिक्त पद

110. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में विभाग के विभिन्न कार्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने अधिकारियों व कार्मिकों के पद कहां-कहां स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद भरे हुए हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मालपुरा में राजस्व विभाग के कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**कार्यालय का नाम**	**पदनाम**	**स्वीकृत पद**	**कार्यरत पद**	**रिक्त पद**
1	उपखण्ड कार्यालय मालपुरा	उपखण्ड अधिकारी	1	1	0
2		नायब तहसीलदार	1	1	0
3		अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	0	0	0
4		सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
5		स्टेनो	1	0	1
6		वरिष्ठ सहायक	0	1	1 पद अधिशेष
7		कनिष्ठ सहायक	2	2	0
8		सहायक कर्मचारी	3	1	2
9	तहसील कार्यालय मालपुरा	तहसीलदार	1	1	0
10		नायब तहसीलदार	1	0	1
11		अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	0	1	1 पद अधिशेष
12		सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
13		वरिष्ठ सहायक	3	3	0
14		कनिष्ठ सहायक	4	4	0
15		सहायक कर्मचारी	22	8	14
16		भू-अभिलेख निरीक्षक	13	8	5
17		पटवारी	42	26	16

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
18	उप तहसील डिग्गी	नायब तहसीलदार	1	1	0
19		वरिष्ठ सहायक	1	1	0
20		कनिष्ठ सहायक	1	1	0
21		सहायक कर्मचारी	2	0	2
22		भू-अभिलेख निरीक्षक	7	3	4
23		पटवारी	22	15	07
24	उपखण्ड कार्यालय टोडारायसिंह	उपखण्ड अधिकारी	1	1	0
25		नायब तहसीलदार	1	0	1
26		अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	0	0	0
27		सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
28		स्टेनो	1	0	1
29		वरिष्ठ सहायक	2	0	2
30		कनिष्ठ सहायक	2	3	1 पद अधिशेष
31		सहायक कर्मचारी	3	1	2
32	तहसील कार्यालय टोडारायसिंह	तहसीलदार	1	1	0
33		नायब तहसीलदार	1	1	0
34		अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	0	0	0
35		सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	2	1 पद अधिशेष
36		वरिष्ठ सहायक	3	3	0
37		कनिष्ठ सहायक	4	2	0
38		सहायक कर्मचारी	17	7	10
39		भू-अभिलेख निरीक्षक	10	6	4
40		पटवारी	35	20	15

(राजस्व मंत्री)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	रिक्त पद
41	उप तहसील बरवास	नायब तहसीलदार	1	1	0
42		सहायक प्रशासनिक अधिकारी	0	1	1 पद अधिशेष
43		वरिष्ठ सहायक	1	0	1
44		कनिष्ठ सहायक	1	1	0
45		सहायक कर्मचारी	2	1	1
46		भू-अभिलेख निरीक्षक	3	1	2
47		पटवारी	11	4	7

(2) जी हां। रिक्त पदों को सीधी भर्ती/पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना नियमति एवं सतत प्रक्रिया है। रिक्त पदों को नियमानुसार भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भर्ती प्रक्रिया/पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण होते ही रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की कार्यवाही की जायेगी।

डोली भूमि व मंदिर माफी की भूमि पर खातेदारी अधिकार

111. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि प्रदेश में डोली भूमि, मंदिर माफी की भूमि पर वर्षों से निवासरत लोगों को खातेदारी अथवा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार वर्षों से एवं पीढ़ियों से निवासरत पुजारियों को खातेदारी अधिकार अथवा सरकारी योजनाओं का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में जागीर भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान है। देवमूर्ति अवयस्क है तथा देवमूर्ति की भूमि पर पुजारी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वह देवमूर्ति की भूमि का केवल व्यवस्थापक मात्र है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज

(राजस्व मंत्री)

करने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासनिक सुविधा के लिये एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के सम्बन्ध में तहसील स्तर पर अलग से रखा जाता है, जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाता है। परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज.-6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 जारी कर परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में सरकार की योजनाओं का लाभ देने हेतु समस्त जिला कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है। इसमें मंदिर भूमि के विकास के लिये विद्युत, पेयजल, टयूबवैल आदि के लिये कनेक्शन, फसल खराबे की स्थिति में सहायता अनुदान, बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु अनुमत/प्राधिकृत होगा। इस सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक 12-09-2018 एवं 18.09.2019 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

गोचर भूमि को गौशाला के नाम करने की कार्ययोजना

112. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार प्रदेश में गोचर भूमि को गौशाला के नाम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे आम रास्ते जिनका पट्टा नहीं है उन्हें कैम्प लगाकर रास्ते का पट्टा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

गौशालाओं के लिये भूमि आबंटन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर राजस्थान भू-राजस्व (गौशालाओं के लिये भूमि आबंटन) नियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) जी नहीं। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रचलित रास्तों का राजस्व अभिलेखों में अंकन विभागीय परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अन्तर्गत किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

(राजस्व मंत्री)

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में आबादी भूमि के पट्टे दिये जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायतों द्वारा आम रास्ते का पट्टा दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

पाली जिले में पोषाहार कार्मिकों के मानदेय में वृद्धि

113. श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला पाली में कौन-कौन से विद्यालयों में पोषाहार बनाया जा रहा है तथा कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? सरकार द्वारा उन्हें कितना पारिश्रमिक, मानदेय दिया जा रहा है तथा मानदेय में कब-कब कितनी वृद्धि की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त के पारिश्रमिक में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुरूप मानदेय नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों तथा अब कब तक उक्त अधिनियम के तहत मानदेय स्वीकृत कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में संचालित 1808 राजकीय विद्यालयों (राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, मदरसों, संस्कृत विद्यालय एवं स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल) में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिये पोषाहार बनाया जाता है। इस कार्य हेतु 3238 कुक-कम हैल्पर्स लगे हुए हैं।

कुक-कम हैल्पर का मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार के निर्देशानुसार पोषाहार पकाने के लिये कुक-कम हैल्पर्स को अप्रैल, 2017 से पूर्व तक 1000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था, जिसे केन्द्र मद एवं राज्य मद में से क्रमश: 60:40 के अनुपात में वहन किया जा रहा था। 01 अप्रैल, 2017 से राज्य सरकार द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से इनके मानदेय में 200/- रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करते हुए 1200/- रुपये प्रतिमाह मानदेय एवं पुन: 01 जुलाई, 2018 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी करते हुए 1320/- रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है, जिसमें

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

भारत सरकार द्वारा 600/- रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 720/- रुपये प्रति कुक-कम हैल्पर प्रतिमाह वहन किया जा रहा है।

(2) कुक-कम हैल्पर का मानदेय भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। कुक-कम हैल्पर्स के मानदेय में वृद्धि हेतु भारत सरकार को समय-समय पर लिखा गया है। भारत सरकार द्वारा मानदेय में वृद्धि संबंधी दिशा-निर्देश प्राप्त होने पर राज्य में भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) जी नहीं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की अधिसूचना में कुक-कम हैल्पर संवर्ग का कोई पदनाम नही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी उन नियोजनों पर लागू होती है, जो नियोजन राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 27 में अनुसूचित नियोजन के मद में सम्मिलित किये गये हैं।

आर बी एस ई परीक्षा परिणामों में संस्था प्रधान व विषय अध्यापकों का योगदान

114. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 2019 व 2020 में कक्षा दसवीं तथा कक्षा 12वीं का आरबीएसई परीक्षा परिणाम कितना-कितना प्रतिशत रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त परिणाम व पूरक परिणाम के पश्चात् उक्त परिणामों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पूरक परिणाम में वृद्धि में सम्बन्धित संस्था प्रधान व विषय अध्यापकों का योगदान मानती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आरबीएसई मुख्य परीक्षा परिणाम 2019-20 (प्रतिशत में) का विवरण निम्नानुसार है:-

(राज्य मंत्री, शिक्षा)

परीक्षा का नाम	**वर्ष 2019 (प्रतिशत)**	**वर्ष 2020 (प्रतिशत)**
सैकण्डरी	79.85	80.63
12वीं विज्ञान	92.88	91.96
12वीं कला	88.00	90.70
12वीं वाणिज्य	91.46	94.49

(2) मुख्य परीक्षा 2019 का माध्यमिक परीक्षा का परिणाम पूरक परीक्षा के बाद 79.85 से बढ़कर 80.87 (1.02) प्रतिशत की वृद्धि हुई। उच्च माध्यमिक का परीक्षा परिणाम 89.62 से बढ़कर 90.02 (0.40) प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मुख्य परीक्षा 2020 का माध्यमिक परीक्षा के परिणाम में पूरक परीक्षा के बाद 80.63 से बढ़कर 82.66 (2.03) प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उच्च माध्यमिक के परीक्षा परिणाम में 91.21 से बढ़कर 91.57 (0.36) प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(3) जी नहीं। अपितु परीक्षा परिणाम उन्नयन एवं नामांकन वृद्धि हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के परिपत्र दिनांक 07.05.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने से ही उक्त परिवर्तन सम्भव हुआ है। परिपत्र की प्रति परिशिष्टक पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

चूरू में शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पद

115. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू में वरिष्ठ अध्यापक गणित, विज्ञान व अंग्रेजी के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त जिले में गणित, विज्ञान व अंग्रेजी के वरिष्ठ अध्यापकों के पद लम्बे समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने-कितने व कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में शारीरिक शिक्षक संवर्ग के कितने पद स्वीकृत हैं तथा इनमें से कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चूरू जिले में वरिष्ठ अध्यापक गणित, विज्ञान व अंग्रेजी के वर्तमान में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

विषयवार पदनाम	माध्यमिक शिक्षा		प्रारम्भिक शिक्षा	
	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
वरिष्ठ अध्यापक गणित	497	187	07	05
वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान	464	109	10	06
वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी	412	90	51	38
योग	**1373**	**418**	**68**	**49**

(2) जी नहीं। चूरू जिले में वरिष्ठ अध्यापक गणित 192, विज्ञान के 115 व अंग्रेजी के 128 पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पद कितने-कितने व कहां-कहां हैं, का विद्यालयवार, विषयवार विवरण परिशिष्ट-"क-1" एवं परिशिष्ट "क -2" पर संलग्न है।

(3) चूरू जिले में शारीरिक शिक्षकों के वर्तमान में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

संवर्गवार पदनाम	माध्यमिक शिक्षा		प्रारम्भिक शिक्षा	
	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
शारीरिक शिक्षक ग्रेड-।	05	04	00	00
शारीरिक शिक्षक ग्रेड-।।	110	44	00	00
शारीरिक शिक्षक ग्रेड-।।।	371	22	228	60
योग	**486**	**70**	**228**	**60**

शारीरिक शिक्षकों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के माध्यम से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही भरा जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व संस्थापन अधिकारियों की पदोन्नति

116. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री वासुदेव देवनानी)

(1) माध्यमिक व प्रारम्भिक शिक्षा में प्रशासनिक अधिकारी व संस्थापन अधिकारी पद की डी.पी.सी. किस-किस वर्ष की बकाया चल रही है तथा क्यों? कारण सहित पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) डी.पी.सी. के उक्त बकाया वर्षों में प्रशासनिक व संस्थापन अधिकारी के कितने-कितने पद रिक्त चल रहे हैं? वर्षवार व पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त पदों की बकाया डी.पी.सी. कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त पदों की डी.पी.सी किये जाने से प्रभावी होने वाले रिक्त पदों (अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी व नीचे के पद) की भी संशोधित डी.पी.सी. करवाई जाएगी? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा प्रशासनिक एवं संस्थापन अधिकारी पदों पर डी.पी.सी के लिये आवश्यक अनुभव में कोई छूट प्रदान की गई है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा विभाग में प्रशासनिक अधिकारी की वर्ष 2020-21 डी.पी.सी. हो चुकी है, केवल संस्थापन अधिकारी के पद की वर्ष 2020-21 की डी.पी.सी. ही लम्बित है।

संस्थापन अधिकारी पद की 2020-21 की लम्बित डीपीसी शीघ्र करवाये जाने की कार्यवाही निदेशालय बीकानेर स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

(2) संस्थापन अधिकारी की वर्ष 2020-21 के लिये संस्थापन अधिकारी की 37 रिक्तियां डी.पी.सी. हेतु बनती हैं।

(3) जी हां। संस्थापन अधिकारी की वर्ष 2020-21 की बकाया डी.पी.सी. सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

ब्यावर के विद्यालयों में खेल सामग्री हेतु बजट का आबंटन

117. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री शंकर सिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के राजकीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के साथ-साथ खेलकूद के कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है? यदि हां, तो विद्यालयों में चलाये जाने वाले खेलों के नाम पर खेल सामग्री के लिये कितना-कितना बजट सरकार द्वारा कब-कब उपलब्ध करवाया गया? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त विद्यालयों में खेल सामग्री हेतु सांसद मद, विधायक मद, डी.एम.एफ.टी. मद से स्वीकृति की अनुशंसा की जा सकती है? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि किस-किस खेल के लिये स्वीकृत की जा सकती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। स्कूल शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य के साथ-साथ खेलकूद के कार्यक्रम व प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। विद्यालयों में क्रिकेट, खो-खो, हैंडबॉल, बालीबाल इत्यादि खेलों के साथ-साथ स्थानीय स्तर के खेलों को भी प्राथमिकता के साथ खिलवाया जाता है।

समग्र शिक्षा परियोजना अन्तर्गत ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में निम्नानुसार विद्यालयों को स्पोर्ट्स ग्रान्ट का बजट जारी किया गया है:-

विद्यालय	**जारी की गयी राशि**	**आदेश क्रमांक व राशि जारी की तिथि**
प्रारम्भिक शिक्षा	5000	2578 दिनांक 29.09.2020
उच्च प्रारम्भिक शिक्षा	9000	
माध्यमिक शिक्षा	25000	2935 दिनांक 07.12.2020
उच्च माध्यमिक शिक्षा	25000	

ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों का नामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। सांसद मद एवं विधायक मद की गाइडलाइन के अनुसार खेल सामग्री हेतु राशि का आबंटन किया जाता है एवं डीएमएफटी मद में जिला स्तरीय समिति की स्वीकृति अनुसार राशि का आबंटन किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रानीवाड़ा के राजकीय महाविद्यालय के नवीन भवन का निर्माण

118. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा के नवीन भवन निर्माण का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में व्याख्याता, प्राध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय महाविद्यालय, रानीवाड़ा के भवन के निर्माण हेतु DMFT/CSR/MLALAD/MPLAD FUND से राशि स्वीकृत कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) उक्त महाविद्यालय में सह/सहायक आचार्य के तीन पद रिक्त हैं। उक्त रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर यथासमय भरा जा सकेगा।

बालोतरा के कन्या महाविद्यालय में विज्ञान संकाय की स्थापना

119. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पचपदरा की डीआरजे राजकीय कन्या पीजी महाविद्यालय बालोतरा में विज्ञान संकाय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

वर्तमान में डीआरजे राजकीय कन्या पीजी महाविद्यालय बालोतरा में विज्ञान संकाय खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्लास्टिक थैलियों के उपयोग पर दण्डात्मक कार्यवाही

120. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या पर्यावरण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग पर कब से प्रतिबंध है?

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

सरकार द्वारा प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिये विगत दो वर्षों में क्या-क्या प्रयास किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के कितने प्रकरण विगत दो वर्षों में पकड़े गए एवं उक्त प्रकरणों में क्या दंडात्मक कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने दिनांक 21.07.2010 की अधिसूचना के द्वारा राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, निर्माण, स्टोर, आयात, ब्रिकी या परिवहन पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, विनिर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण हेतु किसी भी इकाई को स्थापना/संचालन हेतु सम्मति जारी नहीं की गई है। वर्तमान में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अभिलेखों के अनुसार राज्य में पोलीथिन कैरी बैग्स बनाने वाली कोई भी उत्पादन इकाई राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सम्मति प्राप्त कर कार्यरत नहीं है।

स्वायत्त शासन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार विगत 2 वर्षों में प्लास्टिक वैस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के अनुसार प्लास्टिक वैस्ट मैनेजमेंट एक्शन प्लान 2019 बनाया गया गया है तथा स्टेट लेवल मानिटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी द्वारा प्रत्येक 6 माह में एक्शन प्लान की प्रगति की समीक्षा की जाती है। प्रदेश में आदिनांक तक प्लास्टिक वैस्ट मैनेजमेंट हेतु 66 एमआरएफ (मैटेरियल रिकवरी फेसिलिटी) का निर्माण करवाया गया है।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स पर लगाए गए प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु राज्य मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग/विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों/इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त सूचना के आधार पर पिछले 2 वर्षों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अंतर्गत 36 प्रतिष्ठानों/

(राज्य मंत्री, पर्यावरण)

इकाइयों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में परिवाद दायर किये गये हैं जिसमें जोधपुर में एक उद्योग के विरुद्ध जिला उपखण्ड अधिकारी द्वारा परिवाद दायर किया गया है जो कि वर्तमान में माननीय मुख्य न्यायिक दण्डनायक जोधपुर में विचाराधीन है। जयपुर जिले में अवैध रूप से प्लास्टिक कैरी बैग बनाने की इकाई भी पकड़ी गई जिसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बंद करने के आदेश दिनांक 18.07.2019 को जारी किए गए हैं एवं इकाई के विरुद्ध 10 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षति पूर्ति आधिरोपित की गई है।

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा लगभग 265 टन प्लास्टिक कैरी बैग्स की जब्ती की गयी है तथा लगभग 2 करोड़ 98 लाख की शास्ति आरोपित की गयी है।

सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट मार्गों पर प्रदूषण मुक्त सी.सी. रोड बनाने की कार्ययोजना

121. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट के आन्तरिक सड़कों, मार्गों पर प्रतिवर्ष मोहरम (लाल मिट्टी) बिछाई जाती है? क्या यह भी सही है कि उक्त मिट्टी से वायु प्रदूषण हो रहा है क्योंकि मिट्टी वाहनों के चलने के साथ उड़ती है जिसके कारण वनस्पति एवं जीव-जन्तुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों पर प्रदूषण मुक्त सीसी रोड बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। सरिस्का बाघ परियोजना में वन एवं वन्य जीव सुरक्षा प्रबन्धन एवं प्रभावी मोनिटरिंग हेतु वन क्षेत्र में फेयर वेदर रोड संधारित है। वन एवं वन्यजीव प्रबन्धन हेतु आवश्यकतानुसार बाघ परियोजना सरिस्का के अनुमोदित टाइगर कन्जर्वेशन प्लान अनुसार प्रतिवर्ष केन्द्रीय प्रवर्तित योजना में स्वीकृति अनुसार इन फेयर वेदर रोडों का संधारण कराया जाता है, जिसके लिये स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मिट्टी का प्रयोग किया जाता है।

फेयर वेदर रोडों पर स्वत: ही मिट्टी उपलब्ध है एवं अधिकांशत फेयर

(राज्य मंत्री, वन)

वेदर रोडों पर पैट्रोल के वाहनों का नियंत्रित संचालन नियमानुसार किया जाता है जिससे वनस्पति एवं वन्य जीवों पर कम से कम प्रदूषण का प्रभाव हो।

मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के गांवों का पुनर्वास

122. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला झालावाड़ के कितने गांवों को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व से पुनर्वास किया जाना प्रस्तावित है?

(2) वर्तमान में किस-किस गांव को कब तक पुनर्वासित कर ग्रामवासियों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के दो गांवों क्रमश मशालपुरा एवं नारायणपुरा का मुकुन्दरा हिल्स टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से पुनर्वास किया जाना प्रस्तावित है।

(2) विस्थापन प्रक्रिया स्वैच्छिक होने से समय सीमा निर्धारित नहीं है।

नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोरिटी (NTCA) की गाइडलाइन (आंशिक प्रति संलग्न परिशिष्ट-ए) के अनुसार ग्राम निवासरत परिवारों को 10.00 लाख रुपये या लैण्ड पैकेज का प्रावधान है। बाहर निवासरत परिवारों को उनकी अचल सम्पत्ति की डी.एल.सी. दर पर मुआवजा देय है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

फतेहपुर में खेजड़ी के वृक्षों का रोगोपचार

123. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ अज्ञात कारणों से सूख रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इसकी कोई जांच अथवा अनुसंधान करवाया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त की ओर ध्यान देकर सरकारी स्तर पर उक्त का उपचार करवाकर उक्त वृक्षों को बचाने का विचार रखती है? यदि हां, तो

(श्री हाकम अली खां)
इसके लिये अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में राजस्व भूमि पर स्थित खेजड़ी के वृक्ष सूख रहे हैं। कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर द्वारा ''खेजड़ी को सूखने से बचाने का समन्वित प्रबंधन" विषय पर, ''ब्रोशर'' जारी किया गया है जिसकी प्रति संलग्न परिशिष्ट 'ए' अनुसार है।

(2) कृषि विभाग द्वारा कृषि क्षेत्र पर खेजड़ी के नष्ट होने, रोग के कारण, निवारण एवं उपाय के सम्बन्ध में किसानों को विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों एवं कृषि मेलों में जानकारियां दी जाती हैं।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 11 फरवरी, 2021)

बस्सी में रीको को भूमि का आबंटन

1. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि तहसील बस्सी के ग्राम तूंगा तथा नगराजपुरा स्थित चरागाह भूमि पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब तक रीको को भूमि आबंटित कर दी जायेगी?

(2) क्या यह भी सही है कि चरागाह भूमि की सिवायचक भूमि से क्षतिपूर्ति के प्रस्ताव जिला कलेक्टर जयपुर द्वारा विभाग को भेजे जा चुके हैं? यदि हां, तो कितनी भूमि देने का प्रस्ताव है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील बस्सी के ग्राम तूंगा व नगराजपुरा में रीको औद्योगिक क्षेत्र की भूमि आरक्षित हेतु जिला कलेक्टर, जयपुर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त प्रस्ताव पर नियमानुसार परीक्षणोपरान्त आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

(2) जी हां। सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर)

अंगदानकर्ता के परिवार को आर्थिक संबल तथा परिवार के सदस्य की राज्य सेवा में नियुक्ति

महोदय,

निवेदन है कि धौलपुर जिले के गांव गंगादासपुरा ग्राम पंचायत नीनोखर का निवासी 17 वर्षीय सेवाराम 22 फरवरी को सड़क दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल हो गया था। उसे धौलपुर से सवाई मानसिंह अस्पताल लाया गया था जहां उसका निधन हो गया। सेवाराम के ब्रैनडेड घोषित होने के बाद उसके परिजनों ने उसकी दोनों किडनियां, हार्ट, लिवर और लंग्स डोनेट कर दिये। दोनों किडनियों और हार्ट को सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर, लिवर को महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर तथा लंग्स को किंग्स हास्पिटल, हैदराबाद में मरीजों को ट्रांसप्लांट किया गया। धौलपुर जिले की यह पहली घटना हैं तथा प्रदेश में अंगदान की 42वीं घटना है जहां किसी किशोर ने इस प्रकार अपने शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का दान कर पांच व्यक्तियों को जीवनदान किया हो। सेवाराम के परिवारजनों द्वारा उसके अंगदान का निर्णय लेकर धौलपुरवासियों का नाम रोशन किया है। सेवाराम का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। सेवाराम के पिताजी प्रायः बीमार रहते हैं उसके एक भाई विकलांग है तथा एक छोटा भाई माइनर है। परिवार में उसके जाने के बाद उनका एकमात्र सहारा भी चला गया।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि सेवाराम के परिवारजनों के द्वारा मानवता के लिये किये गये अद्भुत त्याग का सम्मान करते हुए अंगदान को प्रोत्साहित करने हेतु सेवाराम के नाम से किसी विद्यालय का अथवा चिकित्सालय अथवा जनोपयोगी भवन या पार्क का नाम रखा जाये तथा उसके परिवार के एक सदस्य को राज्य सेवा में नियुक्ति प्रदान की जाये तथा उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)

माउण्ट आबू में सालगांव बांध की स्वीकृति

महोदय,

माउंट आबू में पेयजल व्यवस्था के स्थायी समाधान के लिये 1977 में बनाई गई सालगांव बांध परियोजना ऐसी है, जो पिछले 44 साल से धरातल

पर नहीं उतर पाई है। जिस सालगांव बांध परियोजना पर 44 साल पहले महज 27 लाख रुपये खर्च होने थे, उसकी लागत अब बढ़कर 250 करोड़ तक पहुंच गई है। विभाग ने दस्तावेज वन विभाग को सौंप दिये हैं। दिनांक 03.08.2000 को वन विभाग ने केन्द्र सरकार को स्वीकृति के लिये भेजा। दिनांक 26.02.2002 को योजना कुछ कारण बताते हुए निरस्त कर दी गई। दिनांक 03.01.2006 को 33 करोड़ 16 लाख की पुनः संशोधित योजना जलदाय की ओर से वन विभाग को सुपुर्द की गई। दिनांक 14.09.2006 को विभाग की और से सक्षम स्वीकृति को अनुशंसा की गई। दिनांक 27.11.2006 को भारतीय वन्यजीव मण्डल को पुनः भेजने की मांग की। दिनांक 08.05.2007 को जलदाय विभाग ने वन विभाग को योजना दी।

दिनांक 14.05.2007 को वन विभाग ने फिर अनुशंसा की। दिनांक 08.10.2007 को केन्द्रीय पर्यावरण, वन मंत्रालय ने इसे प्रथमदृष्ट्या स्वीकृत कर स्टैंडिंग कमेटी को निर्माण स्थल निरीक्षण के निर्देश दिये। दिनांक 16.02.2008 को कमेटी की ओर से अधिकारियों ने निरीक्षण किया। दिनांक 29.06.2010 को कैचमेंट एरिया पर बांध की मूल लागत कई गुना अधिक व्यय आने से अव्यावहारिक बताते हुए योजना निरस्त कर दी गई। इसके कुछ माह बाद योजना पर फिर कवायद शुरू हुई। दिनांक 27.06.2012 को संसदीय समिति की ओर से मौका निरीक्षण व योजना का प्रारूप बना। दिनांक 29.07.2016 को मुख्य मंत्री के समक्ष परियोजना का मुद्दा उठा। अगस्त, 2016 में राज्य वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने आंशिक संशोधन कर सैद्धांतिक स्वीकृति दी। दिनांक 15.05.2017 को नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति मिली। कुछ समय पूर्व 250 करोड़ की डीपीआर संबंधित विभाग की ओर से सचिव मंडल को संप्रेषित की गई है, जिसकी प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति का इंतजार है।

सालगांव बांध परियोजना के तहत 155-56 मिलियन घन फीट भराव क्षमता का बांध बनना है, इससे माउंटवासियों के लिये स्थायी पेयजल का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा बांध से रिसने वाले पानी से काश्तकारों की भूमि की सिंचाई हो सकेगी। भू-क्षरण पर रोक लगने और वन्य जीवों को भी पीने का पानी मिल जाएगा। सबसे बड़ा कारण यह है कि बारिश के दिनों में जो पानी व्यर्थ बहकर चला जाता है, उसका सदुपयोग हो सकेगा।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर)

राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर फोरलेन की स्वीकृति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एनएच-52 निकलता है। हरियाणा के झुंपा बार्डर से हरियाणा की तरफ 4 लेन हैं, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव गोठया बड़ी से लेकर राजगढ़, चूरू, फतेहपुर, सुजानगढ़ व लाडनूं, डीडवाना होते हुए अन्य राजमार्ग से मिलता है, जो कि दो लेन है। इस राजमार्ग पर अधिक संख्या में भारी वाहनों का आवागमन रहता है। साथ ही ये राजमार्ग सालासर बालाजी धाम को भी जोड़ता है। इस कारण इस राजमार्ग पर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का भी आना-जाना होता है।

राजगढ़ से फतेहपुर सुजानगढ़ तक भारी वाहनों को ओवर टेक करने का मतलब मौत को चैलेंज करना है। इस राजमार्ग पर काफी गंभीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। यदि नेशनल हाईवे 52 को मौत का राजमार्ग कहा जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अतः मैं सरकार का ध्यान इस गंभीर विषय पर दिलाना चाहती हूं। साथ ही मैं आग्रह करना चाहती हूं कि उक्त मार्ग को अतिशीघ्र फोरलेन बनाने के लिये भी केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करें, ताकि होने वाली गंभीर दुर्घटनाओं से निजात मिल सके।

श्री हीराराम (बिलाड़ा)

बिलाड़ा में पेयजल हेतु कार्ययोजना

महोदय, सादर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में मीठे पानी की गम्भीर समस्याओं के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह समस्या आजादी के बाद से आज आधुनिक भारत के समय में भी है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में दो बड़ी नगरपालिका बिलाड़ा एवं पीपाड़ शहर आती हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का पीपाड़ शहर दूसरा घर है जो युवावस्था में इनका व्यापारिक पायदान रहा है। बिलाड़ा एवं उनके आस-पास के 112 गांवों में पीने के पानी हेतु मीठा पानी लाने हेतु माणकलाव दांतीवाड़ा बिलाड़ा पेयजल योजना पूर्व में कई वर्षों पहले लागू की गई थी जिसका उद्देश्य बिलाड़ा विधान सभा के करीब 112 गांवों को फ्लोराइड व खारे पानी पीने से मुक्ति दिलाना है। इससे पूर्व वर्षो से बिलाड़ा शहर फ्लोराइड युक्त एवं खारा पानी पीता आ रहा है वर्तमान में भी पी रहा है जिससे उनके कस्बावासियों की हड्डियों में

फ्लोराइड जम जाने से घुटने एवं कमर दर्द की समस्या लम्बे समय से है। इस बीमारी को ठीक करने हेतु कुछ वर्ष पहले उक्त योजना लाई गई थी, परन्तु बीस वर्षो में अभी तक बिलाड़ा शहर को मीठा पानी नसीब नहीं हुआ। बिलाड़ा के पास चार किलोमीटर दूर जोधपुर जिले का बहुत बड़ा बांध जसवंतसागर बांध है, परन्तु 2007 के बाद आज तक नहीं भरा गया है जिससे बिलाड़ा में अकाल जैसी स्थिति है तथा आस-पास के कृषि कुएं व तालाब सूखे पड़े हैं। जल स्तर 800 फीट नीचे चला गया है। अभी बिलाड़ावासी खारा पानी पीने को मजबूर हैं। पहले बिलाड़ा रणसी जोधपुर परियोजना पूरे जोधपुर को पीने का पानी पिलाती थी। अब खुद प्यासी है। जोधपुर को तो हिमालय का मीठा पानी मिल गया, परन्तु बिलाड़ा एवं रणसी को पानी कर्ज नहीं चुकाया गया। कहने को तो बिलाड़ा शहर में पांच बड़ी टंकिया चार वर्षो से निर्मित करा दी हैं तथा आस-पास के गांवों में भी बड़ी टंकिया निर्मित हो गई हैं। बड़े बड़े पम्प हाउस भी बना दिये हैं, कुछ गांवों में कभी-कभार मीठे पानी को खारे पानी में मिक्स कर सप्लाई कर दिया जाता है परन्तु बिलाड़ा तो मीठे पानी से दूर खारा पानी पीने को मजबूर है। टंकियों में भी बिना पानी भरे अब दरारें आ रही हैं। साथ पीपाड़ शहर में भी यह हाल है और साथ जालेली फौजदारा, पालासनी. मोटरूका फिटकासनी, बीरामी, बिराडावास एवं कई गांवों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पानी के टैंकर सप्लाई नहीं किये जाते हैं।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवदेन है कि बिलाड़ा नगरपालिका एवं आस-पास के गांव ट्यूबवैल से खारा पानी पीते हैं। बिलाड़ा नगरपालिका के पास में जसवंत सागर बांध बना हुआ है इसमें हाल ही में सरकार द्वारा 4.5 करोड़ रुपये लगाकर इस बांध की मरम्मत कराई गई है। अगर सरकार चाहे तो राजीव गांधी नहर तृतीय चरण का पानी जसवंत सागर बांध में डालकर बिलाड़ा नगरपालिका एवं आस-पास के गांवों को मीठा पानी पिलाया जा सकता है।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि पीने के पानी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार से शीघ्र करवाकर बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की जनता को अनुगृहीत करवाने का श्रम करायें।

श्री गजराज खटाणा (बांदीकुई)

बांदीकुई एवं बसवा में पेयजल समस्या

महोदय, आपने मुझे नियम 295 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। मैं आपका ध्यान निर्वाचन क्षेत्र के बांदीकुई एवं बसवा में

आ रही पानी की भारी किल्लत की ओर आकर्षित कर बताना चाहूंगा कि बांदीकुई व बसवा कस्बे में विगत वर्षों से शहर में 8 से 10 दिन में पानी वितरण हो रहा है, जो भी खारा पानी है। यह बेहद ही चिंताजनक विषय है।

महोदय, मेरे द्वारा निर्वाचित होने के बाद से ही निरंतर बार-बार विभागीय अधिकारियों से उक्त समस्या के निजात हेतु उचित कार्यवाही करे जाने का अनुरोध किये जाने पर भी वर्तमान तक भी स्थिति जस की तस है। क्षेत्र की जनता में अत्यंत आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं सदन के माध्यम से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आगामी गर्मी के मौसम को देखते हुए इस क्रम में स्थायी ठोस कदम उठाकर जनता को इस समस्या से निजात दिलवाने की कृपा करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू)

बारां शहर में विभिन्न समाजों को भूखण्ड आबंटन और कालोनियों का नियमन कर पट्टा वितरण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 में विशेष उल्लेख के तहत सदन का ध्यान आकर्षित कर ये निवेदन करना चाहता हूं कि बारां शहर में विभिन्न समाजों द्वारा छात्रावास और सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु भूमि आबंटन की मांग की जा रही है। बारां शहर में दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यार्थी अध्ययन करने आते हैं, लेकिन छात्रावास नहीं होने से विद्यार्थियों को विशेषकर बालिकाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारां शहर में गोस्वामी समाज, प्रजापति समाज, ऐसे कई समाज हैं जो भूखण्ड आबंटन के लिये लम्बे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन्हें अभी तक भूमि आबंटन नहीं हो पाया है। राज्य सरकार द्वारा कोटा संभाग के कई जिलों में समाजों को छात्रावास और सामुदायिक भवन के लिये भूखण्ड आबंटित किये गये हैं।

अतः बारां शहर में भी समाजों को छात्रावास और सामुदायिक भवन निर्माण के लिये भूखण्ड आबंटन किया जाये। बारां शहर में मकान के पट्टे जारी किये जाने के 597 प्रकरण लम्बित हैं तथा बारां शहर की नटराज नगर, टीचर नगर, वैभव नगर, सिविल लाइन्स, चौरसिया की बावड़ी ग्रेड बस्ती, इन्द्रा गाँधी नगर, जनता/क्षमा कोलोनी, द्वारिकाधाम, गोवर्धन धाम अमरपुरा, स्वामी

विवेकानन्द के पास का नियमन अभी तक नहीं हो पाया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि बारां शहर में विभिन्न समाजों को छात्रावास और सामुदायिक भवन के लिये नियमानुसार भूमि आबंटित की जाए तथा लम्बित पट्टों के प्रकरण का निस्तारण किया जाये तथा 11 कालोनियों का अतिशीघ्र नियमन किया जाये।

श्री मुरारी लाल (दौसा)

राजस्व रिकार्ड में पूर्विया, पूर्विया राजपूत, राजपूत पूर्विया जाति का राजपूत जाति में अंकन

महोदय,

राजस्थान प्रदेश के राजस्व रिकार्ड में राजपूत समाज के एक वर्ग में जाति के रूप में पूर्विया शब्द दर्ज चला आ रहा है। कालान्तर में ये लोग पूर्व दिशा से आये थे, जिसके कारण इनको पूर्विया कहने लग गये और राजस्व रिकार्ड में पूर्विया ही इन्द्राज कर दिया गया जबकि ये आम बोलचाल की भाषा में पहचान का शब्द है। वर्तमान में प्रदेश में इनकी आबादी करीब 50-60 हजार है। राजस्व रिकार्ड में इनकी जाति पूर्विया, पूर्विया राजपूत, राजपूत पूर्विया आदि दर्ज है, जबकि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की किसी भी सूची में पूर्विया नाम की कोई जाति नहीं है। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सम्मिलित नहीं हैं। इस प्रकार पूर्विया नाम की कोई जाति राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं है।

वर्तमान में युवा पीढ़ी अपने नाम के साथ जाति राजपूत अंकित करती है जिससे उन्हें अपने मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी आ रही है जिसके कारण इन्हें सरकारी योजनाओं/नौकरियों के लाभ से वंचित रहना पड़ रहा है।

राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों में इनका प्रतिनिधित्व राजपूत मानते हुए किया जाता है। राजपूत समाज की शीर्ष सामाजिक संस्था श्री राजपूत सभा, जयपुर भी कई वर्षों से यह मांग करती आ रही है कि राजस्व रिकार्डों में पूर्विया के स्थान पर राजपूत किया जाए।

अतः राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजपूत समाज के एक वर्ग में जाति के रूप में त्रुटिवश अंकित पूर्विया, पूर्विया राजपूत, राजपूत पूर्विया आदि के स्थान पर राजपूत जाति अंकित की जाए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा)

धौलपुर के तीर्थराज मचकुण्ड का श्री कृष्णा सर्किट में सम्मिलन किया जाना

महोदय,

मैं आपका ध्यान धौलपुर स्थित तीर्थराज मचकुण्ड की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्री कृष्णा सर्किट विकसित किया जा रहा है जिसमें भगवान श्रीकृष्ण की लीला स्थलियों को जोड़ा जा रहा है जिसमें केन्द्र द्वारा 1000 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। श्रीमानजी धौलपुर में स्थित मचकुण्ड धाम को इस योजना में सम्मिलित किया जाये। धौलपुर मुख्यालय पर स्थित मचकुण्ड भी भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा हुआ भाग है। मचकुण्ड धाम धौलपुर में भगवान श्रीकृष्ण ने अपनी रणछोड़ लीला भी की थी जब दैत्य कालयवन और भगवान श्रीकृष्ण के युद्ध के समय भगवान श्रीकृष्ण निशस्त्र होकर रणक्षेत्र को छोड़कर भागे तभी से भगवान श्रीकृष्ण का एक नाम रणछोड़ प्रसिद्ध हुआ। जिसके तहत कालयवन दैत्यवध को महाराज मुचुकुन्द के द्वारा सुनिश्चित कर इसी मचकुण्ड धाम में महाराज मुचुकुन्द के साथ मिलकर यज्ञ सम्पन्न किया। तत्पश्चात् द्वारिका गमन किया और श्रीकृष्ण भगवान के अनेकों नाम में से एक नाम रणछोड़ इसी पुण्य धारा तक ही रहा। यहीं से भगवान श्रीकृष्ण का नाम रणछोड़ पड़ा है। तीर्थराज मचकुण्ड को सभी तीर्थो का भांजा भी कहा जाता है। तीर्थराज मचकुण्ड धाम मथुरा नगरी से लगभग 100 किमी की दूरी पर स्थित है और बृज क्षेत्र में भी आता है इसलिये इस योजना में सम्मिलित किये जाने से यह पयर्टन स्थल के रूप में और भी विकसित होगा। पर्यटक स्थल बनने से देश-विदेश से सैलानियों के भ्रमण से यहां पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

मेरा आपसे निवेदन है कि तीर्थराज मचकुण्ड जिला धौलपुर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत श्रीकृष्णा सर्किट में सम्मिलित किये जाने हेतु केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर सम्मिलित कराएं।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर)

ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्वीकृति

महोदय,

मैं आपका ध्यान प्रदेश के अत्यन्त लोक हित के मुददे की ओर

आकृष्ट करते हुए अवगत कराना चाहूंगा कि सरकार हमेशा यह कहती है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उच्च माध्यमिक विद्यालय होने चाहिए, लेकिन अभी तक इस पर धरातल पर कार्य नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रदेश में आज भी कई ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं जहां पर प्राथमिक विद्यालय हैं या कहीं पर उच्च प्राथमिक विद्यालय है। प्रदेश में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु हमारा बेहतर प्रयास होना चाहिए। इस हेतु मेरा सरकार से आग्रह है कि प्रदेश के सभी पंचायत मुख्यालयों पर जहां प्राथमिक विद्यालय है उसको माध्यमिक तक क्रमोन्नत किया जाये एवं जहां माध्यमिक है वहां पर उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाये अथवा कम से कम ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिये। जहां सरकार एक तरफ 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने की बात करती है, यह भी अच्छी पहल है, लेकिन इससे भी ज्यादा यह महत्वपूर्ण है कि ग्राम पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय अनिवार्य रूप से खोलने की सरकार घोषणा कराएं ताकि आमजन के प्रति एक सकारात्मक संदेश सरकार के प्रति जाये।

श्री वाजिब अली (नगर)

नगर में ए डी जे कोर्ट की स्थापना

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र नगर के निवासियों को एडीजे कोर्ट जाने के लिये ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 60 से 70 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे इन लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और लोग समय पर नहीं पहुंच पाते। विधान सभा क्षेत्र नगर में एडीजे कोर्ट संचालन के लिये सभी संसाधन उपलब्ध हैं, इसलिये सरकार पर किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार नहीं आयेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र नगर में एडीजे कोर्ट स्थापित करने का श्रम करें।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़)

जमवारामगढ़ में वन अभयारण्य क्षेत्र में जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों

के नियम 295 के अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वन्य अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले अधिकांश गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर सरकार द्वारा लगाई गई रोक को हटाने के संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय वन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के विठलपुर, सुरेठी बिशनपुरा, केलनवास, गोपालगढ़, नौपुरा, भिवास, घाटी घनश्यामपुरा, साहू, साहू शीरा, जमवाघाट, रासावाला, बस्सी, काली बरकड़ी, डगोता, काणीखोर, दांतली, पावटा, महंगी, गुढा-हरूका, बामनवाटी, महंगौर, नांगल तेजसिंह, रायसर, कुशलपुरा, डारोलाई चैनपुरा, नीम्बी, रायपुर, घोरेठ खरहड़ व लोठीपुरा पावटा आदि गाँव वन्य अभयारण्य क्षेत्र में आने के कारण सरकार द्वारा इन गांवों की जमीनों पर पूर्णतया रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गई है तथा इनके अलावा क्षेत्र के लगभग 50 गांवों को भी आंशिक रूप से वन्य अभयारण्य क्षेत्र में मानते हुए उन गांवों की जमीनों की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई है। उक्त गांवों की जमीनों की खरीद फरोख्त पर रोक होने के कारण उक्त गांवों के किसानों को प्राकृतिक आपदा या ओलावृष्टि या अनावृष्टि होने पर किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है और न ही किसानों को बैंकों से किसी प्रकार का कोई ऋण मिल पा रहा है, न ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। इस रोक के होने के कारण क्षेत्र में सरकारी कार्यालयों हेतु भी जमीन का आबंटन नहीं हो सकता है। इस कारण से उक्त सभी गांवों के किसानों में भारी रोष व्याप्त हो गया है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय वन मंत्रीजी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वन्य अभयारण्य क्षेत्र में आने वाले उक्त गांवों की जमीनों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को तुरंत प्रभाव से हटाया जाए।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर)

पटवारियों के कार्य बहिष्कार के दौरान आवश्यक कार्यों के निपटान हेतु वैकल्पिक व्यवस्था

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि वर्तमान में पटवारियों के कार्य बहिष्कार के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पटवारी के हस्ताक्षर नहीं होने से ग्रामीण विकास के कार्य अवरुद्ध होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में काश्तकारों को कृषि कार्ड बनवाने तथा जमीन संबंधी कागजों में हस्ताक्षरों की कमी के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इसी प्रकार छात्र-छात्राओं को स्कूल, कालेजों में प्रवेश हेतु आवश्यक

दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, किन्तु पटवारियों के कार्य बहिष्कार के कारण हस्ताक्षर नहीं होने से उनके महाविद्यालयों में प्रवेश व परीक्षा फार्म जमा करवाने की अंतिम तिथि निकल जायेगी, जिसके कारण उनका भविष्य अंधकार में हो जायेगा तथा जिन अभ्यर्थियों की नौकरी लग चुकी है उनके ज्वाइनिंग दस्तावेजों में हस्ताक्षरों के अभाव में ज्वाइन नहीं कर पाने से उनकी नौकरी छूटने का अंदेशा है।

अतः ग्रामीणजन, किसानों एवं छात्र-छात्राओं के हितों को ध्यान में रखते हुए पटवारियों के कार्य बहिष्कार के दौरान आवश्यक कार्यों हेतु ग्राम सचिव या नायब तहसीलदार महोदय को निर्देशित करें, जिससे इस संकट के समय में राहत मिल सके।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा)

भीलवाड़ा शहर के उपनगर पुर से रोडवेज बसों का संचालन

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र भीलवाड़ा शहर के उपनगर पुर की आबादी 40000 है। नेशनल हाईवे के निर्माण से पहले सारी रोडवेज की बसें पुर उपनगर से होकर निकलती थीं। वहां राजस्थान पथ परिवहन निगम की टिकट विण्डो भी बनी हुई है। नेशनल हाईवे के निर्माण के बाद उपनगर पुर से होकर एक बस नहीं गुजरती है। सारी बसें हाईवे से होकर निकल जाती हैं जिससे यात्रियों को हाईवे पर ही उतार दिया जाता है। जहां से पुर की दूरी 3-4 किमी. है, जिससे सभी ग्रामीणों को दिन रात परेशानी हो रही है, विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों को। एक वर्ष पहले स्वयं मुख्य मंत्री जी ने पुर का दौरा किया था उस वक्त भी यह समस्या जनता ने बतायी थी लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। मैंने भी स्वयं जिला कलेक्टर महोदय एवं रोडवेज प्रशासन से कई बार बात की, 1-2 दिन रोडवेज की बसें निकलती हैं, फिर बंद हो जाती हैं। इतनी बड़ी 40000 से अधिक की आबादी को रोडवेज प्रशासन द्वारा परेशान करना सरकारी एवं प्रशासनिक संवदेनहीनता का परिचायक है। पिछले 30 वर्षों से रोडवेज लगातार उपनगर के बीच से होकर गुजरती थी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मानवीय समस्या का समाधान शीघ्र कर उपनगर पुर में से होकर रोडवेज बसों का संचालन शुरू कराएं, जिससे बड़ी आबादी महिलाओं एवं बच्चों को सुविधा मिल सके एवं जनता के आक्रोश को भी शांत किया जा सके।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू)

बगरू में पेयजल व्यवस्था

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू में पानी की समस्याएं आये दिन बढ़ रही हैं। मेरे उक्त विधान सभा क्षेत्र में जो ग्राम पंचायतें और बड़े गांव एवं नगरपालिका क्षेत्रों में पेयजल जल योजना से नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द पेयजल योजना बनाकर जोड़ने का कष्ट करें और बीसलपुर के पानी को लाने की योजना को जल्दी से जल्दी गतिशील बनाकर चालू करें, जिससे आम जनता को पानी की समस्या से निजात मिल सके एवं टैंकरों से मुक्ति मिल सके।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़)

अनूपगढ़ में क्षतिग्रस्त सड़कों का नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार कार्य

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत अनूपगढ़ क्षेत्र में सड़कों का नवीनीकरण व जीर्णोद्धार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही हूं। विगत दो वर्षों से अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लिये नवीन सड़कों के अलावा क्षतिग्रस्त सड़कों के नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार का कार्य नहीं किया जा रहा है। नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार नहीं होने से क्षतिग्रस्त सड़कों से आये दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। कुछ स्थानों पर तो सड़कों में 3-4 फीट तक गड्ढे हो चुके हैं। अनूपगढ़ से नाहरावाली, 2 एलएम (बी) से 3 एनडी, पतरोड़ा से 1 एनडब्ल्यूएम (नाईया वाली), अनूपगढ़ से 32 ए, 2 केएम से 3 एनडी लिंक रोड, रामसिंहपुर से कुपली गोमावाली माईलेटी, घड़साना पुरानी मण्डी से रावला, रावला से खानुवाली और 365 हैड, नई मण्डी घड़साना से 6 एसकेएम, 8 केएनडी लिंक रोड से खोबर, 3 एनएम (ढ़ाबा) से 465 हैड (दमोलाई), रावला से रोजडी, 4 केपीडी से 22 आरजेडी, रावला से डण्डी रोड, 12 केडी से 10 केडी, 7 केडी से 13 केडी बी, 10 एलएम से 15 एलएम, रावला गांव से 9 केडी, सहारनपुरा से 4 केपीडी, 5 पीजीएम से 3 एनडी, 8 ए से 11 ए, 2 केपीडी डंडी रोड से 1 केएलएम, सेखडा माइनर से 9 डीओएलबी, 15 एलएम से 3 जेएम इत्यादि, इन्हें ठीक कराने एवं पेच वर्क करवाने के लिये स्थानीय स्तर पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। स्थानीय अधिकारी टालमटोल की नीति अपना रहे हैं। आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही हूँ।

परिशिष्ट 2

मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 27-पेयजल योजना के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री छगनसिंह (आहोर):

1. विधान सभा क्षेत्र आहोर में पी.एच.ई.डी. में सहायक अभियन्ता, कनिष्ठ अभियन्ता के रिक्त पदों पर नियुक्ति देते हुए भाद्राजून में नया सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने के साथ सभी रिक्त पदों को भरने हेतु चर्चा के लिये।
2. जल जीवन मिशन के तहत नर्मदा के FR प्रोजेक्ट एवं ER क्लस्टर का कार्य शीघ्र शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र आहोर में पेयजल हेतु 20 नए सोलर पम्प की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

4. TSP क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आदिवासी परिवारों की अंशदान राशि माफ करने अथवा TAD से वहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़):

5. TSP क्षेत्र में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आदिवासियों की अंशदान राशि माफ करने अथवा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से अंशदान राशि वहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. प्रतापगढ़ जिले में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान के लिये वर्षा जल को एकत्रित करने हेतु मोंका टोक, देवकुंड, चुम्मडेम, देवदकराडिया डेम, केरिया डेम, चोरापता तालाब, पाटा वाला खोरा, सवनीपखा, अमृतीया बावजी, जैसे छोटे-छोटे बांधों का जल जीवन मिशन के अर्न्तगत निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. जाखम बांध से प्रतापगढ़, अरनाड, दलोट, सुहागपुरा, धयोतर के 524 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत हो चुकी योजना के लिये

अतिशीघ्र निविदा आमंत्रित कर कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़):

8. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पेयजल हेतु नये ट्यूबवैल लगवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।
9. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ के गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
10. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जनता जल योजनान्तर्गत ट्यूबवैल्स के निर्माण करवाये जाने एवं बिलों का भुगतान समय पर नहीं किये जाने से हो रही समस्या पर चर्चा के लिये।
11. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में पेयजल आपूर्ति के लिये कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।
12. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में ट्यूबवैल्स के सूख जाने से ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने की आवश्यकता पर चर्चा करने हेतु।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

13. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के गांवों में पेयजल की व्यवस्था करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगसी राम (रेवदर):

14. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की विकट पेयजल समस्या के समाधान हेतु कन्टींजेंसी प्लान में अपर्याप्त राशि प्रस्तावित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
15. प्रधान मंत्री जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रेवदर के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
16. विधान सभा क्षेत्र रेवदर में वर्ष 2019 से फरवरी 2022 की अवधि के दौरान जल जीवन मिशन योजना के तहत रजिस्टर्ड परिवारों को पेयजल उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।
17. विधान सभा क्षेत्र रेवदर की बंद पड़ी पेयजल योजनाओं के कारण अपर्याप्त पेयजल सप्लाई, दूरदराज में पेयजल उपलब्ध नहीं होने एवं बन्द पड़े हैण्डपम्पों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

18. विधान सभा क्षेत्र ओसियां की ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर):

19. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में हर घर जल कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

20. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में विभिन्न गांवों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
21. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ़ व सुमेरपुर शहरों में जल जीवन मिशन योजना लागू कर SR, JLR व पाइपलाइन डालकर हर घर पेयजल हेतु घरेलू कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
22. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में विभिन्न गांवों में भयंकर पेयजल संकट होने के कारण 100 ट्यूबवैल व 100 हैण्डपम्प खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
23. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर की विभिन्न ढाणियों में पेयजल की सुविधा हेतु 25 सौर ऊर्जा हैण्डपम्प लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
24. जोधपुर से पाली तक पाइपलाइन डालकर पाली शहर, पाली पंचायत समिति के गांवों व रोहट के गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर):

25. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में अधिशासी अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
26. विधान सभा क्षेत्र खानपुर की बकानी तहसील में ग्राम पंचायत आगरिया, कुशलपुरा, बढ़ाप, मोड़ी के सभी गांवों में छापी योजना से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
27. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के खानपुर उपखण्ड मुख्यालय पर सभी कॉलोनियों में लाइन बिछा कर पानी पहुंचाने की आवश्यक्ता पर चर्चा के लिये।
28. विधान सभा क्षेत्र खानपुर के तारज कस्बे में पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र खानपुर में गत बजट घोषणान्तर्गत लगने वाले हैण्डपम्पों को तुरन्त लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

30. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर को चम्बल पेयजल परियोजना में जुड़वाने व चम्बल व ईसरदा परियोजना के सर्वे में शामिल करवाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ईसरदा बांध परियोजना में जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में चल रहे पेयजल योजना के कार्यों को शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्वीकृत दस ट्यूबवैल नहीं लगने से आमजन को हो रही परेशानियों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में विकट जल संकट को देखते हुए नवीन जल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

35. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पडोली राठौड़, ओडवाडिया में हर घर नल योजना लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. विधान सभा क्षेत्र घाटोल की गनोड़ा पंचायत मुख्यालय पर पाइप लाइन बदलकर घरों तक पानी की व्यवस्था करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

37. जनता जल योजना को P.H.E.D द्वारा संचालित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पीपलखूंट क्षेत्र में सार्वजनिक कूप निर्माण स्वीकृत कर जनता को पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. विधान सभा क्षेत्र घाटोल में हर घर जल योजना लागू कर पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

40. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में पेयजल हेतु यमुना का पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में जनता जल मिशन योजना के अन्तर्गत

कार्य स्वीकृत होने के उपरान्त भी कार्य शुरू नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री वाजिब अली (नगर):

42. विधान सभा क्षेत्र नगर के वार्डों में पेयजल की पाइपलाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र नगर की उप तहसील जनूथर में जलदाय विभाग का कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र नगर (भरतपुर) में स्वीकृत जनता जल मिशन योजनाओं के टेंडर शीघ्र करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा सीकरी में पेयजल की पाइपलाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती गायत्री त्रिवेदी (सहाड़ा):

46. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

47. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नव विकसित कालोनियों एवं आबादी विस्तार क्षेत्र में जिन स्थानों पर शहरी जल योजना के तहत पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है, उन स्थानों पर पाइप लाइन बिछाई जाने की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान पेयजल मांग 12 एम.एल.डी. को जल जीवन मिशन के अन्तर्गत अतिरिक्त जल मांग 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर लगभग 16 एम.एल.डी. पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में कनिष्ठ एवं सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में जनता जल मिशन के अन्तर्गत संवेदक द्वारा किए जा रहे कार्यों में लापरवाही करने एवं खोदी गयी सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में जनता जल मिशन के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत होने के उपरांत भी कार्य शुरू नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर):

52. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में पेयजल व्यवस्था हेतु अलवर-चम्बल परियोजना का कार्य शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. पेयजल हेतु ईसरदा बांध परियोजना का कार्य शीघ्र करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. अलवर सहित 13 जिलों की पेयजल के लिये ईस्टर्न कैनाल परियोजना शीघ्र शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. नटनी का बांरा (बांरा बियर) से जाने वाले पानी को भरतपुर जिले के मुकाबले अलवर को पेयजल हेतु अधिक आपूर्ति किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. सिलीसेढ़ बांध से अलवर शहर को पेयजल हेतु पानी की सप्लाई शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

57. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में संचालित जनता जल मिशन योजना से संचालित स्कीम को विभागीय योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में फ्लोराइड युक्त पेयजल से निजात दिलाने एवं इसके निस्तारण हेतु नवीन स्कीम स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र खण्डार के ग्राम घमूण खुर्द, कावड़ एवं हलौंदा की पूर्व में निर्मित पेयजल योजनाओं में व्याप्त कमियां एवं अनियमितताओं की जांच करवाने एवं नवीन स्कीम स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):

60. जयपुर शहर की कई कालोनियां जो बीसलपुर परियोजना से जुड़ी हुई नही हैं, को जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

61. बीसलपुर बांध से पानी की आवक हेतु मानसून पर निर्भरता को कम करने हेतु ब्राह्मणी नदी से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

62. जयपुर शहर में स्थित बहुमंजिली इमारतों में पेयजल कनेक्शन सामान्य दर पर दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर के कई क्षेत्रों में जर्जर पेयजल पाइपलाइनों को हटाकर नई पाइपलाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कालूराम (डग):

64. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में जल जीवन मिशन योजना के तहत पुरानी लाइनों में ही नल कनेक्शन देने से क्षेत्र में पानी की पर्याप्त सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) की रेवा, राजगढ़ भिमनी माधवी, गागरीन पेयजल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारु रूप से नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में वर्ष 2020-21 में स्वीकृत सोलर पम्प व ट्यूबवैल पूर्ण रूप से नहीं लगने व उनमें सुचारु रूप से पानी की सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. विधान सभा क्षेत्र डग में भवानी मण्डी को राजगढ़ पेयजल परियोजना से नहीं जोड़ने व जनता जल योजना तथा पम्पटेंक योजना का बन्द हो जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. विधान सभा क्षेत्र डग (झालावाड़) में कन्टींजेंसी प्लान के तहत पेयजल के कराये जाने वाले कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

69. जलदाय विभाग में पर्याप्त संख्या में तकनीकी सहायकों की नियुक्ति किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र जालौर में स्वजल धारा योजना एवं जनता जल योजना से लाभान्वित गांवों को जल जीवन मिशन से लाभान्वित कर दोनों योजनाओं को बंद कर उनमें कार्यरत कार्मिकों को विभाग में समायोजित करने के सम्बन्ध में चर्चा हेतु।

71. जालौर जिले में FR प्रोजेक्ट से लाभान्वित गांवों को आबादी एवं पशुधन के हिसाब से निर्धारित मात्रा में पेयजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करने के लिये हर गांव में फ्लो मीटर लगवाकर मोनिटरिंग करने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

72. विधान सभा क्षेत्र जालौर में आगामी गर्मी के मौसम में जनता को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कंटींजेंसी प्लान बनाकर लागू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. नर्मदा पेयजल योजना के ER प्रोजेक्ट के अन्तर्गत आने वाले जालौर विधान सभा क्षेत्र के गांवों को उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी):

74. नगरपालिका बड़ी सादड़ी में नवीन पाइपलाइन डालकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं):

75. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के आन्टी, हस्तेड़ा, किशनमानपुरा मोकल गोविन्द आदि ग्राम पंचायतों व नगरपालिका चौमूं को भी बीसलपुर योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति की चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र चौमूं में ग्राम पंचायत की पंचायत समिति व जिला परिषद् से हुए सिंगल फेज बोरिंगों के कनेक्शन नहीं होने व ग्रामीणों को पानी का लाभ बिना मिले ही ठेकेदारों को किए गए भुगतान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम पंचायत अनन्तपुरा-जैतपुरा, गोविन्दगढ़, उदयपुरिया, कालाडेरा, किशनमानपुरा, आण्ट्री, सावनसर, लोहरवाड़ा, टांकरड़ा, चीथवाड़ी, फतेहपुरा, सामोद, सीगोद केला, ढोढसर आदि में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

79. नगरपालिका चौमूं द्वारा पेयजल समस्या के समाधान के लिये डाली गई पाइपलाइन में हुए भ्रष्टाचार व अनियमितता की जिला स्तरीय कमेटी से जांच कराने व पानी की बिना आवश्यकता डाली गई पाइप लाइन में हुए धन के दुरुपयोग से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

80. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की पेयजल योजनाओं की पुरानी एवं

क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को बदलकर नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में दूरदराज की ढाणियों को नर्मदा डी.आर. प्रोजेक्ट से पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. वर्ष 2021-22 में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र हेतु 10 ट्यूबवैल एवं 40 हैण्डपम्प की बजट घोषणानुसार विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में बन्द पड़ी पीएण्डटी पेयजल योजनाओं को पुन: शुरू किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली):

85. विधान सभा क्षेत्र पाली में सौर ऊर्जा आधारित ट्यूबवैल पर सौर ऊर्जा नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

86. पाली शहर की बसी नई आबादी की बस्तियों में रूडिप द्वारा पाइप लाइन बिछाई जाकर पेयजल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. पाली जिले की रोहट तहसील के गांवों में पशुओं हेतु भी पेयजल योजना से अतिरिक्त पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. पाली जिले की रोहट तहसील के गांवों में बंद पड़े आर.ओ. प्लान्ट को पुन: प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. जोधपुर से रोहट (पाली) तक पाइप लाइन बिछाकर पेयजल हेतु राजीव गांधी कैनाल का पानी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

90 विधान सभा क्षेत्र नोखा में फेल हो गये नलकूपों के स्थान पर नये ट्यूबवैलों के प्रस्ताव स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

91. विधान सभा क्षेत्र नोखा के जलदाय विभाग के जिला ग्रामीण खण्ड-प्रथम, बीकानेर में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

92. नोखा तहसील के समस्त गांव, ढाणियों एवं कस्बों को जल जीवन मिशन के तहत नहरी पेयजल परियोजना के हो चुके टैण्डर का तुरन्त वर्क आर्डर जारी करके काम शुरू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

93. नोखा शहर की पेयजल सप्लाई को नगरपालिका के संचालन से मुक्त कर पुन: जलदाय विभाग के अधीन लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. जिला बीकानेर में जल जीवन मिशन के तहत प्रस्तावित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु संभाग मुख्यालय बीकानेर में एक मुख्य अभियन्ता का पद स्वीकृत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा):

95. विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में जल जीवन मिशन के तहत अलसीसर ब्लाक में कार्य की धीमी गति के कारण पीने के पानी के संकट से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर):

96. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर (उदयपुर) में शहरी जल योजना भीण्डर के पुनर्गठन की स्वीकृति एवं पेयजल के लिये जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

97. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में रिफाइनरी मुख्यालय मडापुरा-पचपदरा एवं शहरी क्षेत्र बालोतरा में बढ़ी आबादी को जलापूर्ति हेतु आधारभूत ढांचे के निर्माण हेतु आवश्यक राशि का आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में बालोतरा या आसपास के क्षेत्र में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति हेतु पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा परियोजना पर वृहद जलाशय के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पंचायत समिति कल्याणपुर मुख्यालय पर सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का कार्यालय सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. बाड़मेर जिले की पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना एवं उम्मेदसागर

वृहद पेयजल योजना के रखरखाव और नियन्त्रण हेतु विभिन्न श्रेणी के तकनीकी एवं प्रशासनिक अधिकारियों एवं कार्मिकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. बाड़मेर जिले की पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना वृहद पेयजल योजना में मांग अनुसार राशि आबंटन कर वित्तीय वर्ष 2022-23 में बकाया कार्य पूर्ण कर परियोजना का कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण):

102. कोटा की आवासीय कालोनियों व बहुमंजिला इमारतों में फ्लोराइड मुक्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

103. कोटा शहर की 40 साल पुरानी जीर्णशीर्ण पाइपलाइन को बदलकर नई पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़):

104. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के सभी ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

105. सरकार द्वारा जल जीवन मिशन में स्वीकृत योजनाओं का कार्य नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

106. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में फ्लोराइड़ युक्त पानी की समस्या से निजात दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

107. J J Y योजना के बिजली के बिल जमा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में बन्द पड़े कुओं के स्थान पर ट्यूबवैल निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पानी की समस्या से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

110. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के नगरपालिका क्षेत्र के ग्राम बोरानी का

बाण, सैलादाता एवं लक्ष्मीपुरा में पुरानी खराब पाइप लाइन के स्थान पर नई पाइप लाइन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के पारोली कस्बे के पास गेहु ली माताजी के स्थान पर बनाज शाहपुरा पाइप लाइन से कनेक्शन करने एवं पानी की टंकी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के जल जीवन मिशन योजना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा तोड़ी गई सी.सी. सड़कों का पुन: निर्माण करने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के ग्राम रूबिया बरड़ा एवं भवानीपुरा में उच्च जलाशय क्षमता की टंकी का निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में वर्षा की कमी के कारण नये 50 हैण्डपम्पों की स्वीकृति जारी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़):

115. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत आई.जी.एन.पी. की मुख्य नहर के.आर.डी. 609 से आउट लेट लेने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में पेयजल हेतु नई पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ की जलदाय योजनाओं में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में ट्यूबवैलों की खराब पड़ी मोटरों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र डूंगरगढ़ में नये ट्यूबवैल की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

120. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में पेयजल के लिये उपलब्ध डिग्गियों की समय पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

121. प्रदेश में जनता जल योजना में कार्यरत संविदा कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. अनूपगढ़ में अधीक्षण अभियंता कार्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. अनूपगढ़ शहर में पेयजल की सुचारु व्यवस्था के लिये नये जल संग्रहण व टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के रावला, घड़साना एवं उप तहसील 2 के.एल.डी. में पेयजल स्टोरेज एवं वितरण के लिये नवीन टंकी निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अविनाश (जैतारण):

125. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में पेयजल की सप्लाई 8-10 दिनों में किये जाने से उत्पन्न स्थिति के समाधान एवं गर्मी के मौसम में प्रत्येक ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में एवं जैतारण शहर में प्रति दूसरे दिन पानी की नियमित सप्लाई करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

126. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या के समाधान के लिये सम्पूर्ण क्षेत्र में R.O. प्लांट लगाये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

127. विधान सभा क्षेत्र जैतारण में जवाई योजना का कार्य पूरा नहीं होने से क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल की समस्या एवं जवाई पुनर्भरण योजना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की ग्राम पंचायतों के सभी ग्रामों में प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना का कार्य शीघ्र पूरा करने एवं संवेदक द्वारा पुरानी पाइपलाइनों में ही नये कनेक्शन देने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. विधान सभा क्षेत्र जैतारण की नगरपालिका क्षेत्र जैतारण के सभी 25 वार्डों में अत्यधिक पुरानी पाइप लाइन की जगह नवीन पाइपलाइन व वंचित वार्डों की कालोनियों व बैरों पर नवीन पाइपलाइन की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

130. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में जल जीवन मिशन के तहत कराये जा रहे कार्यों को निर्धारित मापदण्डों तथा गुणवत्ता के तहत कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के 126 गांवों की पेयजल योजना स्वीकृत कर कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के नगरपालिका क्षेत्र बस्सी, बांसखोह, कानोता, तूंगा, माधोगढ़, जटवाड़ा की पेयजल योजनाओं की स्वीकृति एवं क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में हर घर नल के लिये जे.जे.एम. योजना में बीसलपुर बांध से 7 एम.एल.डी. अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के कस्बा माधोगढ़ की जे.जे.एम. योजना के तहत पेयजल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह (मारवाड़ जंक्शन):

135. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में सोलर पम्प सैट लगाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में पेयजल हेतु जनता जल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन में जल जीवन मिशन योजना से वंचित आबादी को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

138. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में जनता जल योजना की प्रभावी मोनिटरिंग के अभाव में आमजन को हो रही समस्याओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

139. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में सोमासर स्कीम एवं जैसावरी स्कीम से अंतिम छोर के गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

140. विधान सभा क्षेत्र कपासन के भदेसर स्थित सहायक अभियन्ता कार्यालय में रिक्त सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ता के पदों को भरने तथा उपखण्ड मुख्यालय राशमी में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. विधान सभा क्षेत्र कपासन में लगे आर.ओ. को नियमित रूप से चालू रखने एवं बन्द आर.ओ. को ठीक करवाने सहित आबादी क्षेत्र से दूर लगे हुए आर.ओ. को आबादी क्षेत्र में लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. विधान सभा क्षेत्र कपासन के आकोला तहसील भोपालसागर तथा पहुंना तहसील राशमी में क्षतिग्रस्त टंकी को गिराकर नवीन टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

143. विधान सभा क्षेत्र कपासन के मुरोली एवं आरनी तहसील राशमी, करजाली तहसील कपासन, निलोद एवं कानाखेड़ा तहसील भोपालसागर में जे.जे.एम. योजना में स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य प्रारम्भ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र कपासन के सभी गांवों के पानी में फ्लोराइड होने से माही बांध या चम्बल बांध से पानी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

145. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के गैर आबादी चकों, ढाणियों को जे.जे.एम. योजना से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

146. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की KWD नहर से मुख्य वाटर वर्क्स रावतसर में बंद पाइप लाइन को चालू कर पेयजल हेतु पानी लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में आपणी योजना के तहत चकों व ढाणियों में पाइपलाइन का विस्तार व उच्च जलाशय बनाकर पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा की पेयजल योजनाओं में भूमिगत ट्यूबवैलों का फ्लोराइडयुक्त पानी का वितरण बन्द करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में पेयजल की पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण आम जनता को गंदा पानी सप्लाई होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

150. विधान सभा क्षेत्र सिवाना के पोकरण-फलसूण्ड, बायतू-बालोतरा,

सिवाना पेयजल योजना में रिक्त पदों को भरकर योजना का कार्य पूर्ण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र सिवाना उपखण्ड मुख्यालय पर अधिशासी अभियंता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

152. सिणधरी उपखण्ड क्षेत्र के गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु 100 नये हैंडपम्प खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. उम्मेदसागर-धवा समदड़ी खण्ड परियोजना का पानी 24 एम.एल.डी. पूरा नहीं मिलने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

154. सिणधरी उपखण्ड मुख्यालय के नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़े गांवों को समय पर पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति तथा बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

155. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पैरीफेरी एरिया की यू.आई.टी. कालोनियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में ग्राम पंचायत तीतरड़ी की यू.आई.टी. कालोनियों को जयसमन्द से या मानसी वाकल द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

157. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में खराब हैण्डपम्पों को ठीक करवाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में बैड़वास यू.आई.टी. मेगा आवास योजना में पेयजल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में जनता जल योजना को चालू करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा):

160. विधान सभा क्षेत्र भादरा के सभी गांवों की ढाणियों का सर्वे करवाकर जल जीवन मिशन में जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र भादरा में अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र भादरा में जनता जल योजना के कर्मचारियों को स्थायीकरण व नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

163. विधान सभा क्षेत्र आमेर को ईसरदा बांध परियोजना के द्वितीय चरण में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

164. विधान सभा क्षेत्र आमेर की पंचायत समिति जालसू में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

165. विधान सभा क्षेत्र आमेर में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कार्यों का सम्पादन त्वरित गति से कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र आमेर के शहरी वार्ड 1, 2, 3 एवं 4 की कालोनियां/ ढाणियां जो पुनर्गठित शहरी जल योजना आमेर में सम्मिलित नहीं की गई हैं, को अविलम्ब पुनर्गठित शहरी जल योजना, आमेर में सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र आमेर में खराब नलकूप/हैण्डपम्प को आमजन हित में अविलम्ब दुरुस्त करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

168. विधान सभा क्षेत्र आहोर के 22 गांव- बागरा, सियाणा, आडवाड़ा, आकोली, डुडसी, देलदरी, काणदर, भेटाला, रायपुरिया, चांदना, बिबलसर, दीगांव, नागणी, मेड़ा उपरला, मेड़ा नीचला, मायलावास, बारलावास, नबी, सिवना, सुमेरगढ़ खेड़ा, देवदा, देवाड़ा गांवों में नये ट्यूबवैल एवं कन्टींजेंसी प्लान बनाकर पेयजल की समस्या से निजात दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र आहोर में नर्मदा के ER एवं FR के क्लस्टर प्रोजेक्ट के कई गांवों में उच्च जलाशय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द):

170. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द की भुरवाड़ा (चौकड़ी), मालीखेड़ा (गिलुण्ड), राज्यावास, एमडी, पीपली आचार्यन, केरिंगजी का खेड़ा (पड़ासली), निजरना (बोरंग), गावलिया (मुन्डोल), वासालोन (भाणा) श्मशान घाट, आवासन बोर्ड कालोनी पर सौर ऊर्जा चलित पनघट स्थापना के प्रस्तावों पर चर्चा के लिये।

171. राजसमन्द झील में जल आवक स्रोत बढ़ाने एवं माही नदी घाटी और देवास परियोजना से जल परावर्तन पर चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में नल योजना से वंचित गांवों में पाइप लाइन डालने एवं हर घर नल योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

173. विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के नगर परिषद् क्षेत्र एवं प्रत्येक पंचायत में हर घर नल योजना से जल कनेक्शन से जुड़े घरों की संख्या एवं इससे वंचित घरों की संख्या एवं कार्य योजना पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र राजसमन्द में वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 में प्रारम्भ नई पाइपलाइन डालने और पाइप लाइन विस्तार एवं उच्च जलाशयों के निर्माण कार्य की प्रगति एवं उस पर किये गये परिव्ययों पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण):

175. अजमेर शहर में पेयजल लाइनों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभाग द्वारा ओएण्डएम (आपरेशन एण्ड मेंटिनेंस) के लिये निजी कम्पनी से करार/समझौता करने के बावजूद भी नसीराबाद सेवन नम्बर टैंक से आने वाली मुख्य पाइप लाइन के बार-बार टूटने से कार्यरत एजेन्सी की जांच कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

176. अजमेर दक्षिण में स्थित अजयनगर (जाग्रति नगर) की पेयजल समस्या के निदान हेतु पूर्ववर्ती सरकार के समय बजट में स्वीकृत उच्च जलाशय के निर्माण की निविदाएं शीघ्र ही आमंत्रित किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र अजमेर दक्षिण में वर्ष 2020-21 व 2021-22 में सूख चुके नलकूप/कुओं एवं हैण्डपम्प की पुन: स्वीकृति जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

178. अजमेर जिले की पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को निर्बाध रूप से बनाये जाने हेतु बीसलपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के 2021 में पूरा होने के पश्चात् आगामी तृतीय फेज को अविलम्ब स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

179. सरकार की घोषणा अनुसार अजमेर शहर में चौबीस घंटे के अन्तराल से नियमित पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु 224 एमएलडी पानी की

व्यवस्था एवं वर्तमान आधारभूत ढांचे की सक्षमता वर्धन हेतु बजट आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष):

180. उदयपुर संभाग के आदिवासी क्षेत्रों में जनता जल योजना में पर्याप्त धनराशि एवं स्वीकृतियां जारी नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

181. उदयपुर स्मार्ट सिटी योजना के तहत शहर कोट के अन्दर स्थित बस्ती को 24 घंटे पानी देने की योजना का लाभ लम्बे समय पश्चात् भी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

182. उदयपुर शहर के नगर निगम, यू.आई.टी., विधायक, सांसद निधि एवं राज्य सरकार से मिली राशि का वर्ष 2014 से लेकर अब तक स्वीकृत हुए कार्यों का लाभ जनता को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर की पेयजल योजना से वंचित बस्तियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

184. उदयपुर जिले की जयसमन्द योजना हेतु पर्याप्त बजट प्रावधान होने के बावजूद भी कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

185. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में पानी की समस्या को दूर करने के लिये नये कुएं के निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

186. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में पेयजल हेतु बोरिंग व्यवस्था को चालू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

187. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में पानी की टंकी के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

188. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में जे.जे.एम. में कनेक्शन तथा ढाणियों में पेयजल सप्लाई की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

189. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में बाड़मेर लिफ्ट कैनाल पार्ट 'ब' के तहत

सरणू, सांजरा, आदर्शचवा, चवा, गंगासरा, बेटीबालातरा, गालाबेरी, भुरटिया तथा मगने की ढाणी सहित दर्जन भर गांवों में पेयजल आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

190. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 50 नवीन हैण्डपम्प एवं 10 नवीन ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

191. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में हर घर जल कनेक्शन के तहत स्वीकृत कार्य को शीघ्रता से प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में तकनीकी सहायकों, हैल्परों तथा फिटर्स इत्यादि के रिक्त पदों पर भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

193. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में जनता जल योजनाओं को पंचायती राज से पीएचईडी को दिये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

श्री खुशवीर सिंह (मारवाड़ जंक्शन):

194. विधान सभा क्षेत्र पाली में पेयजल आपूर्ति हेतु चम्बल से पानी की सप्लाई के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

195. अजमेर जिले को बीसलपुर बांध से 3.7 टीएमसी अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर के निवासियों को निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र अजमेर में स्मार्ट मीटर लगवाकर वंचित उपभोक्ताओं को भी प्रतिमाह 15,000 लीटर पानी नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

198. अजमेर जिले के विस्तार को देखते हुए नियमित एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हेतु बीसलपुर बांध के अलावा अन्य विकल्पों पर भी परियोजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

199. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की पुरानी लाइनों को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

200. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में पी.एच.ई.डी में कनिष्ठ अभियंता का पद गत तीन वर्ष से रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के सांभर में नया अधिशाषी अभियंता कार्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्र में बीसलपुर परियोजना से आबंटित पानी की आपूर्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में दूदू-सांभर बीसलपुर परियोजना की पाइप लाइन जर्जर होने से पर्याप्त मात्रा में पेयजल सप्लाई नहीं होने तथा नई पाइप लाइन डालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

204. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की बीसलपुर परियोजना का कार्य तय समय पर पूर्ण नहीं होने एवं कार्य की धीमी गति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर):

205. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विगत तीन वर्षों में किये गये बोरिंग निर्माण कार्यों में पाइप टेण्डरों की शर्तों के अनुसार पूर्ण नहीं होने तथा घटिया पाइप डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में विगत दो वर्षों में किये गये बोरिंग निर्माण हेतु घटिया पाइप व मोटर पंप निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं होने तथा घटिया सामग्री उपयोग में लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

207. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में टैंकरों द्वारा केमिकलयुक्त एवं गंदे पानी की सप्लाई की लैबोरेट्री जांच नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

208. विधान सभा क्षेत्र सांगानेर में बीसलपुर परियोजना से पीने का पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सुजानगढ़):

209. विधान सभा क्षेत्र सुजानगढ़ के क्षतिग्रस्त उच्च जलाशय को तोड़कर नया उच्च जलाशय बनवाने एवं नई बसी आबादी के विस्तारित क्षेत्र में नये जलाशय बनाने एवं नवीन पाइपलाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना):

210. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पेयजल हेतु मध्य प्रदेश सरकार से समन्वय की पहल किये जाने तथा मोहनपुरा डैम से योजना बनाकर ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या को दूर किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

211. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में पहाड़ी क्षेत्र को मध्यनजर रखते हुए विशेष हैण्डपम्प व ट्यूबवैल स्वीकृत कराये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

212. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना हेतु पेयजल के सम्बन्ध में विशेष प्लान बनाकर पेयजल संकट को दूर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

213. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में स्थित कालीखाड़ डैम, गुलेण्डी डैम व छापी डैम से पेयजल योजना का विस्तार किये जाने सम्बन्धी चर्चा के लिये।

214. विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में ग्राम पंचायत टोडरी जगन्नाथ के ग्राम गोरियाखेड़ा व अन्य समीपवर्ती गांवों में पेयजल हेतु परवन नदी पर बने एनिकट की ऊंचाई बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

215. विधान सभा क्षेत्र करौली में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत शेष रही स्कीमों को स्वीकृत करने, ग्रामीण क्षेत्र में जनता जल योजनाओं का संचालन पीएचईडी विभाग को देने एवं ग्राम कटकड में पीएचईडी का उपखण्ड कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

216. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के गांवों में पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड होने के कारण गांवों में आर.ओ. प्लांट लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

217. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू में बजट घोषणा 2021-22 में स्वीकृत किये गये 10 ट्यूबवैल एवं 40 हैण्डपम्प नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

218. विधान सभा क्षेत्र बारां-अटरू के अन्तर्गत नगरपालिका अटरू में

पेयजल हेतु पुरानी पाइप लाइन के स्थान पर नवीन पाइप लाइन डालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

219. बारां नगर परिषद् क्षेत्र के ग्यारह गांव एवं कच्ची बस्तियों में पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

220. विधान सभा क्षेत्र नोहर में स्वच्छ जल देने वाले फिल्टर प्लांट व पम्प फिटर चालकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

221. विधान सभा क्षेत्र नोहर में पेयजल विभाग के सहायक अभियन्ता व कनिष्ठ अभियन्ताओं के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

222. विधान सभा क्षेत्र नोहर में क्लस्टर योजना के द्वारा स्वरूपदेसर एवं लेघा की ढाणी से गांवों में पेयजल आपूर्ति हेतु उच्च जलाशयों के प्रस्तावों की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल):

223. बजट 2020-2021 में स्वीकृत नर्मदा ईआर. प्रोजेक्ट का कार्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

224. बजट 2020-2021 में स्वीकृत नगरपालिका भीनमाल की पेयजल योजना का कार्य शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

225. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के डूंगरली (इटावा) जिला कोटा में पेयजल आपूर्ति के लिये निर्मित कुएं एवं ट्यूबवैल की मरम्मत एवं उसके ढकान के लिये कार्य में किये जा रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

226. कोटा जिले के ग्राम झौंपडिया (जटवाडा), नीमोला, आसीदा (बालूपा), कुनेठिया (लाखसनीजा) में पेयजल समस्या के समाधान की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

227. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) के बूढादीत क्षेत्र के पंचमुखी हनुमान मंदिर एवं देदियाहेडी में पेयजल की सुचारु व्यवस्था करने में विभागीय विफलता पर चर्चा के लिये।

228. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा (कोटा) में खराब गुणवत्ता के पानी वाले

ग्रामों में गुणवत्तायुक्त पेयजल आपूर्ति के लिये कार्यवाही में तीव्रता लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

229. कोटा जिले के पेयजल की घटिया क्वालिटी वाले अयाना, इटावा, गेंता, बातोंली, पीपल्दाकलां, केधूदा, सुमेरपुरा उर्फ बरनाहाली, बाडौली, सुल्तानपुर एवं बडौद में वर्तमान जनसंख्या के अनुपात में पेयजल पाइपलाइन एवं उच्च जलाशय निर्माण तथा पेयजल आपूर्ति में विभागीय उदासीनता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

230. बाड़मेर जिले के नर्मदा नहर का पानी तहसील रामसर-गडरा रोड के गांवों में पेयजल की आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

231. बाड़मेर जिले की नर्मदा प्रोजेक्ट से पराडीय पंचायत के गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

232. राज्य जलदाय विभाग में पाइपलाइन एवं नलकूपों पर कार्मिकों की भर्ती करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

233. बाड़मेर जिले की तहसील शिव के समस्त गांवों को इन्दिरा गांधी नहर द्वारा पेयजल पहुंचाने की आवश्क्कता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द मीणा (गढ़ी):

234. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी के समस्त ग्राम पंचायतों के लिये जनता जल मिशन योजना के तहत पेयजल उपलब्ध कराने एवं नवीन हैण्डपम्प खोदने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

235. विधान सभा क्षेत्र सोजत के गांवों व ढाणियों में पेयजल हेतु पाइप लाइन बिछाकर मीठा पानी उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

236. विधान सभा क्षेत्र सोजत के मगरा क्षेत्र की पंचायतों में प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

237. विधान सभा क्षेत्र सोजत की पश्चिमी क्षेत्र की 15 पंचायतों को दांतीवाड़ा प्रोजेक्ट से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर):

238. विधान सभा क्षेत्र आसपुर में जल शक्ति योजना से वंचित गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू):

239. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू में पेयजल हेतु 100 हैण्डपम्प एवं 20 ट्यूबवैल स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा हेतु।

240. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू की पिण्डवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के झाड़ौली, सरूपगंज, भारजा, नितोडा, अजारी गांवों में दो ओवर हैड टंकी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

241. बांसवाड़ा जिले के माही बांध के अधिशेष पानी को 100 मीटर जमीन के अन्दर पाइप लाइन डालकर चित्तौड़गढ़ के गंभीरी बांध से भरकर बीसलपुर बांध तक पहुंचाकर जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर व टोंक, अजमेर जिले के लिये पेयजल की स्थायी व्यवस्था करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

242. विधान सभा क्षेत्र दूदू में जल जीवन मिशन योजना में स्वीकृत कार्यों का पुन: सर्वे कराकर आवश्यकता के अनुसार उच्च जलाशय व लोकल सोर्स से पेयजल उपलब्ध कराने के लिये कुएं व ट्यूबवैल स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

243. विधान सभा क्षेत्र दूदू में पूर्व में पेयजल हेतु चलाई जा रही स्वीकृत समस्त योजनाओं को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

244. सूरजपुरा से सांभर मुख्य लाइन टी.एम.आई. कार्य शीघ्र प्रारम्भ करके क्षतिग्रस्त मुख्य लाइन से निकल रहे पानी को पेयजल हेतु उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

245. पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के प्रथम फेज में जयपुर जिले के छापरवाडा बांध को पेयजल के लिये शामिल करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

246. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर पेयजल योजना को शीघ्र प्रारम्भ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर**):**

247. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में पूर्वी पाल रोड विस्तार योजना में पेयजल की टंकी निर्माण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

248. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में माता का कुण्ड चांदपोल के बाहर पेयजल हेतु नवीन पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

249. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में न्यू भैरूनाथ भील बस्ती में पेयजल हेतु नवीन पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

250. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में बड़ी भील बस्ती में पेयजल हेतु पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

251. विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में वर्षों पुरानी पेयजल की पाइप लाइन को नवीन पाइप लाइन में बदलने एवं वांछित क्षेत्रों में नवीन पाइप लाइन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना)**:**

252. विधान सभा क्षेत्र डेगाना में नहरी पेयजल से वंचित ढाणियों व गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ)**:**

253. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में चम्बल योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु पाइप लाइन डलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

254. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ के छोटे गांव व ढाणियों में पेयजल हेतु ट्यूबवैल व हैण्डपम्प स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड (चूरू)**:**

255. विधान सभा क्षेत्र चूरू के लिये करमसाना रिजर्व वाटर से तय आबंटित पेयजल नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

256. विधान सभा क्षेत्र चूरू में पेयजल हेतु बने कुओं में बिजली कनेक्शन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

257. चूरू जिले के स्थानीय विधायकों को एमएलए लैड से आबंटित राशि से कुएं तथा हैण्डपम्प नहीं लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

258. विधान सभा क्षेत्र चूरू के गांव जोहड़ी चलकोई, इन्द्रपुरा, मठोड़ी, मोटवाड़ताल, कोरवाद नाथोतान व धमीरी सहित विभिन्न गांवों में आपणी योजना का पानी नहीं पहुंचने से उत्फन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

259. विधान सभा क्षेत्र चूरू में बने विभिन्न उच्च जलाशयों को मुख्य स्रोत से नहीं जोड़ने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा हेतु।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी):

260. डूंगरपुर जिले में हैण्डपम्प मैकेनिकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने से आम जन को हो रही परेशानियों से के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

261. कडाणा बैक वाटर से गेजी घाटा तक स्वीकृत पेयजल परियोजना का कार्य शीघ्र शुरू करने एवं विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पूर्व संचालित सभी पेयजल परियोजना को इनसे जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

262. विधान सभा क्षेत्र चौरासी के अन्तर्गत समस्त विद्यालय, आंगनबाड़ी, मां बाड़ी व उप स्वास्थ केन्द्रों पर पेयजल हेतु सोलर पम्प लगवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

263. डूंगरपुर जिले में पेयजल के लिये छोटे-छोटे प्रोजेक्टों के लिये टेण्डर की जटिल प्रक्रिया एवं शर्तों में शिथिलता प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

264. विधान सभा क्षेत्र चौरासी की ग्राम पंचायत चौकी, खरवर खुणिया, रेटाजूडा को जल जीवन मिशन के तहत जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

265. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की पंचायत समिति गोविन्दगढ़ (अलवर) को चम्बल का पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजना बनाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

266. रामगढ़ (अलवर) के ग्राम-खानपुर कला में पेयजल समस्या से निजात दिलाने हेतु योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल (शाहपुरा):

267. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (बनेड़ा) में चम्बल परियोजना से जोड़े गये पेयजल पाइप लाइन के पम्प स्टेशनों को पानी के समुचित दबाव पर निर्धारित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

268. भीलवाड़ा जिले के उपखण्ड फूलिया कला कस्बे के भीतरी स्थानों पर कम दबाव से पानी आने के कारण हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्धों में चर्चा के लिये।

269. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा (बनेड़ा) में स्थापित हैण्डपम्पों और टंकियों की नियमित मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

270. भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा बनेड़ा में विभिन्न स्रोतों से पेयजल की

उपलब्धता में छूटी हुई ढाणियां और मजरों में पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

271. भीलवाड़ा जिले की जनता को विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कराये जा रहे पीने के पानी की स्वच्छता की नियमित परीक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

272. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम पंचायत रेण की पंचकुटा की ढाणी, डारा की ढाणी तथा गांव भूरियासनी के बावरियों की ढाणी में बने GLR में पानी की आपूर्ति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

273. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कर्मचारियों और अभियन्ताओं के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

274. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नहरी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के लगाये गये PSP पाइंट में पानी की सुचारु सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

275. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के ग्राम पंचायत बीटन की बावरियों की ढाणी चौहान नगर व ग्राम पंचायत गगराना की बावरियों की ढाणी लूणियास फांटा बायड़ में पीने के पानी की सप्लाई नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

276. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की छोटी-छोटी ढ़ाणियों में हैण्डपम्प खुदवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा):

277. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में सौर ऊर्जा पनघट योजना में अब तक सौर पैनल नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

278. सागवाड़ा में जनता जल योजना में चल रही मोटर के बिजली बिल व संचालन का खर्चा विभाग द्वारा वहन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

279. सागवाड़ा व गलियाकोट ब्लाक में कडाणा बैक वाटर से पेयजल योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

280. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में नहरी पानी पेयजल आपूर्ति से

लाभान्वित हो चुके गांवों व ढाणियों में निर्धारित समय पर आवश्यकता व मांग से कम पेयजल आपूर्ति होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

281. नागौर जिले में पेयजल वितरण हेतु कार्यरत निजी कम्पनियों द्वारा समुचित रूप से कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

282. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में जल जीवन मिशन से वंचित ढाणियों तथा गांवों में नये नलकूपों की स्वीकृति व फैलियर नलकूपों को दुरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

283. नागौर जिले में जल जीवन मिशन के अन्तर्गत नियमों व मापदंडों को दरकिनार करके गुणवत्ता रहित किए जा रहे कार्यों की जांच करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

284. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के गांवों में पेयजल योजनाओं के लिये डलवाई गई पाइपलाइनों के लिये तोड़ी गई सड़कों को दुरुस्त करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी)**:**

285. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सैपऊ क्षेत्र के चम्बल परियोजना से शेष रहे गांवों में पेयजल आपूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

286. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के डांग क्षेत्र में पेयजल हेतु हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा)**:**

287. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा को बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

288. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या दूर करने के लिये नवीन योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमर सिंह (बयाना)**:**

289. विधान सभा क्षेत्र बयाना के नहरी क्षेत्र में पेयजल से वंचित गांवों में पेयजल आपूर्ति की ठोस कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

290. विधान सभा क्षेत्र बयाना के वंचित क्षेत्रों में चम्बल लिफ्ट पेयजल योजना से पेयजल आपूर्ति करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

291. विधान सभा क्षेत्र बयाना में चम्बल पेयजल योजनान्तर्गत निर्मित टंकियों में पानी की आपूर्ति न किये जाने के क्षेत्र में हो रही पेयजल समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

292. विधान सभा क्षेत्र बयाना के बारैठा बांध में चम्बल लिफ्ट परियोजना से पानी की आपूर्ति कर क्षेत्र में पेयजल की समस्या का निवारण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

293. विधान सभा क्षेत्र बयाना के डांग क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की ठोस कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर**):**

294. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) के दिल्ली रोड पर बसी कालोनियों में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु नयी योजना बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

295. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) के विभिन्न क्षेत्रों में पेयजल हेतु बोरिंग खुदवाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

296. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) की आगरा रोड पर पेयजल योजना से सम्बन्धित कार्य शीघ्र पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

297. विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर (जयपुर) के संपूर्ण क्षेत्र में बीसलपुर योजना से पेयजल उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर**):**

298. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कल्याणसर, रामसर, राजेरा, गारबदेसर, खरड़ा, चक नोहड़ा, शेखसर, बेलासर, नौरंगदेसर, अमरपुरा गांवों में ट्यूबवैल फेल होने पर नये ट्यूबवैल (Against Failure Scheme) में स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

299. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए ट्यूबवैल को विद्युत आपूर्ति करने वाली खराब हो चुकी केबल की जगह नई केबल हेतु बजट आबंटित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

300. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के मोलाणिया, मालासर, करणीसर बोकान, बंघा गांवों को जल जीवन मिशन योजना के तहत नहरी पानी से आपूर्ति करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

301. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के बीकानेर तहसील में जलदाय विभाग में कार्यरत अधिशासी अभियंता द्वारा कार्य में लापरवाही किये जाने

के कारण नियमानुसार विभागीय कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

302. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजासर उर्फ करणीसर, शेखसर, खोड़ाला, ढाणी पांडसर, मनाफरसर, घीरदान गांवों में नहरी पेयजल से जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़):

303. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के ग्रामीण अंचल में आपणी योजना के सर्वे में वंचित गांवों व ढाणियों का नये सिरे से सर्वे करवाकर वहां बसे लोगों को आपणी योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

304. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव आलसर, अणखोल्या, भोजासर, चारणवासी, प्रेमनगर, नीमड़ी, लोणा, कुसुमदेसर, टाड़ा, सांवतिया, रिणवां की ढाणी, रामपुर, परसनेऊ, तोलियासर, कनवारी, जिनरासर व कादिया आदि ग्रामों में आपणी योजनान्तर्गत पी.एस.पी. स्टैण्ड बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

305. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में आपणी योजना के तहत हर घर नल का कनेक्शन दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

306. विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांव चारणवासी, छाबड़ी मीठी, पाना की ढाणी, मैणासर, लूणासर, कुसुमदेसर, सांवतिया, इकलाई तलाई व ढाकावाली आदि में आपणी योजना के तहत पेयजल सप्लाई करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

परिशिष्ट 3

मांग संख्या 27-पेयजल पर सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल)

1. N.Z.T. कम्पनी द्‌वारा
2. भारत सरकार मोदी जल शक्ति मंत्री
3. T.A.D. के तहत टंकी
4. दुधवाड़ा पानी नहीं
5. बासलीखेड़ा

पेयजल:– 22 सौ करोड़ परियोजना पीपलखूंट क्षेत्र

घाटोल:– शहरी टंकी मरम्मत पाइपलाइन बदलकर नई लाइन

देलवाड़ा:– परियोजना कार्य पूर्ण चालू करायें।

जगपुरा:– जनता जल योजना की मरम्मत की जरूरत है।

मोरागांव:– बेणेश्वर एनिकट पर पेयजल वृहत परियोजना स्वीकृत, पेयजल योजना घर-घर नल योजना

गनेड़ा:– गनोड़ा टंकी मरम्मत जहां मोटर (कुआं) बनाया है। तालाब के पास है जो गंदा पानी आता।

चन्दुजी का गड़ा:– पेयजल योजना का प्लान उदयपुर से स्वीकृत हेतु फाइल जयपुर है स्वीकृत करे सरकार। हैण्डपम्प मिस्त्री भर्ती, हैण्डपम्प स्वीकृत एजेन्सी B.D.O. तक रखें। देवड़ा, पडौलीराठौड़, ठिकरिया चन्द्रावत, रूजिया, करगचिया, चौकड़ी, बड़ीपडाल, नयाखेड़ा, झरकनिया, चडला, अमरथुन, मुगाणा, जनता जल मरम्मत स्वीकृत।

T.A.D. का बजट पंचायत जनता जल के बिल से।

पेयजल:– बांसवाड़ा जिले के घाटोल विधान सभा में पानी की कमी नहीं, सिर्फ योजना बनाने की आवश्यकता है।

जगमेर:– मेरे विधान सभा में यह जगमेर सबसे ऊंचा पहाड़ है। यदि इसके ऊपर पेयजल के लिये वृहत् परियोजना बनाकर टंकी, पाइपलाइन से पानी पहुंचना जनता के हित में होगा।

अध्यक्ष महोदय, अगर यहां परियोजना बनने से गांव जाम्बुई, गौरछा, मुगड़ा, सोमपुर, गणेशपुरा, वाडगुन, चडला, अमरथुन, भुवानिया कडलाआमरी

पानी की व्यवस्था, माही बांध से पाइपलाइन, उपरोक्त पंचायतों में व्यवस्था हो सके।

पीपलखूंट, प्रतापगढ़ की 30 पंचायतों में भी माही से होगा।

बेणेश्वर एनिकट से मोराराण्डा, मोटागांव, गनोड़ा, भुवासा, बौरदा, अमरसिंह का गड़ा नरवाली क्षेत्र में माही पर एनिकट बनाकर, नरवाली, सरोदिया, बोरड़ीघाटा, डुगरिया, काली मंगरी तक पानी की व्यवस्था।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर)

आभार, अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने अनुदान की मांग संख्या 27-पेयजल योजना पर मेरे विचार रखने के लिये अवसर दिया। पेयजल महत्वपूर्ण विषय है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक पूरे प्रदेश में हर घर नल से पानी पहुंचाना है। जल जीवन मिशन अच्छी योजना है पर बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान की जनता ने 25 सांसदों (BJP) को जिताकर भेजा अपने सपनों को पूरा करने के लिये। जल संसाधन मंत्री सम्माननीय गजेन्द्र सिंह जी भी राजस्थान से हैं और राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, परन्तु केन्द्र सरकार में बैठे अपने सांसद या खुद मंत्री महोदय राजस्थान के प्रति इतनी बेरूखी क्यों रखते हैं। उदाहरण के तौर पर 2013 से पहले राजस्थान को पेयजल योजनाओं पर 90 प्रतिशत केन्द्र सरकार और 10 प्रतिशत राजस्थान सरकार को देना पड़ता था परन्तु अब सौतेला व्यवहार हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्र को 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, हमारे प्रदेश की भी भौगोलिक परिस्थिति काफी कठिन है। भूजल गुणवत्ता के आधार पर भी अच्छा नहीं और कई जिलों के क्षेत्रों में भूजल न के बराबर है। विपक्ष के साथी सदन में चिंता व्यक्त करने का नाटक तो रखते हैं, परन्तु हकीकत कुछ और है।

अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर की महिलाएं पेयजल मामले को लेकर काफी पीड़ित हैं। मंत्री महोदय से आग्रह है कि पूरे विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर को अतिशीघ्र जोड़ा जाए।

महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ गांव जैसे- भैंसली, नंवा, गुडान, रामपुरा, खुडियाबास, नूहन्द, बास गोविंद सिंह, बास मामराज, मिरपाली बड़ी व छोटी चांदगोठी, सुलखणीका बड़ा व छोटा, डिंगली, नोरपुरा, ठिमाऊ बड़ी व छोटी बुडावास इत्यादि गांव ऐसे हैं, जिनकी ज्यादातर ग्रामीणों की खेतों में रिहायश है। सिंचाई का पानी भी कम होता जा रहा है। ऐसे में खेतों में बसने वाले के लिये आने वाले समय में स्थिति काफी गम्भीर होगी।

अतः इन लोगों को भी जेजेएम योजना में पेयजल लाइन दी जाए। सादुलपुर के 37 गांव आपनी योजना से पानी प्राप्त कर रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, इन गांवों को सर्दियों में भी 5-6 दिन के अंतराल पर मिला/गर्मियों में क्या स्थिति रहती है, आप समझ सकते हैं।

विधान सभा क्षेत्र को दो भागों में बांटा हुआ है। अधिशाषी अभियंता जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, इसलिये माननीय आपसे अनुरोध है कि पूरे विधान सभा क्षेत्र में एक (XEN) खण्ड कार्यालय खोला जाए व उसका मुख्यालय सादुलपुर रखा जाए जिससे समस्या का निस्तारण किया जा सके। मंत्री महोदय जी, जेजेएम योजना में जिन गांवों की स्वीकृति दी है, उसके लिये आपका तहे दिल से आभार। जय हिन्द।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर)

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में पीने के पानी की व्यवस्था को सुचारु रूप से करने हेतु मैंने सदन में मांग संख्या 27 के माध्यम से आग्रह किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर ग्राम पं. तख्त हजारा सिखान में नया वाटर वर्क्स बनाने के सम्बन्ध में, ग्रा.पं. सागरवाड़ा के गांव जोधेवाड़ा में नया वाटर वर्क्स बनाने के सम्बन्ध में।

ग्रा. पं. 11 जीजी में वाटर वर्क्स का नवीनीकरण का नया वाटर टैंक और चारदीवारी।

गांव 7जी (ढाणी तरखान ग्रा.पं. 4एच) में नया वाटर वर्क्स बनाने के सम्बन्ध में।

ग्रा. कालूवाला चक में नया वाटर वर्क्स,

ग्रा. पं. करडवाला में नई डिग्गी का निर्माण एवं डेडीकेटेड थ्री फेज लाइन बिजली कनेक्शन।

ग्रा.पं. रोहिडवाली की सुथारन के गांव 5एच में वाटर वर्क्स का नवीनीकरण।

ग्रा.पं. केराचक के गांव दूदाकिचड में भी वाटर वर्क्स का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

ग्रा.पं. सायबसिंहवाला के वाटर वर्क्स के निर्माण के दौरान भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में।

सादुलशहर में वार्ड नं. 18 और वार्ड नं. और औद्योगिक क्षेत्र में नये ओवरहैड टैंक निर्माण के सम्बन्ध में।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर)

मा. अध्यक्ष महोदय,

आज पेयजल पर सदन में चर्चा हो रही है। एक ऐसे विषय पर जिस पर जीवन निर्भर है, जल के बिना जीवन सम्भव नहीं है। पानी बनाने की कोई फैक्ट्री या कोई मशीन नहीं है। इस धरती पर सिर्फ और सिर्फ पानी का संचय करना ही, एकत्रित करना ही इसकी पूर्ति है। बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा संचय करने का प्रयास ही जल की पूर्ति कर सकता है।

पीएचईडी विभाग, राजस्व विभाग, वन विभाग, सिंचाई विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि मण्डी सारे विभाग मिलकर साझा मीटिंग करें, पानी के भराव क्षेत्र में एनिकट और बांध बनाए जाने पर चर्चा करें। नरेगा योजना से 50 लाख तक के कार्य एनिकट के जिला परिषद् के द्वारा करवा सकते हैं। वर्षा के जल को एकत्रित करना ही महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतवार सर्वे करवाकर लिस्ट मंगवाकर तभी जल संचय का कार्य सफल होगा।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा क्षेत्र है इसलिये जल बहकर निकल जाता है। राजस्थान के कुछ हिस्सों में पानी पीने योग्य है और कुछ में फ्लोराइडयुक्त खारा पानी है। बानसूर को भी कोई न कोई नहर को जोड़ने की आवश्यकता है क्योंकि आए दिन जल स्तर घटता जा रहा है। आगे गर्मी के सीजन को देखते हुए जहां पर हैण्ड पम्प काम कर सकते हैं वहां पर अधिक से अधिक हैण्डपम्प दिए जाने चाहिए।

कोई राइडर नहीं लगाए जाएं कि 40 या 50 हैण्डपम्प दिये जाएंगे विभाग द्वारा। जहां पर जितने हैण्डपम्प की जरूरत है वहां पर हैण्डपम्प देने का कष्ट करें।

50 से 100 घरों की ढाणियों में सौर ऊर्जा बोरिंग की आवश्यकता है। प्रत्येक गौशालाओं में थ्री फेज की बोरिंग करने की आवश्यकता है।

जल जीवन योजना में अधिक से अधिक गांवों को, कस्बों को, ढाणियों को जोड़ा जाए सर्वे करवाकर। लोहे की पाइपलाइन बिछाई जाए क्योंकि प्लास्टिक की पाइपलाइन को चूहे काट जाते हैं और इसे सड़क के ऊपर बिछाएं एक साइड में।

करोड़ों रु. खर्च करके बनाई गई सड़कों को नहीं तोड़ें। इन सड़कों को पुन: पीएचईडी विभाग नहीं बनवाता है। यह कर्मचारियों को मंत्री महोदय निर्देशित करें।

एक ही ठेकेदार को ठेका देवें। टेण्डर प्रक्रिया से अधिशाषी अभियंता बोरिंग का अलग टेण्डर करता है। पाइप का अलग से टेण्डर करता है। लगभग एक वर्ष तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इसे बदलें।

एससी/एसटी के लिये विशेष योजना बनाकर पानी की योजना पहुंचायी जाए। फ्लोराइडयुक्त क्षेत्र में आरओ सोलर पम्प सेट मशीनें लगाकर पानी की सुविधा दी जाए। जिन गांवों की बोरिंगें सूख गई हैं उन गांवों में तुरंत प्रभाव से बोरिंग स्वीकृत कराने का कष्ट करें। जैसे-नयाबास, रसनाली, बासदयाल, रामपुर, काली पहाड़ी, कोलाडा, तुर्कियावास, टेकला की ढाणी, डूंगरियां, बढाना की बाल, हमीरपुर, धामेडा धाम गौशाला के पास, हरि सिंह जाट की ढाणी सामोता, नारायणपुर, मेहर की ढाणी घडी, बुर्जा पंचायत खरखड़ी, बागड़ी की ढाणी, रायली, देवसंग, आलनपुर, मोरोडी, नवलपुरा कराना, सिक्कों का मोहल्ला इसरा का बास, एससी बस्ती बूटेरी, मेहर की ढाणी, रेगरों की ढाणी, नवलपुरा कराना, पायला का चबूतरा, ज्ञान सिंह की ढाणी इत्यादि जगहों पर जल्दी से जल्दी बोरिंग कराने या टैंकर व्यवस्था कराने का कष्ट करें।

श्रीमती गंगा देवी (बगरू)

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बगरू में पानी की समस्या बनी हुई है।

- बगरू को बीसलपुर योजना से जोड़ा जाए, क्योंकि दिन पर दिन जल स्तर घट रहा है।
- जनता जल योजना से मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांवों को जोड़ा जाये।
- सिटी से लगते क्षेत्र में भी ऊंचाई वाली टंकी बनाकर, पाइप वाली टंकी बनाकर पाइप लाइन के जरिये घर-घर नल पहुंचाने का काम करने की आवश्यकता है।
- 29 ग्राम पंचायत एवं नगरपालिका क्षेत्र में एवं राजस्थान की राजधानी के नजदीक होने पर भी सुविधाओं से दूर है।
- छीपा समाज के लोग टैंकर मंगवाते हैं। कृपया ऐसे स्थानों पर फेरी टैंकर की व्यवस्था करें और जब पानी की योजना जोड़ें, उन्हें जोड़ने का कष्ट करें।
- बीसलपुर का पानी चाकसू, दूदू, बस्सी, नावां, कुचामन तक।
- क्या बगरू से ऐसी नाराजगी है। लाइन बगरू से होकर गुजर रही

है। पाइंट बगरू में है, कृपया तुरंत प्रभाव से जोड़ा जाए।

- सेज बगरू में है उसमें से बगरू की 29 पंचायतें नगरपालिका क्षेत्र में पानी की आवश्यकता है।
- पानी के नल कनेक्शनों के लेने पर पैसा कम करने की आवश्यकता है।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर)

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया जिसके लिये धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने पेयजल की समस्याओं को ध्यान रखते हुये प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवैल एवं 40 हैण्डपम्प लगाने की घोषणा बजट में की है जो बहुत ही सराहनीय कदम है।

इसके साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर-घर कनेक्शन देने की घोषणा के लिये भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पहले से जो पेयजल स्रोत संचालित हैं चाहे वो पीएचईडी का ट्यूबवैल या जनता जल योजना का हो, उन्हें पहले की तरह ही संचालित रखा जाये ताकि क्षेत्र की जनता को एवं पशुधन पीने के पानी की कोई समस्या न हो।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग 55-60 पुराने कुएं संचालित हैं, जो वर्तमान में काफी जीर्ण शीर्ण अवस्था में हैं। इन कुओं में जब कभी मोटर या पाइप लाइन में कोई खराबी हो जाती है तो उसको रिपेयर के लिये कोई मिस्त्री भी नहीं आना चाहता है। इससे बहुत परेशानी रहती है। अत जितने भी इस प्रकार के कुएं हैं उनके स्थान पर ट्यूबवैल बनाकर इस समस्या का समाधान करने की मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल योजना में बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

पेयजल-सम्पूर्ण राजस्थान के लिये अति-आवश्यक व संवेदनशील

विषय है। सर्दियों का समय निकल चुका है तथा गर्मियों का समय आने वाला है जिसमें पेयजल की अति आवश्यकता बनेगी, इसके लिये सरकार व हम सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र में डटकर खड़ा रहने की आवश्यकता है।

आधारभूत पंचतत्वों में से एक जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती है। इसलिये कवि रहीम ने कहा है- ''रहिमन पानी राखिये बिना पानी सब सून। पानी गए न उबरे मोती मानुस चून।" यदि जल नहीं होता तो सृष्टि का निर्माण संभव नहीं होता। यही कारण है कि यह एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है, जिसका कोई मोल नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार द्वारा वर्तमान में जो पेयजल योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके लिये हमारी गहलोत सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। हमारी सरकार द्वारा जो भी पेयजल योजना चलाई जा रही है, उसमें आमजन की पानी की प्यास का ध्यान रखा जा रहा है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल योजना उपलब्ध कराने हेतु, लगभग 20 लाख घरों को चरणबद्ध रूप से पेयजल कनेक्शन से जोड़ा जाना। यह सरकार का पेयजल के क्षेत्र में एक सराहनीय कदम है।

साथ ही साथ मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करते हुए यह बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो सम्पूर्ण राजस्थान में पानी की कमी थी, उस आपूर्ति को पूर्ण करने के लिये व आमजन को राहत पहुंचाने के लिये प्रत्येक विधान सभा में 40 हैण्डपम्प एवं 10 ट्यूबवैल लगवाने की घोषणा की। उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद।

माननीय मंत्री महोदय बी.डी. कल्ला जी द्वारा बजट वर्ष 2021-22 में 1094 करोड़ रु. की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर-घर पानी कनेक्शन देने की घोषणा करना, यह ग्रामीण व आमजन के लिये सरकार द्वारा उठाया जाने वाला एक सराहनीय कदम है तथा मंत्री महोदय द्वारा उक्त योजना की वृहद् डीपीआर 30 अगस्त से पहले बनाकर जल्द से जल्द योजना को आगे बढ़ाये जाने का जो संकल्प लिया है, इससे पता चलता है कि सरकार राजस्थान के आमजन के लिये कितनी प्रतिबद्ध है। मैं माननीय मंत्री जी का इसके लिये धन्यवाद ज्ञापित करता है।

अध्यक्ष महोदय, साथ ही मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जेजे.एम. योजना के अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई

के समस्त ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ा जाए, जिससे आमजन को पेयजल की आपूर्ति हो सके।

अध्यक्ष महोदय, गर्मियां आ गई हैं, तो ग्रामीण आमजन को पेयजल की आवश्यकता के मध्यनजर मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में जो भी पुराने हैण्डपम्प लगे हुए हैं उनमें से 90% हैण्डपंपों में वाटर लेवल नीचे चला गया है, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों को पीने के पानी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आगामी गर्मियों को देखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय बी.डी. कल्ला साहब से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा के खराब पड़े सभी हैण्डपम्पों की सूची मंगवाकर, उन्हें दुरस्त करने व नए हैण्डपम्प लगाने की कृपा करें जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्त ग्रामीण जनता को पीने के पानी की समस्या से निजात मिल सकेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नदबई में पानी की टंकियां बनाने के लिये जो निविदाएं निकाली थीं, उन निर्माण कम्पनी के ठेकेदार टंकियों को अपूर्ण छोड़कर चले गए, जिससे ग्रामीण आमजन को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इन टंकी निर्माणकर्ता ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें तथा अपूर्ण टंकी का निर्माण कर, ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाने की कृपा करें। इसके लिये मेरे क्षेत्र के ग्रामवासी आपके आभारी रहेंगे।

कई गांवों में पानी की टंकियों का तो निर्माण कर दिया गया, परन्तु वहां नेटवर्क लाइन नही बिछाई गई है। साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में सभी बनी टंकियों की नियमित सफाई व्यवस्था की जाये।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में चम्बल पेयजल योजना स्वीकृत हो रखी है, जिसके अंतर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीणों को पानी के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे तथा इस योजना के अंतर्गत गांवों में पाइंट कम है, जिससे गांवों में जल की पूर्ण आपूर्ति नहीं हो पाती है।

अतः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चम्बल योजना से ग्रामीणों को पानी के कनेक्शन दिए जाएं

व इस योजना के अंतर्गत इन पाइंट की संख्या को बढ़ाया जाए, जिससे ग्रामीणों को जल की आपूर्ति पूर्ण रूप से मिल पाएगी।

अंत में मैं एक ही बात कहकर अपनी वाणी पर विराम दूंगा कि

"जरूरत है बचाने की जल को,
जो धीरे धीरे समाप्त होने की कगार में है।
जल ही जीवन है, इसका सही उपयोग करे
यदि जल होगा, तभी हमारा कल होगा
इसे व्यर्थ ना जाने दें।"

चम्बल पानी योजना

समस्त 37 पंचायतों को चम्बल पानी दिया जाये।

1. अखैगढ़
2. अटारी
3. बछामदी
4. बरौली घर
5. बरौली रान
6. भदीरा
7. बहरामदा
8. डेहरा
9. एचेरा
10. गादौली
11. पहरसर
12. गांगरौली
13. गगवाना
14. हंतरा
15. जहांगीरपुर
16. झारकई
17. करही
18. करीली
19. कटारा
20. कवई
21. खांगरी
22. खटौटी
23. खेडी देवीसिंह
24. लखनपुर
25. लुहासा
26. मई
27. नाम
28. नयाबांस
29. चौठा
30. परसवारा
31. पिंगौरा
32. पिपरू
33. रायशीश
34. तलझेरा
35. ऊंच
36. उटारदा
37. रौनीजा

उच्चैन की तहसील/पंचायत समिति की समस्त 24 पंचायतों में तेजी से चम्बल परियोजना का काम चले।

सेवर पंचायत की समस्त पंचायतों पर तेजी से काम हो।

S.C. के लोग महिलाएं कई-कई K.M. से पीने का पानी लेने जाती थीं परन्तु मंत्री डा. बी. डी. कल्ला साहब ने वहां हैण्डपम्प व R.O. उपलब्ध करायें।

चम्बल पाइप लाइन मेरी विधान सभा से होकर जाती है, वहां कनेक्शन दिये जाये।

धन्यवाद।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर)

माननीय सभापति जी, जोधपुर विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों मोती चौक, माणक चौक, जालोरी गेट के अन्दर का क्षेत्र, कबूतरों का चौक, आड़ा बाजार क्षेत्र, पैकों का बास, भिस्तियों का बास, हाथीराम का ओडा, फतह सागर के आस पास का क्षेत्र, नसरानी सिनेमा के पीछे का क्षेत्र, सरदारपुरा, गांधी मैदान के आस-पास का क्षेत्र, आदि में पेयजल लाइन पुरानी एवं क्षतिग्रस्त होने की वजह से पेयजल वितरण के समय दूषित पेयजल की सप्लाई हो रही है। साथ ही पानी की सप्लाई बहुत ही कम दबाव से हो रही है। अत: पुरानी क्षतिग्रस्त लाइन के स्थान पर नई पाइप लाइन लगाने, पेयजल लाइन से वंचित क्षेत्र में नई पाइपलाइन बिछाने तथा पेयजल वितरण की व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु अतिरिक्त पाइपलाइन उपलब्ध करवाने के लिये जोधपुर विधान सभा क्षेत्र को लगभग एक करोड़ की राशि उपलब्ध करवायी जावे।

वर्तमान में जोधपुर को पेयजल की सप्लाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर के रख रखाव हेतु 70 दिन का क्लोजर लेना प्रस्तावित है। साथ ही जोधपुर शहर का भूजल स्तर भी लम्बे समय से काफी बढ़ा हुआ है, अतः जोधपुर शहर को आगामी ग्रीष्मकाल में इंदिरा गांधी नहर क्लोजर के समय शहरवासियों को पेयजल की दिक्कत नहीं हो। साथ ही बढ़े भूजल स्तर के निराकरण के लिये 25 ट्यूबवैल एवं 100 हैण्डपम्प मय पावर पम्प उपलब्ध करवाये जावें।

सभापति जी, पश्चिमी राजस्थान के जिलों में वर्षा कम होने की वजह से यहां की जनता मुख्यतः ग्रीष्मकाल में अन्य जल स्रोतों यथा हैण्डपम्प व

ट्यूबवैल पर निर्भर रहती है। विगत भाजपा सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर स्थित हैण्डपम्प पर लगने वाले पावर पम्प का विद्युत खर्च एवं रखरखाव जो कि पूर्व में राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता रहा है, को स्वयंसेवी संस्थाओं, मौहल्ला विकास समितियों व उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा वहन करने की शर्त पर हैण्डपम्प पर पॉवर पम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान करने की अधिसूचना जारी की गई, जिससे वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक हैण्डपम्प मय पावर पम्प व ट्यूबवैल नहीं लग पा रहे हैं, जबकि सर्वजन को पेयजल उपलब्ध करवाना राज्य सरकार का नैतिक कर्त्तव्य है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि पश्चिमी राजस्थान के निवासियों की आर्थिक स्थिति एवं पेयजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए विगत सरकार द्वारा लिये गये असंवेदनशील निर्णय में संशोधन कर ट्यूबवैल एवं हैण्डपम्प मय पावर पम्प लगाने का विद्युत खर्च एवं रखरखाव का खर्चा पूर्व की भांति राज्य सरकार द्वारा वहन करने का आदेश जारी कर आमजन को राहत प्रदान कराएं।

सभापति जी, जोधपुर शहर में विभिन्न रियासतकालीन प्राचीन हैरिटेज बावड़ियां, झालरे, तालाब एवं जलाशय अवस्थित हैं जो कि प्राचीन समय में जोधपुर शहर की पेयजल सप्लाई के मुख्य स्रोत रहे हैं लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर से पानी की सप्लाई होनी शुरू हुई है, यह जलाशय प्रशासन एवं आमजन की उदासीनता के शिकार होकर गंदगी के गये हैं। इनकी नहरों पर अतिक्रमण हो गये हैं एवं प्राचीन जलाशयों में सीवरेज पानी की सप्लाई होने से यह दूषित होकर बीमारियों के फैलने के प्रमुख वाहक बन गये हैं। प्राचीन भीतरी शहर में स्थित गुलाब सागर एवं फतेह सागर जलाशय जो कि पूर्व में सप्लाई के स्रोत रहे हैं आज इनका पानी नहाने धोने के लायक भी नहीं रहा है। यदि इन जलाशयों का पुन:उद्धार कर संरक्षित किया जाये तो पर्यटन के साथ-साथ भविष्य में ग्रीष्मकाल में पानी के संकट के समय यह जलाशय संजीवनी का कार्य करेंगे। अतः इन जलाशयों में शुद्ध पानी की आवक होने एवं इस पानी के सदुपयोग होने से जोधपुर को जो आज बढ़ते भूजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, उससे भी काफी हद तक निजात मिलेगी। अतः माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इन जलाशयों के संरक्षण हेतु अतिरिक्त बजट लगभग 2 करोड़ रुपये आबंटित करने का सौहार्द करायें।

श्रीमती मंजु देवी (जायल)

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज आपने मुझे मांग संख्या 27-पेयजल पर सदन में बोलने का मौका दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद।

राजस्थान प्रदेश का इतिहास हमेशा से सूखा रहा है, जहां पर सिंचाई तो दूर पीने योग्य पानी की बहुत ही कमी रही है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को पेयजल हेतु सुरक्षित करने के लिये हमारी सरकारों ने लम्बे अर्से से बार-बार प्रयास किए हैं, जिसके फलस्वरूप गत यूपीए सरकार द्वारा हमारे नागौर जिले के लिये इंदिरा गांधी नहर का पानी उपलब्ध करवाया गया। इसके लिये 3 हज़ार करोड़ की बहुत बड़ी व शानदार प्रयोजना बनाई गई और 2013 में इस परियोजना का शुभारम्भ (शिलान्यास) माननीय सोनिया गांधी जी के कर कमलों द्वारा व माननीय मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा मेरे विधान सभा क्षेत्र मुख्यालय जायल में किया गया था।

इस वृहत परियोजना से नागौर जिले में हिमालय का पानी मुहैया करवाया गया। इसके लिये धन्यवाद।

राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत जी को मैंने मेरे क्षेत्र के लिये गांव व ढाणियों में घर-घर नल लगाने की मांग रखी, तो माननीय ने मेरी मांग को स्वीकार करते हुए 120 गांव तथा 244 ढाणियों को जोड़ने के लिये इस बजट सत्र में 159 करोड़ 30 लाख की कार्ययोजना स्वीकृत की, इसके लिये मैं मेरी जनता की तरफ से और मेरी तरफ से माननीय मुख्य मंत्री महोदय व माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद करते हुए हार्दिक आभार प्रकट करती हूं।

जल है तो कल है।

जल ही जीवन है। इसका महत्व हमको समझना होगा।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी व मंत्री जी से मेरा छोटा-सा सुझाव देना चाहूंगी कि वर्षा का जल पेयजल से सर्वश्रेष्ठ होता है तो गांवों में हर खेत में पेयजल संकलन हेतु टांका बनाने पर और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि हमारी यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी नरेगा योजना चालू की, उससे भी टांके वर्ग विशेष को मुहैया हो रहे हैं, लेकिन इसे और आगे बढ़ाते हुए हर खेत में, हर वर्ग के किसान के चाहे खेत कटाणी मार्ग पर नहीं भी हो, टांके बनने चाहिए, ताकि वर्षा का शुद्ध जल उपलब्ध हो सके।

सुझावः–

1. विधान सभा क्षेत्र जायल में सौर ऊर्जा से संचालित सिंगल फेज नलकूपों को चालू करवाने की आवश्यकता है, जिससे जनता को राहत मिल सके।
2. जनता जल योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों का समय पर भुगतान होना चाहिए और इन कर्मचारियों का वेतन भी कम मिलने व नियमानुसार वेतन मिलना चाहिए जिससे कर्मचारियों को परेशानी नहीं हो।
3. विधान सभा क्षेत्र जायल में पेयजल योजनाओं के बिल पीएचईडी विभाग द्वारा जमा नहीं कराने हेतु विद्युत विभाग द्वारा कनेक्शन काट दिये जाते हैं, जिससे ग्रामीणों व किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस हेतु सुधार किया जाए।
4. विधान सभा क्षेत्र जायल में जिन विद्यालयों में पानी का कनेक्शन नहीं है, उन्हें जोड़ा जाये।
5. तालाब, नाड़ी का रख-रखाव करना होगा व उनका पक्का निर्माण करवाना होगा।
6. जिन कर्मचारियों या ठेकेदारों द्वारा नलकूपों की मरम्मत की जाती है, वह समय पर किये जायें जिससे किसानों व ग्रामीणों को परेशानी नहीं हो।

धन्यवाद।